अनुक्रमणिका INDEX

क्र. No.	विषय सूची	Contents	पृष्ठ क्र. Page No.
1.	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का वक्तव्य	Statement of Chairman & Managing Director	2
2.	नोटिस	Notice	4
3.	निदेशकों की रिपोर्ट	Directors' Report	8
	• प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	Management Discussion and Analysis	8
	• बैंक ऑफ महाराष्ट्र - वर्ष 2011-12 का कार्य निष्पादन	Performance in 2011-12	9
	• संगठन और समर्थन सेवाएं	Organisation and Support System	14
	• सामाजिक बैंकिंग	Social Banking	24
	 बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं / परियोजनाएं 	Important Schemes/Projects of the Bank	25
	• निगमित सामाजिक दायित्व	Corporate Social Responsibility	26
	• अग्रणी बैंक योजना	Lead Bank Scheme	27
	• सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं	Subsidiaries/Joint Ventures and Sponsored Institutions	28
	• राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	Implemention of Official Language Policy	29
	• निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन	Directors' Responsibility Statement	29
	• निदेशक मंडल में परिवर्तन	Changes in the Board of Directors	30
	• आभार	Acknowledgments	30
4.	कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	Report of the Board of Directors on Corporate Governance	31
5.	तुलनपत्र	Balance Sheet	50
6.	लाभ व हानि लेखा	Profit & Loss Account	51
7.	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	60
8.	खातों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	66
9.	नकदी प्रवाह का विवरण	Statement of Cash Flow	98
10.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	Auditors' Report	100
11.	समेकित वित्तीय विवरण	Consolidated Financial Statement	104
12.	इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा फार्म	Electronic Clearing Service (ECS) Form	129
13.	उपस्थिति पर्ची	Attendance Slip	130
14.	प्रॉक्सी फार्म	Proxy Form	131

संवैधानिक लेखा परीक्षक STATUTORY AUDITORS

कृते रे एंड कं. सनदी लेखाकार कोलकाता For Ray & Co. Chartered Accountants Kolkata कृते एन कुमार छाबरा एंड कं

सनदी लेखाकार चंडीगढ़ For N.Kumar Chhabra & Co. Chartered Accountants Chandigarh कृते जोध जोशी एंड कं. सनदी लेखाकार नागपुर For Jodh Joshi And Co Chartered Accountants Nagpur कृते डी एस पी एंड असोशिएटस् सनदी लेखाकार नई दिल्ली For DSP & Associates Chartered Accountants New Delhi **कृते जेसीआर एंड कं.** सनदी लेखाकार मुंबई **For JCR & Co.** Chartered Accountants Mumbai **कृते कीर्तने एंड पंडित** सनदी लेखाकार पुणे

For Kirtane & Pandit Chartered Accountants Pune

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आर्थिक स्थिति मंद आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति की सतत उच्च दर, भारी दोहरे घाटे, उच्च ब्याज दर और बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय पण्य कीमतों से चिन्हित रहा. इस चुनौतीपूर्ण वातावरण के बावजूद बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न मानदंडों में बेहतर निष्पादन दर्शाया है. यह आपके सतत हार्दिक समर्थन, हमारे ग्राहकों द्वारा संरक्षण तथा सभी स्टाफ सदस्यों द्वारा कर्तव्यनिष्ठ सहभागिता के कारण संभव हुआ है.

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान बैंक के कार्य निष्पादन की विशिष्टताएं निम्नानुसार हैं :

- वित्तीय वर्ष 2011 के ₹ 855.03 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012 हेतु परिचालन लाभ में 77.21 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई और यह बढ़कर ₹ 1,515.24 करोड़ हो गया. परिचालन लाभ में तीव्र वृद्धि निवल ब्याज आय और शुल्क आधारित आय में उच्च वृद्धि के कारण संभव हुई.
- वित्तीय वर्ष 2011 के ₹ 330.39 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012 हेतु निवल लाभ 30.40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 430.83 करोड़ रहा.
- वित्तीय वर्ष 2012 हेतु निवल ब्याज आय में वर्ष के दौरान ₹ 548.70 करोड़ की बढ़ोतरी हुई और वित्तीय वर्ष 2011 की तुलना में 27.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए यह बढ़कर ₹ 2,517.08 करोड़ हो गई.
- बैंकिंग परिचालनों के मूल क्षेत्रों से शुल्क आधारित आय वित्तीय वर्ष 2011 के ₹ 298.03 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2012 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 47.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 440.88 करोड़ हो गई.
- 5. वित्तीय वर्ष 2011 की तुलना में 28.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए कुल आय में ₹ 1,760.69 करोड़ की वृद्धि हुई और यह वित्तीय वर्ष 2011 हेतु ₹ 6,093.94 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012 में ₹ 7,854.63 करोड़ रहा.
- वित्तीय वर्ष 2012 हेतु अग्रिमों पर आय में 175 आधार अंकों (बीपीएस) की बढ़ोतरी से यह 11.44 प्रतिशत हो गया जबकि जमाराशि लागत 97 बीपीएस बढ़कर 6.35 प्रतिशत हो गई.
- वित्तीय वर्ष 2012 के लिए निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) सुधरकर 3.22% हो गया जो वित्तीय वर्ष 2011 हेतु 2.80 प्रतिशत था.
- आर्थिक मंदी के मद्देनजर आस्ति गुणवत्ता पर दबाव बना रहा. तथापि कठिन समय में भी बैंक वित्तीय वर्ष 2012 में सकल अनर्जक आस्ति अनुपात में कमी कर इसे 2.28 प्रतिशत कर सका जो कि वित्तीय वर्ष 2011 में 2.47 प्रतिशत था. संपूर्ण रूप से सकल अनर्जक आस्तियां 31.03.2012 को ₹ 1,297.03 करोड़ रहीं.
- वित्तीय वर्ष 2012 के समापन पर निवल अनर्जक आस्ति अनुपात कम होकर 0.84 प्रतिशत (₹ 469.57 करोड़) रहा जो कि गत वर्ष 1.32 प्रतिशत (₹ 618.95 करोड़) था.
- 10. अनर्जक आस्ति प्रावधान व्याप्ति प्रतिशत 31 मार्च 2011 के 65.56 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2012 को 80.36 प्रतिशत रहा.
- बैंक की निवल संपत्ति 31.03.2011 के ₹ 2,709.24 से बढ़कर 31 मार्च 2012 को ₹ 3,775.42 करोड़ हो गई.
- व्यवसाय के मोर्चे पर बैंक का कुल व्यवसाय 31 मार्च 2011 के ₹ 1,14,332 करोड़ की तुलना में 16.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2012 को ₹ 1,33,508 करोड़ हो गया.
- कुल जमाराशियां 31.03.2011 के ₹ 66,845 करोड़ की तुलना में 14.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2012 को ₹ 76,529 करोड़ हो गईं.
- चालू खाता एवं बचत खाता (कासा) जमाराशियां वर्ष के दौरान बढ़कर ₹ 31,632 करोड़ हो गईं. बैंक की कुल जमाराशियों में कासा जमाराशियों का अंश बढ़कर

STATEMENT OF CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Dear Shareholder,

It gives me great pleasure in presenting the Annual Report and Financial Statements of the Bank for the year ended 31st March 2012.

In the year under review the economic condition was marked by deceleration in economic growth, stubborn high rate of inflation, large twin deficits, high interest rates and rising international commodity prices. In spite of this challenging environment, the Bank has posted a good performance in various parameters during the year. This could happen due to your continued whole-hearted support, patronage of our customers and perseverance of all staff members.

Performance highlights of the Bank during FY12 are as under.

- Operating profit registered a healthy growth of 77.21 per cent and increased to ₹ 1,515.24 crore for FY12 compared to ₹ 855.03 crore for FY11. The fast growth in operating profit was possible because of high growth in net interest income and fee based income.
- 2. Net profit for FY12 was at ₹ 430.83 crore as compared to ₹ 330.39 crore for FY11 recording a growth rate of 30.40 per cent.
- Net interest income for FY12 increased by ₹ 548.70 cr during the year to ₹ 2,517.08 crore recording a growth rate of 27.88 per cent over FY11.
- Fee based income from core areas of banking operations has increased in FY12 to ₹ 440.88 crore from ₹ 298.03 crore in FY11 and recorded a growth of 47.93 per cent on y-o-y basis.
- Total income increased by ₹ 1,760.69 crore recording growth rate of 28.89 per cent over FY11 and stood at ₹ 7,854.63 crore for the FY12 as compared to ₹ 6,093.94 crore for FY11.
- The yield on advances increased by 175 basis points (bps) to 11.44 per cent while the cost of deposits increased by only 97 bps to 6.35 per cent for FY12.
- 7. Net Interest Margin (NIM) improved to 3.22 per cent for FY12 from 2.80 per cent for FY11.
- 8. In view of the economic slowdown there was a pressure on the asset quality. Even in the difficult times the Bank could reduce the gross non-performing asset (NPA) ratio to 2.28 per cent in FY12 from 2.47 per cent in FY11. In absolute terms the Gross NPAs stood at ₹ 1,297.03 crore as on 31.03.2012.
- Net NPA ratio reduced to 0.84 per cent (₹ 469.57 crore) at the end of FY12 from 1.32 per cent (₹ 618.95 crore) a year ago.
- 10. The NPA provision coverage ratio stood at 80.36 per cent as at 31.03.2012 as against 65.56 per cent as at 31.03.2011.
- 11. Net worth of the Bank increased to ₹ 3,775.42 crore as at 31.03.2012 from ₹ 2,709.24 crore as at 31.03.2011
- 12. On the business front, total business of the Bank registered growth of 16.77 per cent to ₹ 1,33,508 crore as at 31st March 2012 as compared to ₹ 1,14,332 crore as at 31st March 2011.
- 13. Total deposits increased to ₹ 76,529 crore as on 31.03.2012 against ₹ 66,845 crore as on 31.03.2011 and recorded growth of 14.49 per cent.
- 14. Current account and savings account (CASA) deposits increased to ₹ 31,632 crore during the year. Share of CASA deposits in total

31.03.2012 को 41.33 प्रतिशत हो गया जो कि 31.03.2011 को 40.44 प्रतिशत था.

- सकल अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 19.99 प्रतिशत वृद्धि हुई और यह 31 मार्च 2012 को ₹ 56,979 करोड़ रहे.
- मार्च 2012 की समाप्ति पर प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ₹ 19,199.07 करोड़ रहे जो कि
 40 प्रतिशत के अपेक्षित स्तर की तुलना में एएनबीसी के 40.81 प्रतिशत रहे.
- वर्ष हेतु प्रति कर्मचारी व्यवसाय ₹ 967.24 लाख रहा और प्रति कर्मचारी लाभ ₹ 3.12 लाख रहा.
- 18. बेसल II मानदंडों के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) न्यूनतम 9 प्रतिशत की विनियामक आवश्यकता की तुलना में 12.43 प्रतिशत के संतोषप्रद स्तर पर रहा. वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार से ₹ 469.99 करोड़ की ईक्विटी यूंजी के रूप में पूंजी सहायता प्राप्त की. ₹ 135.10 करोड़ की अतिरिक्त ईक्विटी पूंजी, वरीयता आबंटन आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम से उगाही गई.

व्यवसाय में त्वरित वृद्धि करने तथा कार्य-क्षमता में सुधार हेतु बैंक ने प्रमुख रूप से निम्नांकित पहल की :

- क. 53 नई शाखाएं खोली गईं, जिससे बैंक का शाखा नेटवर्क बढ़कर 1589 हो गया.
- ख. 85 नए एटीएम स्थापित किए गए, जिससे एटीएम की कुल संख्या 502 हो गई.
- ग. वित्तीय समावेशन पहल ("स्वाभिमान") के अंतर्गत बैंक ने 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी 1,215 आबंटित बैंकरहित गांवों को व्याप्त किया. वर्ष 2011-12 के दौरान वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक ने 1,61,799 ग्राहकों को सूचीबद्ध किया और 72,879 स्मार्ट कार्ड वितरित किए.
- घ. बैंकरहित ग्रामीण क्षेत्रों में मूल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु बैंक ने 102 महाबैंक ग्राम सेवा केन्द्र (एमजीएसके) और 171 अति सूक्ष्म शाखाएं खोली.
- मेसर्स एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया गया.
- च. बैंक को आवास ऋण और शिक्षा ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होना शुरू हो गए हैं, जिनमें पात्र ग्राहकों को तत्काल सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है.
- छ. चौबीस घंटे ग्राहक सेवा प्रदान करने हेतु पुणे में अलग से एक कॉल सेंटर सेवा (महा सेवा) स्थापित किया गया है.
- ज. महा ग्राम सेवा की संकल्पना को मूर्त रूप दिया गया जो कि इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान है.

मजबूत बुनियाद के साथ नई ऊंचाईयों को प्राप्त करने का हमारा सतत प्रयास रहेगा. बैंक आने वाले वर्ष में तीव्र वृद्धि के माध्यम से व्यवसाय में अपने बाजार के अंश में सुधार के प्रयास करेगा. इस हेतु बैंक ग्राहक उन्मुख नए उत्पाद और सेवाएं प्रारंभ करेगा. त्वरित ऋण सुपुर्दगी तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाएगा और सुगठित किया जाएगा. मूल बैंकिंग परिचालनों को मजबूत करने के साथ बैंक उच्च गैर-ब्याज आय की प्राप्ति हेतु गैर-मूल गतिविधियों में अपने परिचालनों को व्यापक करने की संभावनाओं की तलाश करेगा.

आपके समर्थन एवं संरक्षण के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जिसके कारण बैंक को वित्तीय वर्ष 2012 में बेहतर कार्य निष्पादन दर्ज करने में सहायता मिली. हमारे बैंक को देश के अग्रणी सरकारी क्षेत्र के बैंक के रूप में कायाकल्प करने के लिए भविष्य में भी आपके सतत सहयोग और संरक्षण की कामना करता हूं.

नरेन्द्र सिंह

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

deposits increased to 41.33 per cent as at 31.03.2012 from 40.44 per cent as at 31.03.2011.

- Gross advances increased by 19.99 per cent y-o-y to reach ₹ 56,979 crore as at 31.03.2012.
- Priority Sector advances stood at ₹ 19,199.07 crore at the end of March 2012 which worked out to 40.81 per cent of ANBC against the required level of 40 per cent.
- 17. Business per employee was ₹ 967.24 lakhs and profit per employee was ₹ 3.12 lakhs for the year.
- 18. Capital adequacy ratio (CRAR) under Basel II norms was comfortable at 12.43 per cent as against the minimum 9 per cent regulatory requirement. During the year, the Bank received capital support from the Government of India in the form of equity capital amounting to ₹ 469.99 crore. Additional equity capital of ₹ 135.10 crore was raised from the LIC of India on preferential allotment basis.

For faster growth in business and improvement in efficiency, the Bank took the following major initiatives.

- a. 53 new branches were opened taking the branch network to 1589.
- b. 85 ATMs were installed taking the total number of ATMs to 502.
- c. Under the financial inclusion initiative ("Swabhiman"), the Bank has covered all 1,215 allotted unbanked villages having population above 2,000. During the year 2011-12, under financial inclusion programme the Bank enrolled 1,61,799 customers and issued 72,879 smart cards.
- d. The Bank has opened 102 Mahabank Gram Seva Kendras (MGSKs) and 171 ultra small branches for providing basic banking services in the unbanked rural areas.
- e. Co-branded credit card was launched in association with M/s SBI Cards & Payments Services Pvt Ltd.
- f. The Bank started receiving on-line applications for housing loan and education loan, wherein immediate in-principle sanction is given to eligible customers.
- g. A full-fledged call centre service (named "Maha Seva") was set up in Pune for providing round the clock customer care.
- Established the concept Maha Gram Seva, a technology based solution for providing banking services to customers in remote areas through internet.

With strong foundations, it will be our constant endeavor to reach new heights. In the coming year the Bank would try to improve its market share in business through faster growth. For that the Bank would launch customer centric new products and services. The credit delivery mechanism will be reinforced and revamped for faster credit delivery. Apart from strengthening the core banking operations, the Bank would explore the possibility of expanding its operations in non-core activities for generating higher non-interest income.

I thank you for your support and patronage, which has helped the Bank in registering good performance in FY12. I solicit your continued cooperation and patronage in future also for transforming the Bank into a leading public sector bank in the country.

ism

Narendra Singh Chairman & Managing Director

(नरेन्द्र सिंह)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालयः "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005

नोटिस

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की नौवीं वार्षिक असाधारण आम सभा सोमवार दिनांक 25 जून 2012 को सुबह 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 में निम्नलिखित कारोबार करने हेतु होगीः

- 31 मार्च 2012 के तुलनपत्र तथा 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खाते, बैंक के लेखों और तुलनपत्र व लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की अवधि के दौरान बैंक की गतिविधियों तथा कार्यनिष्पादन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उसे अनुमोदित व स्वीकार करना.
- 2. 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु लाभांश घोषित करना.

स्थान ः पुणे दिनांक ः १२ मई २०१२

टिप्पणियां

प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति 1.

बैठक में उपस्थित रहकर वोट डालने के पात्र शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने और वोट डालने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी की नियुक्ति करने का अधिकार है. ऐसा प्रॉक्सी व्यक्ति बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है. प्रॉक्सी फार्म में विनिर्दिष्ट स्थान पर प्रॉक्सी प्रभावित करने के लिए प्रॉक्सी फार्म साधारण वार्षिक आम सभा की दिनांक से चार दिन पूर्व अर्थात् बुधवार, दिनांक 20 जून, 2012 को बैक के कार्यालय समय की समाप्ति या उससे पूर्व मिल जाना चाहिए.

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक किसी कंपनी या निगम निकाय जो बैंक के शेयरधारक हों, के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता जब तक कि उसे नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित सत्यप्रति है, जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तिथि से चार दिन पूर्व अर्थात बुधवार, दिनांक 20 जून 2012 को या उससे पहले कार्यालय समय की समाप्ति तक या उससे पूर्व जमा नहीं की जाती.

3. उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है. शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर यह पर्ची आम सभा के स्थान पर देने की कृपा करें. प्रॉक्सी/शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि यथाप्रसंग उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र पर उल्लेख करें कि "प्रॉक्सी" या "प्रतिनिधि".

बहियों का बंद होना

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर शनिवार 16 जून 2012 से सोमवार 25 जून 2012 (दोनों दिन मिलाकर) तक नौवीं वार्षिक आम सभा और लाभांश भुगतान की पात्रता का निर्धारण करने के लिए बंद रहेंगे.

5. लाभांश का भुगतान

शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम सभा में यदि लाभांश की घोषणा की जाती है तो उसका भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम :

 क) इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के संबंध में शुक्रवार दिनांक 15 जून 2012 को कारोबार समाप्ति पर लाभकारी मालिक के रूप में एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा दी जाने वाली सूची में रहेंगे, और ख) भौतिक फॉर्म के संबंध में शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2012 को शेयरधारकों के रजिस्टर में लिखे होंगे और शेयरधारकों से प्राप्त वैध अंतरण अनुरोध को शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2012 को कारोबार समय की समाप्ति के पूर्व प्रभावी किया गया हो.

ऐसे शेयरधारकों को बैंक द्वारा लाभांश वारंट बैठक की समाप्ति के तुरंत बाद किंतु लाभांश की घोषणा के दिनांक से 30 दिन के भीतर उनके पंजीकृत पते पर भेज दिए जाएंगे.

6. अंतरण प्रस्तुतीकरण

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र को अंतरण के लिए नीचे पैरा क्र. 7 में दिए गए पते पर रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) को भेजा जाए.

7. पते में परिवर्तन

भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध हैं कि वे अपने पते में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है, तो निम्नलिखित पते पर शेयर अंतरण एजेंट और रजिस्ट्रार को भेजेंः

एमसीएस लिमिटेड, (इकाई : बैंक ऑफ महाराष्ट्र), आफिस क्रमांक 21/22, ग्राउण्ड फ्लोर काशीराम जमनादास बिल्डिंग, 5, पी. डिमेलो रोड़ (घड़ियाल गोदी), मस्जिद (पूर्व), मुंबई - 400 009 फोन : (022) 2372 6253-56 फैक्स : (022) 2372 6252 ई-मेल: mcspanvel@yahoo.co.in

डिमैट रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है, तो सीधे अपने डिपाजिटरी पार्टीसिपेन्ट्स को दें.

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सेवा सुविधा (एन-ईसीएस) / इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सेवाएं (ईसीएस) तथा बैंक ब्योरों में परिवर्तन

बैंक सभी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान, जहां उपलब्ध हो वहां, एन-ईसीएस/ईसीएस सुविधा के माध्यम से करने की व्यवस्था करेगा. किसी केंद्र पर एन-ईसीएस/ईसीएस सुविधा न होने पर बैंक लाभांश वारंट प्रिंट कर शेयरधारकों को भेजेगा.

भौतिक रूप मे शेयर धारण करने वाले और इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सेवा सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक शेयरधारक इस रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रारूप में बैंक को अपने अधिदेश के साथ अपना प्राधिकार दे सकते हैं. वर्ष 2011-12 के लिए लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सेवा सुविधा के माध्यम से करने के अनुरोध रजिस्ट्रार व अन्तरण एजेन्ट-एमसीएस लि. को भी नीचे अनुच्छेद 7 में दिए गए पते पर दिनांक 15 जून, 2012 से पूर्व प्रस्तुत किए जाने चाहिए.

डी-मैट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक कृपया नोट करें कि संबंधित डिपाजिटरीज में पंजीकृत ईसीएस अधिदेश के अनुसार लाभांश भेजने हेतु विचार किया जाएगा. अपने बैंक खातों के विवरण में परिवर्तन कराने के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी डिपाजिटरी पार्टीसिपेन्ट्स को बैंक खातों का पूर्ण विवरण देते हुए परिवर्तन करने का अनुरोध 15 जून, 2012 को या उससे पूर्व करें. बैंक में खाता रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे लाभांश जमा करने हेतु बैंक को अपने सीबीएस बैंक खातों के विवरण उपलब्ध कराएं.

- शेयरधारक/प्रॉक्सीधारक/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति वार्षिक आम सभा में अपने साथ लाएं.
- 10. लेखों के संबंध में अधिक जानकारी के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक के प्रधान कार्यालय में स्थित निवेशक सेवाएं विभाग को इस आशय का लिखित अनुरोध इस प्रकार भेजें कि वह वार्षिक आम सभा की दिनांक से एक सप्ताह पूर्व उन्हें मिल जाए ताकि प्रबंधन सूचनाएं तैयार रख सके. शेयरधारक नोट करें कि सूचनाएं/स्पष्टीकरण केवल वार्षिक आम सभा में ही उपलब्ध कराए जाएंगे.

BANK OF MAHARASHTRA

HEAD OFFICE: "LOKMANGAL", 1501, SHIVAJINAGAR, PUNE - 411 005

NOTICE

Notice is hereby given that the Ninth Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Maharashtra will be held on Monday, the 25th June, 2012 at 10.30 a. m at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005 to transact the following business:

- 1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2012, and the Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2012, the Report of Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."
- 2. To declare dividend for the year ended 31st March 2012

Place: Pune

Date: 12th May 2012

NOTES:

1. Appointment of Proxy:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy form, in order to be effective, must be received at the place specified in the Proxy form not less than Four Days before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closure hours of the Bank on Wednesday, 20th June 2012.

2. Appointment of an Authorised Representative:

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorised representative of a Company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him / her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head office of the Bank not less than Four Days before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closure hours of the Bank on Wednesday, 20th June 2012

3. Attendance Slip-cum-Entry pass

For the convenience of the shareholders, attendance Slipcum-Entry pass is annexed to this Report. Shareholders / Proxy Holders / Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorised Representative of a shareholder should state on the Attendance slip-cum- Entry pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

4. Book Closure

The Register of shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Saturday 16th June 2012 to Monday 25th June 2012 (both days inclusive) for the Purpose of the Ninth Annual General Meeting and for ascertaining the shareholders entitled for dividend.

5. Payment of Dividend

Payment of dividend, if declared by the Shareholders at the Annual General Meeting, will be paid to those shareholders whose names appear:

a) as Beneficial Owners as at the close of business hours on Friday, June 15th 2012, as per lists to be furnished by NSDL/CDSL in respect of the Shares in electronic form, and

b) in the Register of shareholders as on Friday, June 15th 2012, after giving effect to the valid transfer requests received from the shareholders holding shares in physical form, before close of business hours as on Friday, June 15th 2012.

Dividend warrants to such shareholders would be sent by the Bank immediately after the Meeting and not later than 30 days from the date of declaration of dividend at their registered addresses.

6. Lodgment of Transfers

Share Certificates along with transfer deeds for transfer of shares, should be forwarded to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at the address given under para no:7.

7. Change of address

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank at the following address:

MCS Limited, Unit: Bank of Maharashtra, Office No.21/22, Ground Floor,Kashiram Jamnadas Bldg., 5, P.D' Mello Road,(Ghadiyal Godi), Masjid (E), Mumbai - 400 009. Tel No: 022-2372 6253-56 Fax: 022-2372 6252 Email:mcspanvel@yahoo.co.in

Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to intimate changes, if any, in their address directly to the respective depository participants.

8. National Electronic Clearing Services (N-ECS) / Electronic Clearing Services (ECS) and Change in Bank Details

The Bank will arrange to make payment of dividend through N-ECS / ECS facility, wherever available, to all shareholders of the Bank. In the absence of NECS / ECS facility at certain centers, the Bank shall print and send the physical dividend warrants to the shareholders.

Shareholders holding their shares in physical form, who wish to avail ECS facility may authorize the Bank with their ECS Mandate in the prescribed form annexed to this Report. The

6

larendra Singh)

Chairman and Managing Director

request for payment of dividend through ECS for the year 2011-12 should be lodged with Registrar and Share Transfer Agent (RTA)-MCS Ltd at address mentioned under para 7 on or before 15th June 2012.

Shareholders holding shares in dematerialized form may please note that ECS mandate as recorded with the respective depositories will be considered for sending divided through ECS. Shareholders who wish to change Bank account details are requested to advise their depository participants only about such change with complete details of Bank Account on or before 15th June 2012. Shareholders maintaining account with the Bank are requested to provide to the Bank, CBS Bank account details to credit their accounts towards dividend.

- **9.** Shareholders/Proxy holders/representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting.
- **10.** Shareholders who wish to seek any information on the accounts are requested to write to the Investor Services Department of the Bank at its Head Office, which should reach the Bank at least one week before the date of the Annual General Meeting so as to enable the Management to keep the information ready. Shareholders may note that information / clarification shall be provided only at the Annual General Meeting.

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशक 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाते और व्यवसाय एवं परिचालन पर रिपोर्ट के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं.

1. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषणः

1.1 वर्ष 2011-12 में आर्थिक परिदृश्यः

वैश्विक अर्थव्यवस्था, जिसमें वर्ष 2010 में उत्लेखनीय सुधार हुआ था, में वर्ष 2011 में मंदी आ गई। वर्ष 2010 के 5.3 प्रतिशत की तुलना में विश्व उत्पाद वृद्धि, वर्ष 2011 में घटकर 3.9 प्रतिशत रह गई. विश्व की लगभग समस्त अर्थव्यवस्थाओं ने आर्थिक प्रगति में गिरावट अनुभव की. अग्रिम अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक प्रगति वर्ष 2010 के 3.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2011 में आधी होकर 1.6 प्रतिशत रह गई। अमेरिका और इंग्लैंड के मामले में उत्पाद वृद्धि में कमी अधिक उभरकर आई किंतु वर्ष 2011 की समाप्ति तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार के चिन्ह दिखने लगे। मौद्रिक कसाव और वैश्विक वृद्धि में मंदी के संयुक्त प्रभाव को दर्शाते हुए विकासशील और उभर रही अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक वृद्धि में भी कमी आई और वर्ष 2010 के 7.5 प्रतिशत की तुलना में यह वर्ष 2011 में 6.2 प्रतिशत रह गई.

आर्थिक गतिविधियों में हल्की-फुल्की वृद्धि दर्शाते हुए विश्व व्यापार परिमाण वृद्धि में पिछले वर्ष के 12.9 प्रतिशत से भारी कमी दिखाई दी और वर्ष 2011 में यह 5.8 प्रतिशत रह गई. अंतर्राष्ट्रीय जिंसों की कीमतें चढी रहीं. भौगोलिक-राजनीतिक तनावों के चलते अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें वर्ष 2010 के (27.9 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2011 में (31.6 प्रतिशत) अधिक तेजी से बढीं. तथापि, आर्थिक गतिविधियों में धीमी वृद्धि दर्शाते हुए गैर-ईंधन जिंसों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें वर्ष 2010 के (26.3 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2011 में धीमी गति से (17.8 प्रतिशत) बढीं.

घरेलू अर्थव्यवस्था में, वर्ष 2010-11 के 8.4 प्रतिशत की तुलना में (त्वरित अनुमान के अनुसार) सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2011-12 में कुछ कम वृद्धि के साथ 6.9 प्रतिशत रहा। तेजी से बढ़ती कीमतों की रोकथाम हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाई गई महंगी मुद्रा नीति के परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 की सभी तिमाहियों में वृद्धि दर क्रमिक रूप से धीमी रही. शीर्षक थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति जो अप्रैल-नवंबर 2011 के दौरान 9.0 प्रतिशत से अधिक रही, मार्च, 2012 तक घटकर 6.9 प्रतिशत हो गई. पिछले वर्ष इसी अवधि के 8.1 प्रतिशत की तुलना में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 2011-12 (अप्रैल-फरवरी) में घटकर 3.5 प्रतिशत हो गया. ऊंची ब्याज दरें और ऊंची निविष्ट कीमतें निवेशी संवेदनशीलता को विपरीत रूप से प्रभावित करने वाले मुख्य घटक रहे.

वर्ष 2011-12 में भारतीय अर्थव्यवस्था को बाह्य और राजकोषीय दोनों घाटों से जूझना पड़ा. भारत का चालू खाता घाटा पिछले वर्ष इसी अवधि के 3.4 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में अप्रैल-दिसंबर, 2011 को बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 4.0 प्रतिशत हो गया. वर्ष 2011-12 में आयात व निर्यात दोनों में ही कमी आई, जबकि निर्यात की तुलना में आयात में अधिक तेजी से कमी आई, जिसकी वज़ह से व्यापार घाटा अधिक रहा. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि भारतीय निर्यात वृद्धि में और कमी आ सकती है.

1.2 वर्ष 2011-12 के दौरान भारतीय बैंकिंग उद्योग का कार्यनिष्पादन

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति में आई कमी का असर वर्ष 2011-12 में भारतीय बैंकिंग उद्योग पर भी पड़ा. सकल स्थिर पूंजी निर्माण में वृद्धि के माध्यम से आंकी गई निवेश दर में पिछले वर्ष की तुलनात्मक अवधि के 8.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में (अप्रैल-दिसंबर) 2011-12 में 0.2 प्रतिशत कमी आई. परिणामस्वरूप, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों में पिछले वर्ष के 21.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2011-12 में 19.3 प्रतिशत वृद्धि हुई.

वर्ष 2011-12 में (फरवरी 2012 तक) सभी मुख्य क्षेत्रों में बैंक ऋणों में सकारात्मक वृद्धि हुई. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, व्यापार, क्रेडिट कार्ड बकाया और आवास क्षेत्र के अतिरिक्त सभी मुख्य गैर खाद्य क्षेत्रों में ऋण वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में कम रही. औद्योगिक क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण पिछले वर्ष के 26.5 प्रतिशत की तुलना में 19.1 प्रतिशत रहे.

वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं) ने प्रधान नीति दर (रेपो दर) में 175 आधार अंकों की वृद्धि के साथ लगभग पूरे वर्ष महंगी मुद्रा नीति का संकेत दिया. जिसके अनुसरण में वाणिज्यिक बैंकों ने अपनी जमा ब्याज दरें बढ़ा दीं जिसकी वज़ह से बैंकों की सावधि जमाराशियां अन्य वित्तीय बचत विकल्पों की तुलना में आकर्षक हो गईं. सावधि जमाराशियों की तेजी से हुई वृद्धि के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की

DIRECTORS' REPORT

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2012.

1. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS:

1.1 Economic Scenario in 2011-12

The global economy, which showed remarkable recovery in the year 2010, suffered a setback in 2011. World output growth slumped to 3.9 per cent in 2011 from 5.3 per cent in 2010. Economies across the globe witnessed slowdown in economic growth. Economic growth of the advanced economies (AEs) halved to 1.6 per cent in 2011 from 3.2 per cent in 2010. Slowdown in output growth was more pronounced in case of United Kingdom and the United States, albeit the US economy showed signs of improvement towards the end of 2011. Economic growth in Emerging and Developing Economies (EDEs) also slowed down to 6.2 per cent in 2011 from 7.5 per cent in 2010 reflecting the combined impact of monetary tightening and slowdown in global growth.

World trade volume growth slowed down drastically in 2011 to 5.8 per cent from 12.9 per cent a year ago reflecting lacklustre growth in economic activities. International commodity prices remained high. International crude oil prices increased at a faster rate in 2011 (31.6 per cent) than that in 2010 (27.9 per cent) owing to geo-political tensions. However, reflecting the slow pace of growth in economic activities, international prices of non-fuel commodities increased at a slower rate in 2011 (17.8 per cent) than in 2010 (26.3 per cent).

In the domestic economy, gross domestic product (GDP) growth moderated in 2011-12 to 6.9 per cent (as per Quick Estimate) from 8.4 per cent in 2010-11. The growth rate sequentially slowed down in all the quarters of 2011-12 as a result of dear money policy adopted by the Reserve Bank of India (RBI) to contain fast rising price level. The headline wholesale price index (WPI) inflation that remained above 9 per cent during April-November 2011, moderated to 6.9 per cent by March 2012. Growth in the index of industrial production (IIP) decelerated to 3.5 per cent in 2011-12 (April-February) from 8.1 per cent in the corresponding period of the previous year. Higher interest rates and high input prices were among major factors adversely affecting investment sentiment.

In the year 2011-12 the Indian economy had to struggle with the twin deficit on the external and fiscal front. India's Current account deficit (CAD) widened to 4.0 per cent of GDP during April-December 2011 from 3.4 per cent of GDP in corresponding period of the previous year. In 2011-12 growth in both exports and imports decelerated while the deceleration in exports was faster than that in imports which widened the trade deficit. The International Monetary Fund (IMF) has projected that India's export growth may decelerate further.

1.2 Performance of Indian Banking Industry in 2011-12

Deceleration in growth of the Indian economy was also reflected in the Indian banking industry in 2011-12. Investment rate measured through growth in gross fixed capital formation (GDCF) actually shrank by 0.2 per cent in 2011-12 (April-Dec) as compared to growth of 8.9 per cent in comparable period of the previous year. As a result bank credit of scheduled commercial banks (SCBs) grew by 19.3 per cent in 2011-12 as compared to 21.5 per cent in the previous year.

Bank credit to all major sectors in 2011-12 (till February 2012) showed positive growth. The credit growth rate in all major non-food sectors was less than that in the previous year with an exception of Micro & Small industries, Trade, Credit Card Outstanding and housing sector. Bank credit to the industrial sector expanded by 19.1 per cent in that period as compared to 26.5 per cent in the previous year.

During the year the Reserve Bank of India (RBI) increased the key policy rate (Repo Rate) by 175 basis points signalling a dear money policy for most of the year. Correspondingly commercial banks increased their deposit interest rates which made bank term deposit attractive as compared to other financial savings options. Riding on a faster growth

समग्र जमाराशियां वर्ष 2010-11 के 15.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2011-12 में 17.4 प्रतिशत बढीं.

1.3 परिदृश्य

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया कि वर्ष 2011 के संकट के बाद वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के पुनः सुदृढ़ीकरण के बावजूद गिरावट का जोखिम निरंतर बना हुआ है. उनके अनुमान के अनुसार वर्ष 2011 के 4 प्रतिशत की तुलना में वैश्विक वृद्धि वर्ष 2012 में घटकर 3.5 प्रतिशत रहेगी. यूरो क्षेत्र में घटती संप्रभुता और बैंकिंग क्षेत्र के कम होते विकास के कारण हुई हानि मंदी के इस अनुमान का मुख्य कारण है. वर्ष 2012 में यूरो क्षेत्र के हल्की मंदी के दौर में प्रवेश का अनुमान है. आशा है कि विकासशील और उभर रही अर्थव्यवस्थाओं की वर्ष 2011 की नरम गतिविधियां वर्ष 2012 में भी इन अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक प्रगति को बाधित करेंगीं. इन देशों में उत्पाद वृद्धि भी और कम होकर 5.7 प्रतिशत रहने की आशा है. वर्ष 2011 के 3.9 प्रतिशत की तुलना में विश्व उत्पाद वृद्धि वर्ष 2012 में 3.5 प्रतिशत रहने की आशा है. विकसित अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक प्रगति में गिरावट के कारण अनुमान है कि वर्ष 2011 के 5.8 प्रतिशत की तुलना में विश्व व्यापार मात्रात्मक वृद्धि वर्ष 2012 में कम होकर 4.0 प्रतिशत रहेगी.

ऐसा विश्वास है कि घरेलू आर्थिक वृद्धि अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है और इस स्तर से अब इसमें सुधार अपेक्षित है. तथापि, स्थिर मुद्रा स्फीति स्तर, चढ़ता राजकोष और चालू खाते की घाटे की स्थितियां आर्थिक प्रगति की संभावनाओं में कमी का लगातार खतरा बनी हुई हैं. मुद्रा स्फीति नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आर्थिक प्रगति में सतत मंदी पर चिंता जताई है. वर्ष 2012-13 में भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति का लक्ष्य, पुनः उभर रहे मांग-आधारित मुद्रा स्फीति दबावों के जोखिम से नीति दर को बचाते हुए इसे वर्तमान धीमी प्रगति स्तर के अनुकूल करना है.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2012-13 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की 7.3 प्रतिशत की दर से वृद्धि और मार्च 2013 तक थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के थोड़ा कम होकर 6.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है. वैश्विक जिस वस्तुओ, विशेष रूप से कच्चे तेल की कीमतों का अत्यंत अस्थिर परिदृश्य, उच्च राजकोषीय घाटे के कारण घटता निजी निवेश और भुगतान संतुलन की बिगड़ती स्थिति वर्ष 2012-13 में घरेलू आर्थिक प्रगति में गिरावट के जोखिम हैं.

आर्थिक वृद्धि और मुद्रा स्फीति अनुमानों की संगतता में भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापक धन आपूर्ति में 15 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समग्र जमाराशियों में 16 प्रतिशत वृद्धि अपेक्षित है और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए गैर-खाद्य ऋणों में 17 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है.

2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र - वर्ष 2011-12 का कार्य निष्पादन

2.1 कारोबार

बैंक का कुल कारोबार पिछले वर्ष ₹ 1,14,332 करोड़ की तुलना में 16.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2012 को ₹ 1,33,508 करोड़ हो गया।

2.2 जमाराशियां

चालू व बचत खातों की जमाराशियों में सुदृढ वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान बैंक की कुल जमाराशियों में ₹ 9,684 करोड़ की वृद्धि हुई और कुल जमाराशियां ₹ 76,529 करोड़ हो गईं. इस प्रकार मार्च 2011 की समाप्ति पर ₹ 66,845 करोड़ के स्तर से चालू व बचत खातों की जमाराशियों में 14.49 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई.

मांग (चालू व बचत खाता) जमाराशियों में 17.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 31.03.2012 को ये ₹ 31,632 करोड़ हो गईं. बैंक की कुल जमाराशियों में चालू व बचत खातों की जमाराशियों का प्रतिशत दिनांक 31.03.2011 के 40.44 प्रतिशत से बढ़कर दिनांक 31.03.2012 को 41.33 प्रतिशत हो गया.

2.3 ऋण अभिनियोजन

भारत सरकार के प्राथमिकता क्षेत्र संबंधी उधारी मानदण्डों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक में उधारी नीति लागू है. यह नीति गुणात्मक ऋण वृद्धि पर बल देती है और विनियामक आवश्यकताओं के साथ-साथ विवेकपूर्ण विगोपन सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करती है.

बैंक के सकल अग्रिम 31.03.2011 के ₹ 47,487 करोड़ से 19.99 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 31.03.2012 को ₹ 56,979 करोड़ हो गए.

in time deposits, aggregate deposits of the scheduled commercial banks (SCBs) grew by 17.4 per cent in 2011-12 as compared to 15.9 per cent in 2010-11.

1.3 Outlook

The IMF has projected that even if global economic prospects are strengthening again after the set back in 2011, downside risks remain elevated. It has projected global growth to slow down from about 4 per cent in 2011 to 3.5 per cent in 2012. The projection for slowdown is mainly on account of the damage done by deteriorating sovereign and banking sector developments in the Euro area. The Euro area is expected to go into mild recession in 2012. Activities in the EDEs that softened in 2011 are expected to drag down economic growth in EDEs in 2012 also. Output growth in these countries is expected to further slowdown to 5.7 per cent. World output growth in 2012 is expected to be 3.5 per cent as compared to 3.9 per cent in 2011. Due to the subdued economic progress in the advanced economies, world trade volume growth in 2012 is projected to slowdown to 4.0 per cent from 5.8 per cent in 2011.

Slowdown in the domestic economic growth is believed to have reached the bottom and is expected to improve from here. However, the sticky inflation level and elevated fiscal as well as current account deficit positions continue to pose downside risk to the economic growth prospects. The Reserve Bank of India has expressed its concern over the secular slowdown in economic growth while continuing to focus on controlling inflation. In 2012-13, monetary policy stance of the RBI is intended to adjust policy rates to levels consistent with the current growth moderation while guarding against risks of demand-led inflationary pressures re-emerging.

The RBI has projected India's GDP to grow by about 7.3 per cent in 2012-13 and WPI based inflation to marginally fall to 6.5 per cent by March 2013. The downside risks to domestic economic growth in 2012-13 are high-uncertain outlook for global commodity prices, especially that of crude oil; high fiscal deficit crowding out private investment; and worsening balance of payments situation.

Consistent with the growth and inflation projections, the RBI has projected broad money supply to grow by 15 per cent. Aggregate deposits of SCBs are expected to grow by 16 per cent and growth in non-food credit of SCBs is projected at 17 per cent.

2. BANK OF MAHARASHTRA – Performance in 2011-12

2.1 Business

Total business of the Bank stood at ₹ 1,33,508 crore as on 31.03.2012, as compared to ₹ 1,14,332 crore a year ago, registering growth of 16.77 per cent.

2.2 Deposits

Driven by robust growth in current and savings account (CASA) deposits, total deposits recorded growth of ₹ 9,684 crore during the year to reach ₹ 76,529 crore, up by 14.49 per cent over the level of ₹ 66,845 crore as at the end of March 2011.

CASA deposits increased by 17.01 per cent and stood at ₹ 31,632 crore as of 31.03.2012. Share of CASA deposits in total deposits of the Bank improved to 41.33 per cent as on 31.03.2012 from 40.44 per cent as on 31.03.2011.

2.3 Credit Deployment

The Bank has put in place a lending policy in conformity with the guidelines issued by RBI and also the priority sector lending norms of the Government of India. It emphasizes on qualitative credit growth and ensures compliance with regulatory requirements as well as the prudential exposure limits.

Gross advances of the Bank increased from ₹ 47,487 crore as on 31.3.2011 to ₹ 56,979 crore as on 31.3.2012 with growth of 19.99 per cent.

31.3.2011 को ऋण जमा अनुपात 71.04 प्रतिशत था जो 31.03.2012 को बढ़कर 74.45 प्रतिशत हो गया.

सभी स्तरों पर प्रोसेसिंग में लगने वाले समय को कम करने और ऋण की गुणवत्ता सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए। निम्नानुसार विभिन्न नए प्रयास किए गएः

- ऋण मूल्यांकन तकनीकों में सुधार
- ऋण प्रस्ताव प्रोसेसिंग और समय सीमा मानदंड विनिर्दिष्ट करना
- क्षेत्र (फील्ड) स्तर पर ऋण विपणन और प्रधान कार्यालय के वर्तमान और संभावित ग्राहकों से भेंट
- ऋण प्रबंधन और वृद्धि हेतु जागरुकता निर्माण
- मिड-कार्पोरेट ऋण में वृद्धि हेतु 5 मिड-कार्पोरेट शाखाएं खोली गईं
- ऋण मूल्यांकन और विपणन गुणों को अद्यतन करने के लिए ऋण अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया
- ग्राहकों और निर्यातकों के साथ सीधे वार्तालाप के लिए प्रधान कार्यालय के वरिष्ठ कार्यपालकों की उपस्थिति में विभिन्न स्थानों पर ग्राहक और निर्यातकों की बैठकों का आयोजन किया गया
- बड़ी राशि के अग्रिमों के संवर्धन हेतु मुंबई में लोन सिंडिकेशन सेल खोला गया

बैंक के विभिन्न उपायों से वर्ष के दौरान अग्रिमों से आय में सुधार हुआ है.

पिछले वर्ष खोले गए मिड-कार्पोरेट कक्ष के परिणाम स्वरूप ऋण जोखिम विस्तारण के साथ-साथ ऋणों में भी वृद्धि हुई. इस मिड-कार्पोरेट कक्ष के गठन के परिणाम स्वरूप बैंक को कहीं अधिक आय के साथ उल्लेखनीय कारोबार हासिल हुआ है. मिड-कार्पोरेट को वित्तपोषण जारी रखने पर बैंक विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगा.

2.3.1 ऋणों का क्षेत्रवार विनियोजन

अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों को वित्तपोषण के समय बैंक ने विकेन्द्रित ऋण संविभाग बनाए रखने का प्रयास किया है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों को ऋण विस्तारण सुनिश्चित हो सके. बैंक ने अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान देने वाले कोर, विनिर्माणी, प्राथमिकता क्षेत्र तथा आधारभूत परियोजनाओं को समर्थन देने के अपने प्रयास जारी रखे. राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि प्राथमिकताओं के अनुरूप बैंक का यह फोकस भविष्य में भी जारी रहेगा.

दिनांक ३१.०३.२०१२ को उद्योगवार ऋण अभिनियोजन निम्नानुसार रहा -

अ. क्र.	विनियोजित ऋण	31.03.2012 को बकाया ₹ करोड़ में	कुल बकाया ऋण से प्रतिशत
1	उद्योग	31,767.75	55.75
	इसमें से		
	і अवसंरचनात्मक	7,755.14	13.61
	ii रसायन, डाय व पेन्ट इत्यादि	1,704.72	2.99
	iii पेट्रोलियम	769.86	1.35
	iv लोहा व स्टील	1,082.72	1.90
	v एनबीएफसी व व्यापार	13,234.62	23.23
	vi इंजिनियरिग	1,768.28	3.10
	vii निर्माण	337.78	0.59
	vii अन्य उद्योग	5,114.63	8.98
2	कृषि	6,089.23	10.69
3	एमएसएमई	8,630.81	15.15
4	आवास	5,056.34	8.87
5	शिक्षा	489.28	0.86
6	निर्यात	873.04	1.53
7	वाणिज्यिक भू संपदा	1,006.35	1.77

Credit deposit ratio (CDR) as on 31.3.2012 was 74.45 per cent as against 71.04 per cent as on 31.03.2011.

Several steps have been taken for reduction in the proposal processing time at all levels and for improvement in the quality of credit. Several new initiatives were taken, such as:

- Improvement in credit appraisal techniques.
- Specifying proposal processing and timing norms.
- Credit marketing at field level and meeting existing and potential clients from Head Office.
- Creating awareness of credit administration and growth.
- 5 Mid-Corporate Branches have been opened to boost midcorporate credit.
- Training provided to credit officers to upgrade their credit appraisal & marketing skills
- Customers' meet & exporters' meet were organized at various places with participation of senior Executives from Head Office to have direct interaction with the clients.
- Opening of Loan Syndication Cell at Mumbai to augment large advances.

As a result of various steps taken by the Bank, yield on advances has improved during the year.

The Mid Corporate vertical which has been created last year has resulted in core credit growth besides dispersion of credit risk. Bank has been able to garner substantial business under Mid Corporate vertical with relatively high yield. Financing mid-corporates shall continue to be one of the thrust areas of the Bank.

2.3.1 Sectoral Deployment of Credit

While financing to various segments of the economy, the Bank has endeavoured to maintain a diversified credit portfolio, with a view to ensuring credit dispersion across sectors. The Bank has continued its efforts to support core, manufacturing and priority sectors as well as infrastructure projects, which serve to drive economic growth. This focus of the Bank will continue in future, in line with the national economic growth priorities.

Industry wise credit deployment as on 31.03.2012 is as under.

Sr. No.	Credit deployed	Outstanding as on 31.03.2012 ₹ in crore	Percentage to total credit outstanding
1	Industry	31,767.75	55.75
	Of which		
	i. Infrastructure	7,755.14	13.61
	ii. Chemicals, Dyes, Paints etc	1,704.72	2.99
	iii. Petroleum	769.86	1.35
	iv. Iron & Steel	1,082.72	1.90
	v. NBFCs & Trading	13,234.62	23.23
	vi. Engineering	1,768.28	3.10
	vii. Construction	337.78	0.59
	viii. Other Industries	5,114.63	8.98
2	Agriculture	6,089.23	10.69
3	MSME	8,630.81	15.15
4	Housing	5,056.34	8.87
5	Education	489.28	0.86
6	Exports	873.04	1.53
7	Commercial real estate	1,006.35	1.77

2.3.2 ऋण प्रशासन और निगरानी

मार्च, 2011 को समाप्त तिमाही से, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अनर्जक आस्तियों का अभिनिर्धारण और वर्गीकरण, संव्यवहार सॉफ्टवेयर से आरंभ कर दिया है, जो पहले क्रीम प्रणाली से किया जाता था. जून 2011 को समाप्त तिमाही से प्रावधानीकरण भी फ्रंट ऑफिस सीबीएस सॉफ्टवेयर में शिफ्ट कर दिया गया था.

अब उधार खातों की दैनिक आधार पर निगरानी करने में कोर बैंकिंग सोल्यूशन मदद करता है. दैनिक आधार पर कोटिअवनयन रिपोर्ट उपलब्ध है, जो खातों का पता लगाने में तथा उधार खाते की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक है.

उधार खातों की ऋण गुणवत्ता की और अधिक निगरानी आवधिक रूप से आस्ति कार्यनिष्पादन पुनरीक्षण, ऋण एवं स्टॉक लेखा परीक्षा के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है.

ऋण निगरानी का उद्देश्य ऋण गुणवत्ता, ऋण प्रशासन,विनियमनकारी अनुपालन में सुधार करना तथा ऋण अनुमोदन प्रक्रिया की समीक्षा करना है.

2.4 आस्ति निष्पादन

₹ 109.02 की अनर्जक आस्तियों को अर्जक आस्तियों में कोटिउमयित करने के अलावा बैंक ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान अनर्जक आस्तियों में ₹ 379.45 करोड़ की नकदी वसूली की है इसमें से लेजर शेष में ₹ 248.91 करोड़, बट्टेखाते में डाले गए खातों में ₹ 96.01 करोड़ और न लगाए गए ब्याज में ₹ 34.53 करोड़ की वसूली हुई है.

बैंक ने ₹ 400.00 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य के समक्ष 94.8 प्रतिशत की वसूली की. चालू वर्ष में की गई वसूली विगत वर्ष की वसूली से ₹ 26.30 करोड़ कम रही.

चूककर्ता उधारकर्ताओं के साथ पत्रों तथा नोटिसों, वसूली कैम्पों और लोकअदालतों के माध्यम से गहन अनुवर्तन के कारण इस वर्ष की उपलब्धि संभव हो पाई है.

₹ 10.00 लाख तक के लेजर शेष वाले छोटे आकार की अनर्जक आस्तियों में एनपीए वसूली में वृद्धि और सुधार हेतु बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालयों में 10 अतिरिक्त सूक्ष्म आस्ति वसूली कक्षों (एमएआरसी) की स्थापना की, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 20 हो गई. इन कक्षों ने बहुत उत्साहवर्धक वसूली कार्यनिष्पादन दर्शाया और सूक्ष्म आस्ति वसूली कक्षों ने ₹ 244.75 करोड़ की नकद वसूली की. बैंक की कुल नकद वसूली में एमएआरसी का वसूली निष्पादन 64.50% रहा.

बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भी ₹ 5.00 लाख तक के लेजर शेष वाली अनर्जक आस्तियों में वसूली हेतु विशेष एक बार निपटारा योजना को जारी रखा. इस योजना के अंतर्गत अनर्जक आस्तियों में ₹ 59.54 करोड़ की कुल वसूली हुई.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, सितंबर 2011 को समाप्त तिमाही के दौरान "काउंटर साइक्लिक प्रोविजनिंग बफर" खाते के रूप में बैंक को ₹ 264.91 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया और बैंक की वित्तीय स्थिति को दृढ़ किया गया, जिसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की शर्त के अनुसार 70% पर काउंटर साइक्लिक प्रावधान किए जा रहे हैं.

सकल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का अनुपात दिनांक 31.3.2011 के 2.47 प्रतिशत से घट कर दिनांक 31.3.2012 को 2.28 प्रतिशत और निवल अग्रिमों से निवल अनर्जक आस्तियों का अनुपात गत वर्ष के 1.32 प्रतिशत से घट कर दिनांक 31.3.2012 को 0.84 प्रतिशत हो गया.

2.5 विदेशी मुद्रा कारोबार और निर्यात वित्त

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने ₹ 25,430 करोड़ का व्यापारी आवर्त और ₹ 1,58,986 करोड़ का अन्तर बैंक आवर्त हासिल किया. बकाया निर्यात ऋण 31.03.2011 के ₹ 757.29 करोड़ की तुलना में 31.03.2012 को ₹ 873.04 करोड़ के रहे. मुंबई स्थित खजाना और अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग शाखा व समूचे देश में फैली 33 बी-श्रेणीय शाखाएं प्राहकों की विदेशी मुद्रा कारोबार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं. अनिवासी भारतीय प्राहकों (एनआरआई) को त्वरित सेवा देने हेतु बैंक ने डेक्कन जिमखाना शाखा, पुणे में एनआरआई कक्ष का आरंभ किया और एनआरआई प्राहकों को ऑनलाईन सहायता उपलब्ध कराने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग मुंबई में हेल्पडेस्क की स्थापना की.

2.6 निवेश

बैंक के निवेश 31.03.2011 के ₹ 22,491.08 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2012 को ₹ 22,911.36 करोड़ के रहे. दिनांक 31.03.2012 को कूल निवेश पोर्टफोलियो में

2.3.2 Credit Administration and Monitoring

With effect from the quarter ended March 2011 Bank started identification and classification of NPAs from the transaction software as per the guidelines of Govt. of India, which hitherto was being done through CREAM system. With effect from the quarter ended June 2011 even provisioning was shifted to the front office CBS software.

Now the Core Banking Solution helps to monitor the borrowal accounts on real time basis. The slippage report is available on a day to day basis which is helpful in tracking the accounts and keep quality of the borrowal accounts intact.

The credit quality of borrowal accounts is further monitored through periodical asset performance review, credit & stock audits.

Credit monitoring reports help in improving the credit quality, credit administration, regulatory compliance and review of credit approval process.

2.4 Asset Performance

During the FY 2011-12, total cash recovery in NPAs was ₹ 379.45 crore, of which recovery in ledger balance was ₹ 248.91 crore, recovery in written off accounts was ₹ 96.01 crore and recovery in unapplied interest was ₹ 34.53 crore. This was besides up gradation in NPAs to the tune of ₹ 109.02 crore to performing assets.

The Bank achieved 94.86 per cent recovery against the set target of ₹ 400.00 crore. The recovery of current year was less by ₹ 26.30 crore as compared to the previous year.

This year's achievement was possible due to intensive follow up with the defaulting borrowers through letters & notices, recovery camps & Lok Adalats.

To redress and improve NPA recovery in small sized NPA accounts having ledger balances upto ₹ 10.00 lakh, the Bank established additional 10 Micro Asset Recovery Cells (MARC) at Regional Offices making them total 20. The recovery performance is encouraging from this vertical and MARCs recovered ₹ 244.75 crore as cash recovery. Recovery performance of MARC in total cash recovery of the Bank was 64.50 per cent.

The Bank continued a special OTS scheme for recovery in NPA accounts having ledger balance up to ₹ 5.00 lakh during the current financial year also. The total recovery in NPAs under this scheme was ₹ 59.54 crore.

In terms of RBI guidelines, the Bank provided ₹ 264.91 crore as "Counter Cyclical Provisioning Buffer" account during the quarter ended September 2011 and strengthened the financial health of the Bank, thereby making the counter cyclical provision at 70 per cent as per the stipulation of RBI.

The ratio of Gross NPAs to Gross Advances has decreased from 2.47 per cent as on 31.03.2011 to 2.28 per cent as on 31.03.2012 and the ratio of Net NPAs stood at 0.84 per cent as on 31.03.2012 as against 1.32 per cent a year ago.

2.5 Foreign Exchange Business and Export Finance

During the year 2011-12, the Bank has achieved merchant turnover of ₹ 25,430 crore and an inter-bank turnover of ₹ 1,58,986 crore. The outstanding export credit as on 31st March, 2012 was ₹ 873.04 crore as against ₹ 757.29 crore as on 31st March, 2011. The Treasury & International Banking Branch at Mumbai and 33 B-Category branches across the country cater to the international business needs of our customers. In order to provide prompt service to Non Resident Indian (NRI) Clients, Bank has opened a NRI cell at Deccan Gymkhana Branch Pune and has provided online help to NRI customers by setting up helpdesk at International Division Mumbai.

2.6 Investments

The net investments of the Bank stood at ₹ 22,911.36 crore as on 31.03.2012 as against ₹ 22,491.08 crore as on 31.03.2011. Held to Maturity (HTM) category consisted of 85.60 per cent while Available for

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी का 85.60 प्रतिशत शामिल है जबकि विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) का 11.72 प्रतिशत शामिल है. वर्ष के दौरान निवेशों पर हुई निवल ब्याज आय ₹ 1,520.29 करोड़ थी जो इस वर्ष बढ़कर ₹ 1,708.57 करोड़ हो गई इस प्रकार 12.38 प्रतिशत की वृध्दि दर्ज हुई.

2.7 उधारियां

दिनांक 31.3.2012 को बैंक की कुल उधारियाँ आरबीआई, नाबार्ड तथा सिडबी से लिए गए ₹ 8,75.80 करोड़ के पुनर्वित्त सहित ₹ 3,824.75 करोड़ की थीं. दि. 31.03.2011 को कुल उधारियां ₹ 3,076.56 करोड़ की थीं.

2.8 व्यापारी बैंकिंग

वर्ष के दौरान बैंक ने जारीकर्ता व भुगतान कर्ता एजेंट के रूप में ₹ 21,160 करोड़ के कमर्शियल पेपर के 149 निर्गमों का संचलन अपने ग्राहकों के लिए किया और ₹ 26.20 लाख की कमीशन आय प्राप्त की.

2.9 निक्षेपी सेवाएं

बैंक सितंबर 1999 से ही भारतीय केंद्रीय निक्षेपी सेवाएं लिमिटेड (सीडीएसएल) का निक्षेपी सहभागी है. डीमैट खातों में शेष इत्यादि जैसे खाता स्तरीय प्रश्नों की जानकारी बैंक की सभी 131 अभिनिर्धारित शाखाओं में उपलब्ध है. इन्टरनेट के माध्यम से खाते की स्थिति देखने के लिए बैंक मुफ्त में (सीडीएसएल के माध्यम से) ईएएसआई सुविधा उपलब्ध कर रहा है. बैंक तीन ब्रोकरों से गठबंधन कर अपने ग्राहकों के सेवार्थ महा-ई-ट्रेड (ऑन लाइन शेयर ट्रेडिंग) सुविधा दे रहा है. बैंक के साथ डी-मेट खाता रखने वाले इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को डी-मेट खाता पूछताछ सुविधा प्रदान की गई है.

2.10 बैंक-बीमा

कारपोरेट एजेंसी समझौते के अन्तर्गत बैंक की सभी शाखाएं यूनाईटेड इंडिया इन्स्योरेन्स कंपनी लिमिटेड और भारतीय जीवन बीमा निगम के क्रमशः गैर जीवन बीमा व जीवन बीमा उत्पादों का विक्रय करने हेतु प्राधिकृत हैं. बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान 79,861 गैर-जीवन बीमा और 21,232 जीवन बीमा पॉलिसियाँ बेचीं. भारतीय जीवन बीमा ने अच्छे कार्य निष्पादन के कारण बैंक की 139 शाखाओं को "बीमा बैंक" शाखा घोषित किया.

बैंक सभी प्रकार के जमा खाता धारकों के लिए 'महा सुरक्षा जमा योजना' व आवास ऋणकर्ताओं के लिए 'महा गृह सुरक्षा योजना' नामक दो समूह बीमा योजनाओं की सुविधा देता है. ये नीतियाँ खाताधारकों को वैकल्पिक जीवन बीमा कवर प्रदान करती हैं.

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने जीवन बीमा व्यवसाय से ₹ 4.95 करोड़ और गैर-जीवन बीमा व्यवसाय से ₹ 2.27 करोड़ का कमीशन अर्जित किया.

2.11 म्युचुअल फण्ड गतिविधि

बैंक ने म्युचुअल फंड उत्पादों के विक्रय के लिए 20 आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के साथ गठबंधन किया है. बैंक ने वर्ष के दौरान ₹ 23 लाख की कमीशन आय अर्जित की.

2.12 सरकारी कारोबार

वर्ष 2011-2012 के दौरान, कुल 3,72,935 प्रत्यक्ष कर चालान वसूले गए और ₹ 2.05 करोड़ का कमीशन प्राप्त हुआ. इसी प्रकार 2,44,750 अप्रत्यक्ष कर चालान वसूले गए और ₹ 1.37 करोड़ का कमीशन प्राप्त हुआ.

बैंक ने केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष (सीपीपीसी), पुणे में 1,10,000 केन्द्र सरकार के पेंशनरों की मासिक पेंशन की गणना कर उसे खाते में जमा कर रहा है. नए पेंशन भुगतान आदेश / (पीपीओ) के शुद्धिपत्र का भुगतान और जांच, केन्द्र सरकार के पेंशनरों का मास्टर डाटा बेस इत्यादि का कार्य केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष, पुणे द्वारा किया जा रहा है. इसके कारण त्वरित और सही पेंशन का भुगतान और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ निधियों का शीघ्र निपटान संभव हुआ है. पेंशन भुगतान से संबंधित शिकायतों के लिए समयबद्ध शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना की गई.

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों तथा महाराष्ट्र के वैट संग्रहण की अनोखी सुविधाएं महा ई-सेवा के माध्यम से सभी शाखाओं के काउंटरों पर प्रदान की गई है. इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए भी करों के ई-भुगतान की सुविधा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों तथा वैट भुगतान (महाराष्ट्र सरकार के लिए) हेतु भी उपलब्ध है.

वर्ष के दौरान बैक ने अपने ग्राहकों के लिए सीमा शुल्क संग्रहण की सुविधा उपलब्ध कराई है और कर्नाटक तथा दिल्ली राज्य सरकारों से वाणिज्यिक कर संग्रहण की शुरुवात की है. Sale (AFS) comprised 11.72 per cent of total investment portfolio as on 31.03.2012. The net interest income from investment increased by 12.38 per cent to ₹ 1,708.57 crore from ₹ 1,520.29 crore during the year.

2.7 Borrowings

Borrowings of the Bank as on 31.03.2012 stood at ₹ 3,824.75 crore, including refinance availed from RBI, NABARD and SIDBI to the extent of ₹ 875.80 crore. The total borrowings as at 31.03.2011 were ₹ 3,076.56 crore.

2.8 Merchant Banking

The Bank handled 149 issues of Commercial Paper amounting to \mathfrak{F} 21,160 crore for its clients as an issuing and paying agent during the year and earned commission income of \mathfrak{F} 26.20 lakh.

2.9 Depository Services

The Bank is Depository Participant (DP) of Central Depository Services of India Ltd. (CDSL) since September 1999. Account level queries related to Demat account balances etc. are available at the 131 identified branches of the Bank. The Bank also provides free "EASI" facility (through CDSL) to view account position through internet. The Bank is offering Online Share Trading Services (Maha-e-trade) for its customers in association with three brokers. Demat Account enquiry facility is provided to internet banking users who have Demat accounts with the Bank.

2.10 Bancassurance

All the branches of the Bank are authorized to sell life and nonlife insurance products of Life Insurance Corporation of India and United India Insurance Co Ltd respectively under corporate agency arrangements. The Bank has sold 79,861 non-life insurance policies and 21,232 life insurance policies during the year 2011-12. The LIC of India accredited 139 branches of the Bank as Bima Bank for their performance.

The Bank offers two group insurance schemes namely 'Maha Suraksha Deposit Scheme' for deposit account holders and 'Maha Grih Suraksha' for those, who are availing Home Loans. These policies are offering optional life insurance cover to the accountholders.

The Bank earned commission of $\overline{\mathbf{x}}$ 4.95 crore for life insurance and $\overline{\mathbf{x}}$ 2.27 crore for non-life insurance business during the year 2011-12.

2.11 Mutual Fund Activity

The Bank is tied-up with 20 Asset Management Companies (AMCs) for selling Mutual Fund products. The Bank earned commission income of \gtrless 23 lakh during the year.

2.12 Government Business

During the year 2011-12, 3,72,935 challans of Direct Taxes were colleted and commission to the tune of ₹ 2.05 crore was received. Similarly 2,44,750 challans of Indirect taxes were collected and commission of ₹ 1.37crore was received.

The Bank is processing and crediting monthly pensions of more than 1,10,000 central government pensioners at Central Pension Processing Cell (CPPC), Pune. The processing and payment for new Pension Payment Order (PPOs) / corrigendum PPOs, Master Data-base for central Government pensioners etc are being handled by CPPC. This facilitates faster and accurate payment of pension as well as quick settlement of funds by RBI. Timely complaint redress system has been established for pension payment related complaints.

The unique facility of collecting direct and indirect taxes of the Government of India (GoI) and VAT of Govt. of Maharashtra is provided by the Bank at all our branches through Maha e-Seva services. E-payment facility for all these taxes is also available for our net banking customers.

During the year the Bank introduced facility of collecting customs duty for our clients and started collecting commercial taxes of Karnataka and Delhi State Governments.

2.11 गैर-ब्याजी आय

31.03.2011 को समाप्त वर्ष में अर्जित ₹ 530.86 करोड़ की गैर-ब्याजी आय की तुलना में 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 640.67 करोड़ की गैर- ब्याजी आय हुई. वित्तीय वर्ष 2011-2012 के दौरान निवेशों की विक्री से लाभ को छोड़कर गैर-ब्याजी आय में ₹ 160.31 करोड़ की वृद्धि हुई. इस प्रकार पिछले वर्ष पर 34.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई. म्युचुअल फंड वितरण, बैंक विमा कारोबार, सरकारी कारोबार, आईपीओ/एफपीओ निर्गमों के लिए एएसबीए सुविधा सहित डीमैट सेवाएं और गैर-ब्याजी आय बढ़ाने के लिए शेयरों की ऑनलाईन ट्रेडिंग सुविधा के अतिरिक्त अपनी शुल्क आधारित आय को मजबूत करने हेतु नए साधनों की खोज सतत आधार पर करता है.

2.14 आय, व्यय और लाभप्रदता

बैंक की कुल आय ₹ 6093.95 करोड़ से बढ़कर ₹ 7854.63 करोड़ की हो गई. इस प्रकार वर्ष के दौरान 28.89 प्रतिशत की वृध्दि हुई. विवरण इस प्रकार है -

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11	अंतर (%)
अग्रिम / बिलों पर ब्याज / डिस्काउंट	5490.63	4006.14	37.06
निवेश पर आय	1708.57	1520.30	12.38
अन्तर बैंक उधारी पर ब्याज व अन्य ब्याज	14.76	36.65	-59.73
कुल ब्याज आय	7213.96	5563.09	29.68
अब्याजी आय	640.67	530.86	20.69
कुल आय	7854.63	6093.95	28.89
जमा पर ब्याज	4293.81	3282.75	30.80
उधारी पर ब्याज	403.07	311.94	29.21
कुल ब्याज खर्च	4696.88	3594.69	30.66
स्टाफ खर्च (एएस-15 के प्रावधान (संशोधित) सहित)	1113.02	1157.08	-3.81
स्टाफ खर्च (एएस-15 के प्रावधान (संशोधित) रहित)	673.19	681.39	-1.21
गैर स्टाफ खर्च	529.49	487.14	8.69
कुल अब्याजी खर्च	1642.51	1644.22	-0.10
कुल परिचालन खर्च	6339.39	5238.91	21.01
परिचालनगत लाभ	1515.24	855.03	77.21
प्रावधान व आकस्मिकताएं	1084.41	524.64	106.70
निवल लाभ	430.83	330.39	30.40

2.15 वित्तीय अनुपातः

विवरण	22011-12	2010-11
प्रति शेयर आय (₹)	7.59	6.86
आय से लागत का अनुपात (%)	52.02	65.79
आस्तियों पर आय (%)	0.55	0.47
इक्विटी पर आय (%)	14.15	16.67
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	54.06	44.04
प्रति शाखा लाभ (₹ लाख में)	27.11	21.51
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	3.12	2.38
प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ में)	84.02	74.43
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)	9.67	8.25
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के		
रूप में ब्याज आय	9.22	7.92

(₹ in crore)

2.13 Non Interest Income

The non-interest income stood at ₹ 640.67 crore for the year ended 31.03.2012 as against ₹ 530.86 crore for the year ended 31.03.2011. Non-interest income other than profit from sale of investment, increased by ₹ 160.31 crore in the FY 2011-12, showing a growth of 34.24 per cent over previous year. The Bank continues to look at new avenues to shore up its fee based income besides bancassurance, mutual fund distribution, government business, demat services along with ASBAFacility for IPO/FPO issues and online share trading facility to increase non-interest income.

ЗŤ.

2.14 Income, Expenditure and Profitability

The total income of the Bank grew from ₹ 6,093.95 crore to ₹ 7,854.63 crore recording a growth of 28.89 per cent during the year. The detailed income/ expenditure components are as under:

Particulars	2011-12	2010-11	Variation (per cent)
Interest / discount on advances / bills	5490.63	4006.14	37.06
Income on investments	1708.57	1520.30	12.38
Interest on interbank lending & other interest	14.76	36.65	-59.73
Total interest income	7213.96	5563.09	29.68
Non-interest income	640.67	530.86	20.69
Total income	7854.63	6093.95	28.89
Interest on deposits	4293.81	3282.75	30.80
Interest on borrowings	403.07	311.94	29.21
Total interest expenditure	4696.88	3594.69	30.66
Staff expenses (INCLUDING Provision as per AS-15 (Revised)	1113.02	1157.08	-3.81
Staff expenses (EXCLUDING Provision as per AS-15 Revised)	673.19	681.39	-1.21
Non staff expenses	529.49	487.14	8.69
Total non interest expenses	1642.51	1644.22	-0.10
Total Operating expenses	6339.39	5238.91	21.01
Operating Profit	1515.24	855.03	77.21
Provisions and Contingencies	1084.41	524.64	106.70
Net Profit	430.83	330.39	30.40

2.15 Financial ratios

Particulars	2011-12	2010-11
Earning per share (₹)	7.59	6.86
Cost to Income Ratio (percent)	52.02	65.79
Return on assets (percent)	0.55	0.47
Return on equity (per cent)	14.15	16.67
Book value per share (₹)	54.06	44.04
Profit per Branch (₹ in lakh)	27.11	21.51
Profit per employee (₹ in lakh)	3.12	2.38
Business per Branch (₹ in crore)	84.02	74.43
Business per employee (₹ in crore)	9.67	8.25
Interest income as per cent to average working funds	9.22	7.92

विवरण	22011-12	2010-11
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के		
रूप में अब्याजी आय	0.82	0.76
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के		
रूप में ब्याज स्प्रैड	3.22	2.80
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में		
परिचालनगत लाभ	1.94	1.22
औसत कार्यकारी निधियों से कर्मचारी खर्च	1.42	1.65
औसत कार्यकारी निधियों से स्टाफ खर्च (एएस-15 के		
प्रावधान (संशोधित) रहित)	0.86	0.97
लाभांश	22.00	20.00
नेटवर्थ	3775.42	2709.24
सीआरएआर(%) बेसल ॥	12.43	13.35
जिसमें से टियर l सीआरएआर (%) बेसल ll	8.31	8.02

2.16 भारत सरकार से पूँजी

वर्ष के दौरान भारत सरकार ने ईक्विटी शेयर पूँजी के रूप में ₹ 469.99 करोड़ (₹ 386.20 के शेयर प्रीमियम सहित) की अतिरिक्त निधि लगाई. इसके अतिरिक्त प्राथमिकता आधार पर ₹ 135.10 करोड़ (₹ 111.02 के शेयर प्रीमियम सहित) की इक्विटी पूँजी भारतीय जीवन बीमा निगम को आबंटित की गई.

2.17 नेटवर्थ

बैंक की नेटवर्थ 31.03.2011 के ₹ 2,709.24 करोड़ की तुलना में 31.03.2012 को बढ़कर ₹ 3,775.42 करोड़ की हो गईं.

2.18 पूंजी पर्याप्तता अनुपात

दिनांक 31.03.2012 को बेसल ॥ मानदंडों के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9 प्रतिशत के न्यूनतम मानदंड की तुलना में 12.43 प्रतिशत का रहा. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 6 प्रतिशत की तुलना में टीयर । पूंजी पर्याप्तता अनुपात 8.31 प्रतिशत रहा.

2.19 लाभांश

निदेशक मंडल ने 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए 22 प्रतिशत का लाभांश प्रस्तावित किया है.

3. संगठन और समर्थन प्रणाली

3.1 शाखा विस्तार

बैंक ने वर्ष के दौरान 53 नई शाखाएं खोली. दिनांक 31.03.2012 को बैंक शाखा नेटवर्क में कुल 1589 शाखाएं थीं. यह शाखा नेटवर्क 27 राज्यों तथा 2 संघशासित क्षेत्रों में फैला हुआ है. इस शाखा नेटवर्क में विदेशी मुद्रा, सरकारी कारोबार, खजाना एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, औद्योगिक वित्त, लघु उद्योग तथा उच्च तकनीक कृषि क्षेत्रों की विशेषज्ञ शाखाएं, पेंशन भुगतान शाखा, केंद्रीय पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष, रिटेल हब, स्व-सहायता समूह तथा आस्ति वसूली शाखाएं शामिल हैं. दिनांक 31.03.2012 को शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे सारणी में दिया गया है.

अ.क्र.	वर्गीकरण	31.3.2011 को	31.03.2012 को
1	ग्रामीण	538	546
2	अर्ध-शहरी	293	301
3	शहरी	301	319
4	महानगरीय	404	423
	कुल जोड़	1536	1589

3.2 मानव संसाधन

बैंक ने व्यापक मनुष्यबल नीति लागू की है. नीति में आवश्यकता आधारित व उचित मानव संसाधन हासिल करने, प्रशिक्षण, कार्य संवर्धन, पुरस्कार, कार्यनिष्पादन के लिए सम्मान व जिम्मेदारी, पदोन्नति व कल्याण इत्यादि के माध्यम से कर्मचारियों को रोके रखने तथा इनके विकास हेतु योजना दी गई है.

वर्ष के दौरान बैंक ने 360 परिवीक्षाधीन अधिकारियों और विधि, सुरक्षा, सू.प्रौ. इत्यादि क्षेत्रों में 79 विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती की. परिचालनगत क्षमता बढ़ाने एवं विशिष्ट

Particulars	2011-12	2010-11
Non Interest income as per cent to average working funds	0.82	0.76
Interest spread as per cent to average working funds	3.22	2.80
Operating Profit as per cent to average working Funds	1.94	1.22
Staff expenses to average working funds	1.42	1.65
Staff expenses (excluding Provision as per AS-15 (Revised) to average working funds)	0.86	0.97
Dividend (per cent)	22.00	20.00
Net worth	3775.42	2709.24
CRAR (%) (Basel II)	12.43	13.35
Of which, Tier I CRAR (%) (Basel II)	8.31	8.02

2.16 Capital from Gol

During the year, Government of India have infused additional funds in the form of equity share capital amounting to ₹ 469.99 crore (including share premium of ₹ 386.20). In addition to that the LIC of India was allotted equity capital of ₹ 135.10 crore (including share premium of ₹ 111.02) on preferential basis.

2.17 Networth

The Bank's Net worth increased from ₹ 2,709.24 crore as on 31.03.2011 to ₹ 3,775.42 crore as on 31.03.2012.

2.18 Capital Adequacy Ratio

The capital adequacy ratio stood at 12.43 per cent as on 31.03.2012, against the minimum 9 per cent prescribed by RBI in terms of Basel II norms. The Tier I capital adequacy ratio stood at 8.31 per cent under Basel II as against RBI's prescription of 6 per cent.

2.19 Dividend

The Board of Directors has proposed a dividend of 22 per cent for the year ended 31.03.2012.

3. ORGANISATION AND SUPPORT SYSTEM

3.1 Branch Expansion

During the year, the Bank opened 53 new branches. As on 31.03.2012, the total branch network comprised of 1589 branches spread over 27 states and 2 union territories. The branch network includes specialized branches in the areas of foreign exchange, government business, treasury & international banking, industrial finance, small-scale industry, hi-tech agriculture, pension payment, pension processing, retail credit, Self Help Group and asset recovery. Area wise classification of branches as on 31.03.12 is given in the table below:

Sr. No.	Classification	As on 31.03.11	As on 31.03.12
1	Rural	538	546
2	Semi-Urban	293	301
3	Urban	301	319
4	Metropolitan	404	423
	Total	1536	1589

3.2 Human Resources Management

The Bank has put in place a comprehensive HRM Policy that provides the road map for acquiring appropriate & need based human resources, its development through training, job enrichment, reward and recognition for better performance, career progression, welfare and retention.

During the year the Bank recruited 360 probationary officers and 79 specialist officers in different fields like law, security, IT etc. For improving operational capabilities and specialized customer service, 34

ग्राहक सेवा में सुधार हेतु 34 कृषि अधिकारी, 13 विधि अधिकारी, 10 आईटी अधिकारी तथा 18 सनदी लेखाकारों की भर्ती की गई. वर्ष के दौरान बैंक ने 152 लिपिकों की नियुक्ति भी की.

एमएमजीएस ॥, एमएमजीएस ॥। और एसएमजीएस ।V श्रेणियों के लिए अधिकारियों की अंतर श्रेणी पदोन्नति की गई. कुल 660 अधिकारी उच्च श्रेणी में पदोन्नत किए गए. वर्ष के दौरान 422 लिपिकों को अधिकारी संवर्ग में पदोन्नत किया गया.

बैंकिंग गतिविधियों में उल्लेखनीय कार्य निष्पादन दर्शाने वाले कर्मचारियों को मान्यता देने व अन्यों को अच्छे कार्यनिष्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अध्यक्ष के क्लब की सदस्यता, बेहतर प्रबंधित शाखा / क्षेत्र ट्रॉफी, बेहतर कार्य करने वाली शाखाओं के सभी स्टाफ सदस्यों को नगदी पुरस्कार देने की योजनाएं प्रचलित हैं. अ.जा./ अ.ज.जा. समुदाय को अग्रिमों का वितरण तथा वसूली में उत्कृष्ट कार्य करने वाली शाखा को भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के नाम से चल ट्रॉफी का पुरस्कार दिया गया.

सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, ऐच्छिक सेवामुक्ति एवं अन्य कारणों से बैंक की सेवा से बाहर जाने वाले कर्मचारियों की संख्या 788 थी.

सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित सभी स्टाफ सदस्यों के कल्याणार्थ बैंक के पास विभिन्न योजनाएं हैं. कर्मचारियों के कल्याण के लिए बैंक निवल लाभ का 3 प्रतिशत आबंटित करता रहा है. ट्रस्ट द्वारा योजनाओं का प्रशासन किया जाता है.

उद्योग संबंधित मामलों के उचित, पारदर्शक व दृढ़ संचलन के जरिए बैंक का प्रयास सौहार्दपूर्ण मानव संसाधन वातावरण बनाने का रहा है.

बैंक, भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन करता है. आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा अ.जा./ अ.ज.जा. / ओ.बी.सी./ शारीरिक रूप से विकलांग व भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु प्रधान कार्यालय में तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष कक्ष कार्यरत हैं. बैंक ने प्रधान कार्यालय में दो मुख्य संपर्क अधिकारी नामित किए हैं और इस उद्देश्य के लिए सभी 34 क्षेत्रीय कार्यालयों में अ.जा. / अ.ज.जा. कक्ष स्थापित किए हैं. वर्ष के दौरान आरक्षण नीति के कार्यान्वयन तथा अन्य संवैधानिक सुरक्षा पर चर्चा करने और कारोबार वृध्दि में उनका सहभाग सुनिश्चित करने हेतु अ.जा./ अ.ज.जा. / ओ.बी.सी. एम्प्लॉईज एसोसिएशन के साथ आवधिक बैठकें आयाजित की गई. क्षेत्रीय स्तर पर भी ऐसी बैठकें आयोजित की गई.

अ. क्र.	विवरण	कर्मचारियों की संख्या	कुल से प्रतिशत	
1.	महिला कर्मचारी	3353	24.29	
2.	विकलांग कर्मचारी	184	1.33	
3.	अनुसूचित जाति कर्मचारी	2756	19.97	
4.	अनुसूचित जनजाति कर्मचारी	1003	7.27	
5.	अन्य पिछड़ी जाति कर्मचारी	1058	7.67	

विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार रोस्टर रखे गए व उनका नियमित निरीक्षण / जांच की गई.

प्रशिक्षण गतिविधियां

बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली वर्तमान व उभरते हुए कारोबारी अवसरों के अनुरूप विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से कुशलता अन्तर के मूल्यांकन पर जोर देती है. ऋण में कुशलता निर्माण, फोरेक्स, ग्राहक संबंध प्रबंधन, उत्पाद व सेवाओं का विपणन, ऋण निगरानी व वसूली, जोखिम प्रबंधन, तकनीक आधारित बैंकिंग, शाखा प्रबंधन, सांविधिक, विधिक व नीति आवश्यकताओं का अनुपालन और निवारक सतर्कता इत्यादि के प्रशिक्षण पर वर्ष के दौरान विशेष ध्यान दिया गया.

एसएमई वित्तपोषण, रिटेल उधारी, कृषि वित्त व ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए.

बैंक का एक शीर्ष प्रशिक्षण महाविद्यालय है, जिसके पर्यवेक्षण में तीन प्रशिक्षण संस्थान पुणे, मुंबई व नागपुर में कार्यरत हैं. सूचना प्रोद्यौगिकी प्रशिक्षण संस्थान व कम्प्यूटर लैब प्रभावी ग्राहक सेवा तथा कुशल पृष्ठ कार्यालय कार्य हेतु कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हैं. Agriculture Officers, 13 Law Officers, 10 IT Officers and 18 Chartered Accountants were recruited. The Bank has also recruited 152 Clerks during the year.

Inter scale promotions of officers were carried out for Scales MMGS II, MMGS III and SMGS IV. Total 660 officers were promoted to higher scales. 422 Clerks were also promoted to Officer Cadre during the year.

To recognize outstanding performance in Banking activities and to motivate others to perform better, membership to Chairman's Club, Better Managed Branch/ Region trophy, cash incentives to all staff of Best Performing Branches are in vogue. The excellent performing branch in disbursement and recovery of advances to SC/ST community has been awarded a Rolling Trophy in name of Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar.

During the year, 788 employees ceased to be in service on account of retirement, resignation, termination and death.

The Bank has been allocating up to 3 per cent of its net profit towards various schemes for the welfare of staff including retired staff. The welfare schemes are administered by a Trust.

The Bank endeavors to promote a healthy industrial relations climate through fair, transparent and firm handling of human resource related matters.

The Bank has been complying with the reservation policy of Govt. of India. Special Cells at Head Office and all Regional Offices are functioning to monitor the implementation of reservation policies and to redress grievances of SC/ST/OBC & Physically challenged employees as well as ex-servicemen. The Bank has designated two Chief Liaison Officers at Head Office and has set up SC/ST Cells at each of its 34 Regional Offices for the purpose. During the year periodical meetings were held with SC/ST/OBC Employees Association to discuss implementation of reservation policy and other constitutional safe guards and also to facilitate involvement in business growth. Similar meetings were also held at Regional level.

Sr. No.	Category of Employees	No. of Employees	Percentage to total
1.	Women	3353	24.29
2.	Physically Challenged	184	1.33
3.	SC Employees	2756	19.97
4.	ST Employees	1003	7.27
5.	OBC Employees	1058	7.67

The number of employees belonging to different categories is as under:

Rosters have been maintained as per Government guidelines and are regularly inspected / checked.

Training Activities:

The Bank has a training system which facilitates attention to regular periodic assessment of skill gaps at various levels in relation to existing and emerging business opportunities. Skill building in credit, forex, customer relationship management, marketing of products and services, credit monitoring and recovery, risk management, technology based banking, branch management, complying with statutory, legal and policy requirements and preventive vigilance received special attention during the year.

The training programmes were also held on thrust areas like financing SMEs, retail lending, agriculture finance and rural development.

The Bank has an apex Training College with three training establishments operating under it, one each at Mumbai, Nagpur and Pune. Information Technology Training Institute and Computer Labs train the Officers and staff to utilize information technology for effective customer service and efficient back office functions.

वर्ष के दौरान प्रशिक्षण गतिविधियों की विशेषताएं निम्नानुसार हैं-

- वर्ष के दौरान 381 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए जिनमें से 138 कार्यक्रम अधिकारियों के लिए, 187 कार्यक्रम लिपिकों के लिए और 56 कार्यक्रम अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए चलाए गए.
- 5,306 अधिकारियों, 3,281 लिपिकों और 790 अधीनस्थ कर्मचारियों सहित कुल 9,377 कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभाग लिया.
- वर्ष के दौरान 2,391 अनुसूचित जाति और 1,210 अनुसूचित जनजाति और 1,331 महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया.
- वर्ष के दौरान 2,074 स्टाफ सदस्यों को सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया.
- इसके अतिरिक्त 354 कर्मचारी विभिन्न बाह्य प्रशिक्षण संस्थाओं में भी प्रतिनियुक्त किए गए.
- 50 वरिष्ठ कार्यपालकों और क्षेत्रीय प्रमुखों ने एएससीआई, हैदराबाद द्वारा विशेष रूप से परिकल्पित प्रबंधन विकास कार्यक्रम में सहभाग लिया.
- अंतर्राष्ट्रीय व्याप्ति प्राप्त करने हेतु 4 कार्यपालकों को भारत से बाहर के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रतिनियुक्त किया गया.
- वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए 4 पूर्व-सेवानिवृत्ति समुपदेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए. निवेश पर व्याख्यान के अलावा, सहभागियों का स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम भी आयोजित किया गया.
- महिला प्रबंधकों के लिए वर्ष के दौरान 2 विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए.
- ऋण मूल्यांकन,वैकल्पिक व्यवसाय झोत उत्पादों, विपणन और कर भुगतान पर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया गया. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कूल 801 कर्मचारियों ने सहभाग लिया.

3.3 तकनीकी पहल

बैंक की कारोबारी आवश्यकताओं के साथ परिचालनगत क्षमताओं में सुधार करने व प्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक, सूचना और संप्रेषण तकनीक का उपयोग कर रहा है. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वर्ष 2011-12 बैंक के लिए एक फलदायी वर्ष रहा. इस वर्ष बैंक ने सभी शाखाओं और बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक को सीबीएस के अन्तर्गत लाया, एटीएम नेटवर्क को 502 तक विस्तारित किया तथा कई प्रकार के प्रौद्योगिकी आधारित नए उत्पाद एवं सेवाओं का श्रभारंभ किया.

बैंक ग्राहक संगत सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान कर रहा है.

3.3.1 वित्तीय वर्ष 2011-2012 के दौरान बैंक की प्रमुख आईटी पहल और उपलब्धियां

कोर बैंकिंग सोल्यूशन

बैंक की ग्रामीण तथा अर्ध शहरी शाखाओं सहित सभी 1589 शाखाओं को कम्प्यूटरीकृत कर दिया है और वे सीबीएस के अंतर्गत 100 प्रतिशत बिजनेस कवरेज करते हुए सीबीएस के अंतर्गत लाई गई हैं.

सभी 34 विदेशी मुद्रा विनिमय केंद्रों में फोरेक्स मॉड्यूल व बैंक के खजाना विभाग में ई-खजाना मोडयूल कार्यान्वित किया गया.

सीबीएस के अंतर्गत मूल्यवर्धित मोडयूल नामतः धन शोधन निवारण और मूल्य अंतरण प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया. ग्राहक संबंध प्रबंधन मोडयूल तथा आस्ति देयता प्रबंधन जैसे मोडयूल कार्यान्वयन के अंतिम स्तर पर है.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सीबीएस का कार्यान्वयन -

दिनांक 01.03.2011 को बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की सभी 327 शाखाएं सफलतापूर्वक सीबीएस प्लेटफार्म को स्थलांतरित हो गई. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की शाखाओं को सपोर्ट तथा सहायता करने एवं दैनिक परिचालन की निगरानी करने एवं नियंत्रण हेतु औरंगाबाद में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस बनाया गया. इस साईट से नेटवर्क निगरानी एवं अन्य प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गतिविधियां चलाई जाती है.

डाटा सेन्टर, आपदा रिकवरी साईट व निअर साईटः

सीबीएस बुनियादी संरचनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक का अपना स्वयं का डाटा सेन्टर (सीएमएम लेवल III) पूर्ण में है और हैदराबाद में आपदा रिकवरी (डी. The highlights of training activity during the year are as under;

- 381 training programs were conducted during the year out of which 138 were for officers, 187 were for clerks and 56 were for sub staffs.
- Total of 9,377 staff members participated in various training programs, consisting of 5,306 officers, 3,281 clerks and 790 sub staffs.
- 2,391 SC, 1,210 ST and 1,331 women employees were trained during the year.
- During the year 2,074 employees were trained in Information Technology.
- In addition, 354 employees were deputed to different external training establishments.
- 50 Senior Executives and Regional Heads attended specially designed Management Development Program at ASCI, Hyderabad.
- 4 Executives were deputed to Training Institutes outside India for International Exposure.
- 4 programs on Pre retirement counseling were conducted for the employees retiring during the year. Besides lecture on investment planning, health check up of participants were also arranged.
- 2 special programs for the women managers were conducted during the year.
- Training through Video Conference was conducted on credit appraisal, alternate business channel products, marketing and tax payments. In total 801 employees participated in these training programmes.

3.3 Technology Initiatives

The Bank has been leveraging the tools of Information and Communication Technology for improving operational capabilities and for meeting customer needs and aligning with business requirements of the Bank. The year 2011-12 was a fruitful year for the Bank in the information technology area. During the year, the Bank stabilized the Core Banking Solution at all it branches & the Regional Rural Bank sponsored by it (i.e., Maharashtra Gramin Bank), expanded the ATM network to 502 and introduced various technology based new products & services.

The Bank has been offering an enticing bouquet of customer-centric IT products and services.

3.3.1 The Major I.T. Initiatives & Achievements of the Bank during FY 2011-12:

Core Banking Solution (CBS):

All 1589 branches, including the rural and semi-urban branches, and offices of the Bank are computerised and are covered under Core Banking Solution (CBS) achieving 100 per cent business coverage under CBS.

FOREX module was implemented at all 34 FEX centers and e-Treasury module was implemented at the Bank's treasury division.

Value added modules under CBS namely Anti Money Laundering and Transfer Pricing Mechanism were implemented. Implementation of other modules like Customer Relationship Management and Asset Liability Management are under process.

Implementation of Core Banking Solution in Regional Rural Bank (RRB):

All the 327 branches of Maharashtra Gramin Bank (MGB), the RRB sponsored by the Bank, were successfully migrated to CBS platform as on 01.03.2011. The Project Management Office set up at Aurangabad is controlling and monitoring the daily operations and extending support and help to branches of MGB. Network monitoring & other project management activities are being carried out from this site.

Data Centre, Disaster Recovery Site & Near Site:

The Bank has its own Data Center (CMM Level III) at Pune to take care of the CBS infrastructure requirements with Disaster Recovery (DR)

आर) साईट स्थापित है. दिनांक 13.03.2011 से बैंक द्वारा निअर साईट के रूप में एक तिसरी साईट का कार्यान्वयन किया गया. दूरी के कारण होने वाली अनुमानित शून्य डाटा हानि, भारी मात्रा में आंकड़ों की उपलब्धता, उच्च कार्यनिष्पादनता, शुध्दता और भरोसेमंद होने के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी कुशलता स्तर में वृद्धि, लागत में कमी और परिचालनगत लचीलापन सुगम बनाना इत्यादि के कारण बैंक ने इस सोल्यूशन का चयन किया. हम उन गिने चुने सरकारी क्षेत्र के बैंकों में से एक है, जिन्होंने निअर साईट अवधारणा का कार्यान्वयन किया है. व्यवसाय निरंतरता योजना के भाग के रूप में, माह अगस्त 2011 और जनवरी 2012 में डीआर ड्रिल सफलतापूर्वक आयोजित की गईं.

एटीएम नेटवर्क

बैंक ने देशभर में अपना एटीएम नेटवर्क वर्ष के आरंभ में 417 एटीएम से बढ़ाकर 502 एटीएम का कर दिया है और परियोजना को पूर्ण रूप से एंड टू एंड आधार पर आऊटसोर्स कर दिया है. एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी करने हेतु बैंक का वीसा के साथ समझौता हुआ है. बैंक ने एनपीसीआई जैसे अन्य शेयर्ड एटीएम नेटवर्क के साथ गठबंधन किया ताकि बैंक के ग्राहक देश भर में फैले 50,000 से अधिक एटीएम का लाभ ले सकें. वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान एटीएम नेटवर्क का विस्तार बढ़ाकर 1100 से अधिक एटीएम करने की बैंक की योजना है.

कार्पोरेट नेटवर्क

बैंक ने महानेट नामक स्वयं का कार्पोरेट नेटवर्क स्थापित किया है. अद्यतित आईटी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नेटवर्क पुनर्स्थापित किया गया है. सभी 1589 शाखाएं, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र / महाविद्यालय तथा प्रधान कार्यालय आपस में जोड़ दिए गए हैं.

महा-नेट के माध्यम से एटीएम नेटवर्क, आरटीजीएस, डीमैट, इंट्रानेट, ऋण जोखिम रेटिंग, ऑन लाईन कर भुगतान प्रणाली, सीबीएस इत्यादि जैसे अनुप्रयोगों को कार्यान्वित किया गया है.

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, सीबीएस शाखाओं और प्रधान कार्यालय में महा-नेट के माध्यम से आइपी टेलीफोन का उपयोग व्यापक रूप से किया गया है.

बैंक जीपीआरएस, 3जी, एमपीएलएस तथा वीपीएन इत्यादि जैसी नवीनतम नेटवर्क टेक्नॉलॉजी पर संशोधन तथा विकास करते हुए इन प्रौद्योगिकियों पर आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने हेत् बैंक सतत प्रयास कर रहा है.

वास्तविक समय सकल निपटान (आरटीजीएस) / राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी)

ग्राहकों के लिए प्रेषण कार्य के साथ ही अंतर-बैंक व्यवहारों को सरल बनाने के लिए बैंक ने देशभर में फैली सभी 1589 शाखाओं में आरटीजीएस व एनईएफटी प्रणाली का कार्यान्वयन किया. सभी सीबीएस शाखाओं में स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग सुविधा (एसटीपी) का कार्यान्वयन किया गया है ताकि आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से आवक प्रेषण हेतु ग्राहक के खाते में प्रणाली द्वारा सीधा जमा किया जाए. इस सुविधा का विस्तार बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक) में भी किया गया.

इन्टरनेट बैंकिंग /फोन बैंकिंग / एसएमएस बैंकिंग

करों (सीबीडीटी, सीबीईसी एवं वैट) के ई-भुगतान व ऑन लाईन तथा ऑफ लाइन अनुरोध प्रोसेसिंग के साथ इन्टरनेट बैंकिंग/ फोन बैंकिंग/ एसएमएस/मोबाईल बैंकिंग प्रदान करने वाले बैंक के नेट बैंकिंग स्यूट को ग्राहकों का अच्छा प्रतिसाद मिला. 31.03.2012 को इंटरनेट बैंकिंग के 1,63,376, फोन बैंकिंग के 83,963 और एसएमएस/मोबाईल बैंकिंग के 1,00,401 उपयोगकर्ता ग्राहक थे.

विडिओ कॉनफरेंसिंग

परस्पर संवाद, प्रशिक्षण देना, साक्षात्कार आयोजित करना तथा बैंक के उच्च प्रबंधन द्वारा क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा हेतु बैंक विडिओ कॉनफरेंसिंग सुविधा का उपयोग बहुतायत में कर रहा है. इस सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करने की दृष्टि से सुधारित ऑडिओ एवं विडिओ क्वालिटी (हाई डेफिनेशन) फीचर्स के साथ इस सुविधा को अद्यतित करने तथा विडिओ कॉनफरेंसिंग का उपयोग ई-लर्निंग सहित अधिक से अधिक क्षेत्रों को करने का प्रस्ताव है.

प्रबंध सूचना प्रणाली व डाटा वेअरहाऊसिंगः

बैंक ने समग्र प्रबंध सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शाखा बैंकिंग प्रबंधन सूचना प्रणाली (बीबीएमआईएस) नामक एक अलग प्रबंध सूचना प्रणाली सोल्युशन site at Hyderabad. NEAR SITE as a third site replication mechanism has been implemented by the Bank with effect from 13.03.2011. This solution was selected by the Bank for its anticipated zero data loss over distance, high levels of data availability, high performance, accuracy and reliability, while enhancing the IT infrastructure efficiency level, reducing costs and enabling operational flexibility. We are one of the few public sector banks to implement the concept of near site. As a part of Business Continuity Planning, DR Drills were successfully conducted in the months of August 2011 & January 2012.

ATM Network:

ATM network of the Bank was expanded from 417 ATMs at the start of the year to 502 ATMs across the country and the project is totally outsourced on end to end basis. The Bank has collaborated with VISA for issuing ATM-cum-Debit Cards. Bank has joined other shared ATM Networks like NPCI which enabled access to 50,000 plus ATMs in the country for our customers. Bank is planning to expand the ATM network further during FY 2013 to make it more than 1100 in all.

Corporate Network:

The Bank has established its own Corporate Network- 'MAHANET'. The Network was restructured to take care of the latest IT requirements. As of date, the connectivity has been established at all 1589 branches, Regional Offices, Training Colleges / Centers and Head Office.

Applications like CBS, ATM Network, RTGS, DEMAT, INTRANET, Credit Risk Rating, Online Tax Collection System (OLTAS) etc. are put to use through MAHANET.

IP Telephones are extensively used through MAHANET at all the Regional Offices, branches and Head Office.

Bank is continuously making efforts in doing Research & Development on latest network technologies such GPRS, 3G, MPLS and VPN etc, for providing services based on these technologies.

Real Time Gross Settlement (RTGS) / National Electronic Funds Transfer (NEFT):

Bank has implemented RTGS and NEFT at all its 1,589 branches across the country, to give an impetus to the remittances functionality for the customer as well inter-bank transactions. Straight through processing facility (STP) is implemented at all branches whereby credit for inward remittances through RTGS/ NEFT is given to the customer accounts directly by the system. The facility has been also been extended to the Bank's sponsored regional rural bank (MGB).

Internet Banking / Phone Banking / SMS Banking

Net Banking suite of the Bank providing Internet Banking/ Phone Banking and SMS / Mobile Banking with online and offline request processing and e-payment of Taxes (CBDT, CBEC & VAT) facilities has been well received by customers. As on 31.03.2012, there were 1,63,376 customers using internet banking, 83,963 customers using phone banking and 1,00,401 customers using the SMS/ Mobile Banking facilities.

Video Conferencing:

The Bank is extensively using Video Conferencing facility for facilitating interactions, imparting trainings, conducting interviews and review of performance of Regions by the Top Management of the Bank. In view of the extensive use the Video Conferencing facility, it is proposed upgrade the facility to enable improved audio and video quality features (high definition) and facilitate extension of the usage of video conferencing to more areas including e-learning.

MIS & Data warehousing

The Bank has taken up implementation of a separate solution for MIS called Branch Banking Management Information System (BBMIS)

कार्यान्वित किया है. हम भा.रि.बैंक द्वारा अधिदेशित स्वचालित डाटा प्रवाह (ऑटोमेटेड डाटा फ्लो) को भी कार्यान्वित कर रहे हैं.

यह प्रस्तावित है कि वर्ष 2012-13 के दौरान डाटा वेअर हाऊस और बिज़नेस इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट कार्यान्वित करने हेतु कदम उठाए जाएं.

प्रशिक्षणः

सीबीएस के अंतर्गत एंड-यूजर्स की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विद्यमान प्रशिक्षण संरचना के अलावा संपूर्ण देश में बैंक की 14 परिचालनरत आई-टी प्रयोगशालाएं हैं. स्टाफ सदस्यों सहित नए भर्ती हुए कर्मचारियों को नियमित रूप से सीबीएस प्रशिक्षण दिया जाता है.

आंतरिक रूप से विकसित सॉफ्टवेयर

बैंक में सॉफ्टवेयर तैयार करने वाले सुप्रशिक्षित कर्मचारियों का समूह है, जो वर्ष समाप्ति से संबंधित विभिन्न उपयोगी प्रणालियों और लेखा परीक्षा से संबंधित गतिविधियों सहित क्षेत्रीय कार्यालयों, विभिन्न कार्यमूलक विभागों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रणालियों के विकास में संलग्न है.

3.3.2 अन्य आई-टी पहल

- बैंक को अपने चार स्थानों यथा डाटा सेंटर, आपदा रिकवरी साइट, सीबीएस प्रोजेक्ट तथा प्रधान कार्यालय- सू.प्रौ. विभाग के लिए "बैंक के सू.प्रौ. प्रभाग द्वारा दी गई सू.प्रौ. सेवाओं की सूचना सुरक्षा के प्रबंधन" हेतु प्रतिष्ठित आईएसओ 27001 प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ. हमारा बैंक उन चुनिंदा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में से एक है, जिन्हें यह प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ.
- बैंक ने मूल्य वर्धित सेवाएं जैसे नेट बैंकिंग के अंतर्गत ई-एफडी और यूनिवर्सल बिल भुगतान, महा ई-सेवा, हमारे बैंक की वेबसाईट से आवास ऋण आवेदनों का ऑन-लाईन प्रस्तुतिकरण, हमारे एटीएम-डेबिट कार्ड (वीजा द्वारा सत्यापित) का उपयोग कर ऑन-लाईन ई-कॉमर्स संव्यवहार, ओबीसी ऑटोमेशन (लिखत की प्राप्ति पर ग्राहक के खाते को सीधा जमा), महा ग्राम सेवा केंद्रों (एमजीएसके) के लिए अवसंरचनाओं जैसे नए सू.प्रौ. समर्थित / सेवाओं का गुलदस्ता लाया.
- बाजीराव रोह, पुणे में क्षेत्र के ग्राहकों की खरीदारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 4 एटीएम वाली एक एटीएम दीर्घा की स्थापना की गई. एटीएम दीर्घा का उद्घाटन भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर महोदय ने हमारी ग्राहक सेवाओं को प्रोत्साहन देते हुए किया.
- ग्राहकों को 24 घंटे हमारा संपर्क उपलब्ध कराने के लिए पुणे में एक कॉल सेंटर/ ग्राहक सेवा केंद्र "महा सेवा " की स्थापना की गई.
- अक्तूबर 2011 से चेमई में भी चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीसी) का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया. पहली बार बैंक ने गैर-सेवा शाखा स्थान जो सेवा शाखा के कार्य करती है (एमआई रोड, जयपुर) पर केंद्रीयकृत चेक प्रक्रमण प्रणाली का कार्यान्वयन किया.
- "हरित पहल" के रूप में, बैंक ने हमारी बिजली की समस्या वाली शाखाओं के लिए 76 सौर उर्जा आधारित यूपीएस प्रणालियाँ खरीदी हैं. इसके अलावा, अन्य उल्लेखनीय "हरित आई-टी" पहलें कार्यान्वित की गईं जिनमें इलेक्ट्रानिक वाउचर सत्यापन प्रणाली (शाखाओं पर संव्यवहारों की जाँच के लिए वेब आधारित यूटिलिटी, रिपोटों के मुद्रण की आवश्यकता में कटौती) महा ई-विवरण (नामांकित ग्राहकों को ई-मेल के माध्यम से खातों का विवरण भेजने के लिए), सभी आंतरिक परिपत्रों को हमारे इंट्रानेट पर उपलब्ध कराना और वेतन पर्ची का मुद्रण समाप्त करना शामिल हैं.
- कुछ अन्य व्यवसाय प्रक्रिया रि-इंजीनियरिंग (बीपीआर) पहलें जिनमें ओबीसी ऑटोमेशन, यूनिवर्सल बिल भुगतान, पेंशनरों को मंजूर आधार ऋणों की स्थिति में ऋण किश्तों की केंद्रीयकृत कटौती, शाखाओं के लिए सेवा कर बीजक का मुद्रण और ऋण निगरानी और वसूली के लिए उधार खातों पर शीघ्र प्रतिपुष्टि टूल शामिल हैं.
- महा ग्राम सेवा, इंटरनेट के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित समाधान, की संकल्पना की स्थापना.

3.4 बैंक द्वारा की गई ग्राहक केन्द्रित पहलें

समूचे वर्ष के दौरान ग्राहक संतोष बनाए रखने के लिए बैंक ने ग्राहक सेवा के उच्च मानकों का पालन किया. to cater to the overall MIS requirements of the Bank. We are also implementing Automated Data Flow mandated by RBI.

It is proposed to initiate steps towards implementation of Data Warehouse and Business Intelligence project during the year 2012-13.

Training:

Bank has operationalized 14 IT Labs across the country in addition to the existing training infrastructure to cater to the training needs of the end-users under CBS. CBS training is routinely imparted to staff members including newly recruited employees.

In-House Software Development:

Bank has a well-trained pool of software developers who are continuously engaged in development of various systems as per the requirements of various functional departments, regional offices etc. including various utility systems related to year-end closing and audit related activities.

3.3.2 Other IT Initiatives:

- Bank was awarded the prestigious ISO 27001 Certification for "Management of the Information Security of IT services provided by the IT division of the Bank" for its four locations namely Data Center, Disaster Recovery Site, CBS Project Management Office and Head Office-IT Department. Our Bank is one of the select few PSU Banks that has achieved this certification.
- Bank launched a bouquet of new IT enabled, value added services like e-FD & Universal Bill Pay under Net Banking, Maha e-Seva, on-line submission of housing loan application through our Bank's website, On-line e-commerce transactions using our ATM-Debit Card ("Verified by Visa"), OBC Automation (direct credit to customer account on realization of instrument), IT infrastructure for Maha Gram Seva Kendras (MGSKs).
- An innovative ATM Gallery with 4 ATMs was established at Bajirao Road, Pune to cater to the shopping clientele in the area. The ATM Gallery was inaugurated by the Deputy Governor of RBI giving great fillip to our customer services.
- A Call centre / Customer Care Centre "Maha Seva" was established at Pune to provide round the clock touch point to the customers.
- With effect from October 2011, Cheque Truncation System (CTS) was successfully implemented in Chennai also. For the first time, Bank has implemented Centralized Cheque processing system at a non-service branch location carrying out the service branch functions (at MI Road Jaipur).
- As a part of the "Green IT" initiative, the Bank has procured 76 solar powered UPS systems for our power critical branches. Besides this, the other notable "Green IT" initiatives implemented include electronic voucher verification System (a web based utility for checking of transactions at branches, reducing the need for printing reports), Maha e-statement (for sending statement of accounts to registered customers through e-mail), making available all internal circulars on our intranet & discontinuation of printed salary slips.
- Some of the other business process re-engineering (BPR) initiatives include OBC automation, universal Bill Pay, centralized deduction of loan instalments in case of Aadhar Loans sanctioned to pensioners, service tax invoice printing for branches and instant feedback tool on borrowal accounts for credit monitoring & recovery.
- Established the concept Maha Gram Seva, a technology based solution for providing banking services to customers in remote areas through internet.

3.4 Customer Centric Initiatives taken by the Bank

The Bank has pursued high standards of customer service to ensure customer satisfaction throughout the year.

भारतीय बैंकिंग आचार संहिता और मानक बोर्ड का सदस्य के रूप में बैंक ने ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबध्दताओं की आचार संहिता, एसएमई के प्रति बैंक की प्रतिबध्दताओं की आचार संहिता को स्वीकार किया. निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित जमा, चेकों / लिखतों की वसूली, शिकायतों का समाधान, क्षतिपूर्ति और मृत जमाकर्ताओं के दावों के निपटारे हेतु परिचालनगत कार्यविधि के दस्तावेज तैयार किए हैं. इन नीतियों को बैंक की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया गया है.

ग्राहक संतुष्टि को सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक शिकायतों का समाधान, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति की आवधिक बैठकें होती हैं. विभिन्न ग्राहक सेवा संबंधी मामलों और ग्राहक सेवा में सुधार हेतु प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में भी गठित ग्राहक सेवा की स्थायी समितियों की बैठकें सतत आधार पर होती हैं.

सभी शाखाओं में ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया है. जमाकर्ता, कंपनियों, व्यापारियों और वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी संवर्ग के ग्राहकों को बैठकों में बुलाया जाता है ताकि बैंक की सेवाओं और उत्पादों के संबंध में उनके विचार और सुझाव प्राप्त किए जा सकें. ग्राहक शिकायतों का त्वरित निवारण करने के लिए ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र कार्यरत है. बैंक के केंद्रीय कार्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत प्रबंधन कक्ष कार्यरत है. ग्राहक सेवा पर बोर्ड समिति और केंद्रीय कार्यालय की ग्राहक सेवा पर गठित स्थायी समिति नियमित आधार पर ग्राहक सेवा शिकायतों के निपटारे की प्रगति की निगरानी करती है.

बैंक ने गोइपोरिया समिति तथा डॉ. एस. एस. तारापोर समिति की सभी प्रमुख सिफारिशों का कार्यान्वयन कर दिया है.

बैंक ने शिकायत दर्ज करने या ग्राहकों से सेवा पर प्रतिसूचनाएं एवं सुझाव मांगने, प्राप्ति की सूचना देने एवं उनकी प्रतिसूचनाओं/शिकायत की स्थिति दर्शाने के लिए इंटरनेट आधारित तंत्र विकसित किया है.

3.5 अपने ग्राहकों को जानिए / धन शोधन निवारण प्रणाली

अपने ग्राहकों को जानिए (केवाईसी) / धन शोधन निवारण प्रणाली (एएमएल) मानदंड / आतंकवादियों को वित्तपोषण रोकना (सीएफटी) और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत बैंक की प्रतिबद्धताएं-

बैंक के पास निदेशक मंडल से अनुमोदित केवायसी-एएमएल-सीएफटी नीतियां हैं. इन नीतियों के आधार पर बैंक केवायसी मानदंड, एएमएल मानक और सीएफटी उपाय लागू करता है.

पूर्ण केवायसी अनुपालन में ग्राहकों और उसी प्रकार कर्मचारियों को भी शिक्षित करना शामिल है. इसके लिए बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए-

- ग्राहकों के लाभार्थ बैंक की वेबसाईट पर केवायसी दस्तावेजों की व्यापक सूची अपलोड की गई.
- बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में केवायसी-एएमएल-सीएफटी पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए.

3.6 जोखिम प्रबंधन

बैंक कारोबार जटिल से जटिल हो रहा है और विभिन्न प्रकार की जोखिम बैंकिंग कारोबार में विद्यमान है. बैंक की जोखिम प्रबंधन क्षमताओं पर उसकी सफलता निर्भर करती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में जोखिम प्रबंधन संरचना तैयार की है. इससे बैंक प्रमुख जोखिम क्षेत्र, उपाय, निगरानी और जोखिम के क्षमतापूर्ण प्रबंध के अभिनिर्धारण में समर्थ हो पाता है. बैंक का निदेशक मंडल सभी जोखिम प्रबंधन नीतियों और रणनीतियों की पुनरीक्षा करता है और बैंक के समग्र जोखिम आठार के अनुसार नियंत्रण प्रणालियां तैयार करता है और बैंक के समग्र जोखिम आठार के अनुसार नियंत्रण प्रणालियां तैयार करता है. निदेशक मंडल बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) से सहयोग प्राप्त करता है और आरएमसीबी उप समितियों यथा ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) तथा आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) से सहयोग प्राप्त करता है. इन समितियों की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक करते हैं. As member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) the Bank has adopted the Code of Bank's Commitment to Customers and Bank's Code of Commitment to SMEs. Duly documented policies approved by the Board on "Deposits", "Collection of Cheques/ instruments", "Redressal of Grievances", "Compensation" and "Operational Procedure for settlement of claims of Deceased Depositors" are in place. These policies are displayed on Bank's website.

The Committee of the Board on Customer Service meets periodically to monitor the quality of customer service, redressal of customer grievances to ensure customer satisfaction. The Standing Committee on Customer Service at Head Office and Regional Level Customer Service Committees at all the regional offices also meet regularly to address and review various customer service related matters to take steps for improvement on an ongoing basis.

Customer Service Committees at all the branches are formed and a cross section of customers representing depositors, corporates, businessmen, senior citizens are invited to attend its meetings to have feedback and suggestions on schemes, products and services. A full-fledged grievances redressal machinery is in place to respond promptly to customer grievances. Complaint Management Cells are operative at Head Office and all Regional Offices of the Bank. The Committee of the Board on Customer Service and Standing Committee on Customer grievances regularly.

The Bank has implemented all major recommendations of Goiporia Committee and Dr.S.S.Tarapore Committee relating to customer service.

The Bank has in place internet based mechanism for lodging complaints or to give suggestions/ feedback on services by the customers and for providing acknowledgement and status of their feedback/ complaint.

3.5 KYC/AML

Know Your Customer (KYC) norms/Anti-Money Laundering (AML) standards/ Combating of Financing of Terrorism (CFT) and obligation of Bank under PMLA, 2002

The Bank has Board approved KYC-AML-CFT Policy in place. The said Policy is the foundation on which the Bank's implementation of KYC norms, AML standards and CFT measures is based.

The full KYC compliance entails staff education as well as customer education for which the following measures are taken by the Bank.

- A comprehensive list of KYC documents is uploaded on the Bank's web site for the benefit of customers.
- Regular training sessions are conducted on KYC-AML-CFT guidelines at the Bank's training establishments.

3.6 Risk Management

Banks are faced with a variety of risks while conducting banking operations. With the liberalization and globalization of the economy, variety of products being offered to customers, the Risks have increased manifold. Banking business has become more complex and exposed to wide array of risks and success of a bank will depend upon its risk management capabilities. Keeping this in mind the Bank has its Risk Management Framework in line with the RBI Guidelines. This enables the Bank to identify key risk areas and to measure, monitor and manage risk efficiently. The Board of Directors of the Bank reviews all Risk Management Policies and Strategies and establishes control systems in line with the Bank's aggregate Risk Appetite. The Board of Directors is supported by the Risk Management Committee of the Board (RMCB) and RMCB is supported by sub-committees known as Credit Risk Management Committee (CRMC), Market Risk Management Committee (MRMC), Operational Risk Management Committee (ORMC) and Asset Liability Management Committee (ALCO). These Committees are headed by Chairman and Managing Director and Executive Director of the Bank.

ऋण जोखिम

बैंक की समग्र जोखिम प्रबंधन नीति का ऋण जोखिम प्रबंधन एक अंतरंग अंग है. बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है जो कि आवधिक अंतराल पर ऋण प्रशासन तथा निगरानी से संबंधित नीतियों, कार्य पद्धतियों और प्रणालियों की पूनरीक्षा करती है.

बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए व्यापक उधार नीति, ऋण पुनरीक्षण नीति तथा जोखिम प्रबंधन नीति को लागू किया है. इन नीतियों में विभिन्न दिशानिर्देश, कार्यविधियों, मानकों और विवेकी / विगोपन मानदंडों का विवरण दिया गया है.

एकल उधारकर्ता /समूह उधारकर्ताओं को दिए गए कुल विगोपन / संवेदी क्षेत्रों को दिए गए कुल विगोपन, उद्योगों को दिए गए कुल विगोपन, महत्वपूर्ण विगोपन, भौगोलिक विगोपन तथा कम प्राथमिकता क्षेत्र और महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अभिनिर्धारण इत्यादि के लिए ऋण विगोपन सीमाओं की समीक्षा, निगरानी और निर्धारण के माध्यम से ऋण जमाव जोखिम का विनियमन किया जाता है.

उधारी प्रस्ताव में जोखिम संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए बैंक ने बेसल ॥ आवश्यकताओं के अंतर्गत आंतरिक रूप से विकसित ऋण जोखिम रेटिंग प्रेमवर्क, वर्तमान और उसी प्रकार प्रवेशस्तरीय उधारकर्ताओं की रेटिंग विभिन्न आस्ति संवर्गो में करने हेतु लागू किया है. लाभ योजना को हासिल करने और जोखिम वहन क्षमता के अंतर्गत ऋण संविभाग तैयार करने की दृष्टि से बैंक ने प्रवेश स्तरीय विगोपनों के लिए न्यूनतम रेटिंग निर्धारित किए हैं. ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य को ऋण मंजूरी के कार्य से अलग करने के लिए विभिन्न स्तरों पर तथा खजाना व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग (टीआईबीडी) में ऋण अनुमोदन ग्रिड स्थापित किए हैं, जो समिति दृष्टिकोण के माध्यम से जोखिम संभावनाओं का पता लगाते हैं. गैर-एसएलआर निवेशों के श्रेणीकरण के लिए टीआईबीडी में आंतरिक रूप से विकसित रेटिंग मॉडेल भी प्रयोग में है.

बैंक ने एक निर्धारित अवधि के दौरान उधारकर्ताओं की ऋण जोखिम योग्यताक्रम का माइग्रेशन विश्लेषण किया और बेसल II आवश्यकताओं के क्रम में चूक की संभावनाओं का अनुमान लगाया. रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ हासिल करने के लिए जोखिम आधारित मूल्यांकन फ्रेमवर्क लागू किया गया और आवधिक आधार पर पुनरीक्षा की गई.

ऋण जोखिम के निर्धारण के लिए बैंक आवधिक रूप से निम्नलिखित अध्ययन करता है:

- उधारी नीति के अनुसार विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन
- ऋण संविभाग पुनरीक्षा
- ऋण जमाव जोखिम का निर्धारण
- उद्योग विश्लेषण
- ऋण और अग्रिमों का त्वरित निपटान
- घरेलू जोखिम प्रबंधन
- दबाव जांच

इन अध्ययनों के नतीजों को आवधिक आधार पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति तथा जोखिम प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है.

बैंक प्रतिष्ठित ऋण रेटिंग एजेंसी से उद्योग जोखिम रेटिंग प्रयुक्त करता है और बैंक सीआरआर मॉडेल में उद्योग जोखिम अंक शामिल करता है.

बाजार जोखिम

ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा दरों, ईक्विटी और वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन और गतिशीलता के कारण बैंक को बाजार जोखिम होती है. ये परिवर्तन बैंक की कमाई और पूंजी आवश्यकताओं पर असर डालते हैं और बैंक की तरलता और लाभप्रदता को भी प्रभावित करते हैं.

बैंक ने पृथक बाजार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम) नीति तथा आस्ति देयता प्रबंधन नीति तैयार की है. बैंक की एमआरएम नीति व्यापक प्रक्रियाओं पर विचार करती है यथा जिसके द्वारा बैंक ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम, ईक्विटी मूल्य जोखिम तथा ऑप्शन जोखिम के क्षेत्रों में जोखिमों का अभिनिर्धारण करेगा. आशोधित अवधि, मार्क टू मार्केट, जोखिम मूल्य (वीएआर) के माध्यम से जोखिम का आकलन और निगरानी की जाएगी, बैक टेस्टिंग, निविष्टि सेवाएं, धारणाएं तथा गणितीय और सांख्यिकीय पद्धतियां, नीति में इसके वैधीकरण के लिए निर्धारित की गई है. आंतरिक रिपोर्टिंग, विनियामक रिपोर्टिंग और पिलर III विगोपनों हेतु रिपोर्टिंग संरचना निर्धारित की गई है.

Credit Risk

The Credit Risk Management process forms an integral part of overall risk management of the Bank. The Bank has constituted Credit Risk Management Committee (CRMC) which reviews the policies, procedures and systems relating to credit administration and monitoring, at periodic intervals.

The Bank has put in place comprehensive Lending Policy, Loan Review Policy and Risk Management Policy for credit risk management. The policies prescribe various guidelines, procedures, standards and prudential / exposure norms.

Credit concentration risk is managed through prescribing, monitoring and reviewing of credit exposure limits in terms of single borrower / group borrower exposure, exposure to sensitive sectors, industry exposure, substantial exposure, geographical exposure, identifying the thrust and low priority areas.

To evaluate the risk perception in a lending proposition, the Bank has put in place an in-house developed Credit Risk Rating Framework (CRRF) for rating of existing as well as entry level borrowers in various asset classes, as desired under Basel II. The Bank has prescribed threshold ratings for entry level exposures with a view to building up credit portfolio within the risk appetite and achieve the profit plan. With a view to separating the Credit Risk Management function from credit sanctioning, Credit Approval Grids are set up at various levels and at Treasury & International Banking Division (TIBD) Mumbai which assess the risk perception through a committee approach. In house developed rating models in TIBD are also in use to rate Non-SLR Investments.

The Bank has undertaken migration analysis of credit risk rating of borrowers over a time horizon and probability of default has been estimated in line with Basel II requirements. To achieve risk-return trade off, risk based pricing framework has been implemented and reviewed periodically.

The Bank undertakes following studies periodically to assess Credit Risk:

- Compliance to Prudential Norms as per Lending Policy
- Credit Portfolio Review
- Assessment of Credit Concentration Risk
- Industry Analysis
- · Quick Mortality of Loans and Advances
- Country Risk Management
- Stress Test

Finding of these studies are placed before the Credit Risk Management Committee (CRMC) and Risk Management Committee (RMC) on periodical basis.

The Bank utilizes industry risk rating from reputed credit rating agency and the Bank incorporates the industry risk score in the CRR Model.

Market Risk

Market risk is the risk to the Bank resulting from movements in market prices due to changes in interest rates, foreign exchange rates, equity price and commodity price. These changes impact the Bank's earnings and capital requirement and can have ramifications on the Bank's liquidity and profitability.

The Bank has put in place separate Market Risk Management (MRM) Policy and the ALM Policy.

The Bank's MRM Policy aims to set out the broad processes i.e. by which the Bank will identify risks in the areas of Interest Rate Risk, Forex Risk, Equity Price Risk and Options Risk. Risk will be measured and monitored through Modified Duration, Mark-to-Market, and Value at Risk (VaR). Backtesting, Input Services, Assumptions and Mathematical and Statistical methodologies for validation of the same have been prescribed in the policy. Reporting framework has been prescribed for internal reporting, regulatory reporting and Pillar III disclosures.

बैंक की अपनी पृथक बाजार जोखिम प्रबंधन समिति है जो नियमित आधार पर एमआरएम नीति की पुनरीक्षा करेगी तथा यदि कुछ आशोधन हो तो जोखिम प्रबंधन समिति को अनुमोदन हेत् रिपोर्ट करेगी.

वार्षिक रूप से पुनरीक्षित और बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन नीति में बाजार जोखिम और तरलता जोखिम प्रबंधन के मानदंड निर्धारित हैं. बैंक ने आस्ति देयता प्रबंधन समिति का गठन किया है, जिसकी बैठक तरलता की स्थिति और ब्याज दर परिदृश्य इत्यादि का पुनरीक्षण करने के लिए नियमित अंतरालों पर होती है. आस्ति देयता प्रबंधन समिति जमा / अग्रिमों की ब्याज दरों की समीक्षा के द्वारा बाजार जोखिम और तरलता जोखिम का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करती है. आस्ति देयता प्रबंधन समिति विभिन्न जोखिम सीमाओं के पालन की निगरानी करती है और वर्तमान ब्याज दर परिदृश्य और बाजार में तरलता की स्थिति के आधार पर लाभ को अधिकतम करने और समग्र तुलनपत्र के प्रबंधन का कार्य भी करती है.

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है जिसमें बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है. ब्याज दरों में परिवर्तन इसके निवल ब्याज आय के परिवर्तन के माध्यम से बैंक की आय (अर्थात रिपोर्ट किया गया लाभ) पर प्रभाव डालता है और साथ ही इसकी दर संवेदनशील आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्र से अलग ली गई स्थितियों के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन के माध्यम से बैंक की ईक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) या निवल संपत्ति को भी प्रभावित करता है. ब्याज दर जोखिम की उक्त दो परिप्रेक्ष्यों में पुनरीक्षा की जाती है तो इसे क्रमशः 'अर्जन परिप्रेक्ष्य' तथा 'आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य' कहा जाता है. तदनुसार बैंक ब्याज दर जोखिम के प्रबंध के लिए निम्नलिखित साधनों का प्रयोग करता है :

- पारंपरिक गैप विश्लेषण (टीजीए) जिसे मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशील गैप रिपोर्ट निर्माण के माध्यम से लिया जाता है.
- अवधि अंतराल विश्लेषण (डीजीए) जो ईक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) से ब्याज दर संचलन की संवेदनशीलता के अनुसार ब्याज दर जोखिम के प्रति बैंक के विगोपनों पर ध्यान केन्द्रित करता है.
- जोखिम पर अर्जन : ब्याज दरों में 1 प्रतिशत बदलाव के कारण निवल ब्याज आय पर ब्याज का परिकलन. इसमें आधार जोखिम, एंबेडेड ऑप्शन जोखिम, आय समाधान जोखिम, निवल ब्याज स्थिति जोखिम, मूल्य जोखिम और पुनर्निवेश जोखिम.
- आशोधित अवधि : संविभाग में ब्याज दर जोखिम पर विचार करते हुए बैंक ने एएफएस + एचएफटी श्रेणी हेतु आशोधित अवधि की उच्चतम सीमाएं और साथ ही कुल निवेश संविभाग हेतु उच्चतम सीमाएं निर्धारित की हैं.
- जोखिम मूल्य : खजाना स्थिति हेतु जोखिम मूल्य (वीएआर) का परिकलन 99% विश्वास स्तर हेतु 1 दिन, 10 दिन और 30 दिन के लिए परिकलित किया जाता है.

निवेश जोखिम को निवेश जोखिम नीति तथा निवेश जोखिम प्रबंधन नीति में दिए गए उपायों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है.

विदेश विनिमय जोखिम के प्रबंधन, खुली विदेशी विनिमय स्थिति हेतु विवेकपूर्ण सीमाएं समग्र अंतराल स्थिति विदेशी विनिमय दैनिक सीमा, ओवरनाईट सीमा, निवल ओपन ओवर नाईट स्थिति, बंधित हानि सीमा, विदेशी उधारियां/निवेश/स्वैप के लिए सीमा, अंतरबैंक विगोपन सीमाएं आदि के लिए निर्धारण है. इन सीमाओं की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है.

पखवाड़ा आधार पर अल्पावधि डायनैमिक तरलता की स्थिति और दैनिक आधार पर संरचनात्मक तरलता स्थिति की पुनरीक्षा द्वारा परिपक्वता असंतुलन हेतु गैप विश्लेषण के माध्यम से तरलता जोखिम का आकलन किया जाता है तथा प्रबंध किया जाता है.

परिचालनगत जोखिम

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) परिचालनगत जोखिम से संबंधित मामलों की पुनरीक्षा के लिए नियमित रूप से बैठक करती है. ओआरएम नीति तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन संरचना के अंतर्गत बैंक प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) और नियंत्रण स्वनिर्धारण सर्वेक्षण (आरसीएसए), पूर्व के खत्म हो गए आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा परिचालनगत जोखिमों का अभिनिर्धारण, आकलन और नियंत्रण/प्रशमन करता है. बैंक की परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति में बैंक में परिचालनगत जोखिम को नापने, उसकी निगरानी करने और उसे नियंत्रिक ठरने हेतु विस्तृत रूपरेखा दी गई है. बैंक जोखिमग्रस्त क्षेत्रों को पहचानने और प्रणाली तथा कार्याविधि में उचित सुधार, प्रशिक्षण के माध्यम से समुचित उपचारात्मक कदम उठा Bank has its separate Market Risk Management Committee to review MRM Policy on regular basis and report modifications if any to the Risk Management Committee for approval.

The ALM Policy, which is reviewed annually and approved by the Board, prescribes the parameters for management of Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Basel III Compliance and lays down Strategies for Asset Liability Pricing, Profit Planning and Growth Projections, Funding and Capital Planning and Regulatory Reporting Framework.

The Bank has constituted Asset Liability Management Committee (ALCO), which meets at regular intervals to review the interest rate scenarios, liquidity positions in the banking book etc. The ALCO manages and supervises Liquidity Risk through review of rates of interest on deposits / advances. ALCO also monitors adherence to various risk limits and determines the business strategy in light of prevailing interest rate scenario and liquidity position in the market with a view to optimizing profit and overall balance sheet management.

Interest Rate Risk:

Interest rate risk is the risk where changes in market interest rates affect a bank's financial position. Changes in interest rates impact a bank's earnings (i.e. reported profits) through changes in its Net Interest Income (NII) and also impact a bank's Market Value of Equity (MVE) or Net Worth through changes in the economic value of its rate sensitive assets, liabilities and off-balance sheet positions. The interest rate risk, when viewed from these two perspectives, is known as 'earnings perspective' and 'economic value perspective', respectively. Accordingly, Bank uses the following tools to manage interest rate risk:

- Traditional Gap Analysis (TGA) which is undertaken through the preparation of Interest Rate Sensitive Gap Reports on a monthly basis.
- Duration Gap Analysis (DGA) which focuses on the Bank's exposure to interest rate risk in terms of sensitivity of Market Value of its Equity (MVE) to interest rate movements. The Bank during 2008-09 introduced Duration of Equity Analysis based on Duration Gap Analysis (DGA).
- Earning at Risk: Calculation of impact on NII due to 1 per cent change in interest rates. It also takes into account Basis Risk, Embedded Option Risk, Yield Cure Risk, Net Interest Position Risk, Price Risk and Reinvestment Risk.
- Modified Duration: Considering the interest rate risk in the portfolio, the Bank has set upper limits of Modified Duration for AFS+HFT category and also the upper limit for total investment portfolio.
- Value at Risk: Value at Risk (VaR) for treasury positions is calculated for 1 Day, 10 Days and 30 Days for 99% Confidence Level.

Investment Risk is managed through the prescriptions made in the Investment Management Policy & Investment Risk Management Policy.

Management of Foreign Exchange Risk, prudential limits for open foreign exchange position, aggregate gap position, Daylight limit, Overnight limit, Net open overnight position, Stop loss limit, Limit for undertaking swaps/investment/ borrowing overseas, inter bank exposure limits etc. have been put in place. These limits are monitored regularly.

The 'Liquidity Risk' is measured and managed through 'Gap analysis' for maturity mismatches by reviewing structural liquidity position on daily basis and short term dynamic liquidity position on fortnightly basis. Bank is conducting behavioral studies in GAP analysis. Stress testing is undertaken periodically.

Operational Risk

The Operational Risk Management Committee (ORMC) meets regularly to review the matters related to operational risk. Under the Operational Risk Management Framework and ORM Policy, Bank is identifying, measuring, monitoring and controlling/mitigating operational risks by analyzing historical loss data, Risk and Control Self Assessment Surveys (RCSAs) and Key Risk Indicators (KRIs). The Bank has put in place policy on Business Continuity Planning. A policy on outsourcing is रहा है ताकि परिचालनगत जोखिम को नियंत्रित किया जा सके. परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति की नियमित बैठकें परिचालनगत जोखिम से संबंधित मामलों की समीक्षा करने हेतु ली जाती है. बैंक ने कारोबार सततता योजना को लागू किया है. आउटसोर्सिंग नीति भी तैयार की गई है जो बाजार में उपलब्ध विशेषज्ञता के उपयोग को सुगम बनाती है और आउटसोर्सिंग से संबंधित जोखिम को न्यूनतम करती है.

जोखिम आधारित सर्वेक्षण के अंतर्गत तिमाही आधार पर जोखिम प्रोफाईल टेम्प्लेट की व्याप्ति के साथ 5 व्यवसाय जोखिम और 2 नियंत्रण जोखिम तैयार किए जाते हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाते हैं.

जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के अंतर्गत शाखाओं की रेटिंग की जा रही है और प्रत्येक तिमाही में स्थिति की पुनरीक्षा की जाती है.

बेसल ॥ अनुपालन

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) की शतों के अनुसार बैंक बेसल II अनुपालनयुक्त है. पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण ऋण जोखिम के लिए, मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण बाजार जोखिम के लिए और मूल संकेतक दृष्टिकोण परिचालनगत जोखिम के लिए अपनाया है. बेसल II के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार निगमित विगोपन संबंधित जोखिम को नापने के लिए अनुमोदित ऋण रेटिंग एजेंसियों की ऋण रेटिंग का उपयोग किया जाता है. बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन नीति तथा दबाव परीक्षण नीति को भी लागू किया है.

बैंक ने बोर्ड से अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया को तैयार किया है जिसके अंतर्गत बेसल ॥ मानदंडों के पिलर 2 की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पिलर 1 जोखिम (अर्थात ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिम) को छोड़कर जोखिम को नापने और पहचानने का कार्य शामिल है. भारतीय रिज़र्व बैंक के बेसल ॥ की पिलर 3 आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रकटन मानदंडों का पालन किया गया है. 31 मार्च 2012 को यथास्थिति वर्ष की समाप्ति के विगोपन वार्षिक रिपोर्ट के भाग है और बैंक के वेबसाईट पर भी प्रदर्शित की गई है.

ऋण सूचना और निगरानी प्रणाली दिनांक 01.07.2011 की नई पूंजी पर्याप्तता संरचना के कार्यान्वयन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसरण में बेसल ॥ की संरचना के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता के परिकलन हेतु प्रयुक्त होती है. ऋण जोखिम हेतु आरडब्ल्यूए मास्टर समरी सहित संपूर्ण ऋण संबंधित विवरण सीआईएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्मित किए जा रहे हैं. एक्सबीआरएल में पूंजी पर्याप्तता (आरसीए ॥) रिपोर्ट फॉर्मेट भी सीआईएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्मित किए जा रहे हैं.

बेसल ॥ संरचना और जोखिम प्रबंधन में उद्योग की श्रेष्ठ प्रथाओं के अंतर्गत उच्चत दृष्टिकोण के कार्यान्वयन हेतु बैंक ने ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिम के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए हैं.

बैंक बेसल ॥ संरचना के उन्नत दृष्टिकोण में प्रवर्जन द्वारा जोखिम और पूंजी प्रबंधन क्षमताओं में वृद्धि करेगा. उन्नत दृष्टिकोण में ऋण जोखिम हेतु एफआईआरबीए तथा एआईआरबीए, परिचालनगत जोखिम हेतु मानकीकृत और उन्नत मापदंड दृष्टिकोण (टीएसए व एएमए) तथा बाजार जोखिम हेतु आंतरिक मॉडेल दृष्टिकोण (आईएमए) का समावेश है.

प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों के मध्य बेसल ॥ मानदंडों की बेहतर जागरूकता सुनिष्टिचत की गई है. बाहरी प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के माध्यम से प्रधान कार्यालय में कार्यरत जोखिम प्रबंधन दल की कुशलताओं और ज्ञान का निरंतर कोटिउज्ञयन किया जाता है.

बेसल III

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 30 दिसंबर 2011 को भारत में बेसल III पूंजी विनियमन के प्रस्तावित कार्यान्वयन की रूपरेखा के प्रारूप दिशानिर्देश जारी किये गये.

तदनुसार बैंक को 31 दिसंबर 2012 को समाप्त तिमाही आधार पर पूंज़ी और विगोपन उपायों के विस्तृत परिकलन सहित आरबीआई टियर 1 लीवरेज अनुपात की रिपोर्ट करनी है.

साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 21 फरवरी 2012 को तरलता जोखिम प्रबंधन तथा तरलता मानकों पर बेसल III संरचना पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी किए गए. न्यूनतम 2 मानक यथा तरलता व्याप्ति अनुपात और निवल स्थिर निधियन अनुपात निधारित किए गए. तदनुसार बैंक को यह सुनिश्चित करना है कि उसके द्वारा क्रमशः जनवरी 2015 और जनवरी 2018 से हर समय अपेक्षित एलसीआर तथा एमएसएफआर को बरकरार रखा जाता है. पर्यवेक्षण अवधि 2012 से अपेक्षित है. तदनुसार प्रारूप दिशानिर्देशों में निर्धारित निगरानी मैट्रिक्स/उपकरणों पर आधारित इन अनुपातों और विवरणों की also formulated which facilitates use of expertise available in the market with adequate safeguards against risk associated with outsourcing.

Under the Risk based supervision, Risk Profile Template covering five business risks and two control risks are prepared on quarterly basis and submitted to RBI.

Rating of the branches is being done under Risk-based Internal Audit (RBIA) and the position is reviewed every quarter.

Basel II Compliance

The Bank is Basel II compliant in terms of the New Capital Adequacy Framework (Basel II) guidelines issued by RBI. Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration Approach for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk as per RBI guidelines for capital adequacy computation. External credit ratings from approved rating agencies are used for risk weighting of corporate exposures as required under Basel II. Bank has also put in place a Policy on Disclosure, Policy on Utilization of Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management and Policy on Stress Testing approved by the Board.

The Bank has evolved Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) which covers identification and measurement of risks other than Pillar 1 risks (i.e. Credit Risk, Market Risk & Operational Risk), to meet the requirements of Pillar 2 of Basel II norms. The Bank has adhered to disclosure norms as stipulated in the guidelines of RBI to meet Pillar 3 requirements of Basel II. The year end disclosures as on March 31, 2012 are part of the Annual Report and are also displayed on the Bank's website.

Credit Information and Monitoring System (CIMS) is used for computation of Capital Adequacy under Basel II framework, in line with RBI Master Circular on implementation of New Capital Adequacy Framework dated 1.07.2011. Entire credit related statements, including RWA Master Summary for Credit Risk is being generated through CIMS software. Capital Adequacy (RCA II) report in Extensible Business Reporting Language (XBRL) format is also generated through CIMS software.

For implementation of the advanced approaches Under the Basel II framework and industry best practices in risk management, the bank has appointed consultants for Credit, Market and Operational Risk.

The Bank will enhance its Risk and Capital Management capabilities by migrating to the Advanced Approaches of the Basel II framework. Advanced approaches include Foundation and Advanced Internal Ratings Based Approach ('FIRBA' & 'AIRBA') for Credit Risk, Standardized and Advanced Measurement Approach ('TSA' & 'AMA') for Operational Risk and Internal Models Approach ('IMA') for Market Risk.

Improvement in awareness of Basel II norms amongst the employees is ensured through training. Knowledge and skill levels of risk management team at Head Office are constantly upgraded through exposure to external trainings, workshops and seminars.

Basel III

On December 30, 2011 RBI issued draft guidelines outlining the proposed implementation of Basel III Capital Regulation in India.

Accordingly, the Bank has to report to the RBI Tier 1 Leverage Ratio along with detailed calculations of capital and exposure measures on a quarterly basis from the Quarter ending December 31, 2012. Reporting to the RBI will be done as per periodicity prescribed.

Further, draft guidelines on Liquidity Risk Management and Basel III Framework on Liquidity Standards were issued by RBI on February 21, 2012. Two minimum standards i.e. Liquidity Coverage Ratio and Net Stable Funding Ratio have been prescribed. Accordingly, the Bank has to ensure that it maintains the required LCR and NSFR at all times commencing from January 2015 and January 2018 respectively. Supervisory period is expected from 2012. Accordingly, reporting of these ratios and statements based on monitoring matrics/ tools

भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्टिंग जून 2012 से तिमाही/माह के समापन से प्रारंभ होगी. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रारूप दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन हेतु बैंक के पास पर्याप्त प्रबंधन सूचना प्रणाली है.

3.7 आंतरिक नियंत्रक प्रणालियां

निरीक्षण और संगामी लेखा परीक्षाः

परिचालनगत जोखिम को अभिनिर्धारित करने, मूल्यांकन कर उसे कम करने के लिए बैंक ने निरीक्षण व लेखा परीक्षा के द्वारा विभिन्न आंतरिक नियंत्रक उपाय अपनाए हैं.

शाखाओं का निरीक्षणः

बैंक ने जिलानी समिति की सिफारिशों का पालन करना जारी रखा और वर्ष के दौरान 1040 शाखाओं का निरीक्षण किया. निरीक्षित शाखाएं बैंक की कुल शाखाओं का 65.45 प्रतिशत हिस्सा थी. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के अंतर्गत इन सभी 1040 शाखाओं में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा भी की गई.

सभी निरीक्षण अधिकारियों और निरीक्षण कक्ष प्रमुखों को नीतियों, कार्यविधियों, व्यवसाय परिवेश, बैंकों के लिए चुनौतियां और अवसर, जोखिम के नए क्षेत्रों की पहचान करने और वरिष्ठतम प्रबंधन को शाखाओं और कार्यालयों के मौजूदा और आसन जोखिमों के बारे में आगाह करने में उनकी भूमिका के बारे में अद्यतन जानकारी देने के लिए सितंबर/अक्तूबर 2011 के दौरान एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था.

तत्काल निरीक्षणः

घोष समिति की सिफारिशों के अनुसरण में शाखाओं के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए 91 शाखाओं में तत्काल निरीक्षण किया गया.

संगामी लेखा परीक्षा ः

वर्ष के दौरान बैंक की 284 शाखाओं और प्रधान कार्यालय के 3 विभागों में संगामी लेखा परीक्षा की गई. इन शाखाओं में बैंक की समग्र जमाराशियों का 57 प्रतिशत और बकाया अग्रिमों का 75 प्रतिशत हिस्सा है.

आय व व्यय लेखा परीक्षाः

आय रिसाव का अभिनिर्धारण करने व उसकी वसूली करने के लिए अक्तूबर 2010 से सितंबर 2011 की अवधि के लिए 771 शाखाओं की आय व व्यय लेखा परीक्षा की गई. वर्ष के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की अर्ध वार्षिक व्यय लेखा परीक्षा की गई.

प्रबंधन लेखा परीक्षा ः

16 क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के 14 विभागों की पर्यवेक्षण और नियंत्रण के क्रम में उनकी प्रभावशीलता का निर्धारण करने के लिए प्रबंधन लेखा परीक्षा की गई.

बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक का निरीक्षणः

वर्ष 2011-12 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 के अधीन बैंक की 7 शाखाओं का निरीक्षण किया. भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 मई 2011 से 08.07.2011 के बीच वार्षिक वित्तीय निरीक्षण किया.

3.8 सतर्कता

बैंक में सतर्कता गतिविधियां प्रबंधन का अंतरंग अंग है. इसका उद्देश्य प्रबंधकीय कुशलता और प्रभावशीलता के स्तर में वृद्धि करना और कुशल प्रशासन के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना है जहां अधिकारी अपने कार्य बिना किसी डर और भेदभाव से कर सके.

बैंक में सतर्कता का कार्य लचीलेपन और जवाबदेही के मध्य उचित संतुलन कायम रखता है.

सतर्कता का अति महत्वपूर्ण अंग निवारक सतर्कता है. प्रत्येक स्तर पर कार्यकुशलता में सुधार के लिए बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं.

मुख्य सतर्कता आयुक्त के निदेशों के अनुसार 20 और अधिक कर्मचारियों वाली शाखाओं में संवेदी और जालसाजीग्रस्त क्षेत्रों का पुनरीक्षण / निगरानी करने व विसंगतियों (यदि कोई हो), को रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता समितियों का गठन किया गया है.

जालसाजियों को टालने, उनका पता लगाने, उनका वर्गीकरण करने और उनकी रिपोर्टिंग करने व की जाने वाली कार्यवाही सुझाने के लिए "जालसाजी जोखिम प्रबंधन नीति" prescribed in Draft Guidelines will commence from Quarter/month ending from June 2012 to the RBI.

Bank is having adequate MIS for implementation of the draft guidelines issues by RBI.

3.7 Internal Control Systems

Inspection & Concurrent Audit:

The Inspection and Audit system and various measures of internal control are implemented by the Bank to ensure identification/assessment and mitigation of operational risks.

Inspection of Branches:

The Bank continued to adhere to the Jilani Committee recommendations and inspected 1040 branches during the year covering 65.45 per cent of total branches of the Bank. As per RBI guidelines under Risk Based Supervision, the Bank has undertaken Risk Based Internal Audit (RBIA) at all these 1040 branches.

Conference of all inspecting officials and heads of inspection cells was organized during September/October 2011 to update them on policies, procedures, business environment, opportunities and challenges for banks, emerging areas of risks and their role in alerting the top Management of existing and impending risks at branches and offices.

Surprise Inspection:

In pursuance of the Ghosh committee recommendations, surprise inspection was carried out at 91 branches focusing mainly on high risk areas at the branches.

Concurrent Audit:

284 Branches and 3 Departments at Head Office were subjected to Concurrent Audit during the year. These branches covered 57 per cent of aggregate deposits and 75 per cent of total advances of the Bank.

Income & Expenses Audit:

Income & Expenditure Audit for the period October 2010 to September 2011 was carried out at 771 branches to identify and recover income leakages, if any. Half yearly Expenses Audit of all the Regional Offices was carried out during the year.

Management Audit:

Management Audit of 16 Regional Offices and 14 departments at Head Office was carried out for assessing their effectiveness in terms of supervision and controls.

RBI Inspection under Section 35 of the Banking Regulation Act:

During the year 2011-12, RBI inspected 7 branches under section 35 of RBI Act. RBI conducted AFI of the Bank during the period from16.05.2011 to 08.07.2011.

3.8 Vigilance

Vigilance activity in the Bank is an integral part of the managerial function. Its objective is to enhance the level of managerial efficiency, effectiveness and to ensure a proper climate for an efficient administration, where officials can perform the duties without any fear or favour.

'Vigilance' in the Bank is maintaining a proper balance between flexibility and accountability.

Preventive Vigilance is the most important aspect of vigilance. With a view to improve functioning at all levels, the Bank has taken the necessary steps as under:

In accordance with CVC directives, Vigilance Committees have been formed at the Branches having staff of 20 and more, to review/ monitor sensitive and fraud prone areas and report abnormalities observed therein, if any.

'Fraud Risk Management Policy' on prevention, detection, classification

बैंक ने तैयार कर मार्गदर्शन एवं उपयोग हेतु सभी कर्मचारियों व क्षेत्र कार्यकर्ताओं में परिचालित की है.

3.9 अनुपालन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड अनुमोदित अनुपालन नीति को लागू किया गया है और उप महाप्रबंधक के पद वाले मुख्य अनुपालन अधिकारी की प्रमुखता में अनुपालन विभाग का गठन किया गया है. अनुपालन विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार/भारतीय बैंक संघ और अन्य एजेंसियों से प्राप्त निदेशों/संप्रेषणों का समय पर अनुपालन सुनिष्टित करता है. अनुपालन की स्थिति की समीक्षा उच्च प्रबंधन/बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा आवधिक आधार पर की जाती है. बैंक में अनुपालन संस्कृति में सुधार करने हेतु अधिकारी/कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों अनुपालन पर एक सत्र शामिल किया गया है.

3.10 विपणन और प्रचार

बैंक की ब्रांड छवि निर्माण तथा बैंक के विभिन्न उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु बैंक द्वारा कई कार्यक्रम यथा "पुणे जिला परिषद शिक्षण विभाग का चलता-फिरता ग्रंथालय तथा चलता-फिरता कंप्यूटर वैन", "एलोरा अजंता उत्सव", औरंगाबाद "एशियन युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप, लखनऊ", "संगीत उत्सव स्वर झंकार", पुणे आदि प्रायोजित किए गए.

3.11 नागरिक अधिकार पत्र

वर्ष 2000-01 से बैंक ने नागरिक अधिकार पत्र स्वीकार किया है. इस अधिकार पत्र में प्राहकों के प्रति बैंक के दायित्वों व कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है. अधिकार पत्र को बैंक की सभी शाखाओं और बैंक की वेब साईट पर प्रदर्शित किया गया है. इसका समय समय पर अद्यतन किया जाता है. नोटों और सिक्कों को बदलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का नागरिक अधिकार पत्र भी बैंक ने स्वीकार किया है.

4. सामाजिक बैंकिंग

4.1 प्राथमिकता क्षेत्र को उधार

बैंक का यह सतत प्रयास रहा है कि लघु और सीमान्त कृषकों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों, फुटकर व्यापारियों, पेशेवरों व स्वनियोजित व्यक्तियों, महिला उद्यमियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर किन्तु उद्यमशील व्यक्तियों को उत्पादक प्रयोजनों हेतु समय पर अबाधित रूप से ऋण उपलब्ध कराते हुए समान और सुस्थिर आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाए.

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत मार्च 2012 को कुल बकाया अग्रिम ₹ 19,199.07 करोड़ के थे, जो समायोजित निवल बैंक ऋण के 40.81 प्रतिशत थे.

प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 2,718.03 करोड़ की वास्तविक वृध्दि दर्ज की गई जिसके परिणामस्तरूप वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 16.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

4.2 कृषि

वर्ष 2011-2012 के दौरान कृषि और सहायक गतिविधियों के लिए बैंक ने ₹ 3,146.40 करोड़ के ऋण वितरित किए. कृषि क्षेत्र को कुल बकाया अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 29.81 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई जिससे 31.03.2012 को कृषि क्षेत्र को इनका स्तर ₹ 6,089.60 करोड हो गया.

कृषि अग्रिमों में वृध्दि करने के लिए बैंक ने किसानों को बाधारहित ऋण उपलब्ध कराते हुए सभी शाखाओं के लिए जागरूकता/सुग्राही कार्यक्रम आयोजित किए.

4.2.1 महाबैक किसान क्रेडिट कार्ड (एमकेसीसी)

इस योजना ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता अर्जित की जहां इसका सफलतापूर्वक और तेजी से प्रचार किया जा रहा है. बैंक ने किसानों को कुल 3,14,139 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए. 31 मार्च 2012 को यथास्थिति एमकेसीसी हिताधिकारियों को ऋण प्रवाह बढ़कर 2,045.27 करोड़ हो गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 36.95 प्रतिशत वृद्धि हुई.

4.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का अग्रदूत माना जाता है. ये उद्योग कम निवेश वाले उद्यमों को प्रोत्साहित करने और शहरों की ओर प्रवास को रोकने के लिए स्थानीय कौशल और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करते हैं. आकर्षक ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराए and reporting of frauds including action to be taken, has been adopted by the Bank and circulated for the guidance and use of the branches and field functionaries.

3.9 Compliance

As per the Reserve Bank of India guidelines, Board approved Compliance Policy is in place and the compliance department is headed by Chief Compliance Officer who is in the rank of Deputy General Manager. The Compliance Department ensures timely compliance to the directions / communications received from Reserve Bank of India / Government of India / IBA and other agencies. The compliance status is reviewed by the Top Management / Audit Committee of the Board periodically. To improve the compliance culture in the Bank session on compliance has been included in training programme for officers / staff members.

3.10 Marketing And Publicity

Bank sponsored many programs like "Mobile Library & Mobile Computer Van of Pune Zilla Parishad Shikshan Vibhag", "Ellora Ajanta Festival, Aurangabad", "Asian Youth Badminton Championship, Lucknow", "Music Festival – Swarazankar" at Pune etc for publicizing Bank's brand image and Bank's various products.

3.11 Citizen's Charter

The Bank has adopted the Charter since 2000-01, which details the duties and responsibilities of the Bank towards its customers. The Charter is displayed at all the branches and on the website of the Bank and has been updated from time to time. The Bank has also adopted a Citizen Charter of RBI on exchange of notes and coins.

4. SOCIAL BANKING

4.1 Priority Sector Lending

It has been the constant endeavor of the Bank to facilitate equitable and sustainable economic development by timely and hassle-free availability of credit for productive purposes to Small and Marginal Farmers, Micro & Small Enterprises, Retail Traders, Professional & Self Employed, Women Entrepreneurs and entrepreneurs from economically weaker sections.

The outstanding advances under Priority Sector as of March 2012 aggregated to ${\mathfrak T}$ 19,199.07 crore, constituting 40.81 per cent of the Adjusted Net Bank Credit.

The rise in Priority Sector advances in absolute terms was 2,718.03 crore over the previous year, resulting into growth of 16.49 per cent on y-o-y basis.

4.2 Agriculture

The Bank disbursed ₹ 3,146.40 crore for agriculture and allied activities during the year 2011-12. The total outstanding advances to agriculture sector have shown a growth of 29.81 per cent on y-o-y basis, to reach a level of ₹ 6,089.60 crore as on 31.03.2012.

The Bank undertook awareness/sensitization programmes for all the branches for increasing advances to agriculture by providing hassle free credit to farmers.

4.2.1 Mahabank Kisan Credit Card (MKCC)

This scheme gained popularity especially in rural areas where it is being propagated successfully and vigorously. The Bank has issued total 3,14,139 Kisan Credit Cards to farmers. Credit flow to MKCC beneficiaries has increased to ₹ 2,045.27 crore as on 31.03.2012, resulting into growth of 36.95 per cent on y-o-y basis.

4.3 Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)

SMEs are recognized as a major growth engine for the Indian economy. They generate opportunities for direct and indirect employment by facilitating use of natural resources and local skills to stem the tide of migration to urban areas and promote low investment enterprises. गए. वर्ष के दौरान बैंक की वेबसाइट पर ऑन लाइन पूछताछ पोर्टल उपलब्ध कराया गया है.

बैंक ने एमएसई ग्राहकों के लिए भारतीय बैंक संघ द्वारा बनाए गए सरलीकृत ऋण आवेदन को अपनाया है और उसे अपनी वेब साईट पर उपलब्ध है. बैंक ने सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के प्रति बैंकों की प्रतिबध्दता संहिता को भी अपनाया है और उसे बैंक की वेब साईट पर प्रदर्शित किया है.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बैंक की उधारी 31.03.2011 को ₹ 7,638.46 करोड़ की थी, जो 31 मार्च 2012 को बढ़कर ₹ 9,002.65 करोड़ की हो गई. इस प्रकार वर्ष दर वर्ष आधार पर 15.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

4.3.1 महाउद्यमी

इस योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सहायक प्रतिभूति और/या अन्य पार्टी की गारन्टी के बिना बैंक अधिकतम ₹ 100.00 लाख का ऋण उपलब्ध कराता है.

भारत सरकार की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये ऋण गांरटी निधि योजना के अन्तर्गत इस योजना के खातों को संरक्षा प्राप्त है. बैंक, संपूर्ण गारंटी फीस और 50% वार्षिक सेवा फीस का वहन करता है, जिसका भुगतान सीजीटीएमएसई के अंतर्गत न्यास को करना पड़ता है. मार्च 2012 तक बैंक ने योजना के अंतर्गत 7,316 उधारकर्ताओं को र 463.32 करोड़ के ऋण मंजूर किए. वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान ऋण गांरटी निधि योजना के अन्तर्गत कवरेज 50.93 प्रतिशत से बढ़ा.

बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं/परियोजनाएं

5.1 रिटेल क्षेत्रों को ऋण प्रवाह

बैंक वेतनभोगी व्यक्तियों, पेशेवरों, व्यवसायियों और पेंशनरों को रिहाइशी ईकाइयाँ उपभोक्ता वस्तुएं, दो/चार पहिया वाहन और साथ ही अन्य वैयक्तिक आवश्यकताओं हेतु रिटेल ऋण उपलब्ध करा रहा है.

5.1.1 फुटकर ऋणों की केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग

बैंक ने गुणवत्तापूर्ण और बाधारहित फुटकर ऋण वितरण के लिए सभी क्षेत्रों में 15 रिटेल आस्ति शाखाएं और 18 रिटेल प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किए.

5.1.2 महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना

भारत में स्वर्ण आभूषण पीढ़ियों से बचत के साधन के रूप में विद्यमान है. एक तरल और मूल्यवान संपत्ति होने के कारण कारोबार, कृषि, शादी, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि जैसी तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेने हेतु जमानत के रूप में एक विश्वसनीय और स्वीकार्ययोग्य संपत्ति का कार्य करती है. हमारे ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक ने दिनांक 01.11.2010 से "महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना" के नाम से नया फुटकर ऋण उत्पाद आरंभ किया. वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वर्ण आभूषणों पर ऋण नियमित ब्याज दर से 0.75 प्रतिशत कम दर पर उपलब्ध है.

5.1.3 महाबैंक टॉप-अप ऋण योजना

बैंक के नियमित आवास ऋणकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण सुविधा देने के लिए बैंक ने दिनांक 01.11.2010 से "महाबैंक टॉप-अप ऋण योजना" के नाम से फुटकर ऋण उत्पाद का आरंभ किया.

5.2 आम जनता को आवास ऋण

अनिवासी भारतीय सहित सभी आर्थिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक की आवास ऋण योजना है. भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है.

वर्ष के दौरान बैंक के आवास ऋण में 14.66 प्रतिशत की वृध्दि हुई और 31.03.2012 को यह बढ़कर ₹ 4,907.12 करोड़ के स्तर पर पहुंच गए. 50,000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक भारत सरकार की स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास योजना का कार्यान्वयन कर रहा है. वर्ष के दौरान बैंक ने आवास ऋण हेतु आवेदन के लिए ऑनलाईन स्तुविधा आरंभ की है, जिसे बेहतर प्रतिसाद मिला है.

5.2.1 ₹ 15.00 लाख तक के आवास ऋणों पर 1 प्रतिशत की ब्याज सरकारी अनुदान

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने ₹ 15.00 लाख तक के आवास ऋण के उधारकर्ताओं को 1 प्रतिशत की सरकारी ब्याज अनुदान के रूप में ₹ 25.00 लाख Finance is made available to viable enterprises at attractive rates of interest. On line enquiry portal is made available on the Bank's website during the year.

The Bank has adopted Simplified Loan Application for MSEs and the same is available on the Bank's website. The Bank has also adopted Bank's Code of Commitment to Micro and Small Enterprise and it is displayed on the Bank's website.

The Bank's lending to Micro, Small and Medium Enterprises which was at the level of ₹ 7,638.46 crore as at 31.03.2011, increased to ₹ 9,002.65 crore as at 31.03.2012, which translates into a y-o-y growth of 15.15 per cent.

4.3.1 Maha-Entrepreneur

Under the scheme, the Bank is providing for supporting SMEs in rural areas finance up to ₹ 100.00 lacs to Micro and Small Enterprises without Collateral Security and/or Third Party Guarantee.

Accounts under the scheme are covered under Credit Guarantee Fund Scheme for Micro, Small and Medium Enterprises of Government of India. The Bank is bearing the entire guarantee fee and 50 per cent of annual service fee, which is to be paid to the Trust under CGTMSE. The Bank sanctioned loans of ₹ 463.32 crore to 7,316 borrowers under this scheme up to March 2012. During the FY 12, coverage under Credit Guarantee Fund Scheme increased by 50.93 per cent.

5. IMPORTANT SCHEMES/PROJECTS OF THE BANK

5.1 Credit Flow to Retail Sectors

The Bank is providing retail loans to salaried persons, professionals, businessmen and pensioners for purchase of dwelling units, consumer durables, two/four wheeler vehicles and also for other personal needs.

5.1.1 Centralized processing of retail loans

The Bank has opened 15 Retail Asset Branches and 18 Retail Processing Centers covering all the Regions for hassle free and quality disbursement of retail loans.

5.1.2 Mahabank Gold Loan Scheme

Gold ornaments are the traditional and inherited form of savings in India. Being one of the most liquid and precious assets, it serves as a dependable and acceptable form of security to raise loans for meeting immediate financial needs for business, agriculture, consumption purposes such as marriage, medical, educational expenses etc., With a view to meet the requirement of our customers, Bank has launched a new Retail Loan product "Mahabank Gold Loan Scheme" w.e.f. 01.11.2010. For senior citizens, Ioan against gold ornaments is available at 0.75 per cent less than the regular interest rate.

5.1.3 Mahabank Top-Up Loan Scheme

In order to extend additional credit support to our regular housing loan borrowers the Bank has launched another Retail Loan product "Mahabank Top-Up loan scheme" w.e.f. 01.11.2010.

5.2 Housing loan to public

The Bank has in place Housing Loan Scheme to meet the needs of all economic segments including NRIs. Financing housing sector in rural and urban parts of India is a thrust area.

The Bank's lending to housing sector has grown by 14.66 percent during the year to reach the level of ₹ 4,907.12 crore as at 31.03.2012. The Bank is also implementing Golden Jubilee Rural Housing Scheme of the Government of India in rural areas having population not exceeding 50,000. Bank has launched online facility for applying for housing loan during the year, which has evoked good response.

5.2.1 One per cent Interest Subvention on Housing Loan up to ₹ 15.00 Lakh

As per GOI guidelines, Bank has provided 1 per cent interest subvention to borrowers, who availed housing loans upto ₹ 15.00 lakhs

तक की सहायता दी. वर्ष 2011-12 के दौरान योजना के अंतर्गत 8438 उधारकर्ताओं को ₹ 4.20 करोड़ का लाभ मिला.

5.3 आदर्श शैक्षणिक ऋण योजना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने का अवसर प्राप्त हो, बैंक आदर्श शैक्षणिक ऋण योजना का कार्यान्वयन कर रहा है. मार्च 2012 को बैंक के शैक्षणिक ऋण ₹ 496.50 करोड़ थे, जो 24,603 छात्रों में वितरित किए गए. बैंक ने वेब साईट के जरिये शैक्षणिक ऋण के लिए ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध की है.

5.4 सूक्ष्म वित्त

बैंक ने ग्रामीण और शहरी गरीबों को आर्थिक गतिविधियां आरंभ करने के लिए ऋण देने के कार्य को हमेशा महत्व दिया है. महिलाओं को सशक्त बनाने में स्व-सहायता समूह काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं. बैंक ने वर्ष 2012 के दौरान सभी छह अग्रणी जिलों और गोरेगांव, मुंबई में स्वसहायता समूह विशेषज्ञ शाखाओं का आरंभ किया है.

31.03.2012 को बैंक द्वारा 90,093 स्वसहायता समूहों का गठन किया गया था, जिनमें से मार्च 2012 को यथास्थिति 88,586 स्वसहायता समूहों ने बैंक से ₹ 183.56 करोड़ की कूल वित्तीय सहायता प्राप्त की है.

5.5 अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों को सहायताः

बैंक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों को सक्रिय रूप से वित्तीय सहायता दे रहा है. 31 मार्च, 2012 को बैंक के अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों को बकाया ऋण ₹ 787 करोड़ के थे, जो कमजोर वर्गों को अग्रिमों का 24.73 प्रतिशत हैं.

5.6 अल्पसंख्यक समुदाय को अग्रिम

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण का सुगम प्रवाह सुनिश्ति करने और इसकी पुनरीक्षा करने के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया है. मार्च 2012 को अल्पसंख्यक समुदाय के बकाया अग्रिम ₹ 884.72 करोड़ के थे, जो 56,662 लाभार्थियों में वितरित थे.

5.7 बैंक ऑफ महाराष्ट्र - एसबीआई अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड

एक नया एसबीआई-बैंक ऑफ महाराष्ट्र सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड 27 जून 2011 को प्रारंभ किया गया (मेसर्स एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के गठजोड़ से 6300 कार्ड जारी किए गए, जबकि 27 केन्द्रों पर गैर-जमानती कार्ड आरंभ किए गए. मीयादी जमाराशि के प्रति प्रतिभूत क्रेडिट कार्ड बैंक की सभी शाखाओं में आरंभ किए गए.

5.8 एएसबीए (अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन)

पूर्व की 60 नामित शाखाओं के साथ एएसबीए सेवाएं सभी 1589 शाखाओं तक बढ़ाई गई. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान इस प्रणाली ने 19 आईपीओ/एफपीओ का सफलतापूर्वक प्रक्रमण किया. एएसबीए सुविधा कागजी प्रतिभूति के प्रति और साथ ही स्टाफ नकदी ऋण के प्रति भी उपलब्ध कराई गई.

5.9 ई-स्टाम्पिंग/बी-स्टाम्पिंग

बैंक को वर्ष 2011-12 में महाराष्ट्र राज्य के लिए (एसएचसीआईएल) स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हेतु अग्रणी जनरेशन एजेंट के रूप में पैनल में लिया गया और अन्य राज्य यथा तमिलनाड़, कर्नाटक और दिल्ली इसमें जोड़े गए.

6. निगमित सामाजिक दायित्व

- 6.1 बैंक के महाराष्ट्र के पुणे जिले के हइपसर और भिगवण में स्थित ग्रामीण विकास केंद्रों द्वारा किसानों के लाभार्थ "प्रयोगशाला से खेतों तक" परियोजना, खारी मिट्टी का विकास, मिट्टी की जांच, इत्यादि जैसी विभिन्न प्रकार की विकासात्मक गतिविधियां चलाई जाती हैं. बैंक ने आरसीएफ लिमिटेड, मुंबई के सहयोग से ग्रामीण विकास केन्द्र (आरडीसी) भिगवण में मार्डेफ ट्रस्ट के माध्यम से मिट्टी जांच प्रयोगशाला (एसटीएल) स्थापित की है. प्रयोगशाला में मिट्टी और पानी के नमूनों की जांच की जाती है और परामर्श दिए जाते हैं. पुणे, अहमदनगर, सोलापुर और सातारा के जिलों के किसान इस प्रयोगशाला का लाभ उठा रहे हैं.
- 6.2 बैंक द्वारा स्थापित महाबैंक कृषि अनुसंधान और ग्रामीण विकास फाउंडेशन (मारडेफ) नामक न्यास विभिन्न प्रकार के ग्रामीण सुधार कार्यक्रम और परियोजनाएं चलाता है. मारडेफ डेअरी, इमू पालन, बकरीपालन, अंगूर की खेती, उर्वरकों का उपयोग, कृषि ऋण योजनाओं की जानकारी इत्यादि जैसे कृषि के विभिन्न विषयों पर किसानों को प्रशिक्षण देता है. मार्डेफ ट्रस्ट ने आरडीसी, भिगवण और हड़पसर के किसानों हेतु 82 प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किए तथा अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक 3463 किसान लाभान्वित हुए.

for houses costing upto ₹ 25.00 lakhs. During the year 2011-12, 8438 number of borrowers benefited under the scheme amounting to ₹ 4.20 crore.

5.3 Model Educational Loan scheme

With the objective of ensuring that all deserving students get opportunity to pursue higher education, the Bank is implementing a Model Educational Loan Scheme. As of March 2012, the Bank had lent ₹ 496.50 crore to 24,603 students. The Bank has also provided the facility of submitting application for education loan through the Bank's website.

5.4 Micro Finance

The Bank has always recognized the importance of credit to rural and urban poor for taking economic activities. The self help groups (SHGs) have proved to be effective instruments for empowerment of women. During the year 2012, Bank has opened specialized SHG branches in all six lead districts and Goregaon, Mumbai.

As on 31.03.2012, there were 90,093 SHGs formed by the Bank, out of which 88,586 SHGs have been linked with bank credit with outstanding amount of ₹ 183.56 crore as on March 2012.

5.5 Assistance to SC/ST beneficiaries:

The Bank has been actively extending finance to SC/ST beneficiaries through various schemes. Total finance as on 31.03.2012 to SC/ST beneficiaries stood at ₹ 787 crore, constituting 24.73 per cent of advances to weaker sections.

5.6 Advances to Minority Community

A special cell has been set up at Head Office to review & ensure smooth flow of Credit to minority community. As of March 2012, the outstanding advances to minority communities were at ₹ 884.72 crore to 56,662 beneficiaries.

5.7 Bank of Maharashtra - SBI International Credit Card

The new SBI-Bank of Maharashtra co-branded credit card was launched on 27.06.2011 in tie-up with M/s SBI Cards & Payments Services Pvt Ltd. and 6300 cards were issued. While unsecured cards are introduced at 27 centers, secured Credit Cards against Term Deposit are introduced at all branches of the Bank.

5.8 Application Supported by Blocked Amount (ASBA)

ASBA services have been extended to all 1589 branches from earlier 60 designated branches. The system has successfully processed 19 IPOs / FPOs in the financial year 2011-12. The ASBA facility was extended to CC against paper security and STAFF CC accounts also.

5.9 E-Stamping / B-Stamping

The Bank was empanelled as Lead Generation Agent for Stock holding Corporation of India Ltd. (SHCIL) in the year 2011-12 for Maharashtra State & added other states such as Tamil Nadu, Karnataka and Delhi.

6. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

- 6.1 The Rural Development Centres (RDC) at Hadapsar and Bhigwan in Pune District of Maharashtra have been undertaking various rural developmental activities for the benefit of farmers viz. Lab to Land Project, Re-development of Saline Soils, Soil Testing etc. Bank has established Soil testing lab (STL) through MARDEF Trust at RDC Bhigvan in association with RCF Itd, Mumbai. In the lab samples of soil & water are tested and counseling is done. Farmers from the districts of Pune, Ahmednagar, Solapur and Satara are taking benefit of the lab.
- 6.2 A Trust viz. Mahabank Agricultural Research and Rural Development Foundation (MARDEF) eastablished by the Bank, undertakes various projects and village improvement programmes. MARDEF is imparting training to farmers on various subjects in Agriculture, e.g. Dairy, Emu farming, Goat rearing, best practices in farming, application of fertilizers, agriculture credit schemes, etc. MARDEF Trust has implemented 82 training programmes for farmers at RDC Bhigwan & Hadapsar and has benefited 3463 farmers from April 2011 to March 2012.

- 6.3 बैंक ने ग्रामीण युवाओं तथा महिलाओं को छोटे व्यवसायिक उद्यमों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु कौशल अर्जन करने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए सात महाबैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (एमसेटी) की स्थापना की है. संस्थान के पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती, जालना, ठाणे तथा नाशिक में प्रशिक्षण केंद्र हैं. संस्थान ने अब तक 7117 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए 70% का स्थायित्व दर हासिल किया.
- 6.4 बैंक द्वारा गठित ग्रामीण महिला व बाल विकास मंडल (जीएमवीबीवीएम) एक गैर सरकारी संगठन है. यह संगठन स्व सहायता समूहों के गठन, पोषण, प्रशिक्षण और उन्हें ऋण से संबध्द करने का कार्य सक्रिय रूप से कर रहा है. ग्रामीण महिला व बाल विकास मंडल पुणे शहर में "सावित्री" नामक दुकान के माध्यम से स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन में सहयोग देता है. मंडल स्व सहायता समूहों को कच्चा माल खरीदने और दर्जेदार उत्पादन के संबंध में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है.
- 6.5 बैंक ने बैंकिंग योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए छह अग्रणी जिलो यथा पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, सातारा, जालना व ठाणे में वित्तीय साक्षरता एवं ऋण समुपदेशन (एफएलसीसी) केन्द्रों का शुभारंभ किया है.
- 6.6 वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को उनकी गतिविधियों को चलाने के लिए आवश्यक इनपुट प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता की. इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - i) जरूरतमंद मरीजों को कृत्रिम अंग लगाना
 - ii) शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट स्कूल हेतू डिजल जनरेटर सेट
 - iii) मानसिक रूप से विकलांग एवं सेरेब्रल पाल्सी बच्चों, कैंसर के मरीजों की सुविधार्थ भवन/कक्षाएं/किंडरगार्डन व भौतिक सुविधाएं.
 - iv) जरूरतमंदों के लिए झोपड़पट्टी में कैंसर जांच शिविरों का आयोजन

7 अग्रणी बैंक योजना

7.1 अग्रणी बैंक योजना

महाराष्ट्र राज्य के छह जिलों यथा औरंगाबाद, जालना, नाशिक, पुणे, सातारा व ठाणे में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व बैंक के पास है. हर वर्ष इन जिलों के लिए ऋण योजनाएं तैयार की जाती हैं और अन्य बैंकों की सहायता से इन्हें कार्यान्वित किया जाता है. वर्ष के दौरान हमारे अग्रणी जिलों के संबंध में अग्रिमों के संवितरण के संबंध में हमारे बैंक का कार्य निष्पादन वर्ष 2011-12 में 144 प्रतिशत रहा.

7.2 राज्य स्तरीय बैंकर समिति

बैंक, महाराष्ट्र राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक है. राज्य स्तरीय बैंकर समिति के समन्वयक के रूप में बैंक राज्य में वार्षिक ऋण योजना, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, वित्तीय समावेशन और राज्य में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु नियमित रूप से तिमाही बैठकों का आयोजन करता है. चार तिमाही बैठकों के अलावा वर्ष 2011-12 के दौरान सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्रगति की पुनरीक्षा हेतु एक राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक (एसएलआरएम) बैठक भी आयोजित की गई. फसलों के लिए उधारी पर विशेष ध्यान दिया गया जिसके लिए दो विशेष एसएलबीसी बैठक आयोजित की गई. एक बैठक की अध्यक्षता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा और दूसरी की अध्यक्षता गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई. अध्यक्ष, एसएलबीसी ने खरीफ मौसम के दौरान उधारी में वृद्धि के लिए अग्रणी जिला प्रबंधकों की दो विशेष बैठके आयोजित कीं. इसके फलस्वरूप महाराष्ट्र में बैंकों ने फसल ऋण का 90 प्रतिशत प्राप्त किया और वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धि 40 प्रतिशत रही.

2000 से अधिक आबादी वाले बैंकिंग सुविधा से वंचित 4,292 गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु गांवों के अभिनिर्धारण के कार्य में तेजी लाने के लिए राज्य विशिष्ट वित्तीय समावेशन योजना (स्वाभिमान) तैयार की गई. बैंकों ने राज्य में ईंट सीमेन्ट से बनी शाखाओं, कारोबार प्रतिनिधियों की नियुक्ति और कियोस्क प्रकार के मॉडल के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतू आबंटित गांवों की व्याप्ति 100 प्रतिशत रही.

7.3 आधार - भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लिए रजिस्ट्रार (यूआईडीएआई)

बैंक आधार (भारतीय निवासियों के लिए 12 अंकों का विशिष्ट पहचान क्रमांक) के अंतर्गत पंजीयन करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का पंजीयन करने के लिए रजिस्ट्रार बन गया है.

बैंक ने पुणे, मुंबई व ठाणे में प्रायोगिक तौर पर बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को

- 6.3 The Bank has established Seven Mahabank Self Employment Training Institutes (MSETI) for providing training to rural youth and women to enable them to acquire skills for self-employment through small business enterprises. The Institutes are located at Pune, Nagpur, Aurangabad, Amravati Jalna, Thane and Nasik. These Institutes have so far imparted training to 7117 educated unemployed youths with settlement rate of 70 per cent.
- 6.4 Gramin Mahila Va Balak Vikas Mandal (GMVBVM), an NGO formed by Bank of Maharashtra and National Institute of Bank Management is actively involved in formation, nurturing, training and ensuring credit linkage of SHGs. The GMVBVM also helps SHGs in marketing their products through outlets established in Pune City under the name "SAVITRI". The GMVBVM guides and actively helps SHGs for selection and purchase of raw materials as well as qualitative improvement in their products.
- 6.5 The Bank has opened FLCC centers in Six Lead Districts namely Pune, Nasik, Aurangabad, Satara, Jalna & Thane for creating awareness about banking schemes.
- 6.6 Bank has helped various NGOs during the year extending financial support to acquire necessary inputs for carrying out their activities. These include the following:
 - i. Fixing of artificial limbs to the needy patients.
 - ii. Diesel Generator set for the school meant for physically challenged children.
 - Building / classroom / Kindergarten equipments for the needy, mentally retarded and cerebral palsy children, cancer patients and Old age home.
 - iv. Conducting cancer detection camps in slums for the needy.

7. LEAD BANK SCHEME

7.1 Lead Bank Scheme

The Bank has Lead Bank responsibility in six districts of Maharashtra State viz. Aurangabad, Jalna, Nasik, Pune, Satara & Thane. Every year district credit plans for the districts are prepared and implemented with cooperation of other banks. Performance of our bank during the year in respect of our lead districts was 144 per cent of the targets for disbursement of advances in 2011-12.

7.2 State Level Bankers' Committee

The Bank is the Convener of State Level bankers' Committee (SLBC) for the State of Maharashtra. Quarterly meetings are held regularly to oversee the implementation of State Annual Credit Plans, Priority Sector lending, financial inclusion and Government Sponsored Schemes in the State. In addition to four quarterly meetings, one State Level Review Meet (SLRM) was conducted during 2011-12 for review of progress under Government Sponsored Schemes. The focus was on lending for crops for which two special SLBC meetings were convened chaired by the Chief Minister of Maharashtra and the Governor, Reserve Bank of India one each. The Chairman, SLBC took two exclusive meetings of Lead District Managers to boost up lending during Kharif season. As a result, banks in Maharashtra achieved 90 per cent of crop loan targets with 46 per cent year-on-year rise.

As SLBC Convener, state specific financial inclusion Plan (Swabhiman) was drawn for 4,292 unbanked villages (having population over 2000) in the state of Maharashtra for extending banking services. The banks in the state achieved 100 per cent coverage of the allotted villages for providing banking services through brick & mortar branches, appointment of business correspondents and kiosks type models.

7.3 Registrar for Aadhaar (UIDAI)

The Bank is Registrar for enrolment of Aadhaar (A 12 digit unique identification number to residents of India) for the Unique Identification Authority of India (UIDAI).

Bank has completed the enrollment process on pilot basis at Pune, Mumbai and Thane for issuance of unique identification number विशिष्ट पहचान क्रमांक जारी करने के लिए प्रक्रिया पूर्ण की तथा 56,781 निवासियों का सफलतापूर्वक पंजीयन किया.

आधार सक्षम बैंक खाते (एईबीए) खोलने के लिए बैंक खातों को आधार क्रमांक से संलग्न करने की कार्यक्षमता बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई है. इससे खाताधारक सरकारी निधि/लाभ अपने खाते में सीधे प्राप्त कर सकेंगे.

7.4 वित्तीय समावेशन योजना - स्वाभिमान

स्वाभिमान भारत सरकार द्वारा की गई एक उल्लेखनीय पहल है. स्वाभिमान अभियान बैंक खाता खोलने को सुगम बनाता है, आवश्यकता आधारित ऋण सुविधाएं, धन प्रेषण सुविधाएं उपलब्ध करता है और कारोबार प्रतिनिधि/ग्राहक सेवा प्रतिनिधि मॉडल के माध्यम से शाखा रहित मॉडल सहित तकनीक और विभिन्न मॉडलों का उपयोग कर ग्रामीण भारत में वित्तीय साक्षरता लाने में सहायता करता है.

बैंकिंग सुविधा से वंचित हमारे बैंक को आबंटित सभी गांवों में शाखा रहित बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करने हेतु आईटी सक्षम वित्तीय समावेशन योजना लागू कर रहा है. 31.03.2012 को बैंक ने 1133 ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों के माध्यम से 1215 गांवों में स्वाभिमान सेवा उपलब्ध कराई तथा 1,16,779 ग्राहकों का नो फ्रील खाते खोलने के लिए पंजीयन किया. 2011-12 के दौरान बैंक ने "महाबैंक ग्राम सेवा केंद्र" (एमजीएसके) नामक 102 किओस्क मॉडल शाखाएं खोली है जिसके द्वारा इंटरनेट बैंकिंग के उपयोग से ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई है.

बैंक ने अति सूक्ष्म शाखाएं (यूएसबी) स्थापित करने के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का भी कार्यान्वयन किया है और 102 महा ग्राम सेवा केन्द्रों के अतिरिक्त लैपटॉप सहित 5 यूएसबी स्थापित किए हैं. एमजीएसके/यूएसबी के अंतर्गत बैंक कर्मचारी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सप्ताह में कम से कम एक बार पूर्व निर्धारित दिन और समय पर गांवों को भेंट देते हैं.

8. सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं

8.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य निष्पादन

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जिसका प्रायोजन हमारे बैंक ने किया है और जिसका मुख्यालय नांदेइ, महाराष्ट्र राज्य में है. बैंक की कुल शाखाएं 31.03.2012 को परिचालन के क्षेत्रों में 339 थीं जो महाराष्ट्र राज्य के 33 जिलों में से 16 जिलों में स्थित थीं.

वर्ष 2011-2012 के दौरान भारत सरकार की नीति के अनुरूप महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक को सभी हितधारकों यथा भारत सरकार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और महाराष्ट्र सरकार से उनके शेयरधारण अनुपात 50:35:15 के अनुपात में पूंजी से जोखिम आस्ति अनुपात में सुधार करने हेतु पुनर्पूजीकरण समर्थन के लिए ₹ 45.34 करोड़ प्राप्त हुए.

वर्ष 2011-12 के दौरान महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का प्रधान कार्यालय और छह क्षेत्रीय कार्यालय सीबीएस के अंतर्गत लाए गए. इस प्रकार सभी 339 शाखाएं और नियंत्रक कार्यालय अब सीबीएस के अंतर्गत है.

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी 355 आबंटित गांव आईसीटी आधारित मॉडेल के अंतर्गत व्याप्त है.

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने 15 नवंबर 2011 से इसकी सभी शाखाओं हेतु जन सामान्य के लिए एनईएफटी सुविधा प्रारंभ कर दी है.

वर्ष 2010-11 के दौरान स्व सहायता समूहों बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की श्रेणी में श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन हेतु नाबार्ड, पुणे के महाराष्ट्र क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक तथा सी-एज टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड ने भी वर्ष 2012 हेतु श्रेष्ठ एएसपी कार्यक्रम के लिए एशियन बैंकर पुरस्कार प्राप्त किया.

8.2 दि महाराष्ट्र एक्ज़िक्यूटर एण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको)

बैंकिंग की सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1946 में बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में यह कंपनी स्थापित की गई. ये सेवाएं हैं :

- वसीयतों का मसौदा तैयार करना और निष्पादन करना
- निजी न्यासों का प्रबंधन
- सार्वजनिक धर्मादा न्यासों का प्रबंधन
- एटर्नी के रूप में निवेशों एवं आवास संपत्तियों का प्रबंधन

(Aadhaar) for its staff and customers and successfully enrolled 56,781 residents.

The functionality of linking of Aadhaar number to bank account number is also made available by our Bank to open Aadhaar Enabled Bank Accounts (AEBA). This will enable the account holder to receive Government funds / benefits directly in his bank account.

7.4 Financial Inclusion plan – Swabhiman

Swabhiman is path-breaking initiative by Govt of India. The Swabhiman movement facilitates opening of bank accounts, provide need based credit, remittance facilities and help to promote financial literacy in rural India using various models and technologies including branchless models through Business Correspondents (BC)/ Customer Service Providers (CSPs).

Bank has been implementing IT enabled financial inclusion for providing branchless banking in all the unbanked villages allotted to our Bank. As on 31.03.2012, Bank has covered 1215 villages under Swabhiman through 1133 Customer Service Providers (CSPs) and enrolled 1,61,779 customers for opening of no-frill accounts. During 2011-12, Bank has opened 102 Kiosk model branches called "Mahabank Gram Seva Kendras" (MGSKs) through which Bank provides banking services to villagers using internet banking route.

Bank has also implemented Government of India guidelines regarding setting up of Ultra Small Branches (USBs) and set up 5 USBs with laptops besides 102 MGSKs. Under MGSK / USB, Bank official visits the village at least once in a week on pre-specified day and time to provide banking services.

8. SUBSIDIARIES/JOINT VENTURES AND SPONSORED INSTITUTIONS

8.1 Performance of Regional Rural Bank

Maharashtra Gramin Bank (MGB) is a Regional Rural Bank sponsored by our Bank having its Head Office at Nanded, Maharashtra. Total no of branches as on 31.3.2012 stood at 339 in its area of operation covering 16 out of 33 districts of Maharashtra State.

During the year 2011-12, as per GOI policy, MGB has received recapitalization support of ₹ 45.34 crore for improving Capital to Risk Asset Ratio (CRAR) from all stake holder in the proportion of their share holding of 50:35:15 i.e. Government of India, Bank of Maharashtra and Government of Maharashtra respectively.

During the year 2011-12, six Regional Offices & Head Office of MGB were brought under CBS. Thus all 339 branches & controlling offices are now under CBS.

Under Financial Inclusion programme, all 355 allotted villages are covered under ICT based model.

MGB has launched the NEFT functionality for general public for all its branches from 15th November 2011.

MGB has been awarded first prize by Maharashtra Regional Office of NABARD, Pune for the best performance in the category of Regional Rural Banks under SHG Bank Linkage Programme during the year 2010-11.

Maharashtra Gramin Bank and C-Edge Technologies Ltd. have also received award from the Asian Banker for best ASP programme for 2012.

8.2 The Maharashtra Executor & Trustee Company Pvt. Ltd. (METCO)

The Maharashtra Executor & Trustee Co, Pvt. Ltd (METCO) was established in 1946 with an aim to provide services auxiliary to banking such as

- Drafting & Execution of will
- Management of private trusts
- Management of public charitable trusts
- Management of investments & house properties as attorney

- अवयस्क की संपत्ति की संरक्षकता
- संपत्ति की खरीदी / बिक्री के लिए परामर्श देना
- व्यक्तियों के लिए आय-कर विवरणी दाखिल करना

कंपनी की पुणे, मुंबई, ठाणे और नागपुर में अपनी इकाईयां हैं.

वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनी के ग्राहक आधार में 21 नए न्यास जुड़े, परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा प्रबंधित निजी और सार्वजनिक न्यासों की संख्या 1023 हो गई. वर्ष के दौरान जुड़ी नई वसीयतों की संख्या 23 रही, इस प्रकार कंपनी की अभिरक्षा और निष्पादन में वसीयतों की कुल संख्या 1086 हो गई है.

कंपनी द्वारा वर्तमान में 120 चल एवं अचल दोनों संपत्तियों का प्रबंधन मुख्तारनामे के अंतर्गत किया जा रहा है. विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत कंपनी ने 147 पालिसियों के संबंध में न्यासी का कार्य करती है और 10 मामलों में न्यायालय ने अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक कंपनी को बनाया है.

9. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में विभिन्न उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त कीं.

- भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई को श्रेष्ठ हिंदी कार्यान्वयन हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया. हमारा बैंक इस समिति का संयोजक है.
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जबलपुर द्वारा राजभाषा के बेहतर कार्य निष्पादन हेतु हमारे जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बेलगाम द्वारा राजभाषा के बेहतर कार्यनिष्पादन हेतु हमारी बेलगाम शहर शाखा को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया.
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बंगलुरू द्वारा राजभाषा के बेहतर कार्यानष्पादन हेतु हमारे बंगलुरू क्षेत्रीय कार्यालय को प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
- राजभाषा के ऑनलाईन तिमाही हिन्दी विवरण की प्रस्तुति का मोड्यूल बैंक ने विकसित किया है. हमारा बैंक राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के संबंध में अपनी संपूर्ण शाखाओं, कार्यालयों व प्रधान के कार्यालय के विभागों में ऑनलाईन तिमाही रिपोर्टिंग प्रणाली लागू करने वाला देश का प्रथम व इक्लौता राष्ट्रीयकृत बैंक है.
- संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने दिनांक 24 जनवरी, 2012 को बैंक के प्रधान कार्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण किया. समिति के माननीय सदस्यों ने बैंक द्वारा राजभाषा के बेहतर उपयोग / सरकार के निदेशों के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया.

बैंक पुणे, मुंबई व सोलापुर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का संयोजक है. इन समितियों की द्विवर्षीय बैठकें निर्धारित अवधि में संपन्न हुई. बैंक महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंकर समिति, राजभाषा का भी संयोजक है. इस वर्ष के लिए समिति की वार्षिक बैठक निर्धारित अवधि में संपन्न हुई.

10. निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन

निदेशक पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खाते तैयार करते समय :

- यदि कोई महत्वपूर्ण विचलन हुआ है तो उसका उचित स्पष्टीकरण देने के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लागू लेखा मानकों का पालन किया गया.
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा नीतियां तैयार की गई और उनको सतत आधार पर लागू किया गया. यदि कोई परिवर्तन किए गए तो उनका उचित प्रकटन किया गया है.
- वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्यकलापों और लाभ की सही और सत्य स्थिति दर्शाने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लिए गए और अनुमान लगाए गए.
- भारत में बैंकों को शासित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई; और
- सतत आधार पर लेखे तैयार किए गए.

- Guardianship of minor's property
- Consultation for sale/purchase of property
- Filing of I-Tax Returns for individuals

The Company has its units at Pune, Mumbai, Thane and Nagpur.

During 2011-12, new assignments for Management of Trusts received were 21, bringing the total number of Public & Private Trusts under management to 1023. New Wills added during the year were 23 bringing the total number of Wills in custody and execution to 1086.

The Company manages properties both movable and immovable of 120 clients under the Power of Attorney. The Company also acts as the Trustees in respect of 147 policies under Married Women's Property Act and acts as Court appointed Guardian of minor's property in 10 cases.

9. IMPLEMENTION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

During the year 2011-12, the Bank has made various remarkable achievements in the field of Official Language implementation.

- TOLIC, Mumbai was awarded 1st Prize for better use of Hindi for the year 2010-11 by Govt of India, Ministry of Home Affairs, Rajbhasha Vibhag. Our Bank is the Convener of the committee.
- Our Regional Office, Jabalpur was awarded 3rd Prize for better use of Hindi by the TOLIC, Jabalpur.
- Our Belgaum branch, was awarded Consolation Prize for better use of Hindi by the TOLIC, Belgaum.
- Our Regional Office, Bengaluru was awarded Consolation Prize for better use of Hindi by the TOLIC, Bengaluru.
- Bank has developed on-line submission module of Rajbhasha Quarterly Statement. Our Bank is the pioneer among the nationalized banks in this initiative.
- Committee of Parliament on Official Language (Third Sub Committee) inspected performance in the use of Rajbhasha at Head Office of the Bank on 24th January 2012. The Honourable members expressed their satisfaction over the initiatives taken by the Bank for better use of Rajbhasha / implementation of Government directives.

The Bank is the convener for Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) in Pune, Mumbai and Solapur. Bi-annual meetings of these committees were held as per schedule. The Bank is also a Convener of State Level Bankers' Committee (Rajbhasha). Annual meeting of the committee for the year was held as per schedule.

10. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended 31.03.2012:

- The applicable accounting standards of the Institute of Chartered Accountants of India, have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, are consistently applied and proper disclosures are made for changes, if any;
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and the profit of the Bank for the year.
- Proper and sufficient care was taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

11. निदेशक मंडल में परिवर्तन

वर्ष 2011-12 के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुएः

श्री सुनिल एच. कोचेटा दिनांक 09.07.2011 से निदेशक पद पर नहीं रहे.

डॉ. नरेश कुमार दराल को दिनांक 05.05.2011 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

श्री रमेश चंद्र अग्रवाल को दिनांक 05.08.2011 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

डॉ. सुनिल यू. देशपांडे को दिनांक 19.12.2011 को अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया.

श्री ए. एस. भट्टाचार्य, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, दिनांक ३१ जनवरी, २०१२ को सेवानिवृत्त हुए.

श्री नरेन्द्र सिंह को दिनांक 01.02.2012 से बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

श्री एम. जी. संघवी को सिंडिकेट बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके कारण वे दिनांक 01.03.2012 से बैंक के कार्यपालक निदेशक पद पर नहीं रहे.

श्री सी. वीआर. राजेंद्रन को दिनांक 01.03.2012 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

निदेशक मंडल निर्गामी निदेशकों द्वारा दिए गए मूल्यवान सहयोग की सराहना करता है.

12. आभार

बैंक के सर्वांगीण विकास हेतु भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय बैंक संघ तथा स्टॉक एक्सचेंजों से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए तथा ग्राहकों व शेयर धारकों द्वारा दिए गए प्रश्रय, प्रतिनिधियों और सहयोगियों द्वारा दिए गए सहयोग और "महाबैंक परिवार" के सभी बैंक कर्मचारियों की समर्पित प्रतिबध्दता और योगदान के प्रति निदेशक मंडल कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है.

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

11. CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS

During the year 2011-12, the following changes took place in the Board of Directors:

Shri Sunil H. Kocheta ceased to be the Director w.e.f. 9th July 2011.

Dr Naresh Kumar Drall was appointed as Director w.e.f. 5th May 2011.

Shri Ramesh Chandra Agrawal was appointed as Director w.e.f. 5th August 2011.

Dr. Sunil U. Deshpande was reappointed as Officer Employee Director on 19th December 2011.

Shri A.S. Bhattacharya, Chairman & Managing Director, demitted office on 31st January 2012 on reaching superannuation.

Shri Narendra Singh was appointed as Chairman & Managing Director w.e.f. 01.02.2012.

Shri M.G. Sanghvi ceased to be Executive Director w.e.f. 01.03.2012 with his appointment as Chairman & Managing Director of Syndicate Bank.

Shri C. VR. Rajendran was appointed as Executive Director w.e.f. 01.03.2012.

The Board of Directors place on record their sincere appreciation for the valuable contribution made by the outgoing Directors.

12. ACKNOWLEDGMENTS:

The Board of Directors wishes to express sincere thanks to the Government of India, the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Indian Banks' Association and Stock Exchanges for their valuable advice and support; to the customers and shareholders for their patronage; to the correspondents and associates for their co-operation and to all the members of staff of "Mahabank Family" for their unstinted commitment and contribution to the overall development of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

पुणे 16 मई, 2012

(नरेन्द्र सिंह) अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Pune May 16, 2012

(Narendra Singh) Chairman and Managing Director

वर्ष 2011-12 लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

कार्पोरेट गवर्नेन्स पर बैंक का दर्शनः

बैंक ऑफ महाराष्ट्र कार्पोरेट गवर्नेन्स की संकल्पना व महत्व को मान्यता देता है और न केवल संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन करता है, अपितु स्वैचिछक रूप से सुदृढ़ कार्पोरेट गवर्नेन्स प्रथाओं को तैयार कर उनका पालन भी करता है. शेयरधारकों, प्राहकों, सरकार और समग्र रूप से समाज सहित सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए बैंक हमेशा भरपूर प्रयास करता है. कार्पोरेट गवर्नेन्स पर बैंक का दर्शन है कि सभी स्तरों पर पारदर्शिता, जिम्मेदारी और न्यायसंगतता के उत्कृष्ट मानकों को स्थापित करना और व्यवसायिकता, सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिसाद, ठोस व्यापारिक प्रथाएं और परिचालनगत कुशलता द्वारा गुणवत्ता को अधिकतम बनाना सुनिश्चित करना. उक्त कार्य शेयरधारकों के धन को अधिकतम करने और हितधारकों के हितों की रक्षा करने हेतु बैंक को कारोबार के उच्च मानक बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं.

2. निदेशक मंडल

- 2.1 निदेशक मंडल का संमिश्र बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के अनुसार शासित होता है.
- 2.2 बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 7(2) की शतौं के अनुसार बैंक के कारोबार के सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन और प्रबंधन का अधिकार निदेशक मंडल के पास होता है. निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व में शामिल है नीतियां तैयार करना, नई पहल करना, कार्य निष्पादन की समीक्षा करना और बैंक द्वारा किए गए विनियामक व संविधिक अनुपालन का पर्यवेक्षण करना, बैंक के विभिन्न प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रत्यायोजन करना और बैंक के विभिन्न कार्यमूलक प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों के बाहर दी गई वित्तीय मंजूरियों का अनुमोदन कर समग्र पर्यवेक्षण करना.

31 मार्च 2012 को बैंक के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार थीः

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2011-12

1. Bank's philosophy on Corporate Governance:

Bank of Maharashtra recognizes the principles and importance of Corporate Governance and has been complying with not only the statutory requirements, but also has voluntarily formulated and adhered to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank has always strived hard to best serve the interest of all its stakeholders including shareholders, customers, Government and society at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to bestow high standard of transparency, fairness and accountability for performance at all levels and to ensure and achieve excellence through professionalism, social responsiveness, sound business practices and optimum efficiency. This in turn enables the Bank to maintain a high level of business ethics to maximize the shareholders' value and to protect their interest.

2. Board of Directors:

- 2.1. The composition of the Board is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.
- 2.2 In terms of section 7(2) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, the general superintendence, direction and management of the business of the Bank vest with the Board of Directors. The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review, supervision over Regulatory and Statutory compliances by the Bank, delegating financial powers to various functionaries and exercising overall supervision, according financial sanctions beyond the powers delegated to various functional authorities of the Bank.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2012 is as under:

अ.क्र. Sr. No.	नाम Name	श्रेणी Position held	31.03.2012 को धारित बैंक शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2012	बैंक की उप- समितियों की सदस्यता No.of membership in Sub Committees of the Bank	अन्य कंपनियों अर्थात बैंक से अतिरिक्त में निदेशक पदों की संख्या No. of Director- ship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के निदेशक मंडलों की उप-समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता No.of Membership/ Chairman ship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	अभियुक्तियां (बैंक में/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का खरूप) Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
1	श्री नरेंद्र सिंह Shri Narendra Singh	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	शून्य Nil	6	शून्य Nil	शून्य Nil	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.02.2012 से बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त. Appointed as the Chairman and Managing Director of the Bank w.e.f. 01.02.2012 by the Central Government
2	श्री सी.वीआर. राजेंद्रन Shri C.VR. Rajendran	कार्यपालक निदेशक Executive Director	शून्य Nil	9	1	शून्य Nil	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.03.2012 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त. आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. के बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं. Appointed as the Executive Director w.e.f. 01.03.2012 by the Central Government He is also the Chairman of the Board of The Maharashtra Executor and Trustee Company Pvt. Ltd.
3	श्री वी. पी. भारद्वाज Shri V. P. Bhardwaj	गैर- कार्यपालक निदेशक भारत सरकार के प्रतिनिधि Director (Non Executive) Government of India Nominee	शून्य Nil	5	शून्य Nil	शून्य Nil	केन्द्र सरकार द्वारा 10.06.2008 से अगले आदेशों तक निदेशक के रूप में नामित. Nominated as a Director w.e.f. 10.06.2008 by the Central Government

अ.क्र. Sr. No.	नाम Name	श्रेणी Position held	31.03.2012 को धारित बैंक शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2012	बैंक की उप- समितियों की सदस्यता No.of membership in Sub Committees of the Bank	अन्य कंपनियों अर्थात बैंक से अतिरिक्त में निदेशक पदों की संख्या No. of Director- ship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के निदेशक मंडलों की उप-समितियों की सवस्यता/अध्यक्षता No.of Membership/ Chairman ship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	अभियुक्तियां (बैंक में/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
4	सुश्री कमला राजन Ms. Kamala Rajan	निदेशक (गैर कार्यपालक) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित Director (Non Executive) RBI Nominee	शून्य Nil	4शून्य 4	शून्य Nil	शून्य Nil	केन्द्र सरकार द्वारा 30.07.2010 से निदेशक के रूप में नामित. Nominated as a Director w.e.f. 30.07.2010 by the Central Government
5	श्री आनन्द कमलनयन पंडित Shri Anand K. Pandit	निदेशक (गैर कार्यपालक) शेयरधारक निदेशक Director (Non Executive) Shareholder Director	1400	3	9	शून्य Nil	दिनांक 01.02.2011 से केन्द्र सरकार से भिन्न बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित Re-elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government, w.e.f. 01.02.2011
6	डॉ. दिनेश शांतिलाल पटेल Dr. Dinesh S. Patel	निदेशक (गैर कार्यपालक) शेयरधारक निदेशक Director (Non Executive) Shareholder Director	100	3	6	शून्य Nil	दिनांक 01.02.2011 से केन्द्र सरकार से भिन्न बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित Re-elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government, w.e.f. 01.02.2011
7	श्री शिरीष डी. धनक Shri Shirish D. Dhanak	निदेशक (गैर कार्यपालक) कर्मकार कर्मचारी प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Workmen employees	200	2	शून्य Nil	शून्य Nil	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 21.07.2010 से कर्मकार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त. Appointed as a Workmen Employee Director w.e.f. 21.07.2010 by the Central Government
8	डॉ. नरेश कुमार दराल Dr. Naresh Kumar Drall	निदेशक (गैर कार्यपालक) Director (Non Executive)	शून्य Nil	3	शून्य Nil	शून्य Nil	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 05.05.2011 से निदेशक के रूप में नियुक्त. Nominated as a Director w.e.f. 05.05.2011 by the Central Government
9	श्री रमेश चंद्र अग्रवाल Shri Ramesh Chandra Agrawal	निदेशक (गैर कार्यपालक) Director (Non Executive)	शून्य Nil	3	शून्य Nil	शून्य Nil	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 05.08.2011 से निदेशक के रूप में नियुक्त. Nominated as a Director w.e.f. 05.08.2011 by the Central Government
10	डॉ. एस. यू. देशपांडे Dr. Sunil U. Deshpande	निदेशक (गैर कार्यपालक) अधिकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Officer employees	200	3	शून्य Nil	शून्य Nil	केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 19.12.2011 से बैंक के अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में पुनः नामित. Re-nominated as Officer Employee Director w.e.f. 19.12.2011 by the Central Government.

2.3 वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/अवसान

श्री सुनील एच. कोचेटा को बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 / 1980 की धारा 9(3) (जी) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2008 से बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तथा वे दिनांक 09 जुलाई 2011 को उनकी नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर निदेशक के पद से मुक्त हुए.

डॉ. नरेश कुमार ड्राल को बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 / 1980 की धारा 9(3) (एच) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 05 मई 2011 को अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक नियुक्त किया गया.

श्री रमेश चंद्र अग्रवाल को बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 / 1980 की धारा 9(3) (एच) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 05 अगस्त 2011 को अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक नियुक्त किया गया.

2.3 Appointment / Cessation of Directors during the year (2011-12):

Shri Sunil H. Kocheta, nominated as Director for a period of three years on 10th July 2008 by the Central Government under section 9 (3) (g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, ceased to be a Director on 9th July 2011 on the expiry of his term of appointment.

Dr. Naresh Kumar Drall was appointed by the Central Government as Director on 5th May 2011 under section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification or until further orders, whichever is the earlier.

Shri Ramesh Chandra Agrawal was appointed by the Central Government as Director on 5th August 2011 under section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification or until further orders, whichever is the earlier.

डॉ. सुनील यू. देशपांडे को बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 / 1980 की धारा 9(3) (एफ) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 19 दिसंबर 2011 को अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि या बैंक के अधिकारी न रहने तक या अगले आदेशों तक, लंबित एसएलपी/रिट याचिका/सिविल वाद में अंतिम आदेश के अधीन जो भी पहले हो, अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में पुनःनामित किया गया.

श्री नरेंद्र सिंह को श्री ए.एस. भट्टाचार्य के स्थान पर, जो 31.01.2012 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा 01.02.2012 से 30.09.2013 तक की अवधि अर्थात उनके अधिवर्षिता के दिनांक तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

श्री सी.वीआर. राजेंद्रन को श्री एम.जी. संघवी के स्थान पर, जो दिनांक 01.03.2012 से सिंडिकेट बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.03.2012 से 30.04.2015 तक की अवधि अर्थात उनके अधिवर्षिता के दिनांक तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

2.4 वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान नियुक्त निदेशकों की प्रोफाइल

2.4.1 डॉ. नरेश कुमार दराल

नाम	डॉ. नरेश कुमार दराल
पता	बी-2 (एलजीएफ) धवन दीप बिल्डिंग, 6, जंतर-मंतर रोड, नई दिल्ली 110026
जन्म दिनांक	10.01.1962
आयु	50 বর্ষ
शैक्षणिक योग्यता	एम.ए. (समाजशास्त्र), पी.एचडी. (समाजशास्त्र), एलएल.बी, पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति	बैंकिंग कंपनीज़ (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(एच) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा 05.05.2011 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो निदेशक के रूप में नियुक्त.
अनुभव	निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली परिमंडल (दिनांक 10.11.2009 से दिनांक 22.11.2010 तक), अध्यक्ष, नियंत्रक निकाय भारती कॉलेज, दिल्ली (दिनांक 20.05.2006 से नवंबर 2007) और सदस्य, केंद्रीय सलाहकार समिति एनसीसी (रक्षा मंत्रालय) (जुलाई 2006 से जुलाई 2009 तक)
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक या समिति पद	शून्य

2.4.2 श्री रमेश चंद्र अग्रवाल

नाम	श्री रमेश चंद्र अग्रवाल
पता	एस-203, प्रयाग कुंज, अंसल हाउसिंग स्कीम, 3 स्ट्राची रोड, सिविल लाइन, इलाहाबाद 211 001
जन्म दिनांक	12.07.1954
आयु	57 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	बी.कॉम. सी.ए.
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति	बैंकिंग कंपनीज़ (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(एच) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा 05.08.2011 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो निदेशक के रूप में नियुक्त.

Dr. Sunil U. Deshpande, was renominated by the Central Government as Officer Employee Director on 19th December 2011 under section 9 (3) (f) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification or until he ceases to be an officer of the Bank or until further orders, whichever is the earliest subject to the final order in the pending SLP/ writ Petition / Civil Suit.

Shri Narendra Singh was appointed by the Central Government as Chairman and Managing Director with effect from 01.02.2012, under sec 9(3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period upto 30.09.2013 i.e. the date of his attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier, in place of Shri A. S. Bhattacharya, who superannuated on 31st January 2012.

Shri C. VR. Rajendran was appointed by the Central Government as Executive Director with effect from 01.03.2012, under sec 9(3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period upto 30.04.2015 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier, in place of Shri M. G. Sanghvi, who was appointed as Chairman & Managing Director of Syndicate Bank w.e.f. 01.03.2012.

2.4 Profile of Directors appointed during the Financial year 2011-12

2.4.1 Dr. Naresh Kumar Drall

Name	Dr. Naresh Kumar Drall
Address	B-2 (LGF), Dhawan Deep Building, 6, Jantar Mantar Road, New Delhi : 110026
Date of Birth	10.01.1962
Age	50 years
Qualification	M.A. (Sociology), Ph.D (Sociology) LL.B., Post Graduate Diploma in Journalism
Nature of appointment as Director	Appointed as a Director w.e.f. 05.05.2011 by the Central Government u/s 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.
Experience	Director, State Bank of India, Delhi Circle (from 10.11.2009 to 22.11.2010), Chairman, Governing body of Bharti College, Delhi (from 20.05.2006 to November 2007) and Member, Central Advisory Committee for NCC (Ministry of Defence) (from July 2006 to July 2009)
Directorship or Committee Positions held in other Companies	Nil

2.4.2 Shri Ramesh Chandra Agrawal

Name	Ramesh Chandra Agrawal
Address	S-203, Prayag Kunj, Ansal Housing Scheme, 3 Strachey Road, Civil Lines, Allahabad 211 001
Date of Birth	12.07.1954
Age	57 years
Qualification	B.Com, C.A.
Nature of appointment as Director	Nominated as a Director w.e.f. 05.08.2011 by the Central Government u/s 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

अनुभव	29 वर्षों से भी अधिक समय से सनदी लेखाकार के व्यवसाय में संलग्न. 3 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में, कॉर्पोरेट और नॉन-कॉर्पोरेट इकाईयों, म्युचुअल फंड्स, राष्ट्रीय स्तर के पीएसयू की लेखापरीक्षा के साथ ही कराधान, वित्तीय प्रबंधन में परामर्श इत्यादि का अनुभव
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक या समिति पद	शून्य

2.4.3 डॉ. सुनील यू. देशपांडे

नाम	डॉ. सुनील यू. देशपांडे
	51. Y. IICI Y. 441415
पता	3, नक्षत्र अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 22, श्री राम को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसाईटी, वारजे, पुणे 411 052
जन्म दिनांक	05.11.1960
आयु	51 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	एम.वी.एससी, सीएआईआईबी
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 / 1980 की धारा 9(3) (एफ) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 19.12.2011 को अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारी न रहने तक या अगले आदेशों तक, लंबित एसएलपी/रिट याचिका/सिविल वाद में अंतिम आदेश के अधीन जो भी पहले हो, अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में पुनः नामित.
अनुभव	बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 27 वर्ष
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक या समिति पद	शून्य

2.4.4 श्री नरेंद्र सिंह

नाम	श्री नरेंद्र सिंह
पता	बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय,"लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे ४११००५
जन्म दिनांक	11.09.1953
आयु	58 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	बी.एस.सी.(आनर्स), एल.एल.बी.(आनर्स), एल.एल.एम
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 / 1980 की धारा 9(3)(ए) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा 01.02.2012 से 30.09.2013 तक की अवधि अर्थात उनके अधिवर्षिता के दिनांक तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त.
अनुभव	श्री नरेंद्र सिंह ने इलाहाबाद बैंक के साथ अपना व्यावसायिक कैरियर आरंभ किया और कार्पोरेशन बैंक में दिनांक 07.12.2009 को कार्यपालक निदेशक बनने से पूर्व इलाहाबाद बैंक में महाप्रबंधक के पद पर प्रतिष्ठित हुए. इलाहाबाद बैंक में म्री सिंह के विपुल बैंकिंग अनुभव में क्षेत्र एवं प्रशासनिक अनुभव शामिल हैं जिसमें प्रतिष्ठित अंचल जैसे ग्रेटर मुंबई, नई दिल्ली और कोलकाता समाहित हैं. इलाहाबाद बैंक में आईपीओ संचलन, वोल्टास का कार्यान्वयन और विभिन्न लेखा मानकों तथा सूचना प्रौद्योगीकी में बदलाव लाने में

Experience	Engaged in the Chartered Accountancy profession for more than 29 years. Experience as Statutory Central Auditor of 3 public sector banks, audit of corporate and non-corporate entities, mutual funds, PSUs of national level as well as taxation, consultancy of financial management etc.
Directorship or Com- mittee Positions held in other Companies	Nil

2.4.3 Dr. Sunil U. Deshpande

Name	Dr. Sunil U. Deshpande
Address	3, Nakshatra Apartment, Plot no. 22, Shri Ram Coop. Housing Society, Warje, Pune 411052
Date of Birth	05.11.1960
Age	51 years
Qualification	M.V.Sc., C.A.I.I.B.
Nature of appointment as Director	Renominated as Officer Employee Director w.e.f. 19.12.2011 by the Central Government u/s 9 (3) (f) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years or until he ceases to be an officer of the Bank of Maharashtra or until further orders, whichever is earliest subject to the final order in the pending SLP/writ Petition/Civil Suit.
Experience	27 years in Bank of Maharashtra
Directorship or Committee Positions held in other Companies	Nil

2.4.4 Shri Narendra Singh

Name	Narendra Singh
Address	Bank of Maharashtra H.O., 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005
Date of Birth	11.09.1953
Age	58 years
Qualification	B.Sc. (Hons), LL.B. (Hons), LL.M.
Nature of appointment as Director	Appointed as the Chairman and Managing Director of the Bank w.e.f. 01.02.2012 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 to hold the post till 30.09.2013 i.e. his date of superannuation or until further orders, whichever is earlier
Experience	Mr. Singh started his professional career with Allahabad Bank as an officer and rose to the position of General Manager before becoming Executive Director in Corporation Bank on 07.12.2009. Mr. Singh's rich banking experience includes field and administrative exposure as head of prestigious Zones like Greater Mumbai, New Delhi and Kolkata in Allahabad Bank. He had a distinction to his credit in handling IPO, Implementation of OLTAS and various Accounting Standards and transformation of IT in Allahabad Bank. During his tenure as Executive Director in Corporation Bank, he handled various

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	आपकी विशेष दक्षता रही है. कार्पोरेशन बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आपने विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे विभिन्न अंवलों की निगरानी, कॉर्पोरेट संप्रेषण और प्रचार, निवेशक सेवाएं, आर्थिक अन्वेषण, निगमित आयोजना, प्राथमिकता क्षेत्र उधारी, क्षेत्रीय प्रमीण बैंक, आर्थिक विकास प्रतिष्ठान, बैंकएश्युरेंस, वसूली, विधि मामले, शाखा विस्तार व समर्थित सेवाएं, राजभाषा नीति का कार्यान्वयन, वित्तीय समावेशन-शाखारहित बैंकिंग, संसाधन संग्रहण, रिटेल उधारी, क्रेडिट कार्ड, निगमित विषणन, अन्य पक्ष उत्पाद, निगमित ऋण, ऋण नीति और आयोजना, मानव संसाधन, कार्मिक प्रशासन और प्रशिक्षण, वित्तीय प्रबंधन व जोखिम प्रबंधन क्षेत्रों को संभाला. आपके कार्यकाल के दौरान कॉर्पोरेशन बैंक ने एक दर्जन से भी अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए तथा वित्त मंत्रालय एवं विनियामक प्राधिकारियों से प्रशंसा व सराहनाएं प्राप्त की. श्री सिंह ने बैंक प्रबंधन से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे आईआईएम कोलकाता, आईसीएआई, बीटीसी-आरबीआई एवं एनआईबीएम में विभिन्न प्रशिक्षणों और सम्मेलनों में सहभाग लिया. आप सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रानिक बैंकिंग, प्रौधोगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधड़ी पर भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट पर बने उच्च स्तरीय समूह के सदस्य रहे हैं.
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक या समिति पद	शून्य

2.4.5 श्री सी.वीआर.राजेंद्रन

नाम	श्री सी.वीआर.राजेंद्रन			
पता	बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रधान कार्यालय,"लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411005			
जन्म दिनांक	08.04.1955			
आयु	56 वर्ष			
शैक्षणिक योग्यता	एम.काम. , आईसीडब्ल्यूए(इंटर) , सीएआईआईबी			
निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रकृति	बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(ए) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.03.2012 से 30.04.2015 तक की अवधि अर्थात उनके अधिवर्षिता के दिनांक तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.			
अनुभव	उन्होने वर्ष 1978 में कार्पोरेशन बैंक में अपना कैरियर आरंभ किया. वर्ष 1885 से वर्ष 1996 तक विभिन्न प्रामीण,शहरी और महानगरीय शाखाओं में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्य किया. नई दिल्ली और बैंगलोर में औद्योगिक वित्तीय शाखा के प्रमुख रहे. मई 2008 में महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत हुए तथा कॉर्प बैंक प्रतिभूति, मुंबई के प्रबंध निदेशक, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे संविभागों के महाप्रबंधक का दायित्व संभाला. अपने कैरियर के दौरान उन्हे लगातार सम्मान और पुरस्कार प्राप्त होते रहे जैसे अध्यक्ष के क्लब की सदस्यता, सुपर प्रोडक्टिविटी अवार्ड, एसओजीयन अवार्ड और मिलेनियम अवॉर्ड.			
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक या समिति पद	महाराष्ट्र एग्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड			

	critical areas like Monitoring of various zones, Corporate Communication & Publicity, Investor Services, Economic Intelligence, Corporate Planning, Priority Sector Lending, Regional Rural Bank, Economic Development Foundation, Bancassurance, Recovery, Legal Matters, Branch Expansion & Support Service, Official Language Policy Implementation, Financial Inclusion-Branchless Banking, Resource Mobilization, Retail Lending, Credit Card, Corporate Marketing, Third Party Products, Corporate Credit, Credit Policy & Planning, Human Resources, Personal Administration & Training, Financial Management and Risk Management. Corporation Bank, during this tenure, could achieve more than a dozen of prestigious awards, accolades and appreciations from the Ministry of Finance and Regulatory Authorities. Mr. Singh attended several trainings and seminars on critical topics of Bank Management from renowned institutions like IIM-Kolkata, ICAI, BTC-RBI, and NIBM. He was a member of High Level Group on the RBI Report on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds.
Directorship or Committee Positions held in other Companies	Nil

2.4.5 Shri C. VR. Rajendran

Name	C. VR. Rajendran
Address	Bank of Maharashtra, H.O., 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005
Date of Birth	08.04.1955
Age	56 years
Qualification	M.Com, ICWA (Inter), CAIIB
Nature of appointment as Director	Appointed as the Executive Director of the Bank w.e.f. 01.03.2012 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 to hold the post till 30.04.2015 i.e. his date of superannuation or until further orders, whichever is earlier
Experience	He started his career in Corporation Bank in 1978. Worked as Branch Manager in various rural, urban and metro branches from 1985 to 1996. Headed Industrial Finance Branch at New Delhi and Bangalore. Elevated as General Manager in May 2008 and handled portfolios like Managing Director, Corp Bank Securities, Mumbai, General Manager, Investment and International Banking, Information Technology. During his career, he has received repeated recognitions and awards like Chairman's Club memberships, Super Productivity Award, SOGian Award and Millennium Award.
Directorship or Committee Positions held in other Companies	Maharashtra Executor and Trustee Co. Ltd.

2.5 निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें निम्नलिखित दिनांकों पर कुल 16 बार संपन्न हुई जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 12 के अधीन न्यूनतम 6 बैठकें अनुबद्ध हैं.

ſ	19.04.11	30.04.11	20.05.11	20.06.11	25.07.11	27.08.11	19.09.11	11.10.11
Γ	22.10.11	12.11.11	10.12.11	28.12.11	20.01.12	10.02.12	26.03.12	30.03.12

बोर्ड समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपिस्थिति के विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल में संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए.एस. भट्टाचार्य	01.04.2011 से 31.01.2012 तक	13	13
श्री नरेंद्र सिंह	01.02.2012 से 31.03.2012 तक	3	3
श्री एम.जी. संघवी	01.04.2011 से 29.02.2012 तक	14	13
श्री सी.वीआर.राजेंद्रन	01.03.2012 से 31.03.2012 तक	2	2
श्री वी.पी. भारद्वाज	01.04.2011 से 31.03.2012 तक	16	12
सुश्री कमला राजन	01.04.2011 से 31.03.2012 तक	16	14
श्री ए.के. पंडित	01.04.2011 से 31.03.2012 तक	16	14
डॉ. डी.एस. पटेल	01.04.2011 से 31.03.2012 तक	16	14
डॉ. एस.यू. देशपांडे	01.04.2011 से 31.03.2012 तक	16	16
श्री एस.एच. कोचेटा	01.04.2011 से 09.07.2011 तक	4	4
श्री एस.डी. धनक	01.04.2011 से 31.03.2012 तक	16	16
डॉ. एन.के. दराल	05.05.2011 से 31.03.2012 तक	14	14
श्री आर.सी. अग्रवाल	05.08.2011 से 31.03.2012 तक	11	11

2.6 आचार संहिता

निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों अर्थात मुख्य महाप्रबंधक तथा सभी महाप्रबंधकों वाली कोर प्रबंधन टीम हेतु आचार संहिता निदेशक मंडल द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुपालन में अनुमोदित की गई है. उक्त आचारसंहिता बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर रखी गई है. बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है.

3. वार्षिक साधारण सभा :

बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक साधारण सभा सोमवार, दिनांक 27 जून, 2011 को अप्पासाहेब जोग हाल, प्रधान कार्यालय, "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे में संपन्न हुई जिसमें निम्नांकित निदेशक उपस्थित थे :

01	श्री ए.एस. भट्टाचार्य	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
02	श्री एम.जी. संघवी	कार्यपालक निदेशक
03	श्री ए.के.पंडित	शेयर धारक निदेशक
04	श्री डी.एस पटेल	शेयर धारक निदेशक
05	डॉ. एस.यू. देशपांडे	अधिकारी कर्मचारी निदेशक
06	श्री एस.एच. कोचेटा	निदेशक और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष
07	श्री एस.डी. धनक	कर्मकार कर्मचारी निदेशक
08	डॉ. एन.के. दराल	भारत सरकार के नामित निदेशक

4. निदेशक मंडल की समितियां

निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है और विभिन्न कार्यमूलक क्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है.

2.5 Board Meetings:

During the Financial Year 2011-12, 16 meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

19.04.11	30.04.11	20.05.11	20.06.11	25.07.11	27.08.11	19.09.11	11.10.11
22.10.11	12.11.11	10.12.11	28.12.11	20.01.12	10.02.12	26.03.12	30.03.12

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri A.S. Bhattacharya	01.04.2011 to 31.01.2012	13	13
Shri Narendra Singh	01.02.2012 to 31.03.2012	3	3
Shri M.G. Sanghvi	01.04.2011 to 29.02.2012	14	13
Shri C.VR. Rajendran	01.03.2012 to 31.03.2012	2	2
Shri V.P. Bhardwaj	01.04.2011 to 31.03.2012	16	12
Ms. Kamala Rajan	01.04.2011 to 31.03.2012	16	14
Shri A.K. Pandit	01.04.2011 to 31.03.2012	16	14
Dr. D.S. Patel	01.04.2011 to 31.03.2012	16	14
Dr. S.U. Deshpande	01.04.2011 to 31.03.2012	16	16
Shri S.H. Kocheta	01.04.2011 to 09.07.2011	4	4
Shri S.D. Dhanak	01.04.2011 to 31.03.2012	16	16
Dr. N.K. Drall	05.05.2011 to 31.03.2012	14	14
Shri R.C. Agrawal	05.08.2011 to 31.03.2012	11	11

2.6 Code of Conduct

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management team comprising of Chief General Manager and all General Managers, has been approved by the Board of Directors in compliance with Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in. All the Board Members and Senior Management Personnel have since affirmed the compliance of the code.

3 Annual General Meeting:

The Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on Monday, the 27th June 2011 at Appasaheb Joag Hall Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune-411005 where following Directors were present.

01	Shri A.S. Bhattacharya	Chairman & Managing Director
02	Shri M. G. Sanghvi	Executive Director
03	Shri A. K. Pandit	Shareholder Director
04	Dr. D.S. Patel	Shareholder Director
05	Dr. S. U. Deshpande	Officer Employee Director
06	Shri S. H. Kocheta	Director & Chairman of Audit Committee of the Board
07	Shri S.D.Dhanak	Workmen Employee Director
08	Dr. N. K. Drall	Director nominated by the Government

Committees of Board:

The Board has constituted the following committees and delegated powers in different functional areas.

4.
4.1 प्रबंधन समिति

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक मंडल की सात सदस्यीय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है. प्रबंधन समिति के कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं :

- क) ऋण व निवेश प्रस्तावों की मंजूरी
- ख) ऋण समझौता/बट्टे खाते में डालने के प्रस्तावों को मंजूरी देना
- ग) परिसर/क्वार्टर्स अधिग्रहित करने से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित करना, तथा
- घ) निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित अन्य विषय.

31 मार्च 2012 को समिति की संरचना निम्नानुसार रहीः

i	श्री नरेंद्र सिंह	अध्यक्ष
ii	श्री सी.वीआर.राजेंद्रन	सदस्य
iii	सुश्री कमला राजन	सदस्य
iv	श्री ए.के. पंडित	सदस्य
V	डॉ. डी.एस. पटेल	सदस्य
vii	श्री एस.डी. धनक	सदस्य

आलोच्य अवधि के दौरान समिति की 19 बैठकें निम्नलिखित दिनांकों पर हुईं:

19.04.11	20.05.11	20.06.11	27.06.11	25.07.11	18.08.11	27.08.11
19.09.11	11.10.11	08.11.11	12.11.11	10.12.11	20.12.11	28.12.11
28.01.12	09.02.12	13.03.12	26.03.12	30.03.12		

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल में संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए.एस. भट्टाचार्य	01.04.2011 से 31.01.2012 तक	15	15
श्री नरेंद्र सिंह	01.02.2012 से 31.03.2012 तक	4	4
श्री एम.जी. संघवी	01.04.2011 से 29.02.2012 तक	16	15
श्री सी.वीआर. राजेंद्रन	01.03.2012 से 31.03.2012 तक	3	3
सुश्री कमला राजन	01.04.2011 से 31.03.2012 तक	19	17
श्री ए.के.पंडित	01.04.2011 से 31.03.2012 तक	9	8
श्री डी.एस. पटेल	01.04.2011 से 31.03.2012 तक	10	9
डॉ. एस.यू. देशपांडे	01.04.2011 से 31.03.2012 तक	10	10
श्री एस.एच. कोचेटा	01.04.2011 से 09.07.2011 तक	4	4
श्री एस.डी. धनक	01.04.2011 से 31.03.2012 तक	9	9
डॉ. एन.के.ड्राल	05.05.2011 से 31.03.2012 तक	10	10
श्री आर.सी. अग्रवाल	05.08.2011 से 31.03.2012 तक	9	9

4.2 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है. समिति के प्रत्यायोजित कार्य निम्नानुसार हैं:

- क) मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्य संचालन की देखरेख के साथ-साथ मार्गदर्शन भी प्रदान करती है. समग्र लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली के अंतर्गत बैंक का आंतरिक निरीक्षण एवं आंतरिक लेखा परीक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण, संचालन तथा संगठन सहित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरीक्षण तथा बैंक की बाह्य/सांविधिक लेखा परीक्षा का अनुवर्तन शामिल है.
- ख) आंतरिक लेखा परीक्षा के विषय में मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक में अनुवर्तन की दृष्टि से आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता और प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करती है. मंडल की लेखा परीक्षा समिति सभी

4.1 Management Committee:

The Management Committee (MC) of the Board is constituted with seven members as per provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. Functions and duties of the Management Committee are as under:

- (a) Sanction of credit and investment proposals,
- (b) Sanction of loan compromise/write off proposals,
- (c) Approve proposals relating to acquiring of premises/quarters and
- (d) Any other matter referred by the Board.

The composition of the Comr	mittee as on 31st March 2012 is as under:
-----------------------------	---

i	Shri Narendra Singh	Chairman
ii	Shri C.VR. Rajendran	Member
iii	Ms. Kamala Rajan	Member
iv	Shri A. K. Pandit	Member
v	Dr. D. S. Patel	Member
vi	Shri S. D. Dhanak	Member

The	Committee	met	19	times	during	the	period	under	review	on	the
follov	wing dates:										

19.04.11	20.05.11	20.06.11	27.06.11	25.07.11	18.08.11	27.08.11
19.09.11	11.10.11	08.11.11	12.11.11	10.12.11	20.12.11	28.12.11
28.01.12	09.02.12	13.03.12	26.03.12	30.03.12		

The details of attendance of the Directors at the aforesaid meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings attended
Shri A.S. Bhattacharya	01.04.2011 to 31.01.2012	15	15
Shri Narendra Singh	01.02.2012 to 31.03.2012	4	4
Shri M. G. Sanghvi	01.04.2011 to 29.02.2012	16	15
Shri C.VR. Rajendran	01.03.2012 to 31.03.2012	3	3
Ms. Kamala Rajan	01.04.2011 to 31.03.2012	19	17
Shri A. K. Pandit	01.04.2011 to 31.03.2012	9	8
Dr. D. S. Patel	01.04.2011 to 31.03.2012	10	9
Dr. S. U. Deshpande	01.04.2011 to 31.03.2012	10	10
Shri S. H. Kocheta	01.04.2011 to 09.07.2011	4	4
Shri S. D. Dhanak	01.04.2011 to 31.03.2012	9	9
Dr. N.K. Drall	05.05.2011 to 31.03.2012	10	10
Shri R.C. Agrawal	05.08.2011 to 31.03.2012	9	9

4.2. Audit Committee of the Board

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India, Audit Committee of Board of Directors (ACB) is constituted. The delegated functions of the Committee are as under:

- (a) ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function of the Bank. Total audit function implies the organization, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory / external audit of the Bank and inspection of RBI.
- (b) As regards internal audit, ACB reviews the internal inspection/ audit function in the Bank – adequacy of the system, its quality

अतिविस्तृत शाखाओं और विशेषज्ञता प्राप्त शाखाओं सहित सभी असंतोषजनक योग्यताक्रम वाली शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है.

- ग) विशेष रूप से यह समिति अंतर-शाखा समायोजन खातों, नोस्ट्रो खातों और अंतर-बैंक खातों में समाधान न की गई काफी समय से बकाया प्रविष्टियों, विभिन्न शाखाओं में लेखा बहियों के बकाया मिलान, धोखाधड़ी और गृहवेक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अनुवर्तन करती है.
- मंडल की लेखा परीक्षा समिति अनुपालन अधिकारी से भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही रिपोर्ट प्राप्त कर उनकी समीक्षा करती है.
- s.) मंडल की लेखा परीक्षा समिति विनियामक लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत किए गए कार्य और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के अनुपालन की निगरानी करती है.
- छ) मंडल की लेखा परीक्षा समिति लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन करती है और वार्षिक/अर्ध वार्षिक/त्रैमासिक खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत भी करती है.यह समिति लॉग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों का भी अनुवर्तन करती है.

31 मार्च 2012 को समिति की संरचना निम्नानुसार रहीः

i.	श्री आर.सी. अग्रवाल	अध्यक्ष
ii.	श्री सी.वीआर.राजेंद्रन	सदस्य
iii.	श्री वी.पी. भारद्वाज	सदस्य
iv.	सुश्री कमला राजन	सदस्य
۷.	श्री ए.के. पंडित	सदस्य

वर्ष के दौरान मंडल की लेखा परीक्षा समिति की 11 बार बैठकें हुई. बैठकों के दिनांक निम्न प्रकार हैं:

30.04.11	19.05.11	27.06.11	25.07.11	19.09.11	22.10.11
03.12.11	28.12.11	20.01.12	10.02.12	30.03.12	

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल में संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री एस.एच. कोचेटा	01.04.2011 से 09.07.2011 तक	3	3
श्री आर.सी.अग्रवाल	05.08.2011 से 31.03.2012 तक	7	7
श्री एम.जी. संघवी	01.04.2011 से 29.02.2012 तक	10	9
श्री सी.वीआर.राजेंद्रन	01.03.2012 से 31.03.2012 तक	1	1
श्री वी.पी. भारद्वाज	01.04.2011 से 31.03.2012 तक	11	8
सुश्री कमला राजन	01.04.2011 से 31.03.2012 तक	11	10
श्री ए.के.पंडित	01.04.2011 से 31.03.2012 तक	11	10

श्रीमती एम.पी. देवधर, कंपनी सचिव मंडल की लेखा परीक्षा समिति की सचिव के रूप में कार्य करती हैं.

4.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है. इस समिति में चार निदेशक सदस्य हैं. समिति एकीकृत जोखिम प्रबंधन, जिसमें ऋण जोखिम सहित विभिन्न जोखिम विगोपनों को शामिल करते हुए, नीति और रणनीति तैयार करती है.

31 मार्च 2012 को समिति की संरचना निम्नानुसार रहीः

i.	श्री नरेंद्र सिंह	अध्यक्ष
ii.	श्री सी.वीआर. राजेंद्रन	सदस्य
iii.	श्री एस.डी. धनक	सदस्य
iv.	श्री आर.सी. अग्रवाल	सदस्य

and effectiveness in terms of follow up. ACB also reviews inspection reports of specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings.

- (c) It specifically focuses on the follow up of Inter Branch Adjustment Accounts, Un-reconciled long outstanding entries in Inter Bank Accounts and Nostro Accounts, Position of balancing of books at various branches, frauds and all other major areas of house keeping.
- (d) ACB obtains and reviews quarterly reports from the Compliance Officer relating to implementation of various Government and RBI guidelines.
- (e) ACB monitors the work done under concurrent audit, statutory audit and compliance of RBI inspection.
- (f) ACB approves the appointment of Statutory Central Auditors and also interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of the annual / half-yearly /quarterly accounts and reports. It also follows up all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

i.	Shri R. C. Agrawal	Chairman
ii.	Shri C. VR. Rajendran	Member
iii.	Shri V. P. Bhardwaj	Member
iv.	Ms. Kamala Rajan	Member
٧.	Shri A. K. Pandit	Member

The composition of the Committee as on 31st March, 2012 is as under:

During the year, the ACB met 11 times and the dates of the meetings are as under:

30.04.11	19.05.11	27.06.11	25.07.11	19.09.11	22.10.11
03.12.11	28.12.11	20.01.12	10.02.12	30.03.12	

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri S. H. Kocheta	01.04.2011 to 09.07.2011	3	3
Shri R. C. Agrawal	05.08.2011 to 31.03.2012	7	7
Shri M. G. Sanghvi	01.04.2011 to 29.02.2012	10	9
Shri C.VR. Rajendran	01.03.2012 to 31.03.2012	1	1
Shri V. P. Bhardwaj	01.04.2011 to 31.03.2012	11	8
Ms. Kamala Rajan	01.04.2011 to 31.03.2012	11	10
Shri A. K. Pandit	01.04.2011 to 31.03.2012	11	10

Mrs. M.P. Devdhar, Company Secretary, acts as the Secretary to ACB.

4.3 Risk Management Committee of the Board:

The Risk Management Committee of the Board has been constituted with four Directors as members of the Committee as per the guidelines issued by Reserve Bank of India to devise a policy and strategy for Integrated Risk Management containing various risk exposures of the Bank including the credit risk.

The composition of the Committee as on 31st March, 2012 is as under:

Shri Narendra Singh	Chairman
Shri C.VR. Rajendran	Member
Shri S. D. Dhanak	Member
Shri R. C. Agrawal	Member
	Shri C.VR. Rajendran Shri S. D. Dhanak

वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की निम्नानुसार 11 बैठकें हुईं.

19.04.11	20.05.11	20.06.11	25.07.11	27.08.11	11.10.11
08.11.11	10.12.11	28.12.11	09.02.12	26.03.12	

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल में संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए.एस. भट्टाचार्य	01.04.2011 से 31.01.2012 तक	9	9
श्री नरेंद्र सिंह	01.02.2012 से 31.03.2012 तक	2	2
श्री एम.जी. संघवी	01.04.2011 से 29.02.2012 तक	10	9
श्री सी.वीआर. राजेंद्रन	01.03.2012 से 31.03.2012 तक	1	1
श्री एस.एच. कोचेटा	01.04.2011 से 09.07.2012 तक	3	3
श्री एस.डी. धनक	01.04.2011 से 31.03.2012 तक	11	11
श्री आर.सी. अग्रवाल	05.08.2011 से 31.03.2012 तक	6	6

4.4 निवेशकों और शेयरधारकों की शिकायत और शेयर अंतरण समिति

कार्पोरेट गवर्नेन्स पर सेबी के दिशानिर्देशों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए लिस्टिंग समझौते की धारा 49 के अनुसार शेयरों के अंतरण, रिफंड आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश इत्यादि प्राप्त न होने से संबंधित शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों का निपटारा करने हेतु समिति का गठन किया गया है. गैर-कार्यपालक निदेशक श्री डी एस पटेल इस समिति के अध्यक्ष हैं, जैसा उक्त धारा में अपेक्षित है.

समिति ने शेयर अंतरण से संबंधित विभिन्न मामलों पर भी विचार किया. वर्ष के दौरान समिति ने शेयर अंतरण, शेयरों का ट्रान्समिशन और डुप्लिकेट शेयर जारी करने का अनुमोदन माह में तीन बार परिचालन के द्वारा संकल्प अपनाते हुए किया.

31 मार्च 2012 को समिति की संरचना निम्नानुसार रहीः

i.	डॉ. डी.एस.पटेल	अध्यक्ष
ii.	श्री सी.वीआर.राजेंद्रन	सदस्य

iii. डॉ. एस.यू. देशपांडे सदस्य

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 4 बैठकें हुईं.

|--|

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल में संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
डॉ. डी.एस. पटेल	01.04.2011 से 31.03.2012	4	4
श्री एम.जी. संघवी	01.04.2011 से 29.02.2012	4	4
श्री सी.वीआर.राजेंद्रन	01.03.2012 से 31.03.2012	0	0
डॉ. एस.यू. देशपांडे	01.04.2011 से 31.03.2012	4	4

वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं:

01.04.2011 को लंबित शिकायतों की संख्या	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	313
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	313
31.03.2012 को लंबित शिकायतों की संख्या	0

शेयरों को भौतिक रूप से डी-मैट में बदलने के लिए कोई भी आवेदन लंबित नहीं था.

बैंक की निवेशकों की शिकायतों और स्टॉक एक्सचेंज के अनुपालन के संबंध में श्रीमती एम.पी. देवधर, कंपनी सचिव को बैंक का अनुपालन अधिकारी पदनामित किया गया है. The Committee met 11 times during the year as under.

19.04.11	20.05.11	20.06.11	25.07.11	27.08.11	11.10.11
08.11.11	10.12.11	28.12.11	09.02.12	26.03.12	

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri A.S. Bhattacharya	01.04.2011 to 31.01.2012	9	9
Shri Narendra Singh	01.02.2012 to 31.03.2012	2	2
Shri M. G. Sanghvi	01.04.2011 to 29.02.2012	10	9
Shri C. VR. Rajendran	01.03.2012 to 31.03.2012	1	1
Shri S. H. Kocheta	01.04.2011 to 09.07.2012	3	3
Shri S. D. Dhanak	01.04.2011 to 31.03.2012	11	11
Shri R. C. Agrawal	05.08.2011 to 31.03.2012	6	6

4.4 Investors' and Shareholders' Grievances and Share Transfer Committee:

In compliance with SEBI guidelines on Corporate Governance as well as Clause 49 of the Listing Agreement, the Committee was constituted to look into the redressal of investors' and shareholders' grievances regarding transfer of shares, non-receipt of refund orders, share certificates, dividend warrants etc. Dr. D. S. Patel, Non Executive Director is the Chairman of the Committee as required in the said clause.

The Committee also considered various matters pertaining to share transfers. During the year, the Committee approved share transfers, transmission of shares and issuance of duplicate share certificates by adopting resolutions by circulation thrice in a month.

The composition of the Committee as on 31st March, 2012 is as under:

i.	Dr. D.S. Patel	Chairman

п.	Shin C.VR. Rajendran	wember

iii. Dr. S.U. Deshpande Member

The Committee met 4 times during the year as under:

20.05.11	18.08.11	12.11.11	10.02.12

The details of attendance of the directors at the meetings of the Committee held during their respective tenures are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Dr. D. S. Patel	01.04.2011 to 31.03.2012	4	4
Shri M. G. Sanghvi	01.04.2011 to 29.02.2012	4	4
Shri C.VR. Rajendran	01.03.2012 to 31.03.2012	0	0
Dr. S. U. Deshpande	01.04.2011 to 31.03.2012	4	4

The position of complaints received and resolved during the year is as under:

Number of complaints pending as on 01.04.2011	0
Number of complaints received during the year	313
Number of complaints resolved during the year	313
Number of complaints pending as on 31.03.2012	0

There were no pending applications for conversion of shares in physical form to demat form.

Mrs. M.P. Devadhar, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer of the Bank in respect of compliance to the stock exchanges and investor grievances,of the Bank.

4.5 उच्च मूल्य वाली जालसाजियों की निगरानी हेतु विशेष समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार यह समिति गठित की गई है. समिति में 5 निदेशक सदस्य हैं जो उच्च मूल्य वाली जालसाजियों की निगरानी करते हैं . समिति का मुख्य कार्य ₹ 1.00 करोड एवं उससे अधिक की सभी जालसाजियों की निगरानी एवं समीक्षा करना है.

31 मार्च 2012 को समिति की संरचना निम्नानुसार रहीः

		0	
i.	श्री नरेंद्र सिंह	अध्यक्ष	
ii.	श्री सी.वीआर.राजेंद्रन	सदस्य	
iii.	श्री वी. पी. भारद्वाज	सदस्य	
iv.	डॉ. डी.एस. पटेल	सदस्य	
٧.	डॉ. एन.के. दराल	सदस्य	

डॉ. एन.के. दराल V.

c .	\	1	00	0	N N	<u> </u>	G
वर्ष	क	दौरान	समिति	की 5	बैठके	निम्नानुसार	<u>ਵ</u> ਤੇ:

20.05.11 20.06.11 19.09.11 12.11.11 10.02.12	20.05.11	20.06.11	19.09.11	12.11.11	10.02.12

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानूसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल में संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए.एस. भट्टाचार्य	01.04.2011 से 31.01.2012 तक	4	4
श्री नरेंद्र सिंह	01.02.2012 से 31.03.2012 तक	1	1
श्री एम.जी. संघवी	01.04.2011 से 29.02.2012 तक	5	5
श्री सी.वीआर. राजेंद्रन	01.03.2012 से 31.03.2012 तक	0	0
श्री वी. पी. भारद्वाज	01.04.2011 से 31.03.2012 तक	5	4
डॉ. डी.एस. पटेल	01.04.2011 से 31.03.2012 तक	5	5
श्री एस.एच. कोचेटा	01.04.2011 से 09.07.2011 तक	2	2
डॉ. एन.के. दराल	05.05.2011 से 31.03.2012 तक	3	3

4.6 निदेशक पदोच्चति समिति

वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नतियों हेतु अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों वाली एक समिति का गठन किया गया है. यह समिति सतर्कता अनुशासनिक मामलों तथा विभागीय कार्रवाइयों की समीक्षा भी करती है, जिसके लिए कार्यपालक निदेशक भी इस समिति के साथ संबद्ध होते हैं.

31 मार्च 2012 को समिति की संरचना निम्नानुसार रहीः

i.	श्री नरेंद्र सिंह	अध्यक्ष
ii.	श्री सी.वीआर.राजेंद्रन	सदस्य
iii.	श्री वी. पी. भारद्वाज	सदस्य
iv.	सुश्री कमला राजन	सदस्य

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

20.05.11	19.09.11	10.12.11	30.03.12

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

Ű.			
निदेशक का नाम	अवधि	उनके	
		कार्यकाल में	बैठकों में
		संपन्न बैठकें	
		सपन्न बठक	उपास्थात
श्री ए.एस. भट्टाचार्य	01.04.2011 से 31.01.2012 तक	3	3
श्री नरेंद्र सिंह	01.02.2012 से 31.03.2012 तक	1	1
श्री एम.जी. संघवी	01.04.2011 से 29.02.2012 तक	3	3
श्री सी.वीआर.राजेंद्रन	01.03.2012 से 31.03.2012 तक	1	1
श्री वी. पी. भारद्वाज	01.04.2011 से 31.03.2012 तक	4	4
सुश्री कमला राजन	01.04.2011 से 31.03.2012 तक	4	3

4.5 Special Committee to Monitor Large Value Frauds:

As per the directions of Reserve Bank of India, the Committee, comprising of five Directors as members, was constituted to monitor large value frauds. The major functions of the Committee include monitoring and review of all the frauds of ₹1.00 crore and above.

The composition of the Committee as on 31st March 2012 is as under:

i.	Shri Narendra Singh	Chairman
ii.	Shri C. VR. Rajendran	Member
iii.	Shri V. P. Bhardwaj	Member
iv.	Dr. D. S. Patel	Member
v.	Dr. N. K. Drall	Member

The Committee met 5 times during the year as under:

	20.05.11	20.06.11	19.09.11	12.11.11	10.02.12
--	----------	----------	----------	----------	----------

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenures are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri A. S. Bhattacharya	01.04.2011 to 31.01.2012	4	4
Shri Narendra Singh	01.02.2012 to 31.03.2012	1	1
Shri M. G. Sanghvi	01.04.2011 to 29.02.2012	5	5
Shri C.VR. Rajendran	01.03.2012 to 31.03.2012	0	0
Shri V. P. Bhardwaj	01.04.2011 to 31.03.2012	5	4
Dr. D. S. Patel	01.04.2011 to 31.03.2012	5	5
Shri S. H. Kocheta	01.04.2011 to 09.07.2011	2	2
Dr. N. K. Drall	05.05.2011 to 31.03.2012	3	3

4.6 Directors' Promotion Committee:

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. The Committee also deals with review of vigilance disciplinary cases and departmental enquiries, for which the Executive Director is also associated with this committee

The composition of the Committee as on 31st March 2012 is as under.

i.	Shri Narendra Singh	Chairman
ii.	Shri C.VR. Rajendran	Member
iii.	Shri V.P. Bhardwaj	Member
iv.	Ms. Kamala Rajan	Member

The Committee met 4 times during the year as under:

20.05.11 19.09.11	10.12.11	30.03.12
-------------------	----------	----------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri A.S. Bhattacharya	01.04.2011 to 31.01.2012	3	3
Shri Narendra Singh	01.02.2012 to 31.03.2012	1	1
Shri M. G. Sanghvi	01.04.2011 to 29.02.2012	3	3
Shri C.VR. Rajendran	01.03.2012 to 31.03.2012	1	1
Shri V. P. Bhardwaj	01.04.2011 to 31.03.2012	4	4
Ms. Kamala Rajan	01.04.2011 to 31.03.2012	4	3

4.7 ग्राहक सेवा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक की ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर प्राप्त प्रति-सूचनाओं का पुनरीक्षण करने और बैंक की कार्यविधियों और प्रणालियों में सतत आधार पर सुधार लाकर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता सुधारने हेतु नवोन्मेषी उपाय अपनाने के लिए समिति का गठन किया गया है.

31 मार्च 2012 को समिति की संरचना निम्नानुसार रहीः

i.	श्री नरेंद्र सिंह	अध्यक्ष
ii.	श्री सी.वीआर.राजेंद्रन	सदस्य

- iii. श्री ए.के. पंडित सदस्य
- iv. डॉ. एस.यू. देशपांडे सदस्य

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

20.06.11	19.09.11	10.12.11	13.03.12

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल में संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री ए.एस. भट्टाचार्य	01.04.2011 से 31.01.2012 तक	3	3
श्री नरेंद्र सिंह	01.02.2012 से 31.03.2012 तक	1	1
श्री एम.जी. संघवी	01.04.2011 से 29.02.2012 तक	3	3
श्री सी.वीआर. राजेंद्रन	01.03.2012 से 31.03.2012 तक	1	1
श्री ए.के. पंडित	01.04.2011 से 31.03.2012 तक	4	4
डॉ. एस.यू. देशपांडे	01.04.2011 से 31.03.2012 तक	4	4

4.8 पारिश्रमिक समिति

पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन राशि पर विचार करने के लिए समिति का गठन किया गया था. समिति में चार सदस्य हैं यथा श्री वी. पी. भारद्वाज, सुश्री कमला राजन, श्री ए.के. पंडित तथा श्री एस.एच. कोटेचा और समिति की बैठक दिनांक 20.06.2011 को हुई तथा पूर्णकालिक निदेशकों को निम्नानुसार कार्यनिष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन राशि का अनुमोदन किया गया.

क्र.	नाम	पद	वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु कार्यनिष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन राशि (₹)
1	श्री एलेन सी. ए. परेरा	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (दिनांक 01.04.2010 से दिनांक30.09.2010 तक)	₹ 3,00,000.00
2	श्री ए.एस. भट्टाचार्य	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (दिनांक 01.10.2010 से दिनांक 31.01.2010 तक)	₹ 3,00,000.00
3	श्री एम.जी. संघवी	कार्यपालक निदेशक	₹4,00,000.00

4.9. नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्वाचित निदेशकों के उपयुक्त और उचित स्तर की जांच करने और उसे अनुमोदित करने के लिए समिति का गठन किया गया था. समिति में 3 गैर-कार्यपालक निदेशक सदस्य हैं.

31 मार्च 2012 को समिति की संरचना निम्नानुसार रहीः

- i. श्री वी.पी. भारद्वाज
- ii. डॉ. एन.के. दराल
- iii. श्री आर.सी. अग्रवाल

समिति की बैठक 22.10.2011 को संपच्च हुई. समिति ने दोनों निर्वाचित निदेशकों ने प्रस्तुत घोषणाओं को नोट किया और दोनों को उपयुक्त और उचित स्तर प्रदान किया.

4.7 Customer Service Committee:

As per the directions of the RBI, the Committee was constituted to review a feed-back on quality of customer service in the Bank and to have innovative measures for enhancing the quality of customer service by bringing about on-going improvements in the systems and procedures of the Bank.

The composition of the Committee as on 31st March 2012 is as under:

i.	Shri Narendra Singh	Chairman
ii.	Shri C.VR. Rajendran	Member
iii.	Shri A. K. Pandit	Member
iv.	Dr. S. U. Deshpande	Member

The Committee met 4 times during the year as under:

20.06.11 19.09.11	10.12.11	13.03.12
-------------------	----------	----------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure on the committee	Meetings Attended
Shri A.S. Bhattacharya	01.04.2011 to 31.01.2012	3	3
Shri Narendra Singh	01.02.2012 to 31.03.2012	1	1
Shri M. G. Sanghvi	01.04.2011 to 29.02.2012	3	3
Shri C.VR. Rajendran	01.03.2012 to 31.03.2012	1	1
Shri A. K. Pandit	01.04.2011 to 31.03.2012	4	4
Dr. S. U. Deshpande	01.04.2011 to 31.03.2012	4	4

4.8 Remuneration Committee:

The Committee was constituted to evaluate the performance of whole time Directors for approving the performance-linked incentive payable to them. The Committee comprised of four members, namely Shri V.P. Bhardwaj, Ms. Kamala Rajan, Shri A.K. Pandit and Shri S.H. Kocheta. The Committee met on 20.06.2011 and approved the performance linked incentive payable to the whole time Directors as under:

Sr. No.	Name	Designation	Performance Linked Incentives for the FY 2010-11 (₹)
01	Shri Allen C. A. Pereira	Chairman and Managing Director (01.04.2010 to 30.09.2010)	₹ 3,00,000.00
02	Shri A. S. Bhattacharya	Chairman and Managing Director (01.10.2010 to 31.03.2011)	₹ 3,00,000.00
03	Shri M. G. Sanghvi	Executive Director	₹ 4,00,000.00

4.9 Nomination Committee:

In terms of RBI guidelines, the Committee was constituted to examine and accord 'fit and proper' status in respect of the elected directors. The Committee comprised of three non- executive directors.

The composition of Nomination Committee as on March 31, 2012 is as under:

- i. Shri. V.P. Bhardwaj
- ii. Dr. N. K. Drall
- iii. Shri R. C. Agrawal

The Committee met on 22.10.2011 and noted the declarations filed by both the elected directors and accorded fit and proper status to both of them.

4.10 प्रौद्योगिकी समिति

निदेशक मंडल की दिनांक 12.11.2010 को हुई बैठक में दिए गए अनुमोदन के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नेंस, जिसमें सही सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति तथा सभी रणनीतिक सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी शामिल है, के सभी पहलुओं हेतु बोर्ड की प्रोद्यौगिकी समिति का गठन किया गया था.

31 मार्च 2012 को समिति की संरचना निम्नानुसार रहीः

i.	श्री सी.वीआर.राजेंद्रन	अध्यक्ष
	0) (0	

- ii. श्री ए.के. पंडित सदस्य
- iii. डॉ. एस.यू. देशपांडे सदस्य

वर्ष के दौरान समिति की 7 बैठकें निम्नानुसार हुई

19.04.11 20.06.11 27.08.11 11.10.11 23.12.11 09.02.12 26.03.12
--

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल में संपन्न बैठकें	
श्री एम.जी. संघवी	01.04.2011 से 29.02.2012 तक	6	6
श्री सी.वीआर.राजेंद्रन	01.03.2012 से 31.03.2012 तक	1	1
श्री ए.के. पंडित	01.04.2011 से 31.03.2012 तक	7	6
डॉ. एस.यू. देशपांडे	01.04.2011 से 31.03.2012 तक	7	7

4.11 ऋण अनुमोदन समिति

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970/80 में संशोधन के अनुसरण में मंडल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन दिनांक 10.02.2012 को किया गया. समिति को ₹ 250.00 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव और ऋण समझौता/बट्टे खाते प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड के अधिकार प्रदान किए गए हैं. प्रावधानों के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार हैः

- i. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
- ii. कार्यपालक निदेशक
- iii. महाप्रबंधक, ऋण
- iv. महाप्रबंधक, ऋण प्राथमिकता
- महाप्रबंधक, वसूली व विधि सेवाएं
- vi. महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा
- vii. महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन

वर्ष के दौरान समिति की 6 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

14.02.12	09.03.12	17.03.12	24.03.12	29.03.12	31.03.12
----------	----------	----------	----------	----------	----------

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

निदेशक / कार्यपालक का नाम	अवधि- दिनांक 10.02.2012 अर्थात समिति के गठन के दिनांक से 31.03.2012 तक	उनके कार्यकाल में संपन्न बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री नरेंद्र सिंह	10.02.2012 से 31.03.2012 तक	6	6
श्री एम.जी. संघवी	10.02.2012 से 29.02.2012 तक	1	1
श्री सी.वीआर. राजेंद्रन	01.03.2012 से 31.03.2012 तक	5	5
श्री बी.के. पिपरैया	10.02.2012 से 31.03.2012 तक	6	6
श्री वी.ई. दळवी	10.02.2012 से 31.03.2012 तक	6	4
श्री एस.डी. आर्य	10.02.2012 से 31.03.2012 तक	4	3
श्री पी.एस. वेंगुर्लेकर	10.02.2012 से 31.03.2012 तक	3	2
श्री आर. पार्थसारथी	10.02.2012 से 31.03.2012 तक	6	6

4.10 Technology Committee

As per approval accorded by the Board at its meeting held on 12.11.2010, the Technology Committee of the Board was constituted in the Bank to deal with all aspects of IT Governance including choosing the right IT strategy and monitoring implementation of all strategic IT plans.

The composition of the Committee as on March 31, 2012 is as under:

- i. Shri. C.VR. Rajendran Chairman
- ii. Shri. A. K. Pandit, Member
- iii. Dr. S. U. Deshpande, Member

The Committee met 7 times during the year as under:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri. M. G. Sanghvi	01.04.2011 to 29.02.2012	6	6
Shri C.VR. Rajendran	01.03.2012 to 31.03.2012	1	1
Shri. A. K. Pandit	01.04.2011 to 31.03.2012	7	6
Dr. S. U. Deshpande	01.04.2011 to 31.03.2012	7	7

4.11 Credit Approval Committee

The Credit Approval Committee of the Board was constituted on 10th February 2012 following the amendment to Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80. The Committee is vested with the powers of the Board with regard to credit proposals up to ₹ 250.00 crore and loan compromise/write off proposals. In terms of the provisions, the constitution of the Committee is as follows.

- i. Chairman & Managing Director
- ii. Executive Director
- iii. General Manager, Credit
- iv. General Manager, Credit Priority
- v. General Manager, Recovery and Legal Services.
- vi. General Manager, Financial Management & Accounts
- vii. General Manager, Integrated Risk Management

The Committee met 6 times during the year on the dates given below.

14.02.12	09.03.12	17.03.12	24.03.12	29.03.12	31.03.12
	•				

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

Name of the Director / Executive	Period from 10.02.2012 i.e. the date of constitution of the Committee to 31.03.2012	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Narendra Singh	10.02.2012 to 31.03.2012	6	6
Shri. M. G. Sanghvi	10.02.2012 to 29.02.2012	1	1
Shri C.VR. Rajendran	01.03.2012 to 31.03.2012	5	5
Shri. B.K. Piparaiya	10.02.2012 to 31.03.2012	6	6
Shri V.E. Dalvi	10.02.2012 to 31.03.2012	6	4
Shri S.D. Arya	10.02.2012 to 31.03.2012	4	3
Shri P.S. Vengurlekar	10.02.2012 to 31.03.2012	3	2
Shri R. Parthasarathy	10.02.2012 to 31.03.2012	6	6

4.12 अन्य समितियां

विभिन्न विशिष्ट विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और संचालनगत मार्गदर्शन हेतु कार्यपालकों की कुछ अन्य समितियां जैसे आस्ति देयता प्रबंधन समिति, परिसर समिति, उच्च अधिकार प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी समिति, प्रणाली एवं क्रियाविधि समिति, निवेश समिति तथा उच्च प्रबंधन समिति इत्यादि हैं.

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

बैंक का अभिशासन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के अधीन होता है. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केन्द्र सरकार निर्धारित करती है. बैंक गैर-कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सिटिंग फीस और वास्तविक यात्रा खर्च के अलावा किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं देता है. दिनांक 17 अक्तूबर 2011 तक ऐसी सिटिंग फीस के रूप में बोर्ड की बैठक के लिए प्रति बैठक ₹ 5000/- तथा उप-समिति बैठक के लिए प्रति बैठक के लिए प्रति बैठक हे 10000/- तथा उप-समिति की बैठक के लिए प्रति बैठक दे 5000/- किया गया.

वर्ष 2011-12 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त कुल सिटिंग फीस निम्नानुसार हैः (पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि निदेशक और भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक निदेशक को कोई सिटिंग फीस देय नहीं है. शेयरधारक निदेशक श्री ए.के. पंडित को उनके निदेशानुसार बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कोई सिटिंग फीस अदा नहीं की गई.

क्र.	निदेशक का नाम	प्रदत्त राशि (₹)
1	डॉ. डी.एस. पटेल	157500
2	डॉ. एस.यू. देशपांडे	207500
3	श्री एस.एच. कोचेटा	52500
4	श्री एस.डी. धनक	195000
5	डॉ. एन.के. दराल	165000
6	श्री आर.सी. अग्रवाल	202500
	कुल	980000

सर्वसाधारण सभाएं

6.1 पिछले तीन वर्ष के दौरान आयोजित बैंक के शेयरधारकों की सर्वसाधारण बैठकों के विवरण निम्नानुसार हैं:

4.12 Other Committees:

There are also other Committees of executives viz., Asset Liability Management Committee (ALCO), Premises Committee, High Power IT Committee, System & Procedure Committee, Investment Committee, Top Management Committee for reviewing functioning in various specific areas and giving operational directions.

5. Remuneration of Directors:

The Bank is governed by the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The remuneration of the Chairman and Managing Director and the Executive Director is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the Non Executive Directors apart from sitting fees as fixed by the Government of India and travel expenses, on actual basis. Till 17th October 2011 such sitting fees were payable at ₹ 5000 per Board meeting and ₹ 2500 per Board Sub-Committee meeting. With effect from 18th October 2011, these are revised to ₹ 10000 per Board meeting and ₹ 5000 per Board Sub-Committee meeting.

The total Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the year 2011-12 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government of India and Official Director representing Reserve Bank of India). Shri A. K. Pandit, Shareholder Director was not paid sitting fees for the Board / Committee meetings as per his instructions.

Sr. No.	Name of the Director	Amount Paid (₹)
01	Dr. D. S. Patel	157500
02	Dr. S. U. Deshpande	207500
03	Shri S. H. Kocheta	52500
04	Shri S. D. Dhanak	195000
05	Dr. N.K. Drall	165000
06	Shri R.C. Agrawal	202500
	Total	980000

6. General Body Meetings:

6.1 Details of General Body Meetings of shareholders held during the last three years are given below: :

प्रकार	दिनांक व समय	स्थान	उद्देश्य
Nature	Date & Time	Venue	Purpose
छठवीं वार्षिक साधारण	15 जुलाई, 2009 को	अप्पा साहेब जोग हाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल,	वर्ष 2008-2009 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों और
आम सभा	प्रातः 10.00 बजे	1501,शिवाजी नगर, पुणे -411005	परिणामों को अपनाना
Sixth Annual	At 10.00 a.m. on	Appasaheb Joag Hall Bank of Maharashtra,	Adoption of audited Annual accounts and
General Meeting	15th July 2009	Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005.	declaration of dividend for the year 2008-09
सातवीं वार्षिक साधारण	9 जुलाई, 2010 को	अप्पा साहेब जोग हाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल,	वर्ष 2009-2010 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों और
आम सभा	प्रातः 10.00 बजे	1501,शिवाजी नगर, पुणे -411005	परिणामों को अपनाना
Seventh Annual	At 10.00 a.m. on	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra,	Adoption of audited Annual accounts and
General Meeting	9th July 2010	Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005.	declaration of dividend for the year 2009-10.
आठवीं वार्षिक साधारण	27 जून 2011 को प्रातः	अप्पा साहेब जोग हाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र,	वर्ष 2010-2011 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों और
आम सभा	11.30 बजे	लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे - 411005	परिणामों को अपनाना
Eighth Annual	At 11.30 a.m. on	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra,	Adoption of audited Annual accounts and
General Meeting	27th June 2011	Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune - 411 005	declaration of dividend for the year 2010-11.
असाधारण आम सभा Extra Ordinary General Meeting	23 मार्च, 2011 को प्रातः 10.00 बजे At 10.00 a.m. on 23rd March 2011	अप्पा साहेब जोग हाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501,शिवाजी नगर, पुणे - 411005 Appasaheb Joag Hall. Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005.	भारत सरकार को ईक्विटी शेयरों के अधिमान आबंटन को विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदन Approval of preferential allotment of equity shares to Government of India by special resolution
असाधारण आम सभा Extra Ordinary General Meeting	26 मार्च, 2012 को प्रातः 10.30 बजे At 10.30 a.m. on 26th March 2012	अप्पा साहेब जोग हाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे - 411005 Appasaheb Joag Hall. Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005.	भारत सरकार और एलआईसी को ईक्विटी शेयरों के अधिमान आबंटन को विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदन Approval of preferential allotment of equity shares to Government of India and LIC of India by special resolution

- 6.2 साधारण आम सभा की किसी भी बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नही हुआ.
- 6.3 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति का एक प्राधिकृत प्रतिनिधि साधारण आम सभाओं तथा असाधारण आम सभाओं में भाग लेने के लिए भेजा.

7. प्रकटन

- 7.1 सामान्य बैंकिंग के दौरान होने वाले व्यवहारों को छोड़कर बैंक के प्रवर्तकों/निदेशकों, प्रबंधन, बैंक की सहायक कंपनियों, अथवा रिश्तेदारों इत्यादि के साथ ऐसा कोई उल्लेखनीय संबद्ध संव्यवहार नहीं था जिसका बैंक के हितों से कोई प्रभावी प्रत्यक्ष संघर्ष हुआ हो.
- 7.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने सेबी के दिनांक 29 अक्तूबर, 2004 के उनके परिपत्र क्रमांक सेबी/सीएफडी/ डीआईएल/सीजी/1/2004/12/10 और बाद में दिनांक 13 जनवरी, 2006 के उनके परिपत्र क्रमांक सेबी/ सीएफडी/डीआईएल/सीजी/1/2006/13 तथा 16 दिसंबर 2010 के परि/सीएफडी/ डीआईएल/10/2010 द्वारा संशोधित तथा लिस्टिंग समझौते के संशोधित खंड 49 में उपलब्ध सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन उस सीमा तक किया है, जहां तक ये उन कानूनों और संबंधित विनियमन प्राधिकरियों द्वारा जारी निर्देशों की उल्लंघन न करें, जिनके अंतर्गत बैंक का गठन किया गया है.
- 7.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया. विनियामक प्राधिकारियों यथा सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा कानून, दिशानिर्देश और निर्देश या पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले का उल्लंघन करने के लिए बैंक पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया.
- 7.4 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण भी निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है.

7.5 लिस्टिंग समझौते के खंड 49 का अनुपालन

बैंक ने जिस सीमा तक लागू है, उस सीमा तक खंड 49 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करने हेतु कदम उठाए.

निम्नलिखित गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुसरण किया गया-

- कार्यपालक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के भुगतान के अनुमोदन के लिए पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया. अंतिम बैठक दिनांक 20.06.2011 को संपन्न हुई और सभी सदस्य उपस्थित थे.
- मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षणः
 - श्री एस.एच.कोचेटा,निदेशक को दिनांक 13 और 14 मई 2011 को हैदराबाद में आईडीआरबीटी में "आईटी गवर्नेन्स" पर संगोष्ठी हेतु नामित किया गया.
 - श्री आर.सी.अग्रवाल,निदेशक को दिनांक 02 नवंबर 2011 को हैदराबाद में आईडीआरबीटी में "आईएस ऑडिट" पर कार्यशाला हेत् नामित किया गया.
 - डॉ.डी.एस.पटेल,निदेशक को दिनांक 13 दिसंबर 2011 को मुंबई में सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनांनशियल रिसर्च एंड लर्निंग, भा.रि.बैं. द्वारा आयोजित गैर-अधिकारी निदेशकों के सम्मेलन हेत् नामित किया गया.
- III. मंडल द्वारा अनुमोदित जालसाजी जोखिम प्रबंधन नीति के एक भाग के रूप में 'विसिल ब्लोअर' नीति को रखा गया.

संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है तथा इसे अंग्रेजी में कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक तथा मराठी में एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित किया जाता है. परिणामों को बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर भी उपलब्ध किया जाता है.

वर्ष के दौरान बैंक के तिमाही/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक परिणामों को निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया.

अवधि	दैनिक का नाम		प्रकाशन का
	मराठी	अंग्रेजी	दिनांक
जून 2011	लोकसत्ता	बिजनेस स्टैन्डर्ड	26.07.2011
सितंबर 2011	सकाळ	फाइनान्शियल एक्सप्रेस	24.10.2011
दिसंबर 2011	लोकसत्ता	द इंडियन एक्सप्रेस	21.01.2012
मार्च 2012	महाराष्ट्र टाइम्स	बिजनेस स्टैन्डर्ड	07.05.2012

- 6.2. No special resolution was passed in any of the Annual General Meetings.
- 6.3 The Ministry of Finance, Government of India had sent an authorized representative of President of India, to attend the Annual General Meetings and Extraordinary General Meetings of the Bank.

7. Disclosures:

- 7.1 Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoters / Directors, Management, their subsidiaries, or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- 7.2 During the year under review, the Bank has complied with all mandatory requirements, to the extent applicable, as provided in the revised Clause 49 of the Listing Agreement, as advised by SEBI vide its circular SEBI / CFD / DIL / CG / 1 / 2004/12/10 dated 29th October 2004 and later amended vide its circulars SEBI / CFD / DIL / CG / 1 / 2006 / 13 dated 13th January, 2006 and Cir/CFD/DIL/10/2010 dated 16th December 2010, to the extent they do not violate the statutes under which the Bank is constituted and guidelines or directives issued by the relevant regulatory authorities.
- 7.3 During the year under review, the Bank has complied with all requirements regarding capital market related matters. No penalties were imposed nor were strictures passed against the Bank by Regulatory authorities, viz. SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authorities for non-compliance of any law, guidelines and directives or any matter related to Capital Market.
- 7.4 The Management Discussion and Analysis forms part of the Board of Directors' Report.

7.5 Compliance with Clause 49 of the Listing Agreement

The Bank has complied with all the mandatory requirements of Clause 49 to the extent applicable and has also taken steps to comply with other non mandatory requirements.

Following non-mandatory requirements are complied with:

- Remuneration Committee is formed for approving the payment of performance linked incentive to the executive directors. Last meeting was held on 20th June 2011 and all the members were present.
- ii) Training of Board members:
 - Shri S.H.Kocheta, Director, was nominated to the seminar on "IT Governance" at IDRBT, Hyderabad on 13th and 14th of May 2011.
 - Shri R C Agrawal, Director, was nominated to the workshop on 'IS Audit' at IDRBT Hyderabad, on 2nd November 2011.
 - Dr D S Patel, Director, was nominated to the Conference of Non-official Directors, organized by Centre for Advanced Financial Research and Learning, RBI, Mumbai on 13th December 2011
- iii) Whistle Blower policy is made a part of the Fraud Risk Management Policy approved by the Board.

8. Means of Communication:

The quarterly, half yearly and annual financial results of the Bank are duly approved by the Board and published in at least one national daily in English and one local daily in Marathi. The results are simultaneously displayed on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in

During the year, quarterly /half yearly /annual results of the Bank were published in the following newspapers.

Period Ended	Name o	f the daily	Date of publication
	Marathi	English	
June 2011	Loksatta	Business Standard	26/07/2011
September 2011	Sakal	Financial Express	24/10/2011
December 2011	Loksatta	The Indian Express	21/01/2012
March 2012	Maharashtra Times	Business Standard	07/05/2012

शेयरधारकों का ब्यौराः

9.1 स्टॉक एक्सचेजों पर सूचीबध्द शेयरों के ब्योरेः

मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) में बैंक के शेयर 12.04.2004 से सूचीबद्ध किये गये हैं. सिक्रप कोड निम्नानुसार हैं -

बीएसई	532525
एनएसई	महाबैंक - ईक्यू (MAHABANK - EQ)

उक्त स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2012-13 हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया जा चुका है.

9.2 नवीं वार्षिक साधारण आम सभा के विवरणः

लेखों व लाभांश पर विचार हेतु निदेशक मंडल की बैठक	05 मई 2012
नवीं वार्षिक साधारण आम सभा का स्थान, दिनांक और समय	सोमवार, दिनांक 25 जून 2012 को प्रातः 10.30 बजे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अप्पासाहेब जोग हाल, "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	30.05.2012
बहियों के बंद होने का दिनांक	16 जून 2012 से 25 जून 2012 तक (दोनों दिन शामिल हैं)
लाभांश भुगतान की दिनांक	24 जुलाई 2012

9.3 वित्तीय कैलेंडर (अनंतिम)

को समाप्त अवधि के लिए तिमाही वित्तीय परिणामों का अनुमोदन	अनंतिम समय
30 जून, 2012	14 अगस्त 2012 से पूर्व
30 सितंबर, 2012	14 नवंबर 2012 से पूर्व
31 दिसंबर, 2012	14 फरवरी 2013 से पूर्व
31 मार्च, 2013	लेखा परीक्षित वार्षिक परिणाम 18 मई 2013 से पूर्व

9.4 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशक एवं शेयरधारकों को सहायता

मेसर्स एमसीएस लि., मुंबई, रजिस्ट्रार एवं ट्रान्स्फर एजेंट (RTA) कार्यालय में शेयर अंतरण और अन्य सभी निवेशक संबंधी मामलों की देखरेख और कार्यवाहियां की जाती हैं. शेयरधारक, जो अपने शेयर भौतिक रूप में रखते हैं, वे उनके अंतरण विलेख और अन्य कागजात, शिकायतें एवं असुविधाओं को रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट को अथवा निम्नलिखित पतों पर बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग में दर्ज करा सकते हैं :

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट	निवेशक सेवाएं विभाग
एमसीएस लिमिटेड	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
(इकाई : बैंक ऑफ महाराष्ट्र)	निवेशक सेवाएं विभाग
आफिस क्रमांक 21/22	लोकमंगल,
भूतल, काशीराम जमनादास बिल्डिंग	1501, शिवाजीनगर
5, पी डिमेलो रोड़ (घडीयाल गोदी)	पुणे - 411 005
मस्जिद (पू) मुंबई -400009	फोन : (020) 2551 1360
टेलीफोन 022-2372 6253-56	फैक्सः (020) 2553 3246
फेक्स 022-2372-6252	ईमेल-
ई-मेल-mcspanvel@yahoo.co.in	investor_services@mahabank.co.in

9.5 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इसीएस)

इसीएस लाभांश/ब्याज इत्यादि का भुगतान करने का अनोखा तरीका है, जिसके अंतर्गत निवेशक को देय राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है. बैंक अपने शेयरधारकों को यह सुविधा लेने का विकल्प निम्नलिखित 43 केद्रों पर उपलब्ध करता है, जहां इसीएस जमा समाशोधन प्रणाली कार्यरत है.

आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, बडौदा, बेंगलूर, भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, कोलकाता, चेमै, देहरादून, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, इन्दौर,

9. Shareholder Information:

9.1 Details of listing of shares on Stock Exchanges:

The Bank's shares are listed on The Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) since 12.04.2004. The scrip codes are as under:

BSE	532525
NSE	MAHABANK - EQ

The annual listing fee for the year 2012-13 has been paid to the Stock Exchanges.

9.2 Particulars of the Ninth Annual General Meeting:

Board Meeting for considering Accounts and Dividend	5th May 2012
Date, Time and Venue of Ninth AGM	At 10.30 am on Monday, the 25th June 2012, at Appasaheb Joag Hall Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune - 411 005
Posting of Annual Report	30.05.2012
Dates of Book Closure	16th June 2012 to 25th June 2012 (Both days inclusive)
Date of payment of dividend	24th July 2012

9.3 Financial Calendar (Tentative):

Approval of Quarterly Results for period ending	Tentative Time
30th June 2012	Before 14th August 2012
30th September 2012	Before 14th November 2012
31st December 2012	Before 14th February 2013
31st March 2013	Audited Annual Results before 18th May 2013

9.4 Share Transfer System and assistance to the Investors and Shareholders:

Share transfer and all other investor related matters are attended to and processed at the office of the Bank's Registrar and Transfer Agents (RTA), M/s. MCS Limited, Mumbai. The shareholders, who hold their shares in physical forms, may lodge their transfer deeds and any other documents, grievances and complaints to the RTA or alternatively to Investor Services Department of the Bank at the following addresses:

Registrar & Transfer Agent:	Investor Services Department:
MCS Limited, (Unit: Bank of Maharashtra) Office No. 21/22, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg, 5, P.D' Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E) Mumbai – 400 009. Tel: (022) 2372 6253-56 Fax:(022) 2372 6252 e-mail: mcspanvel@yahoo.co.in	Bank of Maharashtra, Investor Services Department Lokmangal 1501, Shivajinagar Pune 411 005 Tel: (020)2551 1360 Fax (020)2553 3246 e-mail: investor_services@ mahabank.co.in

9.5 Electronic Clearing Services (ECS):

ECS is a novel method of payment of dividend/interest etc. where the amount due to investor can be directly credited to his/ her Bank account. The Bank offers this service to its shareholders with an option to avail the facility at the following fortythree centers, where ECS credit Clearing System is operative.

Agra, Ahmedabad, Amritsar, Aurangabad, Baroda, Bengaluru, Bhubaneshwar, Bhopal, Chandigarh, Coimbatore, Chennai, Dehradun, Guwahati, Gwalior,

जयपुर, जालंधर, जामनगर, जम्मू, कानपुर, कोल्हापुर, लखनऊ, लुधियाना, मदुरै, मेंगलोर, मुंबई, नागपुर, नासिक, नई दिल्ली, पणजी, पटना, पुणे, राजकोट, रायपुर, सोलापुर, सूरत, तिरूवनन्तपुरम, त्रिपुर, उडपी, विजयवाड़ा, वैजाग.

उपर्युक्त किसी भी केंद्र पर निवास करने वाले शेयरधारक इसीएस अधिदेश फार्म को भरकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. यह फार्म वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है. यदि शेयर भौतिक प्रारूप में है तो इस फार्म को रजिस्ट्रार और अंतरण एजेन्ट के पास भेजें और यदि शेयर डी-मैट प्रारूप में रखे गए हैं तो यह फार्म संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट (डीपी) को भेजा जाए. इसीएस के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने के विकल्प को शेयरधारक अपनी इच्छा से कभी भी बंद कर सकता है.

9.6 अदत्त लाभांश

वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-2011 के लिए लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं करने वाले शेयरधारक लाभांश वारंटों के पुनवैंधीकरण तथा आवश्यक सहायता के लिए रजिस्ट्रार/बैंक से उक्त पते पर संपर्क कर सकते हैं.

9.7 शेयरों का डीमटेरिअलाईजेशन

बैंक के शेयरों का अनिवार्य रूप से डी-मैट स्वरूप में ही क्रय-विक्रय होता है. बैंक के शेयरों के डी-मैटीकरण के लिए बैंक ने दोनों डिपॉजिटरियों - नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लि. (NSDL) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (CDSL) के साथ समझौते किए हैं. बैंक के इक्विटी शेयरों को आबंटित आईएसआईएन कोड INE457A01014 है. वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक अभिरक्षा फीस सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार डिपाजिटरी को भुगतान कर दी गई है.

	शेयरधारकों की संख्या		शेयरों क	ो संख्या
श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक रूप में*	51575	27.60	115026689	19.51
डीमैट में				
क. एनएसडीएल	98649	52.80	81449791	13.81
ख. सीडीएसएल**	36617	19.60	393115602	66.68
उप जोड़	135266	72.40	474565393	80.49
कुल	186841	100.00	589592082	100.00

31.3.2012 को शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों के विवरण निम्नानुसार है :-

(*दिनांक 30.03.2012 को आबंटित भारत सरकार द्वारा धारित 8,37,93,902 शेयरों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा धारित 2,40,85,627 शेयर सहित) (**भारत सरकार द्वारा धारित 38,17,12,553 शेयरों सहित)

9.8 बाजार मूल्य और निष्पादित शेयरों की मात्राः-

(बाजार भाव डाटा ₹ में तथा मात्रा शेयरों की संख्या में)

Hyderabad, Indore, Jaipur, Jallandhar, Jamnagar, Jammu, Kanpur, Kolhapur, Kolkata, Lucknow, Ludhiana, Madurai, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Nasik, New Delhi, Panaji, Patna, Pune, Rajkot, Raipur, Solapur, Surat, Thiruvananthpuram, Tirupur, Udupi, Vijayawada, Vaizag,.

The Shareholders residing at any of the above centers may avail of this facility by filling in the ECS mandate form. The form is enclosed with the Annual Report, which may be sent to the Registrars & Transfer Agent in case of shares held in physical mode and to the respective Depository Participants (DPs) in respect of the shares held in dematerialized mode. The option to receive dividend through ECS may be discontinued at any time, at the instance of the shareholder.

9.6 Unpaid Dividends:

The Shareholders who have not encashed the dividend warrants for the financial years 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 and 2010-11 may contact the Registrar / Bank on the above address for revalidation of the warrants and for necessary assistance.

9.7 Dematerialisation of shares:

Shares of the Bank are traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is INE457A01014. The Annual Custody fees for the year 2012-13 have been paid to the depositories as per SEBI guidelines.

Particulars of shares held by the shareholders as on 31st March 2012 are as under:

	No. of shareholders		No. of s	shares
Category	Number of shareholders	Percen- tage	Number of shares	Percen- tage
Physical *	51575	27.60	115026689	19.51
Demat:				
1. NSDL	98649	52.80	81449791	13.81
2. CDSL**	36617	19.60	393115602	66.68
Sub-total	135266	72.40	474565393	80.49
Grand Total	186841	100.00	589592082	100.00

(* includes 8,37,93,902 shares held by the Government of India and 2,40,85,627 shares held byLIC of India allotted on 30.03.2012) (** Including 38,17,12,553 shares held by the Government of India)

9.8 Market Price data / price performance of Bank's Shares:

(Market Price data in Rupees and Volume in number of Shares):

महीना Month		बीएसई BSE			एनएसई NSE			सेंसेक्स SENSEX	
สธารา พอกถา	उच्चतम High	न्यूनतम Low	मात्रा Volume	उच्चतम High	न्यूनतम Low	मात्रा Volume	उच्चतम High	न्यूनतम Low	
अप्रैल April, 11	65.00	58.50	1562469	65.00	59.00	4131894	19811	18976	
मई May	60.90	55.00	778906	61.00	54.85	2593361	19254	17786	
जून June	59.95	52.50	931926	59.60	52.45	2622414	18873	17314	
जुलाई July	59.20	53.80	999905	59.30	53.85	2733848	19132	18132	
अगस्त August	56.85	47.00	931518	56.70	47.15	2620423	18440	15766	
सितंबर September	52.25	46.00	579827	52.30	44.55	2092498	17212	15801	
अक्तूबर October	52.00	44.60	947573	51.85	44.50	2925969	17908	15745	
नवंबर November	51.60	44.05	531682	51.50	44.05	1862405	17702	15479	
दिसंबर December	47.00	37.75	676800	47.30	37.70	2120449	17004	15136	
जनवरी January, 12	48.90	38.20	2315501	49.00	38.45	5936577	17259	15358	
फरवरी February	58.70	47.50	3002001	58.60	47.35	9123410	18524	17062	
मार्च March	54.75	49.00	979569	55.00	48.65	3076659	18041	16921	

9.9 प्रति शेयर डाटा

विवरण	31.3.2011	31.3.2012
अंकित मूल्य (₹)	10/-	10/-
प्रति शेयर आय (₹)	6.86	7.59
लाभांश (%)	20	22*
बही मूल्य (₹)	44.04	54.06
निवल लाभ के प्रतिशत के रूप में अदा किया		
गया लाभांश (लाभांश कर को छोड़कर)	29.16	30.11
* शेयरधारकों के अनुमोदन पर		

9.10 शेयरधारिता का वितरण

31.03.2012 को शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार है:

शेयर की	शेयरधारकों की	कुल	शेयरों की	कुल
संख्या	संख्या	का %	संख्या	का %
500 तक	174575	93.43	22798496	3.87
501-1000	7264	3.89	5925372	1.00
1001-2000	2945	1.58	4443911	0.75
2001-3000	767	0.41	1967688	0.33
3001-4000	293	0.15	1049286	0.17
4001-5000	258	0.14	1227673	0.20
5001-10000	365	0.20	2723883	0.46
10000* से ऊपर	374	0.20	549455773	93.22
कुल	186841	100.00	589592082	100.00

(* भारत सरकार द्वारा धारित 46,55,06,455 शेयरों का समावेश है)

9.11 शेयरधारिता का स्वरूप

दिनांक 31.03.2012 तथा 31.03.2011 को बैंक के शेयरों का शेयरधारिता का स्वरूप निम्नानुसार रहा :

शेयरधारक की	31.03.20)12 को	31.3.20	11 को
श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण से %	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण से %
भारत सरकार	46,55,06,455	78.95	38,17,12,553	79.24
बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियां	6,44,70,862	10.94	4,11,99,526	8.55
म्युच्युअल फंड/यूटीआई	12,06,470	0.20	11,98,880	0.25
विदेशी संस्थागत निवेशक, अनिवासी भारतीय और विदेशी निगमित निकाय	53,65,721	0.91	55,50,316	1.15
घरेलू कंपनियां	72,04,077	1.22	73,95,076	1.54
भारतीय जनता / निवासी व्यक्ति	4,58,38,497	7.78	4,46,56,202	9.27
जोड़	58,95,92,082	100.00	48,17,12,553	100.00

9.12 भारत सरकार को अधिमान्य आधार पर ईक्विटी शेयरों का आबंटन

बैंक के शेयरधारकों की दिनांक 26 मार्च 2012 को हुई असाधारण आम सभा में विशेष संकल्प को अनुमोदित करते हुए ₹ 10/- के 8,37,93,902 शेयर ₹ 46.09/- के प्रीमियम पर कुल ₹ 469,99,99,963.18/- के लिए भारत सरकार को जारी एवं आबंटित किए गए तथा ₹ 10/- के 2,40,85,627 शेयर ₹ 46.09/- के प्रीमियम पर कुल ₹ 135,09,62,818.43/- के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम व उसकी विभिन्न योजनाओं को अधिमानी आधार पर मार्च 2012 में आबंटित किए गए.

9.13 शेयरधारकों से संप्रेषण में हरित पहल

"हरित पहल" के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने दिनांक 21.04.2011 के संप्रेषण क्रं. 17/95/2011 सीएल-वी/परि. क्रं. 17 तथा दिनांक 29.04.2011 के क्रं.

9.9 Per Share Data:

Particulars	31.3.2011	31.3.2012
Face Value (₹)	10/-	10/-
EPS (₹)	6.86	7.59
Dividend (%)	20	22*
Book Value (₹)	44.04	54.06
Dividend Pay out (excluding dividend tax) as % of net profit	29.16	30.11
*Subject to approval of Share Holders		

9.10 Distribution of shareholding:

The distribution of shareholding, as on 31.3.2012 is as under:

No. of Shares	No. of Shareholders	% to total	No. of shares	% to total
	Silarenoiuers		Slidles	iotai
Up to 500	174575	93.43	22798496	3.87
501 -1000	7264	3.89	5925372	1.00
1001-2000	2945	1.58	4443911	0.75
2001-3000	767	0.41	1967688	0.33
3001-4000	293	0.15	1049286	0.17
4001-5000	258	0.14	1227673	0.20
5001-10000	365	0.20	2723883	0.46
Above 10000*	374	0.20	549455773	93.22
Total	186841	100.00	589592082	100.00

[* Includes 46,55,06,455 shares held by the Government of India]

9.11 Shareholding Pattern:

The shareholding pattern of the Bank's shares as on 31.3.2012 and 31.03.2011 was as under:

	As on 31.0	3.2012	As on 31.	03.2011	
Category of shareholder	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total holding	
Govt. of India	46,55,06,455	78.95	38,17,12,553	79.24	
Banks / Financial Institutions / Insurance Companies	6,44,70,862	10.94	4,11,99,526	8.55	
Mutual Funds / UTI	12,06,470	0.20	11,98,880	0.25	
FIIs, NRIs and OCBs	53,65,721	0.91	55,50,316	1.15	
Domestic Companies	72,04,077	1.22	73,95,076	1.54	
Indian Public / Resident individuals	4,58,38,497	7.78	4,46,56,202	9.27	
Total	58,95,92,082	100.00	48,17,12,553	100.00	

9.12 Allotment of equity shares to Government of India and LIC of India on preferential allotment basis

As approved by Special Resolution in the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank, held on 26th March 2012, 8,37,93,902 equity shares of $\vec{\mathbf{x}}$ 10/- each for cash at a premium of $\vec{\mathbf{x}}$ 46.09 per share aggregating $\vec{\mathbf{x}}$ 469,99,99,963.18 were issued and allotted to the Government of India and 2,40,85,627 equity shares of $\vec{\mathbf{x}}$ 10/- each for cash at a premium of $\vec{\mathbf{x}}$ 46.09 per share aggregating to $\vec{\mathbf{x}}$ 135,09,62,818.43 were allotted to LIC of India and its various schemes, on preferential allotment basis in March 2012.

9.13 Green Initiatives in communication to the shareholders:

The Ministry of Corporate Affairs, vide its communications No. 17/95/2011 CL-v/Cir No. 17 dated 21.04.2011 and No. 18/95/2011,

18/95/2012 द्वारा शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक मोड से संप्रेषण भेजने की अनुमति दी है. इसका अनुसरण करते हुए बैंक ने शेयरधारकों को दिनांक 30.12.2011, 20.01.2012 और 17.02.2012 को पत्र/मेल भेजे जिसमें अनुरोध किया गया कि वे अपने ई-मेल आईडी का अद्यतन कर लें जिससे कि बैंक शेयरधारकों को सूचना/ संप्रेषण/दस्तावेज इलेक्ट्रानिक मोड से भेज सके. तदनुसार, दिनांक 26 मार्च 2012 को संपन्न बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आमसभा की सूचना 42094 शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक मोड से भेजी गई.

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का प्रमाणपत्र / घोषणा

मैं घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल ने लिस्टिंग समझौते के खंड 49 के अनुपालन में निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के कर्मचारियों के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया है. आचार संहिता बैंक की वेब साईट पर भी प्रदर्शित की गई है.

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के सभी कर्मचारियों ने 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान आचार संहिता का पालन किया है.

		नरेन्ड्रीग्र	
स्थान	ः पुणे	(नरेंद्र सिंह)	Place
दिनांक	: 05.05.2012	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	Date

कते बैंक ऑफ महाराष्ट

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों हेतु लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

बैंक के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए सूचीबद्ध समझौते के खंड 49 के अनुसार दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष हेतु हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा कार्पोरेट गवर्नेन्स के नियमों के अनुपालन की जांच लागू सीमा तक की है.

कार्पोरेट गवर्नेन्स के नियमों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी जांच कार्पोरेट गवर्नेन्स के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यविधि और कार्यान्वयन तक सीमित थी. न तो यह लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों के बारे में हमारे मत की अभिव्यक्ति है.

हमारे मतानुसार, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और निदेशकों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त वर्णित सूचीबद्ध समझौते में विनिर्दिष्ट अनुसार बैंक ने कार्पोरेट गवर्नेन्स के मानदंडों का अनुपालन किया है.

हम स्पष्ट करते हैं कि बैंक द्वारा रखे गए अभिलेख के अनुसार बैंक के विरुद्ध किसी निवेशक की कोई शिकायत दिनांक 31 मार्च, 2012 को एक माह से अधिक की अवधि से लंबित नहीं थी.

साथ ही हम यह भी व्यक्त करते हैं कि यह अनुपालन न तो प्रबंधन की कार्यक्षमता अथवा प्रभावोत्पादकता जिसके द्वारा बैंक का कार्यव्यवहार किया गया हो, के प्रति और न ही बैंक की भावी व्यवहार्यता के प्रति कोई आश्वासन है.

दिनांक : 05 मई 2012

कृते रे एंड कं.	कृते जोध जोशी एंड कं.	कृते जे सी आर एंड कं.	For Ray & Co
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	Chartered Accountants
एफआरएन 313124इ	एफआरएन104317डब्ल्यू	एफआरएन१०५२७८इल्यू	FRN 313124E
सुमित सिकदर	अपर्णा पी.एस.शंकरन	जशवंत रावल	Sumit Sikdar
भागीदार	भागीदार	भागीदार	Partner
सदस्यता क्र120622	सदस्यता क्र.113982	सदस्यता क्र012926	Membership No. 120622
कृते एन. कुमार छाबरा एंड कं.	कृते डीएसपी एंड एसोसिएट	कृते कीर्तने एंड पंडित	For N. Kumar Chhabra a
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	Chartered Accountants
एफआरएन 000837	एफआरएन 6791एन	एफआरएन १०५२१५डब्ल्यू	FRN 000837
नवतेज कुमार	अतुल जैन	शरद भागवत	Navtej Kumar
भागीदार	भागीदार	भागीदार	Partner
सदस्यता क्र 080496	सदस्यता क्र 091431	सदस्यता क्र 008072	Membership No. 080496
स्थान ः पुणे			

dated 29.04.2011 has allowed sending the communications to the shareholders by electronic mode, as a matter of "Green Initiative". Falling in line with this, the Bank has sent letters/mail dt. 30.12.2011, 20.01.2012 and 17.02.2012 to the shareholders, requesting them to inform/update their email lds to enable the Bank to send the notices/ communications/documents to the shareholders by electronic mode. Accordingly, the notices of the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank, held on 26th March 2012 were sent to 42094 shareholders by electronic mode.

Certificate / Declaration of the Chairman and Managing Director

I declare that the Board has laid down the Code of Conduct for all Board Members and Senior Management Personnel of the Bank in compliance with clause 49 of the Listing Agreement. The Code of Conduct is posted on the website of the Bank.

I further declare that all Board members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance with the Code of Conduct during the year ended 31st March 2012.

	For Bank of Manarashtra
	•
	Memph
Place : Pune	(Narendra Singh)
Date : 05.05.2012	Chairman & Managing Director

Auditors' Certificate to the Shareholders of Bank of Maharashtra

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Maharashtra for the year ended on 31.3.2012 as stipulated vide clause 49 of the Listing Agreement entered by the Bank with Stock Exchanges, to the extent applicable.

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and the representations made by the directors and Management, we certify that the Bank has complied with the norms of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance was pending for a period exceeding one month as at 31st March 2012 against the Bank as per the records maintained by the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Ray & Co	For Jodh Joshi & Co	For JCR & Co
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
FRN 313124E	FRN 104317W	FRN 105270W
Quantit Olibator	Annual D.O. Combonia	lashuant Daval
Sumit Sikdar Partner	Aparna P S Sankaran Partner	Jashvant Raval Partner
Membership No. 120622	Membership No.113982	Membership No.12926
For N. Kumar Chhabra & Co	For DSP & Associates	For Kirtane & Pandit
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
FRN 000837	FRN 6791N	FRN 105215W
Navtej Kumar	Atul Jain	Sharad Bhagwat
Partner	Partner	Partner
Membership No. 080496	Membership No. 091431	Membership No 008072

48

Dated : 5th May 2012

वित्तीय विवरण Financial Statements



(₹ हजार में)

31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2012

(र हतार म) (₹ in thousands)				
	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2012 (Current Year)	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2011 (Previous Year)	
पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES				
पूंजी Capital	1	1177,59,21	1069,71,26	
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	3545,06,66	2901,21,36	
जमाराशियां Deposits	3	76528,65,08	66844,73,52	
उधारियां Borrowings	4	3824,75,04	3076,56,42	
अन्य देयताएं तथा प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	2941,32,62	2549,99,21	
जोड़ TOTAL		88017,38,61	76442,21,77	
आस्तियां ASSETS नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष				
Cash and Balances with Reserve Bank of India बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	6	4535,47,72	3846,00,33	
Balances with Banks, Money at call & short notice	7	1208,77,87	203,35,31	
निवेश Investments	8	22911,35,83	22491,08,45	
अग्रिम Advances	9	56059,76,44	46880,76,59	
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	600,65,41	666,79,05	
अन्य आस्तियां Other Assets	11	2701,35,34	2354,22,04	
जोड़ TOTAL		88017,38,61	76442,21,77	
संमाश्रित दायित्व Contingent Liabilities	12	18788,85,69	14403,32,38	
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		2044,61,87	2113,23,00	
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां Significant accounting policies	17			
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18			

उक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलनपत्र का अभिन्न अंग हैं. The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

54 5		- ·	
सी. वीआर. रा	जेंद्रन		नरेन्द्र सिंह
C VR RAJENI	DRAN	NAR	ENDRA SINGH
कार्यपालक निवे	शिक	अध्यक्ष	क्ष एवं प्रबंध निदेशक
EXECUTIVE DIF			MANAGING DIRECTOR
	LETOK	CHAIRMAN	MANAGING DIRECTOR
डॉ. डी.एस. पटेल	ए.के. पंडित	सुश्री कमला राजन	वी.पी. भारद्वाज
Dr D S PATEL	A K PANDIT	Ms KAMALA RAJAN	V P BHARDWAJ
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक
DIRECTOR	DIRECTOR	DIRECTOR	DIRECTOR
आर. सी. अग्रवाल	डॉ. नरेश कुमार दराल	एस डी धनक	डॉ. एस.यू. देशपांडे
R C AGRAWAL	Dr NARESH KUMAR DRALL	S D DHANAK	Dr S U DESHPANDE
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक
DIRECTOR	DIRECTOR	DIRECTOR	DIRECTOR
वी. सुब्रमणियन	आर. पा	र्थसारथी	ए. एस. बनर्जी
V. SUBRAMANIAN	R. PARTHA	ASARATHY	A. S. BANERJEE
सहा. महाप्रबंधक वि.प्र. व लेर	बा महाप्रबंधक वि	वे.प्र. व लेखा	मुख्य महाप्रबंधक
Asstt General Manager, FM	1&A General Mar	nager FM&A	Chief General Manager
स्थान : पुणे Place	: Pune		
IGHIO I UD HŞ ZUIZ DATE	: 5th May, 2012		

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012

(₹ हजार में) (₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2012 (Current Year)	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2011 (Previous Year)
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	7213,96,44	5563,08,76
अन्य आय Other Income	14	640,66,61	530,85,78
जोड़ TOTAL		7854,63,05	6093,94,54
ll. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	4696,87,51	3594,68,89
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	1642,51,51	1644,22,39
प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies		1084,41,15	524,64,43
जोड़ TOTAL		7423,80,17	5763,55,71
लाभ / हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year		430,82,88	330,38,83
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ Add : Profit brought forward		365,44,51	284,88,04
जोड़ TOTAL		796,27,39	615,26,87
विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		107,70,72	82,59,71
पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve		2,54,20	3,03,97
राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve		-	5,33,93
विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve		25,00,00	12,00,00
प्रस्तावित लाभांश (पीएनसीपीएस) Proposed dividend (PNCPS)		55,86,00	29,58,93
प्रस्तावित लाभांश (ईक्विटी) Proposed dividend (Equity)		129,71,03	96,34,25
लाभांश पर कर Tax on Dividend		30,10,41	20,91,57
शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to Balance Shee	t	445,35,03	365,44,51
जोड़ TOTAL		796,27,39	615,26,87
प्रति शेयर अर्जन (मूल व कम की हुई) (₹) Earning per share (Basic & Diluted)	(₹)	7.59	6.86

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ व हानि लेखे का अभिन्न अंग हैं. The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार. AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

कृते रे एंड कं.	कृते जोध जोशी एंड कं.	कृते जेसीआर एंड कं.	कृते एन कुमार छाबरा एंड कं	कृते डी एस पी एंड असोसिएटस्	कृते कीर्तने एंड पंडित
For Ray & Co.	For Jodh Joshi And Co	For JCR & Co.	For N. Kumar Chhabra & Co.	For DSP & Associates	For Kirtane & Pandit
एफआरएन 313124ई	एफआरएन 104317डब्ल्यू	एफआरएन : 105270डब्ल्यू	एफआरएन 000837एन	एफआरएन 006791एन	एफआरएनः 105215डब्ल्यू
FRN : 313124E	FRN : 104317W	FRN : 105270W	FRN : 000837N	FRN : 006791N	FRN: 105215W
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
सुमित सिकदर	अपर्णा पी. एस. शंकरन	जशावंत रावल	नवतेज कुमार	अतुल जैन	शरद भागवत
Sumit Sikdar	Aparna P. S. Sankaran	Jashvant Raval	Navtej Kumar	Atul Jain	Sharad Bhagwat
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
Partner	Partner	Partner	Partner	Partner	Partner
सदस्यता क्र.: 120622	सदस्यता क्र.: 113982	सदस्यता क्र.: 012926	सदस्यता क्र.: 080496	सदस्यता क्र.: 091431	सदस्यता क्र.: 008072
Membership No.: 120622	Membership No.: 113982	Membership No.: 012926	Membership No.: 080496	Membership No.: 091431	Membership No.: 008072
स्थान ः पुणे	Place : Pune				

दिनांक : 05 मई 2012

Date : 5th May, 2012

अनुसूची - 1 ः पूंजी SCHEDULE – 1 : CAPITAL

(₹ हजार में) (₹ in thousands)

			। मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year)		1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year)
	जी Authorised Capital		3000,00,00		3000,00,00
	ावटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each				
	दत्त Issued & Subscribed				
	8,95,92,082 (गत वर्ष 48,17,12,553) ईक्विटी शेयर				
	082 Equity Shares (Previous year 48,17,12,553) of ₹ 10/- each ୩ Opening Balance	481,71,26		430,52,00	
वर्ष के दौरान	न वृध्दि Additions during the year	107,87,95	589,59,21	51,19,26	481,71,26
-	Paid Up Capital				
	 सरकार द्वारा धारित				
	by Central Government	465,50,65		381,71,26	
	के 46,55,06,455 (गत वर्ष 38,17,12,553) ईक्विटी शेयर				
	i5,06,455 (Previous year 38,17,12,553) Equity shares of ₹ 10/- each 11 व अन्य द्वारा धारित				
	by the Public & Others	124,08,56		100,00,00	
	/- के 12,40,85,627 (गत वर्ष 10,00,00,000) ईक्विटी शेयर	,,.			
	0,85,627 (Previous year 10,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10/- each				
	रं : देय आबंटन राशि Less: Allotment money due	-	589,59,21	-	481,71,26
	रसंचयी अधिमान्य शेयर				
	I Non Cumulative Preference Shares				
	: द्वारा धारित ₹ 10,00,000/- के 5880 बेमियादी गैरसंचयी अधिमान्य शेयर				
	betual Non Cumulative Preference Shares of ₹ 10,00,000/- by Central Government	588,00,00	588,00,00	588,00,00	588,00,00
	-				1069,71,26
जोड़ TOTAL					
अनुसूची	- 2 ः आरक्षितियां और अधिशेष ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS	31		3	(₹ हजार में) (₹ in thousands)
अनुसूची			मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012		(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 9 31st March, 2011
अनुसूची SCHED	ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS		। मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)		(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष)
अनुसूची SCHED	ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS धिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE	As on	मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012	As on	(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 9 31st March, 2011
अनुसूची SCHED ।. सांवि i)	ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS धिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance	As on 720,56,95	। मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year)	As on 637,97,24	(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year)
अनुसूची SCHED ।. सांवि i) ii)	ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS धिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year	As on	मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012	As on	(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year)
अनुसूची SCHED ।. सांवि i) ii) II. पूंजीग	ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS থিক আৎঞ্জিনিয়া STATUTORY RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance বর্ষ के दौरान वृध्दि Addition during the year गत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE	As on 720,56,95 107,70,72	। मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year)	As on 637,97,24 82,59,71	(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year)
अनुसूची SCHED ।. सांवि i) ii) II. पूंजीग i)	ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS धिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year गत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance	As on 720,56,95 107,70,72 116,63,80	। मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year)	As on 637,97,24 82,59,71 113,59,83	(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष 31st March, 2011 (Previous Year)
अनुसूची SCHED ।. सांवि i) ii) II. पूंजीग	ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS धिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year गत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year	As on 720,56,95 107,70,72	मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year) 828,27,67	As on 637,97,24 82,59,71	(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year) 720,56,95
अनुसूची SCHED ।. सांवि i) ii) II. पूंजीग i) ii) ii) iii)	ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS धिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year गत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance	As on 720,56,95 107,70,72 116,63,80	। मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year)	As on 637,97,24 82,59,71 113,59,83	(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 9 31st March, 2011 (Previous Year) 720,56,95
अनुसूची SCHED I. सांवि i) ii) II. पूंजीग ii) iii) iii) III. शेयर	ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS धिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year गत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year द प्रीमियम SHARE PREMIUM	As on 720,56,95 107,70,72 116,63,80 2,54,20	मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year) 828,27,67	As on 637,97,24 82,59,71 113,59,83 3,03,97	(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 9 31st March, 2011 (Previous Year) 720,56,95
अनुसूची SCHED I. सांवि i) ii) II. पूंजीग ii) iii) III. शेयर i)	ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS धिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year गत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year गत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year र प्रीमियम SHARE PREMIUM प्रारंभिक शेष Opening Balance	As on 720,56,95 107,70,72 116,63,80 2,54,20 - 430,80,74	मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year) 828,27,67 119,18,00	As on 637,97,24 82,59,71 113,59,83 3,03,97 	(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year) 720,56,95
अनुसूची SCHED I. सांवि i) ii) II. पूंजीग ii) iii) III. शेयर i) iii)	ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS धिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year गत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year द प्रीमियम SHARE PREMIUM	As on 720,56,95 107,70,72 116,63,80 2,54,20	मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year) 828,27,67	As on 637,97,24 82,59,71 113,59,83 3,03,97	(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year) 720,56,95
अनुसूची SCHED I. सांवि i) ii) II. पूंजीग ii) iii) III. शेयर i) iii)	ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS धिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year गत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year गत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year रप्रीमियम SHARE PREMIUM प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year	As on 720,56,95 107,70,72 116,63,80 2,54,20 - 430,80,74	मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year) 828,27,67 119,18,00	As on 637,97,24 82,59,71 113,59,83 3,03,97 	(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year) 720,56,95
अनुसूची SCHED I. सांवि i) ii) II. पूंजीग ii) iii) III. शेयर i) iii) III. शेयर i) ii)	ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS धिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year गत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year गत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के वौरान कमी Deduction during the year रप्रीमियम SHARE PREMIUM प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year दर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year स्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES	As on 720,56,95 107,70,72 116,63,80 2,54,20 - 430,80,74	मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year) 828,27,67 119,18,00	As on 637,97,24 82,59,71 113,59,83 3,03,97 	(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year) 720,56,95
अनुसूची SCHED I. सांवि i) ii) II. पूंजीग ii) iii) III. शेयर i) iii) III. शेयर i) ii)	ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS विक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृधि Addition during the year गत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृधि Addition during the year वर्ष के वौरान वृधि Addition during the year वर्ष के वौरान कमी Deduction during the year tyोमियम SHARE PREMIUM प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृधि Addition during the year स्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES राजस्व आरक्षितियां a) REVENUE RESERVE	As on 720,56,95 107,70,72 116,63,80 2,54,20 - 430,80,74 497,21,68	मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year) 828,27,67 119,18,00	As on 637,97,24 82,59,71 113,59,83 3,03,97 130,00,00 300,80,74	(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year) 720,56,95
अनुसूची SCHED I. सांवि i) ii) II. पूंजीग ii) iii) III. शेयर i) iii) III. शेयर i) ii)	ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS ਇक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year यत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year रप्रीमियम SHARE PREMIUM प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year स्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES राजस्व आरक्षितियां a) REVENUE RESERVE i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	As on 720,56,95 107,70,72 116,63,80 2,54,20 - 430,80,74 497,21,68	मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year) 828,27,67 119,18,00	As on 637,97,24 82,59,71 113,59,83 3,03,97 130,00,00 300,80,74 750,86,87	(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 9 31st March, 2011
अनुसूची SCHED I. सांवि i) ii) II. पूंजीग ii) iii) III. शेयर i) iii) III. शेयर i) ii)	ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS विक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृधि Addition during the year गत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृधि Addition during the year वर्ष के वौरान वृधि Addition during the year वर्ष के वौरान कमी Deduction during the year tylियम SHARE PREMIUM प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृधि Addition during the year स्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES राजस्व आरक्षितियां a) REVENUE RESERVE i) प्रारंभिक शेष Opening Balance ii) वर्ष के वौरान वृधि Addition during the year iii) वर्ष के वौरान कमी Deduction during the year iii) वर्ष के वौरान कमी Deduction during the year	As on 720,56,95 107,70,72 116,63,80 2,54,20 - 430,80,74 497,21,68 756,20,80 -	9 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year) 828,27,67 119,18,00 928,02,42	As on 637,97,24 82,59,71 113,59,83 3,03,97 130,00,00 300,80,74 750,86,87	(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year) 720,56,95 116,63,80 430,80,74
अनुसूची SCHED ।. सांवि i) ii) II. पूंजीग ii) iii) III. शेयर i) ii) IV. राजर क)	ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS Reserves AND SURPLUS शिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year यत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year राप्रीमियम SHARE PREMIUM प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year स्व व अन्य आरक्षितियां a) REVENUE AND OTHER RESERVES राजस्व आरक्षितियां a) REVENUE RESERVE i) प्रारंभिक शेष Opening Balance ii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year iii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year ii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year iii) वर्ष के वौरान कमी Deduction during the year iii) वर्ष के वौरान कमी Deduction during the year iii) वर्ष के वौरान कमी Deduction during the year iii) वर्ष के वौरान कमी Deduction during the year iii) वर्ष के वौरान कमी Deduction during the year iiii) वर्ष के वौरान कमी Deduction during the year <td>As on 720,56,95 107,70,72 116,63,80 2,54,20 - 430,80,74 497,21,68 756,20,80 -</td> <td>9 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year) 828,27,67 119,18,00 928,02,42</td> <td>As on 637,97,24 82,59,71 113,59,83 3,03,97 130,00,00 300,80,74 750,86,87</td> <td>(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year) 720,56,95 116,63,80 430,80,74</td>	As on 720,56,95 107,70,72 116,63,80 2,54,20 - 430,80,74 497,21,68 756,20,80 -	9 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year) 828,27,67 119,18,00 928,02,42	As on 637,97,24 82,59,71 113,59,83 3,03,97 130,00,00 300,80,74 750,86,87	(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year) 720,56,95 116,63,80 430,80,74
अनुसूची SCHED ।. सांवि i) ii) II. पूंजीग ii) iii) III. शेयर i) ii) IV. राजर क)	ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS Reserves AND SURPLUS Reserves AND SURPLUS Reserves AND SURPLUS प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year दर्प्रामियम SHARE PREMIUM प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year स्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES राजस्व आरक्षितियां a) REVENUE RESERVE i) प्रारंभिक शेष Opening Balance ii) वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year iii) वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year ii) वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year iii) वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year iii) वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year ii) <td>As on 720,56,95 107,70,72 116,63,80 2,54,20 - 430,80,74 497,21,68 756,20,80 - 35</td> <td>9 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year) 828,27,67 119,18,00 928,02,42</td> <td>As on</td> <td>(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year) 720,56,95 116,63,80 430,80,74</td>	As on 720,56,95 107,70,72 116,63,80 2,54,20 - 430,80,74 497,21,68 756,20,80 - 35	9 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year) 828,27,67 119,18,00 928,02,42	As on	(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year) 720,56,95 116,63,80 430,80,74
अनुसूची SCHED ।. सांवि i) ii) II. पूंजीग ii) iii) III. शेयर i) ii) IV. राजर क)	ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS शिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year क्रारक्षितियां CAPITAL RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year रप्रीमियम SHARE PREMIUM प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year स्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES राजस्व आरक्षितियां a) REVENUE RESERVE i) प्रारंभिक शेष Opening Balance ii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year स्व व अन्य आरक्षितियां a) REVENUE RESERVE j) प्रारंभिक शेष Opening Balance ii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year iii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year iii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year iii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year iii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year iii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year iii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during t	As on 720,56,95 107,70,72 116,63,80 2,54,20 - 430,80,74 497,21,68 756,20,80 - 35 68,00,00	9 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year) 828,27,67 119,18,00 928,02,42 756,20,45	As on	(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year) 720,56,95 116,63,80 430,80,74
अनुसूची SCHED :. सांवि i) ii) II. पूंजीग ii) iii) III. शेयर i) ii) IV. राजर क) ख)	ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS Reserves AND SURPLUS Reserves AND SURPLUS Reserves And SURPLUS प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष क दौरान वृध्दि Addition during the year दात्र क्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES पार्जर्भिक शेष Opening Balance i) प्रारंभिक शेष Opening Balance ii) वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year iii) प्रारंभिक शेष Opening Balance ii) वर्ष के दौरान वृध्दि Addition during the year iii) प्रारंभिक शेष Opening Balance ii) प्रारंभिक शेष Opening Balance ii) quarter ant ball chaution during the year iii)	As on 720,56,95 107,70,72 116,63,80 2,54,20 - 430,80,74 497,21,68 756,20,80 - 35 68,00,00	9 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year) 828,27,67 119,18,00 928,02,42 756,20,45	As on	(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year) 720,56,95 116,63,80 430,80,74
अनुसूची SCHED :. सांवि i) ii) II. पूंजीग ii) iii) III. शेयर i) ii) IV. राजर क) ख)	ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS शिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year क्रारक्षितियां CAPITAL RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year दर्ग्रमियम SHARE PREMIUM प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year स्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES राजस्व आरक्षितियां a) REVENUE RESERVE i) प्रारंभिक शेष Opening Balance ii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year ख के वौरान वृध्दि Addition during the year ii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year iii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year iii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year iii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year ii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year ii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year ii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year ii) वर्ष के वौरान वृध्दि A	As on 720,56,95 107,70,72 116,63,80 2,54,20 - 430,80,74 497,21,68 756,20,80 - 35 68,00,00 25,00,00	9 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year) 828,27,67 119,18,00 928,02,42 756,20,45 93,00,00	As on	(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year) 720,56,95 116,63,80 430,80,74 756,20,80 68,00,00
अनुसूची SCHED . सांवि i) ii) II. पूंजीग ii) III. शेयर i) III. शेयर o) IV. राजर क) रख)	ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS शिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year यत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year य्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year य्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year राजस्व आरक्षितियां a) REVENUE AND OTHER RESERVES राजस्व आरक्षितियां a) REVENUE RESERVE i) प्रारंभिक शेष Opening Balance ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year iii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year iii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year iii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year iii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year iii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year ii) प्रारंभिक शेष Opening Balance ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year iii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year iii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the	As on 720,56,95 107,70,72 116,63,80 2,54,20 - 430,80,74 497,21,68 756,20,80 - 35 68,00,00 25,00,00 4,43,54,56	मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year) 828,27,67 119,18,00 928,02,42 756,20,45 93,00,00 375,02,74	As on 637,97,24 82,59,71 113,59,83 3,03,97 130,00,00 300,80,74 750,86,87 5,33,93 56,00,00 12,00,00 454,57,14	(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year) 720,56,95 116,63,80 430,80,74 756,20,80 68,00,00 443,54,56
अनुसूची SCHED I. सांवि i) ii) II. पूंजीग ii) III. शेयर i) III. शेयर o) IV. राजर क) V. लाभ	ULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS शिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year क्रारक्षितियां CAPITAL RESERVE प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year दर्ग्रमियम SHARE PREMIUM प्रारंभिक शेष Opening Balance वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year स्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES राजस्व आरक्षितियां a) REVENUE RESERVE i) प्रारंभिक शेष Opening Balance ii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year ख के वौरान वृध्दि Addition during the year ii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year iii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year iii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year iii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year ii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year ii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year ii) वर्ष के वौरान वृध्दि Addition during the year ii) वर्ष के वौरान वृध्दि A	As on 720,56,95 107,70,72 116,63,80 2,54,20 - 430,80,74 497,21,68 756,20,80 - 35 68,00,00 25,00,00 4,43,54,56 2,10,91	9 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year) 828,27,67 119,18,00 928,02,42 756,20,45 93,00,00	As on	(₹ हजार में) (₹ in thousands) 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year) 720,56,95 116,63,80 430,80,74 756,20,80 68,00,00

अनुसूची - ३ ः जमाराशियां SCHEDULE – ३ : DEPOSITS

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

		-	1 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year)		31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) on 31st March, 2011 (Previous Year)
क.A. I.	मांग जमाराशियां DEMAND DEPOSITS				
	i) वैंकों से From Banks	58,69,12		52,66,31	
	ii) अन्यों से From others	8392,77,98	8451,47,10	6546,59,22	6599,25,53
П.	बचत बैंक जमाराशियां SAVINGS BANK DEPOSITS		23180,12,14		20433,17,51
III.	मीयादी जमाराशियां TERM DEPOSITS				
	i) बैंकों से From Banks	45,33,27		110,46,00	
	ii) अन्यों से From others	44851,72,57	44897,05,84	39701,84,48	39812,30,48
	जोड़ TOTAL (I, II एवं III) (I, II & III)		76528,65,08		66844,73,52
ख.B. (i)	भारत में शाखाओं की जमाराशियां Deposits of Branches in India		76528,65,08		66844,73,52
(ii)	भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां				
	Deposits of Branches outside India		-		-
	जोइ TOTAL		76528,65,08		66844,73,52

अनुसूची - 4 : उधारियां SCHEDULE – 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में)

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

	HEDULE – 4 : BORROWINGS				(₹ in thousands)
		đ	मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year)		1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year)
Ι.	भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA				
	i) भारतीय रिज़र्व बैंक से Reserve Bank Of India	50,00,00		-	
	ii) अन्य बैंकों से Other Banks	-		-	
	iii) अन्य संस्थाओं और एजन्सियों से Other Institutions and Agencies	825,80,21		377,60,59	
	iv) अन्य उधारियां Other Borrowings क) नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई) a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	295,00,00		295,00,00	
	ख) बॉण्ड के रूप में जारी संमिश्र कर्ज पूंजी लिखतें b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds ग) गौण ऋण बॉण्ड	1250,00,00		1250,00,00	
	c) Subordinated Debt Bonds	955,00,00	3375,80,21	955,00,00	2877,60,59
П.	भारत के बाहर उधारियां BORROWINGS OUTSIDE INDIA		448,94,83		198,95,83
	जोड़ TOTAL (एवं) (&)		3824,75,04		3076,56,42
III.	उपर्युक्त l व ll में जमानती उधारियां शामिल है SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE		_		

अनुसूची - 5 ः अन्य देयताएं और प्रावधान SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

	31 मार्च 2012 की सि के अनुसार (चालू As on 31st March, 2 (Current Ye	तर्ष) के अनुसार (गत वर्ष) 12 As on 31st March, 2011
I. देय बिल Bills Payable	409,11	91 440,97,38
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)		
III. उपचित ब्याज Interest Accrued	283,48	32 60,11,57
IV. अन्य (इसमें प्रावधान शामिल है) : Others (including provisions) :		
i) मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision against standard assets	261,34,66	191,42,06
ii) अन्य देयताएं (प्रावधान सहित) Other liabilities (including provisions)	1987,37,73 2248,72	39 1857,48,20 2048,90,26
जोइ TOTAL	2941,32	62 2549,99,21

(₹ हजार में) (₹ in thousands)

	रसूची - 6 : नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष HEDULE – 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE B	ANK OF INDIA	(₹ हजार में) (₹ in thousands)
		31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2012 (Current Year)	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2011 (Previous Year)
I. II.	हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करन्सी नोट शामिल हैं) Cash in hand (including foreign currency notes) भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष Balances with Reserve Bank of India	503,55,06	424,91,37
	i) चालू खाते में In Current Accounts	4031,92,66	3421,08,96
	ii) अन्य खातों में In other Accounts जोइ TOTAL (I एवं II) (I & II)	4031,92,66 4535,47,72	3421,08,96 3846,00,33

अनुसूची - 7 : बैंकों में अधिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन SCHEDULE – 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

	के	गर्च 2012 की स्थिति अनुसार (चालू वर्ष) 1st March, 2012 (Current Year)		मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year)
।. भारत में In India				
i) वैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
(क) चालू खातों में				
(a) Current Accounts	381,01,76		100,70,77	
(ख) अन्य जमा खातों में	45 40 55	200 00 24	05 40 50	405 00 00
(b) Other Deposit Accounts	15,18,55	396,20,31	65,18,56	165,89,33
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice				
(क) बैंकों के पास				
(a) With Banks	-		-	
(ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) - With Other Institutions				
(b) With Other Institutions				
जोड़ TOTAL (İ एवं İİ) (i & ii)		396,20,31		165,89,33
ll. भारत के बाहर Outside India				
बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
(क)) चालू खातों में				
(a) Current Accounts	-		-	
(ख) अन्य जमा खातों में				
(b) Other Deposit Accounts	812,57,56		37,45,98	
(ग) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
(c) Money at Call & Short Notice		812,57,56		37,45,98
जोड़ TOTAL		812,57,56		37,45,98
कुल जोड़ GRAND TOTAL (एवं) (I & II)		1208,77,87		203,35,31

अनुसूची - 8 : निवेश SCHEDULE – 8 : INVESTMENTS

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

				1 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year)		31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) n 31st March, 2011 (Previous Year)
क.А. I.	भारत क) a)	ा में निवेश Investments in India in सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities				
		(खजाना बिल व जीरो कूपन बांडों सहित) (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)		17523,83,96		18541,40,46
	ख)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां				
	b)	Other approved securities		-		11,23,70
	ग)	शेयर्स				
	c)	Shares		210,65,55		140,18,99
	घ) d)	डिवेंचर्स और बांड Debentures and Bonds		944,45,97		883,40,80
	प) ड.)	सहायक प्रतिष्ठानों और/या संयुक्त उद्यम		344,43,37		000,40,00
	ь.) e)	Subsidiaries and/or Joint Ventures		68,76,11		52,89,11
	च)	अन्य				
	f)	Others				
		i) यू.टी.आई./म्यूचुअल फंडों के यूनिट				
		Units of U T I/Mutual funds	30,59,42		44,04,97	
		ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	1045,18,21		753,76,53	
		iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	53,26,25		24,36,62	
		iv) पी टी सी PTCs	15,01,96		22,88,43	
		v) आर आई डी एफ व अन्य R I D F & Others	3019,58,40	4163,64,24	2016,88,84	2861,95,39
		जोड़ TOTAL		22911,35,83		22491,08,45
Ш.	भारत	ा से बाहर निवेश Investments outside India				
	जोड़	TOTAL				
	कुलः	जोड़ GRAND TOTAL (I & II)		22911,35,83		22491,08,45
ख.B. अ)	भारत	। में सकल निवेश				
a)	Gros	ss Investments in India	23078,26,56		22614,50,66	
		- निवेश पर मूल्य-हास				
		: Depreciation on Investment	165,63,25		103,36,19	
		r - निवेशों हेतु प्रावधान s: Provisions for Investment	4 97 49	22911,35,83	20.06.02	22491,08,45
		। निवेश	1,27,48		20,06,02	
		Indexi		22911,35,83		22491,08,45
ৰ)	भारत	। के बाहर सकल निवेश				
b)		ss Investments outside India		-		-
	जोड	TOTAL (अ एवं ब) (a & b)		22911,35,83		22491,08,45

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

		-	1 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) a 31st March, 2012 (Current Year)		1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 1 31st March, 2011 (Previous Year)
क.A. i)	बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	1489,69,90		953,34,63	
ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	19481,62,53		13011,33,95	
iii)	मीयादी ऋण Term Loans	35088,44,01	56059,76,44	32916,08,01	46880,76,59
	जोड़ TOTAL		56059,76,44		46880,76,59
ख.B. i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत				
	Secured by tangible assets (बही ऋण पर अग्रिमों सहित)				
	(includes advances against Book Debts)	45450,23,07		34095,70,65	
ii)	बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित Generad by Bank/Cavaranaet Guarantees	7 40 04		CE1 E0 70	
	Covered by Bank/Government Guarantees अ-संरक्षित Unsecured	7,19,91	50050 70 44	651,58,76	40000 70 50
iii)	अ-तरावत Onsecured जोड TOTAL	10602,33,46	56059,76,44	12133,47,18	46880,76,59
			56059,76,44		46880,76,59
ग.C. I.	भारत में अग्रिम Advances in India				
	i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	18850,37,64		16107,30,09	
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	13216,97,50		7891,92,88	
	iii) बैंक Banks	10,98		-	
	iv) अन्य Others	23992,30,32	56059,76,44	22881,53,62	46880,76,59
11.	भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India				
	जोड़ TOTAL (ग एवं ग) (C.I & C.II)		56059,76,44		46880,76,59

अनुसूची - 10 ः स्थिर आस्तियां SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

		के	र्च 2012 की स्थिति अनुसार (चालू वर्ष) st March, 2012 (Current Year)	As on 3	गर्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) 1st March, 2011 (Previous Year)
Ι.	परिसर Premises *				
	 विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year 	643,25,24		631,90,67	
	(पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृध्दि शामिल है) (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)				
	2. वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the Period	4,29		10,39,02	
	 वर्ष के दौरान पूनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन 	4,20		10,00,02	
	Addition on account of revaluation during the year	2,10,91		1,43,72	
		645,40,44		643,73,41	
	4. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	53,28,03		48,17	
		592,12,41		643,25,24	
	5. अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	154,07,46	438,04,95	131,00,83	512,24,41
П.	अन्य स्थिर आस्तियां (इसमें फर्निचर व फिक्स्चर्स शामिल हैं)				
	Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
	 विगत वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर 				
	At cost as on 31st March of the preceding year	676,61,44		616,85,21	
	2. अवधि के दौरान परिवर्धन Addition during the Period	72,52,00		80,47,71	
		749,13,44		697,32,92	
	3. अवधि के दौरान कमी Deduction during the Period	18,39,52		20,71,48	
		730,73,92		676,61,44	
	4. अद्यतन मूल्य-हास Depreciation to date	568,13,46	162,60,46	522,06,80	154,54,64
	जोड़ TOTAL (एवं) (I & II)		600,65,41		666,79,05

* पूंजी ''प्रक्रियाधीन कार्य'' सहित ₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य) * Includes Capital "Work in Progress" ₹ Nil (Previous Year ₹ Nil)

अनुसूची - 11 ः अन्य आस्तियां **SCHEDULE – 11 : OTHER ASSETS**

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

		31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2012 (Current Year)	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2011 (Previous Year)
Ι.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	371,79,64	314,52,88
П.	उपचित ब्याज Interest accrued	585,48,92	443,56,91
III.	अग्रिम रूप से संदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	855,61,84	466,60,99
IV. V.	लेखन सामग्री और स्टांप Stationery and Stamps दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	5,31,18	4,67,80
VI.	अन्य Others *	883,13,76	1124,83,46
	जोड़ TOTAL (I,II,III,IV,V एवं VI) (I, II, III, IV, V & VI)	2701,35,34	2354,22,04

* टिप्पणी : अन्य में ₹ 261,85,96 की निवल आस्थगित कर आस्तियां शामिल हैं (गत वर्ष ₹ 404,38,04)

* Note : Others include Net Deferred Tax Assets of ₹ 261,85,96 (Previous Period ₹ 404,38,04)

अनुसूची - 12 : आकस्मिक दायित्व SCHEDULE – 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

			। मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year)		31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) n 31st March, 2011 (Previous Year)
।. बैंक के विरुध	द दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है.				
Claims aga	ainst the Bank not acknowledged as debts		1175,57,05		695,99,94
II. आंशिक संदत्त	त निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments		-		-
III. बकाया वायद	ा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व*				
Liability on	account of outstanding forward exchange contracts*		9865,17,63		7062,96,07
IV. संघटकों की :	ओर से दी गयी प्रतिभूतियां				
Guarantee	s given on behalf of constituents				
(क) भारत	में (a) In India	4834,78,66		4369,13,87	
(ख) भारत	के बाहर (b) Outside India	740,57,84	5575,36,50	450,40,57	4819,54,44
V. स्वीकृतियां, प	रृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं				
Acceptance	es,endorsements and obligations		1772,74,51		1424,81,93
VI. अन्य मदें जिन	नके लिये बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है				
Other items	s for which Bank is contigently liable		400,00,00		400,00,00
जोड़ TOTA	L (I, II, III, IV, V एवं VI) (I, II, III, IV, V & VI)		18788,85,69		14403,32,38

* वायदा विनिमय संविदाओं के समाश्रित दायित्व में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं ।

* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज SCHEDULE – 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

			समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year)		गे समाप्त वर्ष (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year)
Ι.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills		5490,62,67		4006,13,75
П.	निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	1739,22,16		1556,88,31	
	घटाएं : निवेशों का परिशोधन Less : Amortisation of Investments	30,64,74	1708,57,42	36,58,69	1520,29,62
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज				
	Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds		1,51,94		25,13,20
IV.	अन्य Others		13,24,41		11,52,19
	जोड़ TOTAL (I, II, III एवं IV) (I, II, III & IV)		7213,96,44		5563,08,76

अनुसूची - 14 : अन्य आय SCHEDULE – 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

			गे समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) d 31st March, 2012 (Current Year)		को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) d 31st March, 2011 (Previous Year)
l. व	त्रमीशन,विनिमय और दलाली Commission, exchange, and brokerage		455,07,28		313,01,46
II. F	नेवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	31,80,22		67,60,60	
5	ग्रटाएं : निवेशों की विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments	19,67,87	12,12,35	4,97,33	62,63,27
III. F	नेवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments				
	ग्रटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	-	-	-	-
IV. ¥	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ				
F	Profit on sale of land, buildings and other assets	68,98		85,95	
ธ	ग्रटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि				
	less : Loss on sale of land, buildings and other assets	59,48	9,50	61,69	24,26
V. f	वेनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	43,81,48		31,42,81	
5	ग्रटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	6,66	43,74,82	2	31,42,79
VI. ۴	गरत / विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों इत्यादि से लाभाशों के रूप में अर्जित आय				
	ncome earned by way of dividends etc. from subsidiaries/				
	companies and/or Joint Ventures abroad/in India		3,31,22		1,86,35
VII. वि	वेविध आय Miscellaneous Income		126,31,44		121,67,65
3	जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI एवं VII) (I, II, III, IV, V, VI & VII)		640,66,61		530,85,78
Ū					

अनुसूची - 15 : प्रदत्त ब्याज SCHEDULE – 15 : INTEREST EXPENDED

👬 बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(₹ हजार में)

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

(₹ in thousands)

		31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2012 (Current Year)	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2011 (Previous Year)
I.	जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	4293,80,71	3282,74,88
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	120,05,42	44,37,66
III.	अन्य Others	283,01,38	267,56,35
	जोड़ TOTAL (I,II एवं III) (I, II & III)	4696,87,51	3594,68,89

अनुसूची - 16 ः परिचालन व्यय SCHEDULE – 16 : OPERATING EXPENSES

		31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2012 (Current Year)	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2011 (Previous Year)
Ι.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिये प्रावधान Payments to and provisions for employees	1113,01,73	1157,08,00
II.	भाड़ा, कर और रोशनी Rent, taxes and lighting	115,88,69	98,95,22
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	14,22,02	14,07,54
IV.	विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	17,87,62	18,76,27
V.	बैंक की सम्पत्ति पर मूल्य-हास Depreciation on Bank's property (पुनर्मूल्यन आरक्षिति को अंतरित मूल्य-हास को छोडकर) (Net of depreciation transferred to Revaluation Reserve)	65,66,08	67,85,59
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	71,45	76,36
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय Auditors' fees and expenses (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं) (incl. branch auditors' fees and expenses)	11,90,45	14,18,50
VIII.	विधि प्रभार Law Charges	8,72,47	5,33,87
IX.	डाक, तार और टेलिफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	22,48,32	20,47,66
Х.	मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	33,70,57	30,37,61
XI.	बीमा Insurance	69,20,05	65,86,74
XII.	अन्य व्यय Other expenditure	169,12,06	150,49,03
	जोइ TOTAL (I,II,III,IV,V,VI, VII,VIII,IX,X,XI एवं XII) (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI & XII)	1642,51,51	1644,22,39

अनूसूची १७ - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा प्रथाएं

- 1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो संलग्न वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यतः अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/ दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है.
- 1.2 वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्ति और देयताएं (समाश्रित दायित्व सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए. प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है.
- 1.3 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख परिच्छेद 61 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबध्द किया गया है.
- 1.4 राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं.

2. विदेशी मुद्रा संव्यवहारः

- 2.1 विदेशी मुद्रा व्यवहारों का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा पूर्ववर्ती सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अन्तिम दरों पर किया गया है. तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों व देयताओं का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर किया गया है और उसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ / हानि का हिसाब लाभ व हानि लेखे में किया गया है.
- 2.2 बकाया वायदा विनिमय करार अनुबंधित दरों पर दर्शाए गए हैं और तुलनपत्र के दिनांक को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा उपलब्ध कराई गई विनिमय दरों पर उनका पुनर्मूल्यन विनिर्दिष्ट परिपक्वता हेतु किया गया है. उसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ / हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक / फेडाई के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया है.
- 2.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों व साख-पत्रों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को फेडाई द्वारा उपलब्ध कराई गई अंतिम विनिमय दरों पर तुलनपत्र में दर्शाया गया है.

3. निवेश :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

- 3.1 निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं.
 - क. परिपक्वता तक धारित
 - ख. बिक्री के लिए उपलब्ध
 - ग. व्यापार के लिए धारित
- 3.2 सभी प्रतिभूतियां निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं :
 - क. सरकारी प्रतिभूतियां
 - ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTIONS:

- 1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, Accounting Standards/guidance notes issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- 1.2 The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable.
- 1.3 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 6.1 below.
- 1.4 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances are in conformity with the prudential accounting norms issued by Reserve Bank of India from time to time.

2. FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS:

- 2.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/loss is accounted for in the Profit & Loss Account.
- 2.2 Outstanding Forward Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued as on Balance Sheet date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities. The resulting profit/loss is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI/FEDAI Guidelines.
- 2.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.

3. INVESTMENTS:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

- 3.1 Investments are classified in the following categories:
 - a. Held to maturity
 - b. Available for sale
 - c. Held for trading
- 3.2 All the securities are further classified in the following six classifications:
 - a. Government Securities
 - b. Other approved securities

- ग. शेयर्स
- घ. डिबेंचर तथा बांड
- ङ. सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
- च. अन्य (वाणिज्यिक प्रपत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, आरआईडीएफ इत्यादि)
- 3.3 बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी तय करता है और उसका वर्गीकरण तदनुसार करता है. निदेशक मण्डल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार प्रतिभूतियों का अंतरण एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण के दिनांक पर बाजार मूल्य / बही मूल्य / अधिग्रहण लागत में से न्यूनतम पर किया जाता है. ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान किया जाता है और प्रतिभूति का मूल्य तदनुसार बदल दिया जाता है.

3.4 रेपो/ रिवर्स रेपो

बैंक ने मार्केट रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों [तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) को छोड़कर] के लेखांकन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट एकसमान लेखांकन प्रक्रिया को अपनाया है. रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमति शर्तों पर पुनर्खरीदी करार के साथ संपार्श्विक उधारी / उधारी परिचालनों के रूप में माना गया है. रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाना जारी रखा गया है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया गया है. लागत और राजस्व को मामले के अनुसार ब्याज खर्च/ आय के रूप में लेखाबद्ध किया गया है.

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एलएएफ के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश खाते के नामे/जमा किया गया है और उन्हे संव्यवहारों की परिपक्वता पर रिवर्स किया गया है. उन पर ब्याज मामले के अनुसार खर्च / राजस्व के रूप में लेखाबद्ध किया गया है.

3.5 निवेशों का मूल्यन :

क. परिपक्वता तक धारित

- परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन लागत पर किया गया है. जब कभी लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है तो प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में किया जाता है.
- ii) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत अन्य निवेशों के मामले में, जहां लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम है वहां अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है. सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के मामले में मूल्य में गिरावट का पता लगाया गया है और उसका प्रावधान किया गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवेश का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है.
- iii) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) निवल लाभ को पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबध्द किया गया और उसके बाद लागू करों तथा संविधिक निधियों से निवल लाभ को पूंजीगत प्रारक्षिति में निवेश किया और (ख) निवल हानि को लाभहानि लेखे में प्रभारित किया गया है.

ख. ब्रिक्री हेतु उपलब्धः

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है. केद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर कि या गया है. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य

- c. Shares
- d. Debentures and bonds
- e. Subsidiaries and Joint Ventures
- f. Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units, Rural Infrastructure Development Funds etc).
- 3.3 Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost/book value/market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is changed accordingly.

3.4 REPO/Reverse REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions [other than the Liquidity Adjustment Facility (LAF)]. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collateralized Borrowing/ Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in Investment. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure/income, as the case may be.

Securities purchased/sold under LAF with RBI are debited/credited to Investment Account and reversed on maturity of the transactions. Interest thereon is accounted for as expenditure/revenue as the case may be.

3.5 Valuation of investments:

a. Held to Maturity:

- Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity.
- (ii) In case of other investments under "Held to Maturity" category, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored. In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for. Investment in RRBs is valued at carrying cost.
- (iii) On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter net of applicable taxes and statutory reserve is appropriated to the 'Capital Reserve account' and (b) the net loss is charged to the profit and loss account.

b. Available for Sale:

The individual securities under this category are marked to market. Central Government securities are valued at market rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]. State Government securities, other अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बॉण्डों का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार क्रम निर्धारण और फिमडा द्वारा सुझाई गई पध्दति से किया गया है. कोट किए गए शेयरों का मूल्यन बाजार दर से किया गया है. कोट नहीं किए गए शेयरों का मूल्यन नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र के आधार पर बही मूल्य पर किया गया है, यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसे शेयर का मूल्यन रुपया 1 प्रति कंपनी पर किया गया है.

खजाना बिलों और वाणिज्यिक प्रपत्रों का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है. म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यन बाजार मूल्य पर, पुनर्खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य पर उनकी उपलब्धता के आधार पर इस क्रम में किया गया है.

"बिक्री हेतु उपलब्ध" प्रत्येक उप-श्रेणी के अंतर्गत उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :

- यदि इसका परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है.
- ii. यदि इसका मूल्यहास दर्शाते हैं तो उसे लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है और देयता के अंतर्गत प्रावधान और आकस्मिकताएं शीर्ष के अंतर्गत निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान (एएफएस) को जमा किया गया है.
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक पुनर्मूल्यन को छोड़कर प्रतिभूतियों का बही मूल्य पुनर्मूल्यन के बाद परिवर्तित नहीं हुआ है.
- इस श्रेणी में निवेशों की बिक्री से हुए लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है.

ग. क्रय-विक्रय हेतु धारितः

- i. इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मूल लागत पर धारित किया गया है इनका मूल्यन बाजार दरों पर अथवा फिमडा द्वारा घोषित कीमतों के अनुसार मासिक अंतरालें पर किया गया है, इस श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक वर्गीकरण के संबंध में निवल मूल्यहूास, यदि कोई हो, को लाभ हानि खाते में प्रभारित किया गया है और देयता के अंतर्गत निवेश पर मूल्यहूास पर प्रावधान (एचएफटी) को जमा किया गया है. निवल अधिमूल्यन, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया गया है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की गई अपेक्षाओं को छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिभूतियों का बही मूल्य नहीं बदला गया है.
- इस श्रेणी में निवेशों की बिक्री से हुए लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में लेखाबध्द किया गया है.
- घ. अनर्जक निवेशों को अभिनिर्धारित किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यहास / प्रावधान किया गया है.
- च. प्रतिभूतियों के अर्जन के समय उपचित लागतों जैसे दलाली, फीस इत्यादि (इक्विटी/अधिमान शेयरों को छोड़कर, जहां इन्हें अधिग्रहण की लागत माना गया है) को व्यय माना गया है.

छ ब्याज दर स्वैपः

- i) मूल्यांकनः
 - क) हेजिंग स्वैप : हेजिंग आस्ति और देयताओं के लिए ब्याज दर स्वैप को बही में बाजार मूल्य पर अंकित नहीं किया गया है.
 - ख) क्रय-विक्रय स्वैप : क्रय-विक्रय उेश्य से ब्याज दर स्वैप को बही में बाजार मूल्य पर अंकित किया गया है.

approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA.

Quoted Shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at book value ascertained from the latest available Balance Sheet and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at Re.1/- per company.

Treasury bills and commercial papers are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under `Available for Sale':

- (i) If it results in appreciation, the same is ignored.
- (ii) If it results in depreciation, the same is charged to Profit & Loss account and credited to Provision for Depreciation on Investment (AFS) under the head Provision & Contingencies under liability.
- (iii) The book value of securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.
- (iv) Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.
- c. Held for Trading:
 - (i) The individual scrips under this category are held at original cost. The same is valued at monthly intervals at market rates or as per the prices declared by FIMMDA and in respect of each classification under this category, net depreciation if any, is charged to profit and loss account and credited to Provision on Depreciation on Investment (HFT) under liability. Net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.
 - Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and Loss account.
- d. The non-performing investments are identified and depreciation/provision is made as per RBI guidelines.
- e. Costs such as brokerage, fees etc. incurred at the time of acquisition of securities (except equity/ preference shares, where it is treated as cost of acquisition) are recognized as expenses.
- f. Interest Rate Swaps:
 - (i) Valuation:
 - (a) Hedging Swaps: Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.
 - (b) Trading Swaps: Interest Rate Swap for trading purpose is marked to market.

- ii) डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन :
 - क) हेजिंग स्वैपः आय का लेखांकन वसूली के आधार पर किया गया है. यदि कोई खर्च है और उसको निश्चित किया जा सकता है तो उसका लेखा निपटान के दिनांक को उपचय आधार पर किया गया है.
 - क्रय-विक्रय स्वैप : आय या खर्च को वसूली के आधार पर निपटारे के दिनांक को लेखाबध्द किया गया है.
 - (iii) स्वैप समाप्ति पर आय तथा हानि का लेखाः
 - क) हेजिंग स्वैप : समाप्त हुए स्वैप पर किसी भी लाभ या हानि को (क) स्वैप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख)आस्ति / देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, की अवधि के लिए स्वीकार किया गया है.
 - ख) क्रय-विक्रय स्वैप : स्वैप समाप्ति पर किसी भी लाभ या हानि को स्वैप समाप्ति के वर्ष में ही हानि या लाभ के रूप में दर्शाया गया है.

4. अग्रिमः

- 4.1 दर्शाए गए अग्रिमों से बट्टे डाले गये खाते, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान, ऋण गारंटी संस्थानों से निपटाए गए दावों और पुनर्भांजन घटाये गये हैं.
- 4.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया गया है.
- 4.3 अर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान को "अन्य देयताओं व प्रावधानों" के शीर्ष में दर्शाया गया है.
- 4.4 पुनर्गठित / पुनर्संरचित खातों के संबंध में, पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में अवनति के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान मूल्य आधार में किया गया है.
- 4.5 वित्तीय परिसंपत्तियों की परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) की बिक्री के मामले में, यदि बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य पर हुई है, तो इस कमी को लाभ और हानि खाते में नामे डाला गया है. यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है तो अधिशेष प्रावधान को प्रत्यावर्तित नहीं किया गया, बल्कि इसे अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटे/हानि की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाएगा.

स्थिर आस्तियां एवं मूल्यह्रासः

- 5.1 कतिपय परिसरों जिनका पुनर्मूल्यन किया गया है तथा जिन्हें पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दर्शाया गया है को छोड़कर अन्य परिसरों एवं अन्य स्थिर आस्तियों को लागत पर लेखाबध्द किया गया है.
- 5.2 पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के मामलों को छोड़कर स्थिर आस्तियों (निम्न परिच्छेद 5.3, 5.4, 5.5 को छोड़कर) पर मूल्यह्रास का प्रावधान, ह्रासमान शेष पध्दति से कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में अनुबध्द दरों पर लिया गया है, जिनके संबंध में इन पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के आकलित स्थायित्व के आधार पर उच्च मूल्यह्रास किया गया है.
- 5.3 कंप्यूटरों पर मूल्यहास सरल रेखा पध्दति से 33.33% की दर पर किया गया है ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति का मूल्यह़ासित मूल्य तीन वर्षों में 1 रुपया रह जाए. कम्प्यूटरों में साफ्टवेअर, एटीएम और यूपीएस भी शामिल हैं.
- 5.4 ₹ 5,000/- या कम की मूल लागत वाली स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान खरीद के वर्ष में 100 प्रतिशत करने के बजाय लागू दरों पर किया गया.

- (ii) Accounting of income on derivative deals:
 - (a) Hedging Swaps: Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.
 - (b) Trading Swaps: Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.
- (iii) Accounting of gain or loss on termination of swaps:
 - (a) Hedging Swaps: Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/liability.
 - (b) Trading Swaps: Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenses in the year of termination.

4. ADVANCES:

- 4.1 Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions and rediscounts.
- 4.2 Classification of advances and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI from time to time.
- 4.3 Provision for performing assets is shown under the head "Other liabilities and provisions".
- 4.4 In respect of Rescheduled/Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is made in present value basis as per RBI guidelines.
- 4.5 In case of financial assets sold to Assets Reconstruction Company (ARC)/Securitization company(SC), if the sale is at price lower than the net book value, the short fall is debited to profit and loss account. If the sale value is higher than the net book value, the surplus provision is not reversed but will be utilized to meet the deficit/loss on account of sale of other financial assets.

5. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION:

- 5.1 Premises and Other Fixed Assets are accounted for at cost except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.
- 5.2 Depreciation on fixed assets (other than those referred in para 5.3, 5.4, 5.5 below) is provided for on the diminishing balance method at the rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.
- 5.3 On computers, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method so as to write down the asset value in three years to Rupee One as per RBI guidelines. Computers include softwares, ATMs and UPS also.
- 5.4 On Fixed Assets having original cost below ₹ 5,000/-, depreciation is provided for at applicable rates instead of providing 100% depreciation in the year of purchase.

- 5.5 वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्तियों पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है. हटाई गई / बेची गई संपत्तियों पर वर्ष के दौरान मूल्यह्रास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
- 5.6 पुनर्मूल्यन आस्तियों की लागत से अधिक की पुनर्मूल्यन राशि से संबंधित मूल्यह्रास परि. 5.2 में उल्लेख किए अनुसार स्थिर आस्तियों की स्थायित्व पर ह्रासमान शेष पद्धति पर प्रदान किया गया है और इसे पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि के प्रति समायोजित किया गया है.
- 5.7 पट्टेवाली भूमि का परिशोधन पट्टा अवधि में सरल रेखा पध्दति (एसएलएम) पर किया गया है.

राजस्व अभिनिर्धारणः

- 6.1 निम्नांकित मदों को छोड़कर, जिन्हें नकदी आधार पर लेखाबध्द किया जाता है, समस्त आय तथा लागत को उपचय आधार पर लेखाबध्द किया गया है:
 - क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज.
 - ख. कमीशन से आय यथा-गारंटी, साख पत्र, सरकारी कारोबार, बैंक-बीमा कारोबार, म्युचअल फण्ड कारोबार लॉकर किराया आय
 - ग. खरीदे गए तथा भांजित बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज
 - घ बीमा दावे
 - च डिबेंचर न्यासी व्यवसाय पर पारिश्रमिक
 - छ. ऋण प्रक्रिया शुल्क
 - ज. व्यापारी बैंकिंग परिचालन व हामीदारी कमीशन से आय
 - झ. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं पर प्राप्त संव्यवहार प्रसंस्करण शुल्क
- 6.2. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानर्देशों के अनुसरण में अतिदेय जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 22.08.2008 के परिपत्र के दिनांक से उपचय आधार पर किया गया है तथा शेष का प्रावधान नवीकरण के समय किया गया है.

7. कर्मचारी अनुलाभः

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए / अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है.

परिभाषित अनुलाभ योजना : परिभाषित अनुलाभ योजनाओं हेतु बैंक की देयताओं का निर्धारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपचित मूल्यांकन आधार पर किया गया है. अनुमानित इकाई जमा पद्धति के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यन तुलनपत्र के दिनांक को किया गया है. बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है.

8. आस्तियों की हानि

पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों की हानि, यदि कोई है को सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 28 - आस्तियों की हानि के अनुसार दर्शाया गया है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्ति

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के मानक 29 "प्रावधान-आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्ति" के अनुसार बैंक ने प्रावधान का निर्धारण केवल तब ही किया है जब किसी पूर्व घटना के कारण उसका वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हुआ हो. यह संभव है कि दायित्व का निपटान करने हेतु आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बाहरी प्रवाह की आवश्यकता में पड़ेगी जब दायित्व की रकम का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेगा.

- 5.5 Depreciation is provided for full year in respect of assets purchased during the year. No depreciation is provided on assets sold/discarded during the year.
- 5.6 Depreciation relating to revalued amount over and above the cost of the revalued assets, is provided on diminishing balance method over the life of the fixed assets as stated in para 5.2 and adjusted against the Revaluation Reserve.
- 5.7 Leasehold land cost is amortized over the period of lease on Straight Line Method (SLM).

6. REVENUE RECOGNITION

- 6.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:
 - a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms issued by RBI, from time to time.
 - Income from commission viz on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Bancassuarance, Mutual Fund business and Locker Rent.
 - c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.
 - d. Insurance claims.
 - e. Remuneration on Debenture Trustee Business.
 - f. Loan Processing Fees.
 - g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.
 - h. Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.
- 6.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at Saving Bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, and the balance at the time of renewal.

7. EMPLOYEES' BENEFITS:

Defined Contribution Plan: The contribution paid/payable under defined contribution benefit schemes are charged to profit and loss account.

Defined Benefit Plan: Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined on the basis of an actuarial valuation made at the end of financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

8. IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses if any, on fixed assets including Revalued Assets, are recognized in accordance with Accounting Standard 28- Impairment of Assets issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and charged to profit and loss account.

9. PROVISIONS CONTINGENT LIABILITIES AND CONTIN-GENT ASSETS:

As per the Accounting Standard 29-"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि इसके कारण ऐसी आय का निर्धारण हो सकता है जो कभी न हुई हो.

10. निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

घोषित निवल लाभ, आकस्मिकताओं व प्रावधानों के उपरांत है जिनमें निवेशों के मूल्य का समायोजन, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना, कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कराधान, अनुषंगी लाभ कर सहित), अग्रिमों के लिए प्रावधान तथा आकस्मिकताएं / अन्य शामिल हैं.

11. आयकरः

वर्ष के दौरान किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, संपत्ति कर और आस्थगित कर के प्रति देयताएं शामिल हैं. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार करयोग्य आय तथा लेखा योग्य आय के समय अन्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है.

आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं ब्याज दर में परिवर्तन का प्रभार परिवर्तन की प्रयोज्यता की अवधि में लाभ और हानि खाते में अभिनिर्धारित किया गया है. आयकर के रिफंड पर ब्याज आय उस वर्ष में लिया गया है जब संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया.

दूसरी अपील (अर्थात् आईटीएटी द्वारा) में मांग को जारी रखे जाने पर आयकर प्राधिकारियों द्वारा मांग की गई राशि का प्रावधान किया गया.

13. प्रति शेयर अर्जन ः

प्रति ईक्विटी शेयर मूल और विरल अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस च् 20) "प्रति शेयर अर्जन" के अनुरूप की गई है. प्रति शेयर मूल अर्जन संबंधित अवधि हेतु बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा निवल लाभ को भाग देकर निकाली गई है. संबंधित अवधि के दौरान बकाया विरल संभावित ईक्विटी शेयर और भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या का उपयोग कर प्रति ईक्विटी शेयर विरल अर्जन की गणना की गई है. Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may never be realized.

10. NET PROFIT, PROVISIONS AND CONTINGENCIES:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred tax), provision for advances and contingencies/others.

11. INCOME TAX:

The provision for tax for the year comprises liability towards Current Income Tax, Wealth Tax and Deferred Tax. The deferred tax asset/liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account in the period of applicability of the change. Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Income Tax authorities including the interest thereon is provided for when the demand is upheld in the second appeal (i.e. by ITAT).

12. EARNINGS PER SHARE

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with the Accounting Standard (AS-20) "Earnings Per Share" issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

2011-12

अनुसूची १८ः खातों पर टिप्पणियां

(नोट - कोष्टक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

1. पूंजी

	मदें		को
		31.03.12	31.03.11
i.	जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी		
	का अनुपात (%)		
	बेसल-।	11.25	11.75
	बेसल-॥	12.43	13.35
ii.	जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में		
	पूंजी का अनुपात स्तर I पूंजी (%)		
	बेसल-l	7.50	7.05
	बेसल-II	8.31	8.02
iii.	जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में		
	पूंजी का अनुपात स्तर II पूंजी (%)		
	बेसल-।	3.75	4.70
	बेसल-II	4.12	5.33
iv.	भारत सरकार की शेयर धारिता का प्रतिशत (%)	78.95	79.24
۷.	आईपीडीआई जारी कर ऊगाही गई रकम (₹ करोड़)	0.00	0.00
VI.	अपर टियर-(II) जारी कर ऊगाही गई रकम (₹ करोड़)	0.00	0.00
VII.	साधारण टियर-(II) जारी कर ऊगाही गई रकम		
	(₹ करोड़)	0.00	0.00

बैंक द्वारा वर्ष के दौरान रु. 605.09 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) की ईक्विटी पूँजी उगाही गई (₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	आबंटन का दिनांक	जारी शेयरों की संख्या	ईक्विटी शेयर पूंजी	शेयर प्रीमियम	कुल
1	भारत सरकार					
	भारत सरकार	30/03/2012	8,37,93,902	83.79	386.20	469.00
2	भारतीय जीवन बीमा निगम		2,40,85,627	24.08	111.02	135.10
	कुल		10,78,79,529	107.87	497.22	605.09

2. निवेश

बैंक ने निवेश संविभाग को क्रमशः "परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री हेतु उपलब्ध' और 'विपणन हेतु धारित' तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया है.

2.1 बैंक के कुल निवेश निम्नानुसार है . सभी निवेश भारत मे हैं भारत के बाहर निवेश नही है (₹ करोड़ में)

	मदें	31-03-2012	31-03-2011
(1)	निवेशों का मूल्य		
	i) निवेशों का सकल मूल्य	23078.26	22614.50
	(ii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	166.91	123.42
	(iii) निवेशों का शुध्द मूल्य	22911.35	22491.08
(2)	निवेशों पर मूल्यहास हेतु धारित प्रावधानों की गतिशीलता		
	(i) प्रारंभिक शेष	123.42	39.70
	(ii) जोड़िएः वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (निवल	43.49	83.72
	 (iii) घटाइएः वर्ष के दौरान बट्टेखाते में डाले गये/पुनर्लेखांकित किए गए अधिक प्रावधान 	0.00	0.00
	(vi) अंतिम शेष	166.91	123.42

Bank of Maharashtra

2011-12

SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS

(Note: Figures in bracket relate to previous year)

1. Capital:

	Items	A	s on
		31.03.2012	31.03.2011
i)	CRAR (%)		
	Basel - I	11.25	11.75
	Basel – II	12.43	13.35
ii)	CRAR - Tier I Capital (%)		
	Basel - I	7.50	7.05
	Basel – II	8.31	8.02
iii)	CRAR - Tier II Capital (%)		
	Basel - I	3.75	4.70
	Basel – II	4.12	5.33
iv)	Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	78.95	79.24
V)	Amount raised by issue of IPDI (₹. in Crore)	0.00	0.00
vi)	Amount raised by issue of Upper Tier II instrument (₹. in Crore)	0.00	0.00
vii)	Amount raised by issue of Ordinary Tier II instrument (₹ in Crore)	0.00	0.00

The Bank has raised equity capital of $\overline{\mathbf{T}}$ 605.09 crore (including share premium) during the year:

	(₹ in Crore						
Sr. No.	Particulars	Date of Allotment		Equity share capital	Share premium	Total	
1	Government of India (Gol)	30/03/2012	8,37,93,902	83.79	386.20	469.99	
2	LIC of India	30/03/2012	2,40,85,627	24.08	111.02	135.10	
	Total		10,78,79,529	107.87	497.22	605.09	

2. Investments:

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held to Maturity", "Available for Sale", and "Held for Trading" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India (RBI) guidelines.

2.1 The Total Investments of Bank, as under, are all in India and no Investments are outside India:

			(₹ in Crore)
	Items	31.03.2012	31.03.2011
(1)	Value of Investments		
	(i) Gross Value of Investments	23078.26	22614.50
	(ii) Provisions for Depreciation	166.91	123.42
	(iii) Net Value of Investments	22911.35	22491.08
(2)	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	(i) Opening balance	123.42	39.70
	(ii) Add: Provisions made during the year (net)	43.49	83.72
	(iii) Less: Write off/Write-back of excess provisions during the year	0.00	0.00
	(iv) Closing balance	166.91	123.42

2.2 रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के संबंध में)

वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया	31 मार्च, 2012 को
130.00 (30.00)	3500.00 (3775.00)	1319.34 (648-89)	3120.00 (शून्य)
्डारड) शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	(३१८१८२) शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
350.00	1475.00	15.52	शून्य
(50.00) शून्य (शन्य)	(3200.00) शून्य (श्रान्य)	(271.14) शून्य (शन्य)	(शून्य) शून्य (शून्य)
		न्यूनतम बकाया अधिकतम बकाया 130.00 3500.00 (30.00) (3775.00) शून्य शून्य (शून्य) (शून्य) 350.00 (अून्य) 350.00 1475.00 (50.00) (3200.00) शून्य शून्य	न्यूनतम बकाया अधिकतम बकाया औसत दैनिक बकाया 130.00 3500.00 1319.34 (30.00) (3775.00) (648.89) भूत्य भूत्य भूत्य (शूत्य) (शूत्य) (गूत्य) 350.00 1475.00 15.52 (50.00) (3200.00) (271.14) भूत्य भूत्य भूत्य

2.3 गैर-एसएलआर निवेशों का संविभागः

(1) गैर एसएलआर निवेशों का निर्गमकर्तावार संमिश्र

31.03.2012 को गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेशों (निवल मूल्यह्रास) पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है:-

2.2 **Repo Transactions** (In face value terms)

				(in Crore)
Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstand- ing during the year	Daily average outstand- ing during the year	As on March 31, 2012
Securities sold under repos				
i. Government	130.00	3500.00	1319.34	3120
Securities	(30.00)	(3775.00)	(648.89)	(Nil)
ii. Corporate debt	Nil	Nil	Nil	Nil
securities	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(Nil)
Securities purchased under				
reverse repos				
i. Government	350.00	1475.00	15.52	Nil
Securities	(50.00)	(3200.00)	(271.14)	(Nil)
ii. Corporate debt	Nil	Nil	Nil	Nil
securities	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(Nil)

2.3 Non-SLR Investment Portfolio

i) Issuer composition of Non-SLR Investments

Following is the disclosure as per prudential guidelines of RBI on Investments (Net of Depreciation) in Non-SLR Securities as of 31/03/2012.

(₹ in crore)

(₹ in Croro)

क्रं. No.	निर्गमकर्ता Issuer	रकम Amount	निजी प्लेसमेंट का विस्तार Extent of Private Placement	निवेश से कम ग्रेड वाली प्रतिभूतियों का विस्तार Extent of 'Below Investment Grade' Securities	गैरक्रम वाली प्रतिभूतियों का विस्तार Extent of 'Unrated' Securities	असूचीबध्द प्रतिभूतियों का विस्तार Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सरकारी उपक्रम PSU s	238.33 (224.92)	210.53 (213.07)	23.50 (25.00)	0.00 (0.00)	25.00 (25.00)
(ii)	वित्तीय संस्थाए FIs	240.38 (265.61)	198.16 (224.35)	68.86 (78.38)	0.00 (0.00)	43.13 (44.88)
(iii)	बैंक Banks	1269.72 (981.86)	1218.16 (941.92)	23.00 (23.20)	0.00 (0.20)	0.00 (2.00)
(iv)	निजी निगमित निकाय Private Corporate	516.45 (355.66)	423.39 (300.17)	61.69 (80.75)	4.98 (24.04)	4.98 (26.82)
(v)	सहायक/संयुक्त उद्यम Subsidiaries/Joint Ventures	68.76 (52.89)	68.76 (52.89)	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.
(vi)	अन्य-आरआईडीएफ* Others - RIDF*	3079.76 (2093.22)	3061.82 (2065.40)	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A. लागू नहीं N.A.
	उप जोड़ SUB TOTAL	5413.40 (3974.16)	5180.82 (3797.80)	177.05 (207.33)	4.98 (24.24)	73.11 (98.70)
(vii)	के लिए धारित प्रावधान Provision held towards (i) मूल्यह्रास Depreciation (ii) एनपीआई NPI (iii) पुनर्सरित खाते Restructured Account	9.09 (12.72) शून्य Nii (18.64) 1.27 (1.41)	xxx	xxx	xxx	ххх
	कुल Total	5403.04 (3941.39)	5180.82 (3797.80)	177.05 (207.33)	4.98 (24.24)	73.11 (98.70)

(₹ करोड में)

* आरआईडीएफ - ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि

टिप्पणीः

- i) उक्त v व vi में निवेश भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्गीकरण से मुक्त है
- ii) कॉलम 4,5,6 व 7 में रिपोर्ट की गई राशि परस्पर असंबध्द नही हैं.
- iii) कुल ₹ 5403.04 करोड़ (₹ 3941.39) करोड़ के निवेश में ₹ 2.94 करोड़ (₹ 2.94 करोड़) के सरकारी तेल बंधपत्र शामिल हैं. बैंक के तुलन पत्र की अनुसूची 8 में भी इन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में शामिल किया गया है.

* RIDF- Rural Infrastructure Development Fund

Note:

- Investments as in (v) & (vi) above are exempted from classification as per RBI guidelines.
- (ii) Amounts reported under columns 4, 5, 6 & 7 are not mutually exclusive.

(iii) The total investment of ₹ 5403.04crore (₹ 3941.39 crore) includes one GOI Oil Bond of ₹ 2.94 crore (₹ 2.94 crore). The same has been included as Govt. Securities in Schedule 8 to the Balance Sheet.

ii) गैर एसएलआर अनर्जक निवेश

		(₹ करोड़ मे)
ब्यौरे	31.03.2012	31.03.2011
प्रारंभिक शेष	18.64	18.64
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कमी	18.64	0.00
अंतिम शेष	0.00	18.64
किए गए कुल प्रावधान	0.00	18.64

- 2.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'परिपक्वता तक धारित' निवेश के विक्रय से हुए लाभ की ₹ 2.54 करोड़ (₹ 1.29 करोड़) की राशि करों और सांविधिक आरक्षितियों के बाद पूंजी प्रारक्षित निधि में अंतरित कर दी गयी.
- 2.5 वर्ष के दौरान निवेशों को 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणी से 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में अन्तरित करने के कारण मूल्य में आई कमी हेतु र शून्य करोड़ (र 0.07 करोड़) और 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी से 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणी हेतु र शून्य (र शून्य करोड़) के निवेशों पर बैंक ने मूल्यहास का प्रावधान किया है.
- 2.6 बैंक ने वर्ष के दौरान 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में वर्गीकृत ₹ 30.65 करोड़ (₹ 36.59 करोड़) का परिशोधन किया और संबंधित प्रतिभूति के मूल्य को उस सीमा तक कम करते हुए रकम को लाभहानि खाते में प्रभारित किया.

डेरिवेटिवः

3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

		(₹ करोड़ मे)
मदें	31.3.2012	31.3.2011
i) स्वैप करारों का कल्पित मूलधन	1100.00	400.00
ii) यदि प्रतिपक्ष करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा न करें तो इस स्थिति में होने वाली		
हानियां	शून्य	शून्य
iii) स्वैप करार हेतु बैंक से अपेक्षित प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv) स्वैप से उत्पच्च ऋण जोखिम एकत्रीकरण	शून्य	शून्य
 V) स्वैप खाताबंदी का उचित मूल्य (+) प्राप्ति/(-) देय 	(-)19.56	(-)13.11

बैंक ने आईआरएस/एफआरए हेतु नीति दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं. कल्पित मूलधन के संबंध में आईआरएस/एफआरए की अनुमोदित सीमा ₹ 2000 करोड़ है. 31 मार्च 2012 के अनुसार बैंक की 25 बकाया स्वैप रही, जिसकी सांकेतिक मूल राशि ₹ 1100 करोड़ रही और नियत ब्याज प्राप्त करना तथा अस्थायी दर पर भुगतान करना या इसके विपरीत स्वैप की शर्ते हैं. उक्त 25 स्वैप में से 2 स्वैप ₹ 400 करोड़ के कल्पित मूलधन हेतु आईआरएस में रहें, 5 वर्ष के 5 स्वैप ₹ 125 करोड़ के कल्पित मूलधन हेतु ओआईएस में रहें और 1 वर्ष के 6 स्वैप हेजिंग के लिए ₹ 275 करोड़ कल्पित मूलधन हेतु ओआईएस में रहें तथा 12 स्वैप क्रय विक्रय प्रयोजनार्थ ₹ 300 करोड़ के कल्पित मूलधन हेतु ओआईएस में रहें तथा 12 स्वैप क्रय विक्रय प्रयोजनार्थ ₹ 300 करोड़ के कल्पित मूलधन हेतु रहे. 31 मार्च, 2011 को यथास्थिति ₹ 13.11 करोड़ (ऋणात्मक) की तुलना में 31 मार्च, 2012 को यथास्थिति एक्सिस बैंक के पास 2 बकाया ₹ 400 करोड़ के कल्पित मूलधन के आईआरएस का समग्र एमटीएम मूल्यांकन ₹ 14.20 करोड़ (ऋणात्मक) रहा. 31 मार्च, 2012 को यथास्थिति बैंक के पास ₹ 700 करोड़ ओआईएस स्वैप में उपलब्ध है. बकाया क्रय विक्रय स्वैप हेतु एमटीएम मूल्यांकन ₹ (-) 5.36 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) रहा.

3.2 एक्सचेंज लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव्जः

(र करोड में)

क्र.सं.	ब्यौरे	2011-12	2010-11
1	वर्ष के दौरान (लिखत वार) किए गए एक्सचेंज लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
2	31 मार्च को बकाया (लिखत वार) एक्सचेंज लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
3	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत वार) एक्सचेंज लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य	शून्य
4	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत वार) एक्सचेंज लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य	शून्य	शून्य

ii) Non performing Non-SLR investments

		(₹ In Crore)
Particulars	31.03.2012	31.03.2011
Opening balance	18.64	18.64
Additions during the year	0.00	0.00
Reductions during the year	18.64	0.00
Closing balance	0.00	18.64
Total provisions held	0.00	18.64

- 2.4 As per RBI guidelines, an amount of ₹ 2.54 crore (₹ 1.29 Crore) net of taxes and statutory reserves being profit on sale of investment in 'Held to Maturity' category is transferred to Capital Reserve.
- 2.5 During the year, Bank has provided depreciation on investment for diminution in value on account of shifting of investments from 'Available for Sale' category to 'Held to Maturity' category ₹ Nil Crore (₹ 0.07 Crore) and from 'Held to Maturity' category to 'Available for Sale' category ₹ Nil (₹ Nil Crore).
- 2.6 The Bank has amortized ₹ 30.65 crore during the year (₹ 36.59Crore) for securities classified under 'Held to Maturity' category, and the amount has been charged to Profit & Loss account by reducing value of the respective securities to that extent.

3. DERIVATIVES:

3.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

	(₹ in Crore)				
	Items	31.03.2012	31.03.2011		
i)	The notional principal of swap agreements	1100.00	400.00		
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	Nil	Nil		
iii)	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil		
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil		
V)	The fair value of the swap book (+) To receive/(-) To pay	(-) 19.56	(-) 13.11		

The Bank has in place policy guidelines for IRS/FRA's. The approved ceiling for IRS/FRAs in terms of notional principal is ₹ 2000 crore. As on 31st March, 2012, the Bank had 25 outstanding swaps for notional principal ₹ 1100 crores and the terms of Swaps are to receive fixed interest and pay floating rate or vice versa. Out of 25 swaps, 2 swaps were in IRS for notional principal of ₹ 400 crore, 5 swaps of 5 years in OIS for notional principal of ₹ 125 crore and 6 swaps of 1 year in OIS for Notional Principal of ₹ 275 crore are for hedging and 12 swaps for notional principal of ₹ 300 crore were for trading purpose. The aggregate MTM Valuation of the 2 outstanding IRS of ₹ 400.00 crore notional amount with Axis Bank as of 31st March, 2012 was ₹ 14.20 crore (Negative) as against ₹ 13.11 crore (Negative) as on 31.03.2011. Bank is also holding position of ₹ 700 crore in OIS swap as on 31st March, 2012. MTM valuation for outstanding trading swap is ₹ (-) 5.36 crore (previous year ₹ Nil).

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

			(₹ in Crore)
S.N.	Particulars	2011-12	2010-11
1	Notional principal amount of exchange traded		
	interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	NIL	NIL
2	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on		
	31st March (instrument-wise)	NIL	NIL
3	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not		
	"highly effective" (instrument-wise)	NIL	NIL
4	Mark-to-market value of exchange traded		
	interest rate derivatives out-standing and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL	NIL

3.3 डेरिवेटिव जोखिम विगोपन पर प्रकटन

क) गुणात्मक प्रकटनः

- निवेश नीति के एक भाग के रूप में निदेशक मंडल ने डेरिवेटिव नीति का अनुमोदन किया, जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम के मापन भी शामिल हैं.
- 2) उक्त की निगरानी के लिए बैंक में हेजिंग व प्रोसेसेस नीतियां लागू हैं.
- तुलनपत्र प्रबंधन हेतु हेजिंग व्यवहार किए गए हैं. जोखिमों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उचित प्रणाली विद्यमान है.
- 4) बैंक ने व्यापार के प्रयोजन हेतु डेरिवेटिव उत्पाद का उपयोग नहीं किया है. डेरिवेटिव परिचालनों की जोखिम प्रबंधन का कार्य उच्च स्तरीय प्रबंधन/कार्यपालक देखते हैं जो बैंक के केन्द्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं. स्वैपों की निगरानी नियमित आधार पर की जाती है.
- 5) बैंक में प्रतिरक्षित और गैर प्रतिरक्षित व्यवहारों को अभिलेखबध्द करने की उचित लेखा नीति विद्यमान है, जिसमें आय निर्धारण, बकाया करारों का मूल्यांकन और ऋण जोखिम को कम करना शामिल है जैसा कि महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों की अनुसूची 17 के परिच्छेद 3.5 (एफ) (ii) में बताया गया है.
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और चालू विगोपन प्रक्रिया के अनुसार परिकलित संविदा डेरिवेटिव के ऋण विगोपन पर अपेक्षित प्रावधान कर लिए हैं.

			(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	विवरण	करेन्सी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
(i)	डेरिवेटिव (कल्पित मूलधन)		
	क) हेजिंग के लिए	3376.94	800.00
	ख) व्यापार के लिए	5788.23	300.00
(ii)	[1] बाजार हेतु चिन्हित स्थितियां		
	क) आस्ति (+)	5.09	(-) 19.56
	ख) देयताएं (-)	शून्य	शून्य
(iii)	[2]ऋण विगोपन	188.39	9.00
(iv)	ब्याज दर में 1 प्रतिशत परिवर्तन का संभावित असर (100*पीवी 01)		
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	0.00110	0.03
	ख) व्यापार डेरिवेटिव पर	0.00052	(-) 0.07
(V)	वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 देखा गया अधिकतम और न्यूनतम स्तर		
	1) हेजिंग पर	अधिकतम	अधिकतम
		0.02924	(-)0.01
		न्यून. 0.00110	न्यून. 0.03
	2) व्यापार पर	अधिकतम	अधिकतम
		0.02926	(-)0.04
		न्यून. 0.00052	न्यून.(-) 0.07

ख) मात्रात्मक प्रकटनः

3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

A) Qualitative Disclosure

- (i) As a part of investment policy, derivative policy is approved by the Board, which includes measurement of credit & market risk.
- (ii) Policy for hedging and processes for monitoring the same are in place.
- (iii) The hedged transactions are undertaken for Balance Sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks is in place.
- (iv) Risk Management of derivative operations is headed by a Top Management Executive who reports to Central Office. The swaps are tracked on regular basis.
- (v) Accounting Policy for recording hedge and non hedge transactions is in place, which includes recognition of income, valuation of outstanding contracts and credit risk mitigation as given in para 3.5 (f)(ii) of Schedule 17, viz., Significant Accounting Policies.
- (vi) The Bank has made requisite provision on credit exposure of derivative contracts computed as per current exposure method & as per RBI guidelines.

			(₹ in Crore)
S. N.	Particulars	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)		
	a) For hedging	3376.94	800
	b) For trading	5788.23	300
(ii)	Marked to Market Positions[1]		
	a) Asset (+)	5.09	(-)19.56
	b) Liability (-)	Nil	Nil
(iii)	Credit Exposure [2]	188.39	9.00
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	a) on hedging derivatives	0.00110	0.03
	b) on trading derivatives	0.00052	(-)0.07
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	a) on hedging	Max: 0.02924 Min 0.00110	Max (-)0.01 Min 0.03
	b) on trading	Max: 0.02926 Min: 0.00052	Max (-)0.04 Min (-)0.07

B) Quantitative Disclosures

3.4 Standard provision on derivative exposure:

Sr. No.	Particulars	Credit Exposure	Provision as applicable to standard advances as on 31.03.2012		
1	Interest rate derivative	9.00	0.04		
2	Foreign exchange derivative	1.44	0.72		
3	Gold contract	0.00	0.00		
	Total	10.44	0.76		

(₹ in Crore)

3.4 डेरिवेटिव विगोपन पर मानक प्रावधानः

क्र.	विवरण	ऋण विगोपन	31.03.2012 को मानक अग्रिमों पर लागू प्रावधान
1	ब्याज दर डेरिवेटिव	9.00	0.04
2	विदेशी विनिमय डेरिवेटिव	1.44	0.72
3	स्वर्ण संविदा	0.00	0.00
	कुल	10.44	0.76

(₹ करोड़ में)

4. आस्ति गुणवत्ता

4.1 अनर्जक आस्तियां

		(₹ करोड़ में)
विवरण	31.03.2012	31.03.2011
(i) निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	0.84	1.32
(ii) अनर्जक आस्ति गतिशीलता (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	1173.70	1209.79
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	875.88	699.15
(ग) वर्ष के दौरान कमी	752.55	735.24
(घ) अंतिम शेष	1297.03	1173.70
(iii) कुल अनर्जक आस्तियों की गतिशीलता		
(क) निवल प्रारंभिक शेष	618.95	662.43
जोड़ेः इसीजीसी/डीआईसीजीसी निपटाये गये खाते	33.57	21.49
सकल प्रारंभिक शेष	652.52	683.92
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	546.34	444.47
(ग) वर्ष के दौरान कमी	695.71	475.87
(घ)) सकल अंतिम शेष	503.15	652.52
घटायेंः इसीजीसी/डीआईसीजीसी निपटाये गये खाते	33.58	33.57
निवल अन्तिम शेष	469.57	618.95
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों की गतिशीलता (मानक आस्तियों के प्रावधानों के अतिरिक्त)		
(क) प्रारंभिक शेष	511.28	519.11
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	673.44	342.01
(ग) बट्टे खाते डालना	394.61	349.84
(घ) अंतिम शेष	790.11	511.28

पिछले वर्ष के दौरान 10% विनियामक आवश्यकताओं के समक्ष बोर्ड अनुमोदित नीति के अनुसार अवमानक आस्ति के प्रति प्रावधान @ 15% किया गया.

माह मई 2011 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवमानक आस्तियों पर प्रावधान को 10 % से बढ़ाकर 15 % संशोधित किया, अतः इसके पश्चात विनियामक दिशानिर्देश अपनाए गए और तदनुसार प्रावधान किया गया.

संशोधित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने अवमानक आस्तियों पर उच्च प्रावधान दर प्रभारित करने की नीति को समाप्त कर दिया और जून, 2011 को समाप्त तिमाही से भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को अपनाया गया.

4.2 पिछले वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने लेखांकन नीति में रक्षित अवमानक आस्तियों के लिए प्रावधानों की सीमा को 10 % से बढ़ाकर 15% कर दिया है, तथापि 01.04.2011 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 18.05.2011 के परिपत्र क्रमांक डीबीओडी.बीपी. बीसी.94/ 21.048/ 2011-12 द्वारा बैंकों सलाह दी है कि जमानती अवमानक आस्तियों के संबंध में @ 15% प्रावधान किया जाए. बैंक ने जमानती अवमानक आस्तियों 15% प्रावधान जारी रखा, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार है.

4.3 पुनर्संरचित ऋण खातों के विवरण

श्रेणी	विवरण	सीडीआर	एसएमई ऋण	अन्य
			पुनर्संरचना	
	उधारकर्त्ताओं की संख्या	1	29	381
पुनर्संरचित	बकाया रकम	45.55	76.77	1627.49
मानक अग्रिम	परित्याग			
	(उचित मूल्य में कमी)	1.51	0.19	66.95
	उधारकर्त्ताओं की संख्या	0	4	3
पुनर्संरचित	बकाया रकम	0.00	12.06	5.32
अवमानक अग्रिम	परित्याग (उचित मूल्य में कमी)	0.00	0.02	0.00

4. ASSET QUALITY

4.1 Non-Performing Assets

(₹ In Cro			
Particulars	31.03.2012	31.03.2011	
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	0.84	1.32	
(ii) Movement of NPAs (Gross)			
(a) Opening balance	1173.70	1209.79	
(b) Additions during the year	875.88	699.15	
(c) Reductions during the year	752.55	735.24	
(d) Closing balance	1297.03	1173.70	
(iii) Movement of Net NPAs	_		
(a) Opening balance	618.95	662.43	
Add: ECGC/DICGC Settled amount	33.57	21.49	
Gross: Opening Balance	652.52	683.92	
(b) Additions during the year	546.34	444.47	
(c) Reductions during the year	695.71	475.87	
(d) Gross closing balance	503.15	652.52	
Less ECGC/DICGC Settled amount	33.58	33.57	
Net closing Balance	469.57	618.95	
 (iv) Movement of provisions for NPAs (exclude assets) 			
(a) Opening balance	511.28	519.11	
(b) Provisions made during the year	673.44	342.01	
(c) Write off	394.61	349.84	
(d) Closing balance	790.11	511.28	

During the previous year, provision against sub-standard assets was made @15% as per Board approval policy, vis-à-vis regulatory requirement of 10%.

In the month of May 2011, the RBI revised and increased the provision rate on sub standard assets to 15% from 10% and hence thereafter followed regulatory guidelines and provided accordingly.

In view of this revised guidelines the bank discontinued the policy of charging higher provisioning rate on sub standard assets and followed RBI guidelines w.e.f quarter ended June 2011.

4.2 In previous year 2010-11, the Bank changed the accounting policy for provisioning in respect of secured sub-standard assets from 10% to 15% however from 01.04.2011, RBI vide its circular no DBOD. BP.BC.94/21.048/2011-12 dated 18.05.2011 advised the banks to make the provision @15% in re-spect of secured sub-standard assets. The Bank continued to provide @ 15% on secured sub standard assets which is as per the RBI guidelines.

4.3 Particulars of Accounts restructured

Category	Particulars	CDR Mecha- nism	SME Debt Restruc- turing	Others
	No. of Borrowers	1	29	381
Standard	Amount Outstanding	45.55	76.77	1627.49
Advances Restructured	Sacrifice (Diminution in the Fair Value)	1.51	0.19	66.95
	No. of Borrowers	0	4	3
Sub-Standard	Amount Outstanding	0.00	12.06	5.32
Advances Restructured	Sacrifice (Diminution in the Fair Value)	0.00	0.02	0.00

(₹ करोड में)

	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0
पुनर्संरचित	बकाया रकम	0.00	0.00	0.00
संदिग्ध अग्रिम	परित्याग (उचित मूल्य में कमी)	0.00	0.00	0.00
	उधारकर्ताओं की संख्या	1	33	384
कुल	बकाया रकम	45.55	88.83	1632.81
	परित्याग (उचित मूल्य में कमी)	1.51	0.21	66.95

4.4 आस्ति पुनर्निमाण हेतु प्रतिभूतिकरण एवम् पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2012	31.03.2011
1.	खातों की संख्या	0	0
2.	प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों का (प्रावधानों के बाद) कुल मूल्य	0.00	0.00
3.	कुल प्रतिफल	0.00	0.00
4.	पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के मामले में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	0.00	0.00
5.	शुध्द खाताबही मूल्य की तुलना में कुल प्राप्ति	0.00	0.00

4.5 खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

/		N.
(र	ंकराइ	5 म)

N.

विवरण	31.03.2012	31.03.2011
 (क) वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या 	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	0.00	0.00
 (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्निर्मित खातों की संख्या 	शून्य	शून्य
(ख) सकल बकाया	0.00	0.00

4.6 बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

			(र कराड़ म)
विवरण		31.3.2012	31.03.2011
1.	वर्ष के दौरान बेचे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2.	सकल बकाया	0.00	0.00
3.	प्राप्त सकल प्रतिफल	0.00	0.00

4.7 मानक आस्तियों हेतु प्रावधान

		(र कराड़ म)
विवरण	31.03.2012	31.03.2011
वर्ष के दौरान मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	260.60	191.39
फॉरेक्स और वायदा संविदा मानक आस्तियों		
हेतु प्रावधान	0.75	0.03
कुल	261.35	191.42

वर्ष की समाप्ति पर बैंक द्वारा धारित मानक आस्तियों हेतु संचयी प्रावधानों को तुलनपत्र की अनुसूची 5 में अन्य देयताओं और प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किया गया है.

4.8 बैंक को 'कृषि ऋण माफी व ऋण राहत योजना 2008' (एडीडब्ल्यूडीआर) के अंतर्गत

	No. of Borrowers	0	0	0
Doubtful	Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00
Advances Restructured	Sacrifice (Diminution in the Fair Value)	0.00	0.00	0.00
	No. of Borrowers	1	33	384
	Amount Outstanding	45.55	88.83	1632.81
TOTAL	Sacrifice (Diminution in the Fair Val-ue)	1.51	0.21	66.95

4.4 Details of financial assets sold to securitization/Reconstruction Company for Asset Recon-struction

			(₹ in Crore)
Pa	rticulars	31.03.2012	31.03.2011
1	No. of accounts	0.00	0.00
2	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC.	0.00	0.00
3	Aggregate consideration	0.00	0.00
4	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.00
5	Aggregate gain/loss over net book value	0.00	0.00

4.5 Details of non performing financial assets purchased

				(₹ in Crore)
Par	Particulars		31.03.2012	31.03.2011
1.	(a)	No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	0.00	0.00
2.	(a)	Of these, no of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	0.00	0.00

4.6 Details of non performing financial assets sold

			(₹ in Crore)
Par	rticulars	31.03.2012	31.03.2011
1.	No. of accounts sold during the year	Nil	Nil
2.	Aggregate outstanding	0.00	0.00
3.	Aggregate consideration received	0.00	0.00

4.7 Provisions on Standard Assets as on

		(₹ in Crore)
Particulars	31.03.2012	31.03.2011
Provisions towards Standard Advances	260.60	191.39
Provisions towards Standard Assets		
Forex & Forward Contracts	0.75	0.03
Total	261.35	191.42

The cumulative provision towards Standard Assets held by the Bank as at the year end is included under Other Liabilities and Provisions in Schedule 5 to the Balance Sheet.

4.8 In terms of Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008 (ADWDR) Scheme, the bank has received claim amount from Reserve

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा अधिप्रमाणित किए अनुसार दावों पर भारतीय रिजर्व बैंक से दावे की राशि प्राप्त हुई है. जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

		-	(₹ करोड़ में)
क्रं.	विवरण	31.03.2012	31.03.2011
क)	कृषि ऋण माफी		
	क) प्रस्तुत दावे	शून्य	219.27
	ख) प्राप्त दावे	शून्य	219.27
ख)	कृषि ऋण राहत		
	क) प्रस्तुत दावे	शून्य	82.01
	ख) प्राप्त दावे	शून्य	82.01

बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक से ₹ 301.28 करोड़ की अपनी दावा राशि प्राप्त हो गई.

4.9 अस्थिर प्रावधानों के विवरण

		(र कराड़ म)
मदें	31.03.2012	31.03.2011
(क) अस्थिर प्रावधानों के खाते में प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
(ख) लेखा वर्ष के दौरान किया गया अस्थिर प्रावधान	0.00	0.00
 (ग) लेखा वर्ष के दौरान आहरित की गई रकम 	0.00	0.00
(घ) अस्थिर प्रावधानों के खातों में अंतिम शेष	0.00	0.00

बैंक का ₹ 21.06 करोड़ (₹ 21.06 करोड़) सामान्य प्रावधान है, जो बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान व्याप्ति अनुपात (पीसीआर) की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है.

4.10 बैंक बीमा कारोबारः

बैंक बीमा कारोबार के अंतर्गत ₹ 7.45 करोड़ (₹ 6.32 करोड़) की आय हुई है. बैंक बीमा कारोबार आय के ब्योरे निम्नानुसार है:-

			(रे कराड़ म)
अनु- क्रमांक	आय की प्रकृति	31.03.2012	31.03.2011
1	जीवन बीमा पॉलिसी के विक्रय हेतु	4.95	3.28
2	गैर जीवन बीमा पॉलिसी के विक्रय हेतु	2.27	2.47
3	म्युचुअल फंड उत्पाद के विक्रय हेतु	0.23	0.57
4	अन्य (विवरण दें)	-	-

5. कारोबारी अनुपातः

विवरण	31.03.2012	31.03.2011
(i) कार्यकारी निधियों से ब्याज आय का प्रतिशत	9.22%	7.92%
(ii) कार्यकारी निधियों से ब्याजी आय का प्रतिशत	0.82%	0.76%
(iii) कार्यकारी निधियों से परिचालनगत लाभ का प्रतिशत	1.94%	1.22%
(iv) आस्तियों पर आय	0.55%	0.47%
(v) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा + अग्रिम) (₹ करोड़ में)	9.67	8.25
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	3.12	2.38

Bank of India (RBI) against claims as certified by Central Statutory Auditors. Details of which are as follows:

₹	in	Crore)

				()
Particulars		31.03.2012	31.03.2011	
A)	Agr	iculture Debt Waiver		
	a)	Claims Submitted	Nil	219.27
	b)	Claims Received	Nil	219.27
B)	Agr	iculture Debt Relief		
	a)	Claims Submitted	Nil	82.01
	b)	Claims Received	Nil	82.01

Bank has received its entire claim of ₹ 301.28 crore from Reserve Bank of India.

4.9 Details of floating provisions

× ×

		(₹ in Crore)
Items	31.03.2012	31.03.2011
(a) Opening Balance in the floating provisions account	0.00	0.00
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
(c) Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
(d) Closing Balance in the floating provisions account	0.00	0.00

The Bank is having general provision of T 21.06 crore (\Huge{T} 21.06 crore) which is used by the bank for computing the provision coverage ratio (PCR) as per RBI guidelines.

4.10 Bancassurance Business

The income earned under Bancassurance is ₹ 7.45Crore (₹ 6.32 crore). The details of Bancassurance income is as under:

[₹]		(₹ in Crore)	
Nature of Income		31.03.2012	31.03.2011
1	For selling life insurance policies	4.95	3.28
2	For selling non-life insurance policies	2.27	2.47
3	For selling mutual fund products	0.23	0.57
4	Others (specify)	-	-

5. Business Ratios

Particulars	31.03.2012	31.03.2011
 (i) Interest Income as a percentage to Working Funds 	9.22%	7.92%
(ii) Non-Interest Income as a percentage to Working Funds	0.82%	0.76%
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.94%	1.22%
(iv) Return on Assets	0.55%	0.47%
 (v) Business (Deposits + Advances) per employee (₹ in Crore) 	9.67	8.25
(vi) Profit per Employee (₹ in Lakh)	3.12	2.38
(₹ करोड़ में)

(7 in Croro)

आस्ति देयता प्रबंधनः 6.

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पध्दति 31.03.2012

6. Asset Liability Management:

Maturity pattern of certain items of Assets and Liabilities 31.03.2012

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पध्दति 31.03.2012 Maturity patter of cortain iton of Assets and Liabilities 31.03.2012

	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28दिन 15 to 28 days	29 days	3 माह से अधिक और 6 माह तक Over 3 months to 6 months	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक Over 1 year to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक Over 3 years to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमाराशियां Deposits	400.88	1945.42	1715.69	1166.64	11908.61	7597.75	10930.16	39297.02	1043.27	523.21	76528.65
अग्रिम Advances	577.70	918.31	780.35	1060.91	3479.28	3726.87	4928.08	30261.91	5649.23	5596.23	56978.87
निवेश Investments	17.75	278.85	0.00	218.34	1168.67	54.81	499.65	4320.31	4201.27	15438.62	26198.26
उधार Borrowings	284.09	0.00	0.00	0.00	22.97	72.95	579.29	143.45	16.28	24.38	1143.41
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ Foreign Currency Assets	778.76	661.09	99.20	715.11	1747.79	1265.42	541.49	0.00	0.00	0.00	5808.86
विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	1280.40	152.23	68.31	1033.43	1188.67	1377.50	507.66	18.60	8.74	0.00	5635.53

× ×.

उक्त का समेकन प्रबंधन द्वारा किया गया है जिस पर लेखापरीक्षकों ने विश्वास किया है. The above is compiled by the management and relied upon by the Auditors

जमा व अग्रिमों का जमाव, विगोपन तथा अनर्जक आस्तियाँ 7.

7.1 जमाराशियों का जमाव

		(रे कराड़ म)
विवरण	31.03.2012	31.03.2011
20 बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	6649.44	7407.83
बैंक की कुल जमारा शियों से 20 बड़े जमाकर्ताओं		
की कुल जमाराशियों का प्रतिशत	8.69%	11.08%

7.2 अग्रिमों का जमाव

		(₹ करोड़ मे)
विवरण	31.03.2012	31.03.2011
20 बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	13146.75	9902.63
बैंक के कुल अग्रिमों से 20 बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	23.07 %	20.85%

7.3 विगोपनों का जमाव

		(र कराड़ म)
विवरण	31.03.2012	31.03.2011
20 बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों का कुल विगोपन	14146.62	11364.54
उधारकर्ताओं / ग्राहकों में बैंक के कुल विगोपन से		
कुल अग्रिमों से 20 बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल		
विगोपन का प्रतिशत	21.35%	20.35%

7.4 अनर्जक आस्तियों का जमाव

		(रे कराड़ म)
विवरण	31.03.2012	31.03.2011
पहले 4 अनर्जक खातों में कुल विगोपन	390.92	114.69

7.5 क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां

			(रें कराड़ म)
अनु.	क्षेत्र	संबंधित क्षेत्र के कुल अग्रिमों से अनर्जक अग्रिमों का प्रतिशत	
		31.03.2012	31.03.2011
1	कृषि और सहायक गतिविधियां	5.53%	6.68%
2	उद्योग (सूक्ष्म व लघु, मध्यम और बड़े)	2.20%	3.63%
3	सेवाएं	1.61%	7.83%
4	वैयक्तिक ऋण	1.84%	24.47%

7. Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPA

7.1 Concentration of Deposits

		(CIII CIUIE)
Particulars	31.03.2012	31.03.2011
Total Deposits of Twenty largest Depositors	6649.44	7407.83
Percentage of Deposits of Twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	8.69%	11.08%

7.2 Concentration of Advances

		(₹ in Crore)
Particulars	31.03.2012	31.03.2011
Total Advances of Twenty largest borrowers	13146.75	9902.63
Percentage of Advances of Twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	23.07%	20.85%

Concentration of Exposure 7.3

		(₹ in Crore)
Particulars	31.03.2012	31.03.2011
Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	14146.62	11364.54
Percentage of Exposures of Twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/customers	21.35%	20.35%

7.4 Concentration of NPAs

्र in Crore		
Particulars	31.03.2012	31.03.2011
Total Exposure to top four NPA accounts	390.92	114.69

Sector-wise NPAs 7.5

S. N.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector		
		31.03.2012	31.03.2011	
1	Agriculture & allied activities	5.53%	6.68%	
2	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	2.20%	3.63%	
3	Services	1.61%	7.83%	
4	Personal Loans	1.84%	24.47%	

(7 in Croro)

(₹ in Crore)

7.6 सकल अनर्जक अग्रिमों की गतिशीलताः

/	~ `	1	
(र	कराड	म)	

(₹ करोड में)

विवरण	रकम
1 अप्रैल 2011 को सकल अनर्जक आस्तियां *(आरंभिक शेष)	1173.70
वर्ष के दौरान परिवर्धन	875.88
उप जोड़ (क)	2049.58
घटाईएः	
1. कोटिउन्नयन	109.02
 वसूली (कोटिउझत खातों में हुई वसूली को छोड़कर) 	248.91
 बट्टे खाते में डाली गई रकम 	394.62
उप जोड़ (ख)	752.55
31 मार्च 2012 को सकल अनर्जक आस्तियां (अंतिम शेष)(क-ख)	1297.03
	0.0.1

दिनांक 24 सितंबर 2009 के डीबीओडी परिपत्र डीबीओडी.बीपी.बीसी क्रं. 46 /21.04.048 /2009-10 के अनुलग्नक की मद 2 के अनुसार सकल एनपीए.

7.7 विदेशों में आस्तियां, अनर्जक आस्तियां व राजस्व

		((4) () ()
विवरण	31.03.2012	31.03.2011
कुल आस्तियां	812.57	69.65
कुल अनर्जक आस्तियां	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	0.34	0.25

7.8 तुलनपत्र के बाहर प्रायोजित एसपीवी (लेखा मानदंडों के अनुसार जिन्हे समेकित करना आवश्यक है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

विगोपनः 8.

8.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में विगोपन

(₹ करोड़		
श्रेणी	31.03.2012	31.03.2011
क) प्रत्यक्ष विगोपन	7422.21	5485.50
(i) आवासीय बंधक - जिससे ₹ 25.00 लाख तक के ऋण उधारकर्त्ता द्वारा अधिग्रहित या अधिग्रहण की जाने वाली या किराये से दी संपत्ति पर दिये गये ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः रक्षित हैं.	6230.49	4599.38 3267.04
 (ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदाः वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा रक्षित ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुप्रयोज्य वाणिज्यिक परिसर, बहु-आवासीय भवन, अधिक किरायेदार वाले वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूअधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) निवेश में गैरनिधि आधारित सीमाएं भी शामिल हैं. (iii) बंधक द्वारा प्रतिरक्षित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य रक्षित विगोपनों में निवेश- 	1191.72	886.12
क) आवासीय	शून्य	शून्य
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	शून्य	शून्य
ख) अप्रत्यक्ष निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक और आवासीय वित्त कंपनियों में निधि आधारित और गैर निधि आधारित निवेश	2791.77	2625.01
रियल इस्टेट क्षेत्र हेतु कुल विगोपन	10213.98	8110.51

7.6 Movement of Gross NPAs

	(₹ in Crore)
Particulars	Amount
Gross NPAs* as on 1st April 2011 (Opening Balance)	1173.70
Additions during the year	875.88
Sub-total (A)	2049.58
Less:	
(i) Upgradations	109.02
 (ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts) 	248.91
(iii) Write-offs	394.62
Sub-Total (B)	752.55
Gross NPAs s on 31st March, 2012 (Closing Balance) (A-B)	1297.03

Gross NPA as per item 2 of Annex to DBOD Circular DBOD.BP.BC. * No.46/21.04.048/2009-10 dated 24th September, 2009.

7.7 Overseas Assets, NPAs and Revenue

Particulars	31.03.2012	31.03.2011
Total Assets	812.57	69.65
Total NPAs	Nil	Nil
Total Revenue	0.34	0.25

7.8 Off-balance sheet SPVs sponsored

(Which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

8. Exposures:

8.1 Exposure to Real Estate Sector

	Category	31.03.2012	31.03.2011
a)	Direct exposure	7422.21	5485.50
(i)	Residential Mortgages –	6230.49	4599.38
	Out of which Loans up to ₹ 25 lakh Lending fully secured by mortgage on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	4124.22	3267.04
(ii) (iii)	Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Expo-sure also includes non-fund based (NFB) limits. Investments in Mortgage Backed	1191.72	886.12
(111)	Securities (MBS) and other securitized exposures –		
	a. Residential	Nil	Nil
	b. Commercial Real Estate	Nil	Nil
b)	Indirect Exposure		
	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	2791.77	2625.01
	Total Exposure to Real Estate Sector	10213.98	8110.51

8.2 पूंजी बाजार का विगोपन

(₹ करोड में)

<u> </u>		01 00 0010	(₹ करोड़ में 01 00 0011
विव (i)	ईक्विटी शेयर,परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडों की यूनिटों	31.03.2012	31.03.2011
	में जिसकी मूलनिधि का निवेश केवल संस्थागत ऋणों में नहीं किया गया है. में प्रत्यक्ष निवेश	166.60	96.62
ii)	व्यक्तियों को ईक्विटी शेयरों (आईपीओ/ ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडो में निवेश करने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिवेंचरों या किसी अन्य प्रतिभूति पर या गैर जमानती आधार पर अग्रिम	0.00	0.10
		0.09	0.10
iii)	अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	शून्य	1.60
iv)	अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को संपाश्वर्विक प्रतिभूति माना गया है अर्थात जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ ईक्विटी उन्मुख फंड यूनिटों से इतर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती.	9.09	7.33
V)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां	72.85	103.45
vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की रकम जुटाने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या गैर जमानती आधार पर संस्थाओं को मंजूर ऋण	शून्य	शून्य
vii)	अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
viii)	शेयरों के प्रारंभिक निर्गम या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंड की यूनिटों के सम्बंध में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबध्दताएं	ਗੁੜਾ	शून्य
iv)	मार्जिन व्यापार हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	शून्य	
ix)	•	शून्य	शून्य
X)	उद्यमी पूंजी निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों में सभी निवेश	20.31	21.64
	पूंजी बाजार में कुल निवेश	268.94	230.74

8.3 जोखिम श्रेणीवार देश निवेश

				(₹ करोड़ मे)
जोखिम श्रेणी	31.03.2012 को निवेश (निवल)	31.03.2012 को धारित प्रावधान	31.03.2011 को निवेश (निवल)	31.03.2011 को धारित प्रावधान
नगण्य	1545.26	0.00	738.50	0.00
कम	953.86	0.00	647.29	0.00
साधारण	108.99	0.00	90.22	0.00
उच्च	40.74	0.00	9.28	0.00
अति उच्च	6.83	0.00	36.55	0.00
प्रतिबंधित	7.61	0.00	10.17	0.00
ऋणेतर	0.60	0.00	0.00	0.00
कुल	2663.89	0.00	1532.01	0.00

8.2 Exposure to Capital Market

8.2	3.2 Exposure to Capital Market (₹ in Crore)			
Par	ticulars	31.03.2012	31.03.2011	
(i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	166.60	96.62	
(ii)	Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	0.09	0.10	
(iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	Nil	1.60	
(iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security or shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds ie where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	9.09	7.33	
(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on be-half of stockbrokers and market makers;	72.85	103.45	
(vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	Nil	Nil	
(vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	Nil	Nil	
(viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	NIL	Nil	
(ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	Nil	
(x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	20.31	21.64	
	Total Exposure to Capital Market	268.94	230.74	

8.3 Risk Category wise Country Exposure

(₹ in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2012	Provision held as at March 31, 2012	Exposure (net) as at March 31, 2011	Provision held as at March 31, 2011
Insignificant	1545.26	0.00	738.50	0.00
Low	953.86	0.00	647.29	0.00
Moderate	108.99	0.00	90.22	0.00
High	40.74	0.00	9.28	0.00
Very High	6.83	0.00	36.55	0.00
Restricted	7.61	0.00	10.17	0.00
Off-credit	0.60	0.00	0.00	0.00
Total	2663.89	0.00	1532.01	0.00

हर देश के लिए बैंक का जोखिम श्रेणीवार निधि आधारित निवल विगोपन दिनांक 31.03.2011 को बैंक की कुल आस्तियों के 1 प्रतिशत से कम है अतः दिनांक 17.6.2004 के भा.रि.बैंक परिपत्र क्र.डीबीओडी. बीपी.बीसी.96/21.04.103/2003-04 के अनुसार कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है.

8.4 बैंक द्वारा पार की गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने किसी भी व्यक्तिगत उधारकर्ता या समूह उधारकर्ता को उधार देने के संबंध में विवेकपूर्ण विगोपन सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया है.

8.5 गैर जमानती अग्रिमः

दिनांक 31.03.2012 को गैर जमानती अग्रिमों में ₹ 419.50 करोड़ (₹ 349.90 करोड़) के अग्रिम शामिल थे जो अमूर्त आस्तियों जैसे कि अधिकारों, लाइसेन्स, प्राधिकार इत्यादि पर भार जैसी सहायक प्रतिभूतियों से सुरक्षित थे. इस प्रकार की अमूर्त सहायक प्रतिभूतियों का दिनांक 31.03.2012 को अनुमानित मूल्य ₹ 2042.99 करोड़ (₹ 2208.22 करोड़) है.

8.6 प्रावधान संरक्षा अनुपातः

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 01 दिसंबर, 2009 के परिपत्र क्र. डीबीओडी.एनओ.बीपी. बीसी.64/21.04.048/2009-10 के निदेशों के अनुसार बैंक ने प्रावधान संरक्षा अनुपात का परिकलन किया है जो 80.36 प्रतिशत है . इस अनुपात का परिकलन 31.03.2012 के अनर्जक आस्तियों के स्तर के आधार पर किया गया है:

जबकि ऐसे प्रावधान कवरेज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 अप्रैल, 2011 के परिपत्र क्र. डीपीडीसी 87/21.04.048/2010-11 के आधार पर परिकलित किए गए हैं जो 30.09.2010 के एनपीए स्तर रु.2049.81 और 31.03.2012 के एनपीए प्रावधान पर आधारित हैं जो 89.52% निकलते है.

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्रमांक डीबीओडी क्रमांक बीपी. बीसी.87/21.04.048/2011-12, दिनांक 21 अप्रैल, 2011 द्वारा बैंकों को 30 सितंबर, 2010 को निवल अनर्जक आस्ति स्थिति तथा यदि इसमें प्रतिचक्र प्रावधान बफर अंतराल हो तो 70 प्रतिशत के पीसीआर को बनाए रखने की सलाह दी गई थी. इस संबंध में बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 264.91 करोड के स्तर तक प्रावधान किया.

9 विविधः

9.1 वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधान की रकम

		(₹ करोड़ में)
विवरण	31.3.2012	31.3.2011
आयकर हेतु प्रावधान	199.20	183.67

9.2 ला/हा खाते में खर्च शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए प्रावधान और आकस्मिकताएं

			(₹ करोड़ में)
क्र.सं.	विवरण	31.03.2012	31.03.2011
1	अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान	673.44	342.00
2	मानक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान	69.21	37.58
3	पुनर्संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान	33.62	0.00
4	एएफएस/एचएफटीनिवेशों पर मूल्यह्रास	62.27	82.31
5	एफआईटीएल के प्रति प्रावधान	0.00	7.21
6	करों के लिए प्रावधान	199.85	183.67
7	आस्थगित कर देयता/आस्ति (निवल)	28.29	0.00
8	अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं	22.60	18.54
	उप जोड़ (क)	1089.28	671.31
	घटायें : प्रतिलेखन/समायोजन		
	आस्थगित कर देयताएं/आस्तियां (निवल)	0.00	126.24
	पुनर्संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान	0.00	9.05
	कृषि ऋण माफी और राहत के लिए प्रावधान (पीवी आधार)	0.00	10.66
	अन्य मदें - एफआईटीएल हेतु प्रावधान अन्य	4.73 0.14	0.00 0.72
	उप जोड़ (ख)	4.87	146.67
	कुल प्रावधान और आकस्मिकताएं (क - ख)	1084.41	524.64

Since Bank's net funded exposure for risk category-wise exposure for each country is less than 1% of bank's total assets as on 31.03.2011, no provision is required in terms of RBI Circular No. DBOD.BP.BC.96/21.04.103/2003-04 dated 17.06.2004.

8.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

The Bank has not exceeded the prudential exposure limits, in respect of lending to single borrower or group borrower during the Financial Year 2011-2012.

8.5 Unsecured Advances:

Unsecured advances includes ₹ 419.50 crore (₹ 349.90 Crore) as on 31.03.2012 which are collaterally secured by intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. The estimated value of such intangible collateral is ₹ 2042.99 crore (₹ 2208.22 crore) as on 31.03.2012.

8.6 Provisioning Coverage Ratio:

The bank has computed the Provisioning Coverage Ratio (PCR) as required vide Circular No. DBOD.No.BP.BC.64/21.04.048/2009-2010 dated December 1, 2009 which is 80.36%. This ra-tio is calculated on the basis of NPA level as on 31.03.2012.

Whereas such Provision coverage (PCR) calculated as per RBI Circular No.DP.DC.87/21.04.048/2010-11 dated April 21, 2011, based on NPA level as on 30.09.2010 ₹ 2049.81 and NPA provision as on 31.03.2012 works out to 89.52%.

In RBI circular No.DBOD No.BP.BC.87/21.04.048/2011-11 dated April 21,2011, wherein banks were advised to maintain PCR of 70 percent with reference to the Gross NPAs position as on 30.09.2010 and if there is gap create "counter cyclical provisioning buffer". In this regard, the Bank has made provision to the tune of ₹ 264.91 crores during the year 2011-12.

9. Miscellaneous:

9.1 Amount of Provision made for income tax during the year:

		(₹ in Crore)
Particulars	31.03.2012	31.03.2011
Provision for Income Tax	199.20	183.67

9.2 Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

			(₹ in Crore)
Sr. No.	Particulars	31.03.2012	31.03.2011
1	Provision towards NPA	673.44	342.00
2	Provisions for Standard Assets	69.21	37.58
3	Provisions for Restructured Advances	33.62	0.00
4	Depreciation on investments in AFS/HFT	62.27	82.31
5	Provision towards FITL	0.00	7.21
6	Provision for taxes	199.85	183.67
7	Deferred Tax Asset/Liability(Net)	28.29	0.00
8	Other provision and contingencies	22.60	18.54
	Sub-total (A)	1089.28	671.31
	Less: Write back/adjustments		
	Deferred Tax Assets/Liability (Net)	0.00	126.24
	Provision for Restructured Advances	0.00	9.05
	Provision for Agriculture Debt Waiver & Relief (PV Basis)	0.00	10.66
	Other items – Provision for FITL Others	4.73 0.14	0.00 0.72
	Sub-total (B)	4.87	146.67
	Total Provisions & Contingencies (A-B)	1084.41	524.64

9.3 अन्य आस्तियों व अन्य देयताओं के अन्तर्गत पुरानी प्रविष्टियों, नाममात्र खातों सहित अन्य बैंकों / संस्थाओं के पास संव्यवहारों, अंतरशाखा संव्यवहारों के समाधान/ समापन /समायोजन की प्रक्रिया हेतु कदम उठाये जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त अन्य आस्तियों/देयताओं, समाशोधन खातों और कुछ जमा खातों के संबंध में सामान्य खाता बही और अनुषंगी में शेष के बीच समाधान और अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास प्रभार तथा अचल आस्तियों के अंतरशाखा अंतरण का कार्य लंबित है. जिनके राजस्व पर प्रभाव के साथ ही इनके परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका. प्रबंधन के अभिमत में इनका राजस्व पर परिणामी प्रभाव मामुली है.

9.4 स्थिर आस्तियां -

- 9.4.1 पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर चालू वर्ष के दौरान ₹ 70.63 करोड़ (₹ 12.35 करोड़) के मूल्यह्वास को पूनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में समायोजित किया गया..
- 9.4.2 वर्ष हेतु लिए गए मूल्यह्रास में ₹ 2.45 करोड़ का समावेश है, जो कि पूर्व में पुनर्मूल्यांकित कतिपय आस्तियों की निवल बही मूल्य में समायोजन का निवल मूल्य दर्शाता है, कतिपय लीजधारित भूमि पर पूर्व में परिशोधित अतिरिक्त राशि और पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास की दरों में परिवर्तन कम हुई शेष स्थायित्व पर विचार किया जाता है.
- 9.4.3 अवधि के दौरान परिसर की लागत में कटौती और इसकी तारीख पर मूल्यहूास में ₹ 53.28 करोड़ का समावेश है, जो कि किसी पूर्व अवसर पर पुनर्मूल्यांकन के कारण जोड़ी गई राशि है तथा इसे वित्तीय वर्ष 2008-09 में अनुवर्ती पुनर्मूल्यांकन पर राशि से समायोजित करना अपेक्षित था.
- 9.4.4 पूर्व के पुनर्मूल्यांकन के कारण अचल आस्तियों के मूल्य में वृद्धि पर वर्ष के दौरान मूल्यद्वास में ₹ 56.11 करोड़ का समावेश है ताकि लागत भाग से पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यद्वास की दर का समन्वय किया जा सके. इसका वर्ष हेतु निवल मूल्यांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः वर्ष के लिए लाभ पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं है.
- 9.4.5 बैंक के कुछ परिसर पुनर्मूल्यांकित राशि के रूप में उल्लेख किए गए हैं. ऐसे पुनर्मूल्यांकन की सकल रकम ₹ 482.27 करोड़ है, जो कि वर्ष की समाप्ति पर परिसर में शामिल की गई है तथा पुनर्मूल्यांकन के मूल्यह्रास की निवल राशि ₹ 375.03 करोड़ होती है.
- 9.4.6 ₹ 7.00 करोड़ (₹ 7.00 करोड़) के सकल मूल्य के कुछ पुनर्मूल्यांकित परिसरों के संबंध में हक विलेख कतिपय कानूनी औपचारिकताएं पूरी न होने / लंबित होने के कारण बैंक के पक्ष में निष्पादित / पंजीकृत करना शेष है .
- 9.5 आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर्शाई गई गारंटियों की रकम में ₹ 714.72 करोड़ (₹ 307.64 करोड़) की कालातीत गारंटियों की रकम शामिल हैं, जिन्हें औपचारिकताओं की पूर्ति लंबित होने के कारण निरस्त नहीं किया गया है. ईसीजीसी के पास लंबित व उन्हें प्रस्तुत किये जाने वाले ₹ 3.29 करोड़ (₹ 9.74 करोड़) के दावों को प्रावधानों के परिकलन के प्रयोजनार्थ वसूली योग्य माना गया है.
- 9.6 अनुसूची 5 में दर्शाई गई अन्य देयताओं में अदावाकृत शेयर आवेदन धन के रूप में ₹ 0.47 करोड़ (₹ 0.52 करोड़) की रकम शामिल है.
- 9.7 वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46
 (4) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक पर कोई दंड नहीं लगाया.
- 9.8 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निपटाई गई ग्राहक शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है -

क्रं.	विवरण	2011-12	2010-11
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	48	27
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1349	1235
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1366	1214
(ঘ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	31	48

9.9 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णयों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रं.	विवरण	2011-12	2010-11
(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	1	2
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	1	2
(ঘ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0

9.3 Work is in progress for adjustment/reconciliation/elimination of interbranch transactions, transactions with other banks/institutions, nominal accounts and old entries under other assets and liabilities. Further reconciliation between balances in subsidiary and general ledger in respect of certain deposit accounts, clearing accounts, other assets & liabilities and charge of depreciation on fixed assets and inter-branch transfer of fixed assets is still under progress. The effect of these, including the consequential impact thereof on the revenue, is not ascertainable. In the opinion of the management consequential impact thereof on revenue is not material

9.4 Fixed Assets

- 9.4.1 Depreciation for the current year amounting to ₹ 70.63 crore (₹ 12.35 crore) on revalued assets has been adjusted to Revaluation reserve account.
- 9.4.2 Depreciation charged for the year include ₹ 2.45 crore representing net value of adjustment in the net book value of certain assets revalued in the past, change in rate of depreciation to take in to consideration reduced residual life due to revaluation and excess amount amortized in the past on certain leasehold lands.
- 9.4.3 Deduction during the period from cost of premises and depreciation to date thereon includes ₹ 53.28 crores which was amount of addition due to revaluation on a previous occasion and was required to be adjusted from this amount on subsequent revaluation in financial year 2008-09. This has no effect on net book value of respective asset.
- 9.4.4 Depreciation for the year on the appreciated value of fixed assets on account of past revaluation includes ₹ 56.11 crore to harmonize the rate of depreciation on revalued portion with that of cost portion. This does not have any effect on net depreciation provided for the year and consequently there is no effect on profit for the year.
- 9.4.5 Certain premises of bank are stated at revalued amount. The gross amount of such revaluation included in premises at the end of the year is ₹ 482.27 crores and net of depreciation the revaluation amounts to ₹ 375.03.
- 9.4.6 The title deeds in respect of few revalued premises having cost ₹ 7.00 crores (₹ 7.00 crore) are not yet executed/registered in favour of the Bank due to certain long pending legal disputes/formalities.
- 9.5 Contingent Liabilities include expired Guarantees amount to ₹ 714.72 Crore (₹ 307.64 Crore) which has not been cancelled because of pending completion formalities. Claims pending and to be preferred with ECGC amounting to ₹ 3.29 Crore (₹ 9.74 Crore) have been considered as realizable for the purpose of computing provisions.
- 9.6 Other Liabilities disclosed in Schedule 5 include ₹ 0.47 Crore (₹ 0.52 cr.) towards unclaimed Share Application Money.
- 9.7 During the year, Reserve Bank of India has not imposed any penalty on the Bank under the provisions of Section 46(4) of the Banking Regulation Act, 1949.
- 9.8 The details of Customer complaints dealt with by the Bank during the year are as under:

Sr.No.	Particulars	2011-12	2010-11
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	48	27
(b)	No. of complaints received during the year	1349	1235
(c)	No. of complaints redressed during the year	1366	1214
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	31	48

9.9 The details of awards passed by the Banking Ombudsman are as under:

Sr.No.	Particulars	2011-12	2010-11
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman dur-ing the year	1	2
(C)	No. of Awards implemented during the year	1	2
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	0	0

9.10 चुकौती आश्वासन पत्रः

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 1327.92 करोड़ के 1051 ट्रेड क्रेडिट (पिछले वर्ष के दौरान ₹ 572.47 करोड़ के 667 ट्रेड क्रेडिट) जारी किए और कंपनी ग्राहकों के लिए ट्रेड क्रेडिट मुहैया कराने हेतु शाखाओं द्वारा विभिन्न अन्य बैंकों के पक्ष में चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए गए.

दिनांक 31.03.2011 को ₹ 272.16 करोड़ के 290 ट्रेड क्रेडिट के बदले दिनांक 31.03.2012 को ₹ 553.81 करोड़ के 407 ट्रेड क्रेडिट बकाया थे.

9.11 आरक्षित निधियों से आहरणः

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक से उसके दिनांक 23.08.2011 के पत्र क्र. डीबीओडी. बीपी एनओ. 2861/21.4.018/2011.12 द्वारा अनुमति प्राप्त कर चालू वर्ष में राजस्व प्रारक्षित निधि से ₹ 35.416/- (सांविधिक प्रारक्षित निधि को अंतरण में अनुवर्ती कटौती का निवल और कर का निवल) को लाभ और हानि में अंतरित किया, जो कि मांग ड्राफ्ट के संबंध में ₹ 71,180/- दावे की रकम के रूप में है और ये अंतर-शाखा खाते में 31.03.2009 से पूर्व निवल जमा प्रविष्टियां बकाया से संबंधित है, जिन्हें वर्ष 2005-06 में राजस्व प्रारक्षित निधि के प्रति समायोजित किया गया और लाभ और हानि खाते में अंतरित किया गया.

 बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों का उनके लागू होने की मात्रा तक निम्नानुसार अनुपालन किया है:

10.1 लेखा मानक 5 - अवधि के दौरान शुध्द लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदों और लेखा नीतियों में परिवर्तन

चूंकि आय / व्यय की पूर्व अवधि मदें कोई महत्वपूर्ण नहीं हैं अतः उन्हें संबंधित लेखा शीर्षों में प्रभारित / लेखाबध्द किया है.

10.2 लेखा मानक 9- राजस्व निर्धारण

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की अनुसूची 17 में दी गई लेखा नीति क्रमांक 6 (i) के अनुसार आय की कुछ मदों का निर्धारण सांविधिक आवश्यकताओं या महत्व के कारण वसूली के आधार पर किया गया है .

10.3 लेखा मानक 11 - विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव का प्रभाव

वर्ष हेतु लाभ और हानि खाते में विनिमय अंतर जमा के कारण निवल आय ₹ 43.75 करोड़ (₹ 31.43 करोड़) रही.

10.4 लेखा मानक-15 (संशोधित 2005) ''कर्मचारियों के लाभ''

(क) <u>परिभाषित अंशदान योजनाएं</u>:

				(₹ करोड में)
		विवरण	31.03.2012	31.03.2011
ī	क)	भविष्य निधि	0.34	19.72
;	ख)	कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान - कल्याण निधि आकस्मिकता	1.80	15.00

ख) <u>परिभाषित लाभ योजनाएँ</u>

- b) पेंशन योजना यह रोजगार पश्चात लाभ है, जो कि पेंशनयोग्य सेवा के अधिकतम 33 वर्षों हेतु अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत है. यह निधिगत योजना है.
- ख) उपदान योजना यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह उपदान संदाय अधिनियम, 1972 यथासंशोधित के अंतर्गत उपदान और बैंक के नियमों के अनुसार उपदान में से उच्चतम के रूप में संदेय है. यह निधिगत योजना है.
- ग) छुट्टी नकदीकरण/प्रतिपूरित अनुपस्थिति यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह अंतिम वेतन पर आधारित संचयी छुट्टी के 240 दिनों की अधिकतम अवधि हेतु संदेय है. यह गैरनिधि योजना है.

9.10 Letters of Comfort (LOCs):

During the current year,1051 trade credits aggregating to ₹ 1327.92 Crore (Previous year 667 trade credits aggregating to ₹ 572.47 Crore) were sanctioned by the Bank and Letters of Comfort issued by the branches in favor of various other Banks for arranging trade credit to corporate clients.

As on 31.03.2012, 407 trade credits amounting to ₹ 553.81 Crore were outstanding as against 290 Trade Credits amounting to ₹ 272.16 Crore as on 31.03.2011.

9.11 Draw Down from Reserve:

Pursuant to RBI permission vide its letter no. DBOD. BP.No.2861/21.04.018/2011-12 Dt.23.08.2011, the bank has transferred an amount of ₹ 35,416/- (net of tax and net of subsequent reduction in the transfer to the Statutory Reserve) in the current year from the Revenue Reserve to profit and loss, being claims amounting to ₹ 71,180/- in respect of demand drafts which pertain to the net credit entries outstanding prior to 31.03.2009 in inter branch account, which was transferred to Profit & Loss account and appropriate to Revenue Reserve in the year 2005-06.

- 10. The Bank has complied with the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:
- 10.1 Accounting Standard 5 Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts.

10.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

As per Accounting Policy No. 6.1, given in Schedule -17 – Significant Accounting Policies, certain items of income are recognized on realization basis on account of statutory requirements or on account of materiality.

10.3 Accounting Standard 11 – Effect of Changes in Foreign Exchange Rates

Net income on account of exchange differences credit to in the Profit and Loss account for the year is ₹ 43.75 crore (₹ 31.43 crore).

10.4 Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005)- "Employee Benefits"

A. Defined Contribution Plans:

			(* in Crores)
	Particulars	31.03.2012	31.03.2011
a.	Provident Fund	0.34	19.72
b.	Contribution to Staff Welfare – Welfare Fund Contingency	1.80	15.00

B. Defined Benefit Plans:

- Pension Plan This is a post employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.
- b. Gratuity Plan This is a post employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Bank's Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.
- c. Leave Encashment/Compensated Absences This is a post employment benefit and is payable for a maximum limit of 240 days of accumulated leave based on final pay. This is an unfunded scheme.

<u>परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में बदलावः</u>

I. Change in the Present value of Defined Benefit Obligations:

विवरण Particulars परिभाषित लाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation ब्याज लागत		योजना on Plans 31.03.11 1174.36		न योजना ity Plans 31.03.11		कदीकरण acashment 31.03.11
Opening Present Value of Defined Benefit Obligation			31.03.12	31.03.11	31.03.12	31.03.11
Opening Present Value of Defined Benefit Obligation	2156.79	1174.36				
ब्याज लागत		1174.50	443.49	295.06	178.11	134.36
Interest Cost	177.32	95.24	35.46	22.87	14.01	10.94
चालू सेवा लागत Current Service Cost	144.84	47.41	20.58	18.40	25.79	23.85
पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	137.14	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ Benefits Paid	(141.31)	(107.79)	(52.65)	(52.00)	(12.39)	(11.48)
वर्ष हेतु उपचित (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year	93.91	947.57	3.28	22.02	2.31	20.44
परिभाषित लाभ दायित्वों का समापन वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation	2431 55	2156 79	450 16	443 49	207.82	178.11
	Current Service Cost यूर्व सेवा लागत Past Service Cost प्रदत्त लाभ Benefits Paid वर्ष हेतु उपचित (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year गरिभाषित लाभ दायित्वों का समापन वर्तमान मूल्य	Current Service Cost 144.84 पूर्व सेवा लागत Past Service Cost Past Service Cost 0.00 प्रवत्त लाभ 3 Benefits Paid (141.31) वर्ष हेतु उपचित (लाभ) / हानि 4 Actuarial (Gains)/Losses for the year 93.91 परिभाषित लाभ दायित्त्वों का समापन वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit	Current Service Cost144.8447.41पूर्व सेवा लागत Past Service Cost0.000.00प्रवत्त लाभ Benefits Paid(141.31)(107.79)वर्ष हेतु उपचित (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year93.91947.57गरिभाषित लाभ दायित्वों का समापन वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit	Current Service Cost 144.84 47.41 20.58 पूर्व सेवा लागत Past Service Cost 0.00 0.00 0.00 प्रवत्त लाभ 0.00 0.00 0.00 0.00 प्रवत्त लाभ (141.31) (107.79) (52.65) वर्ष हेतु उपचित (लाभ) / हानि 4 47.41 20.58 प्रवत्त लाभ Gains)/Losses for the year 93.91 947.57 3.28 प्रिभाषित लाभ दायित्वों का समापन वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit	Current Service Cost 144.84 47.41 20.58 18.40 पूर्व सेवा लागत Past Service Cost 0.00 0.00 0.00 137.14 Past Service Cost 0.00 0.00 0.00 137.14 प्रवत्त लाभ (141.31) (107.79) (52.65) (52.00) वर्ष हेतु उपचित (लाभ) / हानि 93.91 947.57 3.28 22.02 प्रिभाषित लाभ दायित्वों का समापन वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit	Current Service Cost 144.84 47.41 20.58 18.40 25.79 पूर्व सेवा लागत Past Service Cost 0.00 0.00 0.00 137.14 0.00 प्रवत्त लाभ 0.00 0.00 0.00 137.14 0.00 प्रवत्त लाभ (141.31) (107.79) (52.65) (52.00) (12.39) वर्ष हेतु उपचित (लाभ) / हानि 93.91 947.57 3.28 22.02 2.31 प्रिभाषित लाभ दायित्त्वों का समापन वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit

ll. योजनाबद्ध आस्तियों का आरंभिक वर्तमान मूल्यः

II. Change in the Fair Value of Plan Assets:

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	पेंशन योजना PENSION PLANS		उपदान योजना GRATUITY PLANS	
		31.03.12	31.03.11	31.03.12	31.03.11
1.	योजनाबद्ध आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets	1605.09	1162.08	332.50	275.76
2.	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित पुर्नअदायगी Expected return on plan assets	139.48	98.78	28.26	23.44
3.	किया गया अंशदान Contributions made	470.61	444.64	69.58	82.18
4.	प्रदत्त लाभ Benefits paid	(141.31)	(107.79)	(52.65)	(52.00)
5.	उपचित (लाभ) / हानि Actuarial gains/losses	11.48	7.38	(4.53)	3.12
6.	योजनाबद्ध आस्तियों का समापन उचित मूल्य Closing fair value of plan assets	2085.35	1605.09	373.16	332.50

III. <u>तुलन पत्र में निर्धारित रकमः</u>

III. Amount recognized in the Balance Sheet:

m. <u>q</u> e				Amount le	cognized in		e oneet.	(₹ करोड़ में) ([‡]	₹ in Crores)
								गैरनिधिक परिभाषित	
			निधिक परिभाषित लाभ दायित्व					लाभ दायित्व	
			Funded	Defined Be	nefit Obliga	tions		Unfunded	
क्र.सं.	विवरण							Benefit Ol	oligations
Sr No	Particulars	पेंशन योजनाएं Pension Plans		उपदान योजनाएं Gratuity Plans			ल tal	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment	
		31.03.12	31.03.11	31.03.12	31.03.11	31.03.12	31.03.11	31.03.12	31.03.11
1.	परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations	2431.55	2156.79	450.16	443.49	2881.70	2600.28	207.82	178.11
2.	योजनाबद्ध आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	(2085.35)	(1605.09)	(373.16)	(332.50)	(2458.51)	(1937.59)	0.00	0.00
3.	निर्धारित निवल देयता Net liability to be recognized	346.20	551.70	77.00	110.99	423.19	662.69	207.82	178.11
4.	तुलनपत्र में निर्धारित अन्य रकम Other amount recog-nized in the Balance Sheet	37.87	37.17	0.00	(9.13)	37.87	28.04	0.45	0.46
5.	तुलनपत्र में निर्धारित निवल देयता Net liability recognized in the Balance Sheet	384.07	588.87	77.00	101.86	461.07	690.73	208.28	178.57

IV. <u>लाभ और हानि लेखा में निर्धारित रकमः</u>

IV. Amount recognized in the Profit & Loss Account:

			-	thount recognize			5 में) (₹ in Crores)	
क्र.सं. S.No	विवरण Particulars		न योजनाएं sion Plans		न योजनाएं Jity Plans	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		
		31.03.12	31.03.11	31.03.12	31.03.11	31.03.12	31.03.11	
1.	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	144.84	47.41	20.58	18.40	25.79	23.85	
2.	ब्याज लागत Interest Cost	177.32	95.24	35.46	22.87	14.01	10.94	
3.	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected Return on Plan Assets	(139.48)	(98.78)	(28.26)	(23.44)	0.00	0.00	
4.	वर्ष हेतु निवल जीवनांकिक (लाभ)/ हानियां Actuarial (Gains)/Losses for the year	82.43	940.19	7.81	18.90	2.31	20.44	
5.	सेवा पूर्व लागत Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	137.14	0.00	0.00	
6.	निर्धारित व्यय Expense to be recognized	265.11	984.06	35.59	173.86	42.10	55.23	
7.	वर्ष 2010-11 में अधिसूचना क्र.बीओडी. क्र. बीसी.80/ 21.04.018/2010-11 के द्वारा पेन्शन योजना के पुनर्प्रारंभ व उपदान सीमा में बढोत्तरी के कारण आगे लाए गए वृद्धिगत दायित्व Carry forward of enhanced obligations due to reopening of Pension Plan & increase in Gratuity Limit vide. Notification No. BOD. No.BC.80/21.04.018/2010-11 in 2010-11	0.00	(300.04)	0.00	(109.71)	0.00	0.00	
8.	दूसरे विकल्पकर्ता द्वारा पेन्शन निधि में सीधे लौटाई गई निधि Fund refunded by 2nd Optee directly to Pension Fund	(6.94)	(320.20)	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.	वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान Additional provision made during the year	0.70	18.01	9.13	0.00	0.00	0.00	
10.	कर्मचारी लागत में शामिल और लाभ व हानि खाते में निर्धारित कुल खर्च Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost	258.87	381.83	44.72	64.15	42.10	55.23	

V. तुलन पत्र में निर्धारित निवल देयता का समाधान

V. <u>Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet</u> (₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्र.सं. S.No	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं Pension Plans			न योजनाएं uity Plans	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		
		31.03.12 31.03.11		31.03.12	31.03.11	31.03.12	31.03.11	
1.	प्रारंभिक निवल देयता							
	Opening Net Liability	588.87	31.44	101.86	10.18	178.57	134.41	
2.	निर्धारित व्यय							
	Expense recognized	265.81	1002.07	44.72	173.86	42.10	55.23	
3.	प्रदत्त अंशदान / लाभ							
	Contributions/Benefits paid	(470.61)	(444.64)	(69.58)	(82.18)	(12.39)	(11.07)	
4.	समापन निवल देयता							
	Closing Net Liability	384.07	588.87	77.00	101.86	208.28	178.57	

VI. योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय

VI. Actual Return on Plan Assets

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

क्र.सं. Sr No	विवरण Particulars	पेंशन यो Pension		उपदान योजनाएं Gratuity Plans		
		31.03.12	31.03.11	31.03.12	31.03.11	
1.	योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित आय					
	Expected return on plan assets	139.48	98.78	28.26	23.44	
2.	योजनाबद्ध आस्तियों पर जीवनांकिक लाभ (हानि)					
	Acturial gain (loss) on plan assets	11.48	7.38	(4.53)	3.12	
3.	योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय					
	Actual return on plan assets	150.96	106.16	23.73	26.56	

VII. मूल जीवनांकिक मान्यताएँ (धारित औसतों के रूप में व्यक्त)

VII. Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)

क्र.सं. S.No	विवरण Particulars	पेंशन योजनाएं Pension Plans			न योजनाएं uity Plans	छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment		
		31.03.12 31.03.11		31.03.12	31.03.11	31.03.12	31.03.11	
1.	भांजित दर							
	Discount rate	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	
2.	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय							
	Expected return on plan assets	8.69%	8.50%	8.50%	8.50%	0.00%	0.00%	
3.	वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर							
	Expected rate of salary increases	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	

(₹ करोड में)

ग. <u>अन्य दीर्घावधि लाभ ः</u>

			(
क्र.	विवरण	लाभ व हानि खाते में निर्धारित					
सं.		31.03.12	31.03.11				
1	पुनर्स्थापन भत्ता	1.73	(1.50)				
2	छुट्टी किराया रियायत	8.75	11.50				
3	रजत जयंती पुरस्कार	1.62	0.00				
	जोड	12.10	10.00				

घ. गैर परिशोधन पेंशन व उपदान देयता

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 09 फरवरी, 2011 की अधिसूचना क्रमांक डीबीओडी क्र.बीपी.बीसी.80/21.04.018/ 2010-11 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उपदान सीमा में वृद्धि तथा विद्यमान कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प के पुनर्प्रारंभ के संबंध में परिशोधन के प्रति दिनांक 31.03.2012 को समाप्त वर्ष हेतु ₹ 102.48 करोड का प्रावधान किया गया. (यह वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान लाभ व हानि खाते पर प्रभारित किए जाने वाले परिशोधित शेष के प्रति ₹ 512.38 करोड की कुल गैर परिशोधित देयता का 1/5वां भाग यथा ₹ 102.48 करोड दर्शाता है). दिनांक 31.03.2012 को यथास्थिति उपदान सीमा में वृद्धि तथा विद्यमान कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प के पुनर्प्रारंभ के संबंध में परिशोधन देयता निम्नानुसार है :

					(रे कराड़ म)	
पेंशन य	गेजनाएं	उपदान र	योजनाएं	कुल		
31.03.12	31.03.11	31.03.12	31.03.11	31.03.12	31.03.11	
225.14	300.04	82.28	109.71	307.42	409.75	

10.5 लेखा मानक 17 - क्षेत्र रिपोर्टिंग

बैंक ने अपने प्राथमिक रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्रों का अभिनिर्धारण निम्नानुसार किया है.

भाग कः व्यवसाय क्षेत्र

c. Other Long Term Benefits:

			(₹ in Crores)			
S. No.	Particulars	Recognized in Profit & Loss Account				
		31.03.12	31.03.11			
1.	Resettlement Allowance	1.73	(1.50)			
2.	Leave Fare Concessation	8.75	11.50			
3.	Silver Jubilee Award	1.62	0.00			
	Total	12.10	10.00			

d. Unamortized Pension and Gratuity Liability

In accordance with guidelines issued by RBI vide Notification No. DBOD.No.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011, provision for ₹ 102.48 crore has been made for the year ended 31.03.2012 towards the amortization relating to enhancement in Gratuity limit and reopening of pension option for existing employees (representing 1/5th of the total unamortized liability amounting to ₹ 512.38 crore i.e ₹ 102.48 crore being the amount of amortized balance to be charged to the profit & loss account during the financial year 2011-12). The unamortized liability relating to enhancement in Gratuity limit and re-opening of pension option for existing employees as on 31.03.2012 is as under:

(₹ in Cror											
Pensio	n Plans	Gratu	ity Plans	Total							
31.03.12	31.03.11	31.03.12	31.03.11	31.03.12	31.03.11						
225.14	300.04	82.28	109.71	307.42	409.75						

10.5 Accounting Standard 17- Segment Reporting

Bank has identified its primary reportable segments as under:

Part A: Business segments

(र करोड़ में) (र in Crores)

व्यवसाय क्षेत्र Business Segments \rightarrow	खजाना Treasury		संस्थागत/थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other banking operations		कुल Total	
विवरण Particulars	2011-12	2011-12 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12 2010				2010-11	2011-12	2010-11		
राजस्व Revenue	1780.98	1646.19	3682.21	2640.82	2323.36	1737.73	68.08	69.20	7854.63	6093.94
परिणाम Result	(193.14)	183.89	482.38	136.22	340.33	39.96	45.30	33.50	674.87	393.57
अनाबंटित व्यय Unallocated expenses									15.90	5.75
परिचालन लाभ Operating profit										387.82
कर आस्थगित करों सहित Taxes including deferred taxes									228.14	57.43
असाधारण लाभ / हानि Extraordinary profit/loss	शून्य Nil							शून्य Nil	शून्य Nil	

व्यवसाय क्षेत्र Business Segments →	खजाना Treasury		संस्थागत/थोक बैंकिंग खुदरा Corporate / Retail E Wholesale Banking			अन्य बैंकिंग परिचालन Other banking operations		कुल Total		
विवरण Particulars	2011-12	2010-11	2011-12	2011-12 2010-11 2011-12 2010-11 2011-12 2010-11					2011-12	2010-11
निवल लाभ Net profit								430.83	330.39	
अन्य जानकारियां : Other Information:										
क्षेत्र आस्तियां Segment assets	24213.24	23022.97	37906.74	32424.34	19206.61	15492.39	5202.18	4295.04	86528.77	75234.74
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									1488.62	1207.47
कुल आस्तियां Total assets									88017.39	76442.21
क्षेत्र देयताएं Segment liabilities	23360.31	22690.04	35772.48	30183.49	18128.29	14421.71	5817.98	5029.20	83079.06	72324.44
अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities									215.67	146.85
पूंजी और अन्य प्रारक्षितियां Capital & Other Reserves									4722.66	3970.92
कुल देयताएं Total liabilities								88017.39	76442.21	

- क) खजाना क्षेत्र में निवेश, भारत के बाहर के बैंकों में शेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे होने वाली सम्बंधित आय शामिल हैं.
- ख) संस्थागत/थोक बैंकिंग क्षेत्रों में न्यासों, भागीदारों फर्मों, कम्पनियों और सांविधिक निकायों को प्रदत्त सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है.
- ग) खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में व्यक्ति/व्यक्तियों या छोटे कारोबारों में निवेश शामिल है जहां
 - i) कुल औसत वार्षिक पण्यावर्त ₹ 50.00 करोड़ से कम है और
 - ii) एक प्रतिपक्ष में किया गया कुल निवेश बैंक के समग्र खुदरा संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है और
 - iii) एक प्रतिपक्ष में किया गया अधिकतम औसत खुदरा निवेश ₹ 5.00 करोड़ तक है.
- अन्य बैंकिंग परिचालनों के क्षेत्र में ऐसे सभी अन्य बैंकिंग व्यवहार शामिल हैं जिन्हें उपर्युक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है.

उपर्युक्त प्रकटन प्रबंधन द्वारा समेकित अभिलेखों/जानकारी पर आधारित हैं जिन पर लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है.

भाग खः भौगोलिक क्षेत्र

चूँकि बैंक के परिचालन केवल भारत के भीतर होते हैं, अतः भौगोलिक क्षेत्र लागू नहीं है.

10.6 लेखा मानक 18- सम्बंधित पक्ष प्रकटन

इस सम्बंध में विवरण निम्नानुसार हैं

- (क) सम्बंधित पक्षों का नाम और बैंक से उनके सम्बंधः
 - (क) बैंक की अनुषंगी कंपनी दी महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.
 - (ख) बैंक की सहायक संस्था महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
 - (ग) महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक
 - 1) श्री नरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (01.02.2012 से)
 - श्री अनूप शंकर भट्टाचार्य, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (01.10.2010 से 31.01.2012 तक)
 - 3) सी. वीआर. राजेंद्रन, कार्यपालक निदेशक (01.03.2012 से)
 - अी मधुकांत जी. संघवी, कार्यपालक निदेशक (15.10.2008 से 29.02.2012 तक)

- Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on investments and related income therefrom.
- b) Corporate/Whole sale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies which are not included in Retail Banking Segments.
- c) Retail Banking Segments include exposure to the individual person/ persons or to a small business where
 - i. Total average annual turnover is less than ₹ 50 Crore and
 - ii. No aggregate exposure to one counter party exceeds 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and
 - iii. The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to ₹ 5 Crore.
- d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.

The above disclosures made are based on the records/information compiled by the management and relied upon by the auditors.

Part B: Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

10.6 Accounting Standard 18 – Related party disclosures

The details in this regard are as under:

(A) Name of the Related Parties and their relationship:

- (a) Subsidiary of the Bank The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited
- (b) Associate of the Bank Maharashtra Gramin Bank
- (c) Key Management Personnel -
 - (1) Shri Narendra Singh, Chairman & Managing Director (from 01.02.2012)
 - (2) Shri Anup Sankar Bhattacharya, Chairman & Managing Director (from 1.10. 2010 to 31.01.2012)
 - (3) Shri C.VR.Rajendran, Executive Director (from 01.03.2012).
 - (4) Shri Madhukant G. Sanghvi, Executive Director (from 15.10.2008 to 29.02.2012).

(ख) सम्बंधित पक्षों से संव्यवहार -

		(₹ लाख मे)
विवरण	31.03.12	31.03.11
वेतन व भत्ते	48.23	45.75

एएस 18 संबंधित पक्ष प्रकटन के परिच्छेद 9 के मद्देनजर बैंक की अनुषंगी कंपनी और सहायक संस्थाओं के साथ संव्यवहार का प्रकटन नही किया गया है, जो कि राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य संबंधित पक्ष जो कि राज्य द्वारा नियंत्रित है, उनके संव्यवहारों से संबंधित किसी भी प्रकटन से छुट देता है.

10.7) लेखा मानक-20 - प्रति शेयर अर्जन

विवरण	31.03.2012	31.03.2011	
मूल / अनुकृत प्रति शेयर अर्जन	₹7.59	₹ 6.86	
मूल / अनुकृत प्रति शेयर अर्जन की गणना.			
क) कर उपरांत निवल लाभ और अधिमान लाभांश सह लाभांश पर कर (₹ लाख में)	₹ 36590.72	₹ 29588.46	
 ख) ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में) 	4823.03	4313.61	
ग) प्रति शेयर मूल अर्जन [(क) विभाजित (ख) द्वारा]	₹7.59	₹ 6.86	
घ) प्रति शेयर अभिहित मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00	

10.8 लेखा मानक 22 - आय पर करों का लेखांकन

बैंक ने एएस 22 का पालन करते हुए वर्तमान कर का लेखांकन किया है. तदनुसार, आस्थगित कर-आस्तियां और आस्थगित कर देयताएँ निम्नानुसार हैं :

विवरण	31.03.2012	31.03.2011
आस्थगित कर आस्तियां		
 अशोध्य और संदिग्ध प्रावधानों के प्रति समय के अंतर के रूप में 	158.41	133.89
 कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधानों के रूप में 	67.57	173.35
 अन्य प्रावधान जहां डीटीए बनाया गया है. 	142.60	119.09
कुल	368.58	426.33
आस्थगित कर देयता		
 विशेष प्रारक्षित निधि के रूप में 	29.28	21.95
 निवेश पर मूल्यह्रास के रूप में 	77.44	0.00
कुल	106.72	21.95
अनुसूची 11 (अन्य आस्तियां) में दर्शाई गई निवल आस्थगित कर आस्ति	261.86	404.38

वर्ष के लिए आयकर हेतु प्रावधान करते समय आयकर अधिनियम 1961 के खंड 115 जेबी के प्रावधानों के अनुसार बैंकों मे एमएटी के अप्रयोज्य होने के संबंध में आईटीएटी मुंबई के निर्णय की दृष्टि से न्यूनतम एकांतर कर (एमएटी) के कारण कर देयता विचारार्थ नही ली गई है .

10.8 क) लेखा मानक - 24 - परिचालन का समापन

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान अपनी किसी भी व्यवसाय गतिविधियों/ परिचलनों का समापन नहीं किया जिसका परिणाम आस्तियों की वसूली तथा देयताओं का निपटान रहा और अपनी समग्रता में व्यवसाय गतिविधि के समापन को अंतिम रूप देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया जिसका उक्त प्रभाव पड़ेगा।

10.9 लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - आंतरिक रूप से निर्मित के अतिरिक्तः

उपयोग अवधि 🛛 - 🛛 वर्ष

- परिशोधन दर 33.33%
- परिशोधन पध्दति लागत पर सरल रेखा पद्धति

(B) Transactions with Related parties

		(₹ in lakhs)
Particulars	31.03.12	31.03.11
Salary & Allowances	48.23	45.75

The transactions with the subsidiary and associate of the bank have not been disclosed in view of para 9 of the AS-18 Related Parties Disclosures, which exempts state controlled enterprises from making any disclo-sure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

10.7. Accounting Standard 20-- Earnings per Share

Particulars	31.03.2012	31.03.2011
Basic / Diluted E.P.S.	₹ 7.59	₹ 6.86
Calculation of Basic/Diluted EPS		
 a) Net Profit after Tax and preference dividend plus tax on dividend (₹ in lakh) 	₹ 36590.72	₹ 29588.46
 b) Weighted Average number of Equity Shares (Nos. in Lakhs) 	4823.03	4313.61
c) Basic Earnings per share [(a) divided by (b)]	₹ 7.59	₹ 6.86
d) Nominal Value per Share	₹ 10.00	₹ 10.00

10.8 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

The bank has accounted for current tax in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ in Crore)

Par	ticulars	31.03.2012	31.03.2011
Def	erred Tax Assets		
1)	On account of timing difference towards provisions for Bad & Doubtful Debts	158.41	133.89
2)	On account of provisions for Employees' benefits	67.57	173.35
3)	Other Provisions where DTA is created	142.60	119.09
	Total	368.58	426.33
Deferred Tax Liability			
1)	On account of Special Reserve	29.28	21.95
2)	On account of Depreciation on Investment	77.44	0.00
	Total	106.72	21.95
	Net Deferred Tax Asset - shown in Schedule 11 (Other Assets)	261.86	404.38

While making provision for Income tax for the year tax liability due to Minimum Alternate Tax (MAT) as per provisions of section 115 JB of Income Tax Act 1961, has not been considered in view of decision of ITAT, Mumbai regarding non applicability of MAT to Banks.

10.8 a) Accounting Standard -24- Discontinuing Operations

The bank, during the financial year 2011-12, has not discontinued any of its business activities/operations which resulted in discharging of liabilities and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue a business activity in its entirety which will have the above effects.

10.9 Accounting Standard 26 – Accounting for Intangible Assets

Computer Software - other than internally generated				
Useful life	-	3 years		
Amortization Rate	-	33.33%		
Amortization Method	-	Straight line at cost		

83

(र करोड में)

		(र कराड़ म)
विवरण	31.03.2012	31.03.2011
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	4.01	11.24
वर्ष के दौरान लिये गये सॉफ्टवेयर	2.90	2.97
वर्ष के दौरान परिशोधन	3.99	10.20
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	2.92	4.01

10.10 लेखा मानक - 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक ने अभिनिर्धारित किया है कि अचल आस्तियाँ अनर्जक नहीं हुई है. इसलिए लेखा मानक 28 के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है.

10.11 लेखा मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

प्रबंधन के मतानुसार अनुसूची 12 में संदर्भित आकस्मिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है.

चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलना करने हेतु जहां आवश्यक समझा गया वहां पिछले 11. वित्तं वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहबध्द/पुनःवर्गीकृत किया गया.

बेसल II (पिलर 3) प्रकटन

सारणी डीएफ-१ अनुप्रयोग की व्याप्ति

गुणात्मक प्रकटन

- समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिसपर संरचना लागू हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र क)
- लेखांकन और विनियामक प्रयोजनों हेतु समेकन के आधार पर फर्कों की रूपरेखा, ख) समूह के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं के संक्षिप्त विवरण सहित
 - जो पूर्णतः समेकित हैं. i)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र समूह का शीर्ष बैंक है जिस पर नई पूंजी पर्याप्तता संरचना लागू होती है. बैंक की निम्नानूसार केवल एक सहायक संस्था है

सहायक संस्था का नाम ः महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.

निगमन का देश ः भारत

स्वामित्व का अनूपात ः १०० प्रतिशत

उक्त संस्था का समेकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "लेखा मानक २१'' के अनुसार किया गया है.

जिनका समेकन समानुपातिक आधार पर किया गया है. ii)

समूह में ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसका समेकन समानुपातिक आधार पर किया गया है.

- जिन पर कटौती व्यवहार लागू है. iii)
 - 1. संस्था का नाम ः महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.
 - ः महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक 2. संस्था का नाम

निगमन का देश ः भारत

स्वामित्व का अनुपात : 35%

उक्त संस्थाओं का समेकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "लेखा मानक 23" के अनुसार किया गया है.

जो न तो समेकित हैं और न ही कटौती के अन्तर्गत (उदा. जहां निवेश iv) जोखिम-धारित है) - शून्य

मात्रात्मक प्रकटन

- ग) समेकन में न आने वाली सभी सहायक संस्थाओं में पूंजी अभाव की कुल रकम अर्थात जिनमें कटौती की गई है और ऐसी सहायक संस्थाओं के नाम - शून्य
- बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हितों की सकल रकम(चालू बही मूल्य) जो जोखिम-घ) धारित हैं तथा उनके नाम, उनके निगमन या आवास का देश, हित के स्वामित्व का अनुपात और, यदि अलग हो तो, इन संस्थाओं में मताधिकार का अनुपात. इसके

(₹	In	Crore	۱
	N .		CIDIE	1

		(
Particulars	31.03.2012	31.03.2011
Software at the beginning of the year	4.01	11.24
Software acquired during the year	2.90	2.97
Amortization during the year	3.99	10.20
Net carrying amount at the end of the year	2.92	4.01

10.10. Accounting Standard 28 - Impairment of Assets

Bank has identified that there is no impairment of fixed assets and as such, no provision is re-quired as per AS-28.

10.11 Accounting Standard 29 -- Provisions, Contingent Liabilities and **Contingent Assets**

In the opinion of the management, no further provision is required against contingent liabilities referred to in Schedule 12.

11. Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figures.

BASEL II (PILLAR 3) DISCLOSURE

TABLE DF - 1 - SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures

*

- The name of the top Bank in the group to which the frame work applies: BANK OF MAHARASHTRA
- An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and b. regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group
 - that are fully consolidated i)

Name of the subsidiary

Bank of Maharashtra is the top bank in the group to which the new capital adequacy frame works applies. The bank has only one subsidiary as under:

Trustee Company Pvt. Ltd. Country of Incorporation India

Proportion of ownership

: 100%

The Maharashtra Executor and

The above subsidiary is consolidated as per "Accounting Standard 21" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

(ii) that are pro-rata consolidated

> There is no entity in the group which is consolidated on pro-rata basis

that are given a deduction treatment; (iii)

•	Name of the subsidiary	:	The Maharashtra Executor and Trustee Company Pvt. Ltd.
	Name of the Associate	:	Maharashtra Gramin Bank.
	Country of Incorporation	:	India
	Proportion of ownership	:	35%

The above entity is consolidated as per "Accounting Standard 23" issued by ICAI

(iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted) - Nil

Quantitative Disclosures

1.

2.

- The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries - Nil
- d. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of

अतिरिक्त इस पध्दति के उपयोग बनाम कटौती पध्दति के उपयोग के विनियामक पूंजी पर पड़ने वाले मात्रात्मक प्रभाव- शून्य.

सारणी-डीएफ-2- पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटन

क) सभी पूंजीगत निवेशों, विशेषकर टियर 1 या अपर टियर 2 में समाविष्ट करने हेतु पात्र पूंजीगत लिखतों के मामले में मुख्य मुख्य बातों से सम्बंधित शर्तों की संक्षिप्त जानकारी.

बैंक की पूंजी संरचना में ईक्विटी, प्रारक्षितियां व अधिशेष तथा नवोन्मेष बेमीयादी बॉण्ड शामिल हैं. वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 605.09 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) की ईक्विटी पूंजी उगाही है, जो कि निम्नानुसार है : ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction – Nil

TABLE DF - 2 - CAPITAL STRUCTURE

Qualitative Disclosures

(a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2.

The Capital Structure of the Bank comprises Equity, Preference shares, Reserves & Surplus and Innovative Perpetual Bonds. The Bank has raised equity capital of ₹ 605.09 crore (including share premium) during the year as under :

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	आबंटन की तिथि Date of Allotment	जारी शेयरों की संख्या No. of Shares issued	ईक्विटी शेयर पूंजी Equity share capital	शेयर प्रीमियम Share premium	कुल Total
1.	भारत सरकार (भारत सरकार) Government of India (GoI)	30/03/2012	8,37,93,902	83.79	386.20	469.99
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम LIC of India	30/03/2012	2,40,85,627	24.08	111.02	135.10
		कुल Total	10,78,79,529	107.87	497.22	605.09

शेयर पूंजी की उक्त समाविष्टि को देखते हुए 31 मार्च 2012 को भारत सरकार की शेयरधारिता कम होकर 78.95 प्रतिशत हो गई.

बैंक ने टियर II पूंजी में समावेशन हेतु पात्र अन्य बॉन्ड के साथ नवोन्मेष बेमीयादी बॉण्ड (टियर I पूंजी) जारी किए हैं. इन बॉन्ड के कुछ महत्वपूर्ण नियम व शर्तें नीचे दी गई हैं : In view of the above infusion of share capital, the shareholding of the GOI has reduced to 78.95% as on 31.03.2012.

The Bank has issued Innovative Perpetual Bonds (Tier 1 capital) and also other bonds eligible for inclusion in Tier 2 capital. Some of the important terms and conditions of the bonds are given below:

i) पूर्ण प्रदत्त अप्रतिभूत, किसी भी प्रतिबंधनात्मक खण्ड से मुक्त अपरिवर्तनीय बेमीयादी गौण बॉण्ड (टियर 1 पूंजी)

Fully Paid Up Unsecured, free of any restrictive clause Non-Convertible Subordinated Perpetual Bonds (Tier 1 Capital)

श्रृंखला Series	आबंटन का दिनांक Date of Allotment	बॉण्ड की रकम (₹ करोड़ में) Amount (₹ in crore)	कूपन दर Coupon Rate	अवधि Tenor	अन्य महत्वपूर्ण शर्तें Other Important Terms and conditions
I	31 जुलाई 2007	225.00	पहले 10 वर्षों के लिए 10.65% प्रतिवर्ष. यदि बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग दिनांक 31.07.2017 को नहीं किया तो बाद के वर्षों के लिए 11.15% की बढी हुई कूपन दर	बेमीयादी	मांग विकल्प- दिनांक 31.07.2017 को या उसके बाद हर वर्धापन दिन को (भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प. विक्रय विकल्प- कोई नहीं
	31st July 2007	225.00	10.65% p.a for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank on 31.07.2017, the step up coupon rate of 11.15% p.a. for subsequent years.	Perpetual	Call Option - at par on 31.07.2017 or thereafter on each anniversary date (with prior approval of RBI) Put Option - None
11	30 सितंबर 2009	70.00	पहले 10 वर्षों के लिए 9.25% प्रतिवर्ष. यदि बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग दिनांक 31.07.2017 को नहीं किया तो बाद के वर्षों के लिए से 9.75% की बढी हुई कूपन दर	बेमीयादी	मांग विकल्प- दिनांक 31.07.2017 को या उसके बाद (भा.रि. बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प. विक्रय विकल्प- कोई नहीं
	30th Sept 2009	70.00	9.25% p.a. for first 10 Years If call option is not exercised by the Bank on 30.09.2019 the step up coupon rate of 9.75% p.a. for subsequent years	Perpetual	Call Option - at par on 30.09.2019 or thereafter (with prior approval of RBI) Put Option-None

मांग विकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन है Call options subject to RBI guidelines

ii) पूर्ण प्रदत्त अप्रतिभूत, किसी भी प्रतिबंधनात्मक खण्ड से मुक्त भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के साथ प्रतिदेय गौण (अपर टियर 2 पूंजी)

Fully paid up, unsecured, free of any restrictive clause redeemable with prior approval of RBI Subordinated (Upper Tier 2 Capital)

श्रृंखला Series	दिनांक	बॉण्ड की रकम (₹ करोड़ में) Amount (₹ in crore)	कूपन दर Coupon Rate	अवधि Tenor	अन्य महत्वपूर्ण शर्तें Other Important Terms and conditions
I	14 अक्टूबर 2006	300.00	पहले 10 वर्षों के लिए 9.10% प्रति वर्ष की दर. यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 14 अक्टूबर 2016 से शेष 5 वर्षों की अवधि के लिए 9.60% प्रतिवर्ष की बढी हुई कूपन दर होगी.	15 वर्ष	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों बाद (भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है. विक्रय विकल्प- कोई नहीं.
	14th October 2006	300.00	9.10% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised after 10 years by the Bank from the date of allotment, the bonds shall carry step up coupon rate of 9.60% p.a. for the remaining period of 5 years from 14th October 2016.	15 years	Call Option - Can be exercised at par by the Bank after 10 years from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option-None

श्रृंखला Series	आबंटन का दिनांक Date of Allotment	बॉण्ड की रकम (₹ करोड़ में) Amount (₹ in crore)	कूपन दर Coupon Rate	अवधि Tenor	अन्य महत्वपूर्ण शर्ते Other Important Terms and conditions
II	21 मार्च 2007	200.00	पहले 10 वर्षों के लिए 9.90% प्रति वर्ष.यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 21 मार्च 2017 से शेष 5 वर्षों की अवधि के लिए 10.40% प्रतिवर्ष की बढी हुई कूपन दर होगी.	15 वर्ष	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों बाद (भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है. विक्रय विकल्प - कोई नहीं.
	21st March 2007	200.00	9.90% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank after 10 years from the date of allotment, the bonds shall carry coupon rate of 10.40% p.a. for the remaining period of 5 years from 21st March 2017.	15 years	Call Option - Can be exercised by the Bank after 10 years from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option-None
	30 मार्च 2007	150.00	पहले 10 वर्षों के लिए 10.25% प्रति वर्ष. यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 30 मार्च 2017 से शेष 5 वर्षों की अवधि के लिए 10.75% प्रतिवर्ष की बढी हुई कूपन दर होगी.	15 वर्ष	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों बाद (भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है. विक्रय विकल्प - कोई नहीं.
	30th March 2007	150.00	10.25% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank after 10 years from the date of allotment, the bonds shall carry coupon rate of 10.75% p.a. for the remaining period of 5 years from 30th March 2017.	15 years	Call Option - Can be exercised at par by the Bank after 10 years from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option-None
IV	19 जुलाई 2007	200.00	पहले 10 वर्षों के लिए 10.35% प्रति वर्ष. यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 19 जुलाई 2017 से शेष 5 वर्षों की अवधि के लिए 10.85% प्रतिवर्ष की कूपन दर होगी.	15 वर्ष	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों बाद (भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है. विक्रय विकल्प - कोई नहीं.
	19th July 2007	200.00	10.35% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank after 10 years from the date of allotment, the bonds shall carry coupon rate of 10.85% p.a. for the remaining period of 5 years from 19th July 2017.	15 years	Call Option - Can be exercised at par by the Bank after 10 years from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option-None
V	30 सितंबर 2009	100.00	पहले 10 वर्षों के लिए 8.95% प्रति वर्ष. यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 30 सितंबर 2019 से शेष 5 वर्षों की अवधि के लिए 9.45% प्रतिवर्ष की कूपन दर होगी.	15 वर्ष	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों बाद (भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है. विक्रय विकल्प - कोई नहीं.
	30th September 2009	100.00	8.95% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank after the end of 10th year from the date of allotment, the bonds shall carry coupon rate of 9.45% p.a. for the remaining period of 5 years from 30th September 2019.	15 years	Call Option - can be exercised at par by the Bank the end of 10th year from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option-None
VI	1 फरवरी 2010	300.00	पहले 10 वर्षों के लिए 8.65% प्रति वर्ष. यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 1 फरवरी 2020 से शेष 5 वर्षों की अवधि के लिए 9.15% प्रतिवर्ष की कूपन दर होगी.	15 वर्ष	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों बाद (भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर मांग विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है. विक्रय विकल्प - कोई नहीं.
	1st February 2010	300.00	8.65% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank at the end of 10th year from the date of allotment, at the bonds shall carry coupon rate of 9.15% p.a. for the remaining period of 5 years from 1st February 2020.	15 years	Call Option - can be exercised at par by the Bank at the end of 10th year from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option-None

मांग विकल्प भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन Call options subject to RBI guidelines

iii) पूर्ण प्रदत्त , असुरक्षित , किसी भी प्रतिबंधनात्मक खण्ड से मुक्त अपरिवर्तनीय प्रतिदेय गौण बॉण्ड (टियर 2 पूंजी)

Fully Paid-up, Unsecured, Free from Restrictive Clause, Non Convertible Redeemable Subordinated Bonds (Tier II Capital)

श्रृंखल Series	दिनांक	बॉण्ड की रकम (₹ करोड़ में) Amount (₹ in crore)	कूपन दर Coupon Rate	अवधि (महीने में) Tenor	अन्य महत्वपूर्ण नियम व शतें Other Important Terms and conditions
vi (क)	19 जनवरी 2006	200.00	7.50% अर्धवार्षिक	84 माह	बॉण्ड पूर्णतः, प्रदत्त गैर जमानती, किसी भी प्रतिबंधात्मक खंड से मुक्त और प्रतिदेय हैं. इस प्रकार के टियर 2 बॉण्डों के निवेशकों के दावों का दर्जा बैंक के मौजूदा गौण ऋणों के साथ साथ और अन्य सभी लेनदारों के दावों के बाद रहेगा. बॉण्ड केवल भा.रि. बैंक के पूर्वानुमोदन से केवल परिपक्वता पर ही प्रतिदेय हैं.

श्रृंखला Series	आबंटन का दिनांक Date of Allotment	बॉण्ड की रकम (₹ करोड़ में) Amount (₹ in crore)	कूपन दर Coupon Rate	अवधि Tenor	अन्य महत्वपूर्ण झर्तें Other Important Terms and conditions
VI (a)	19th January 2006	200.00	7.50% semi-annually	84 months	The bonds are redeemable on maturity of the bonds only with the prior approval of RBI. Claims of the investors in such tier II Bonds shall rank <i>parri passu</i> with the existing subordinated debts of the Bank & subordinate to the claims of all other creditors & depositors.
VI (ख)	1 मार्च 2006	200.00	7.70% अर्धवार्षिक	84 माह	
(b)	1st March 2006	200.00	7.70% semi-annually	84 months	
VII	25 जुलाई 2006	225.00	9.45% प्रतिवर्ष	120 माह	
	25th July 2006	225.00	9.45% p.a.	120 months	
VIII	15 जनवरी 2008	200.00	9.20% प्रतिवर्ष	123 माह	ये बॉण्ड आपस में बगैर किसी वरीयता के बैंक की प्रत्यक्ष, गैरजमानती व गौण प्रतिबध्दताओं से युक्त होंगें. ये बॉण्ड केवल भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से परिपक्वता पर प्रतिदेय हैं.
	15th January 2008	200.00	9.20% p.a.	123 months	Bonds would constitute direct, unsecured and subordinated obligations of the bank without any preference among themselves. The bonds are redeemable on maturity only with the prior approval of RBI.
IX	30 सितंबर 2009	130.00	8.74% प्रतिवर्ष	115 माह	अन्य लेनदारों के दावों के साथ जोड़ा गया है ये बॉण्ड भा.रि. बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना या धारक की पहल पर प्रतिदेय नही हैं.
					मांग या विक्रय विकल्प - कोई नहीं.
	30th September 2009	130.00	8.74% p.a.	115 months	Subordinated to the claims of other creditors, shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI. There is no call and put option.

सारणी-डीएफ-३ - पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता के अधीन है. ऋण विगोपन या कारोबार में होने वाली हानि की जोखिम से सुरक्षा के लिए बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता बनाई रखी गई है ताकि जमाकर्ताओं, साधारण लेनदारों और हितधारकों को इस प्रकार की हानियों से बचाया जा सके. बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया(आईसीएएपी) संरचना निर्मित की और अपनाई है बैंक की पूँजी आवश्यक्ताओं का निर्धारण और पुनरीक्षा आवधिक अंतराल पर की जाती है.

बैंक के पास अपनी जोखिम प्रोफाईल से संबंधित समग्र पूंजी पर्याप्तता के मूल्यांकन के लिए अपनी प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया इस बात का आश्वासन उपलब्ध करती है कि बैंक के पास उसके कारोबार से संबंधित सभी जोखिमों के लिए पर्याप्त पूंजी है और कारोबारी प्रोफाईल के अनुसार बैंक ने उचित सुरक्षित पूंजी बनाई रखी है . बैंक के पास कारोबार में होने वाली भावी वृध्दि के लिए पूंजी बनाए रखने की नीति है ताकि सतत आधार पर आवश्यक न्यूनतम पूंजी बनाई रखी जा सके.

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक ने नई पूँजी पर्याप्तता संरचना -बेसल ॥ के अंतर्गत पूँजी पर्याप्तता अनुपात के परिकलन के लिए बाज़ार जोखिम के लिए मानकीकृत मीयादी दृष्टिकोण ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण और परिचालन जोखिम के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है.

बैंक बेसल - ॥ संरचना के उच्चत दृष्टिकोण के रूपांतरण की प्रक्रिया में है, ताकि इसकी जोखिम और पूंजी प्रबंधन क्षमताओं में वृद्धि हो सके. उच्चत दृष्टिकोण में साख जोखिम हेतु आधारभूत एवं उच्चत आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (एफआईआरबीए व एआईआरबीए) का समावेश है. परिचालन जोखिम हेतु मानक दृष्टिकोण और उच्चत मापदंड दृष्टिकोण (टीएसए व एएमए) तथा बाजार जोखिम हेतु आंतरिक मॉडेल दृष्टिकोण (आईएमए).

TABLE DF-3 - CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures:

The Bank is subjected to the Capital Adequacy guidelines stipulated by RBI. Adequate capital is maintained by the Bank as a cushion for covering the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors, general creditors and stakeholders against such losses. The Bank has evolved and put in place a Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) framework. Assessment and review of Bank's capital requirements are carried out at periodical intervals.

The Bank has a process for assessing its overall Capital Adequacy in relation to its risk profile and the process provides an assurance that the Bank has adequate capital to support all risks in its business and an appropriate capital buffer based on its business profile. The Bank has a policy to maintain capital to take care of the future growth in business so that the minimum capital required is maintained on continuous basis.

In line with the guidelines of the RBI, the Bank has adopted the Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing Capital Adequacy Ratio under New Capital Adequacy Framework - Basel II.

Bank is in the process of migrating to the Advanced Approaches of the Basel II framework so as to enhance its Risk and Capital Management capabilities. Advanced approaches include Foundation and Advanced Internal Ratings Based Approach ('FIRBA' & 'AIRBA') for Credit Risk, The Standardized Approach and Advanced Measurement Approach ('TSA' & 'AMA') for Operational Risk and Internal Models Approach ('IMA') for Market Risk.

न्यूनतम पूंजी आवश्यकता हेतु विवेकपूर्ण न्यूनतम सीमाः

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नई पूंजी पर्याप्तता संरचना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा रखी जाने वाली न्यूनतम पूंजी हेतु निम्नलिखित में से उच्चतम रकम की शर्त रखी गई है

- क) ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम हेतु बेसल II मानदंडों के अनुसार न्यूनतम पूंजी
- ख) ऋण और बाजार जोखिमों हेतु बेसल l मानदंडों के अनुसार न्यूनतम पूंजी का 80%

बेसल । मानदंडों के अनुसार 31 मार्च 2011 को बैंक द्वारा रखी जाने वाली न्यूनतम पूंजी बेसल । मानदंडों के अनुसार पूंजी आवश्यकता का 80% अर्थात ₹ 4204.92 करोड़ है या बेसल ॥ मानदंडों के अनुसार ₹ 4705.87 करोड़ , दोनो में से जो अधिक है, वह है.

तथापि 31 मार्च 2012 को बैंक द्वारा रखी गई वास्तविक पूंजी (टियर 1 और टियर 2) ₹ 6498.99 करोड़ है जो विवेकपूर्ण न्यूनतम सीमा से अधिक है.

मात्रात्मक प्रकटन

		(रें करोड़ में)
		31.03.2012
(क)	साख जोखिम (मानक दृष्टिकोण)	
	i. मानक दृष्टिकोण @ 9% के अधीन संविभाग	4175.49
	ii. प्रतिभूतिकरण विगोपन	-
	साख जोखिम हेतु कुल पूंजी प्रभार	4175.49
(ख)	बाजार जोखिम (मानक अवधि दृष्टिकोण)	
	i. ब्याज दर जोखिम	167.97
	ii. ईक्विटी स्थिति जोखिम	43.02
	iii. विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	4.50
	बाजार जोखिमों हेतु कुल पूंजी प्रभार	215.49
(ग)	परिचालन जोखिम (मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण)	
	परिचालन जोखिमों हेतु कुल पूंजी प्रभार	356.03
(घ)	बैंक और इसकी सहयोगी संस्थाओं के लिए पूंजी अनुपात	
	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	
	सीआरएआर (%)	12.43
	सीआरएआर - टियर 1 पूंजी (%)	8.31
	सीआरएआर - टियर II पूंजी (%)	4.12
	समेकित समूह	
	सीआरएआर (%)	12.43
	सीआरएआर - टियर 1 पूंजी (%)	8.31
	सीआरएआर - टियर II पूंजी (%)	4.12
	महत्वपूर्ण बैंक सहयोगी संस्थाओं के लिए (एकल या उप-समेकित, संरचना के लागू होने के आधार पर)	
	सीआरएआर (%)	लागू नहीं
	सीआरएआर - टियर 1 पूंजी (%)	लागू नहीं
	सीआरएआर - टियर ॥ पूँजी (%)	लागू नहीं

सारणी-डीएफ-४ - ऋण जोखिमः सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटनः

ऋण जोखिमः

ऋण जोखिम, बैंक के संविभाग में प्रतिपक्षों या उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता में आये हास से उत्पन्न हानियों से संबंधित है. ऋण जोखिम अधिकांशतः बैंक की उधार गतिविधियों से पैदा होती हैं और यह उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षों की ऋण गुणवत्ता / साख में आने वाले संभाव्य परिवर्तनों के कारण पैदा होती है. व्यवहार जोखिम (विभिन्न ऋण प्रस्तावों में जोखिम), उद्योग और कारोबार जोखिम जिनमें अग्रिम दिए गए हैं, भौगोलिक जमाव जोखिम और ऋणों के प्रकार (कर्ज, नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट इत्यादि) का समग्र जोड़ ऋण जोखिम है.

नीति व रणनीति

बैंक संतुलित जोखिम दर्शन का अनुपालन कर रहा है. जोखिम दर्शन के महत्वपूर्ण बातों को विभिन्न नीतियों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों में समाहित किया गया है. लाभ, उठाई गई

Prudential floor limit for minimum capital requirement:

The guidelines for implementation of the New Capital Adequacy Framework issued by RBI stipulates higher of the following amounts as minimum capital required to be maintained by the Bank.

- (a) Minimum capital as per Basel II norms for Credit, Market and Operational Risk.
- (b) 80% of Minimum capital as per Basel I norms for Credit and Market risks.

The minimum capital required to be maintained by the Bank as on March 31, 2012 is 80% of the capital requirement under Basel I norms i.e. ₹ 4204.92 Crore or capital requirement as per Basel II norms i.e. ₹ 4705.87 Crore, whichever is higher.

However, the actual capital (Tier 1 and Tier 2) maintained by the Bank as on March 31, 2012 is ₹ 6498.99 Crore, which is above the prudential floor limit.

Quantitative Disclosures:

(₹ करोट में)

		(₹ in Crore)
		31.03.2012
(a)	CREDIT RISK (Standardised Approach)	
	i Portfolios subject to standardized approach @ 9%	4157.49
	ii Securitization exposure	-
	Total capital charge for credit risks (i+ii)	4157.49
(b)	MARKET RISK (Standardized Duration Approach)	
	i Interest Rate Risk	167.97
	ii Equity Position Risk	43.02
	iii Foreign Exchange Risk (including gold)	4.50
	Total capital charge for market risks (i+ii+iii)	215.49
(c)	OPERATIONAL RISK (Basic Indicator Approach)	
	Total capital charge for operational risks	356.03
(d)	The Capital ratios of the bank and subsidiaries are:	
	Bank of Maharashtra	
	CRAR %	12.43
	CRAR – Tier I Capital (%)	8.31
	CRAR – Tier II Capital (%)	4.12
	Consolidated Group	
	CRAR %	12.43
	CRAR – Tier I Capital (%)	8.31
	CRAR – Tier II Capital (%)	4.12
	For significant bank subsidiaries (stand alone or sub-con- solidated depending on how the Framework is applied)	
	CRAR %	N/A
	CRAR – Tier I Capital (%)	N/A
	CRAR – Tier II Capital (%)	N/A

Table DF-4 - CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures:

Credit Risk:

Credit Risk is related to the losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties in a bank's portfolio. Credit risk arises mostly from lending activities of the bank and it emanates from changes in the credit quality/worthiness of the borrowers or counterparties. Credit Risk is an aggregation of Transaction Risk (risk in various credit propositions), Industry and Business line risk wherein advances are lent, Geographic Concentration Risk and types of credit (such as loans, Cash credit, overdrafts etc.).

Policy & Strategy

The Bank has been following a conservative risk philosophy. The important aspects of the risk philosophy are embodied in various policies, circulars,

विभिन्न जोखिमों का स्तर, पूंजी का स्तर, बाजार परिदृश्य और प्रतियोगिता इत्यादि बातों को ध्यान में लेकर बैंक के कारोबारी उद्देश्य और रणनीतियां तैयार की जाती हैं. बैंक अपनी आस्ति गुणवत्ता और आय के प्रति सतर्क है तथा जोखिम नियंत्रण के साथ लाभ को अधिकतम करने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से संतुलन करता है.

बैंक ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से निम्नलिखित नीतियां लागू की हैं

- 1. उधारी और ऋण पुनरीक्षण नीति
- 2. जोखिम प्रबंधन नीति
- 3. ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन
- निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति

उधारी और ऋण पुनरीक्षण नीति, जोखिम प्रबंधन नीति के दस्तावेज संगठनात्मक ढांचे, भूमिका और जिम्मेदारियों तथा प्रक्रियाओं और साधनों को परिभाषित करते हैं जिनके परिणामस्वरूप बैंक द्वारा उठाई जा रही ऋण जोखिम का अभिनिर्धारण, उसकी मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है और उसे बैंक के विचार में उसके अधिदेश तथा जोखिम अपेटाइट के अनुसार निर्धारित फ्रेमवर्क में प्रबंधित किया जा सकता है. विभिन्न विवेकी और विगोपन सीमाओं, सहायक प्रतिभूति मानक तथा ऋण जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य से विभिन्न वित्तीय न्यूनतम सीमाओं का निर्धारण का उपबंध नीतियों में किया गया है. ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन नीति बेसल ॥ फ्रेमवर्क के अंतर्गत ऋण जोखिम प्रशमन के लिए पात्र सहायक प्रतिभूतियों के विवरण निर्धारित करती है. निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति बैंक की ऋण जोखिम नीति का अभिन्न अंग है.

ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक ढांचा

ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य के लिए बैंक के संगठनात्मक ढांचे में शीर्ष स्तर पर समग्र रूप से जोखिमों का पर्यवेक्षण करने के लिए निदेशक मंडल है. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति तैयार करती है. परिचालनगत स्तर पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है. ऋण जोखिम प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम नीति का कार्यान्वयन करना, व्यापक आधार पर बैंक की ऋण जोखिम की निगरानी करना तथा निदेशक मंडल / ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित विभिन्न न्यूनतम जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना है. समन्वित जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रमुख महाप्रबंधक के पद वाले मुख्य जोखिम अधिकारी है.

ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए प्रणालियां / प्रक्रियाएं / साधन

ऋण मूल्यांकन मानकः बैंक के पास क्रेडिट ओरिजिनेशन के लिए सुस्थिर मानक, ऑफ बॅलन्स शीट मदों सहित सभी ऋण विगोपनों के दस्तावेजीकरण और रखरखाव हेतु अग्र सक्रिय ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है. आवधिक पुनरीक्षण, आवधिक निरीक्षण और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन प्रणाली जैसी प्रणालियां बैंक में विद्यमान हैं.

विगोपन सीमाएं: एकल / समूह उधारकर्ता सीमाएं, बड़ी विगोपन सीमाएं और सेक्टर / उद्योग से संबंधित विगोपन सीमाओं सहित ऋण जोखिम सीमाएं लागू हैं. विगोपन की तुलना में सीमाओं की निगरानी की जाती है.

ऋण अनुमोदन ग्रिडः बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालय / प्रधान कार्यालय में नए / ऋण सीमा में वृधिद या बिना वृध्दि के वर्तमान प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ऋण अनुमोदन ग्रिड का गठन किया गया है. प्रधान कार्यालय में नए ऋण प्रस्तावों पर उक्त विनिर्दिष्ट सीमाओं के आधार पर सैध्दांतिक रूप से अनुमोदन देने के लिए नए व्यापारिक समूह (एनबीजी) नामक एक नया समूह बनाया गया है.

मंज़ूरी अधिकारः बैंक में ऋणों की मंजूरी हेतु एक सुपरिभाषित बहुस्तरीय विवेकाधिकार संरचना को अपनाया जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बेहतर रेटिंग वाले ग्राहकों को ऋण और अग्रिम मंजूर करने हेतु मंजूरकर्ता प्राधिकारियों को उच्चतर मंजूरी अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है.

ऋण जोखिम योग्यताक्रम व मूल्यांकन प्रक्रियाः

बैंक अपने ऋण जोखिम का प्रबंध हर बाध्यताधारी (उधारकर्ता) और संविभाग स्तर की जोखिमों के सतत परिमापण एवं अनुप्रवर्तन के जरिये करता है. बैंक के पास एक मजबूत आंतरिक ऋण जोखिम रेटिंग संरचना और सुस्थापित मानकीकृत ऋण मूल्यांकन/अनुमोदन प्रक्रियाएं हैं. ऋण जोखिम रेटिंग एक सरलीकृत प्रक्रिया है जिससे बैंक को किसी प्रस्ताव में अन्तर्निहित गुणों-अवगुणों के निर्धारण में सहायता मिलती है और यह निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक साधन है जिससे बैंक को किसी भी ऋण प्रस्ताव की स्वीकार्यता के बारे में या अन्यथा निर्णय लेने में मदद मिलती है. यह बैंक की जोखिम आधारित मूल्यन संरचना के अनुसार ऋण सुविधाओं का यथोचित मूल्य निर्धारित करने में भी सहायक होता है. बैंक ने खुदरा ऋणों के लिए भी ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल विकसित किये तथा अपनाए हैं. बैंक ने ऋण जोखिम रेटिंग प्राप्त करने के लिए अपने वाईड एरिया नेटवर्क पर आंतरिक रुप से विकसित सॉफ्टवेयर लगाया है ताकि उसकी शाखायों/क्षेत्र के कार्यालय उधारकर्ताओं की ऋण जोखिम रेटिंग निश्चित करने हेतू इस प्रक्रिया का तक्ताल उपयोग कर सकें.

कड़ी ऋण जोखिम प्रबंधन पद्धति के मापदंड के रूप में बैंक में ऋण जोखिम रेटिंग के अनुमोदन के लिए एक अवधारणा मौजुद है. हर उधारकर्ता के रेटिंग की कम से कम वर्ष guidelines etc. The business objectives and the strategy of the bank is decided taking into account the profit considerations, the level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. The Bank is conscious of its asset quality and earnings and judiciously matches profit maximization with risk control.

The Bank has put in place the following policies approved by the Board.

- i) Lending & Loan Review Policy
- ii) Risk Management Policy
- iii) Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management
- iv) Investment Management Policy & Investment Risk Management Policy

The Lending & Loan Review Policy, Risk Management Policy documents define organizational structure, role and responsibilities and, the processes and tools whereby the credit risks carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk appetite. The policies prescribe various prudential and exposure limits, collateral standards, financial benchmarks for the purpose of credit risk management. The policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management lays down the details of eligible collaterals for credit risk mitigation under Basel II framework. The Investment Management Policy & Investment Risk Management Policy forms an integral part of credit risk in the Bank.

Organizational Structure for Credit Risk Management

The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the apex level that has the overall oversight of management of risks. The Risk Management Committee of the Board (RMC) devises the policy and strategy for Integrated Risk Management. At operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main functions of the CRMC include implementation of the credit risk policy approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis and ensure adherence to threshold risk limits approved by the Board/Risk Management Committee. The Integrated Risk Management Department is headed by the Chief Risk Officer of General Manager rank.

Systems/Process/tools for Credit Risk Management

Credit Appraisal standards: The Bank has in place proactive credit risk management practices like consistent standard for the credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items. Systems of periodic reviews, periodic inspections and collateral management systems are in place.

Exposure Limits: Credit risk limits including single/group borrower limits, substantial exposure limits, exposure limits in respect of sectors/industries are in place. The exposure vis-à-vis the limits are monitored.

Credit Approval Grids: Credit Approval Grids have been constituted at various levels covering very large branches/Regional offices/Head Office for considering fresh/existing proposals with or without enhancement. A structure namely, New Business Group (NBG) is in place at Head Office level for considering in-principle approval for taking up fresh credit proposal above a specified cut-off.

Sanctioning Powers: Bank follows a well-defined multi-layered discretionary power structure for sanction of loans. Higher sanctioning powers are delegated to sanctioning authorities for sanctioning loans and advances to better rated customers in line with RBI guidelines.

Credit Risk Rating and Appraisal Process: The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at each obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has in place an internal credit risk rating framework and well established standardized credit appraisal/approval processes. Credit risk rating enables the Bank to accurately assess the risk in a credit proposition and take a decision to accept or reject the proposal based on the risk appetite of the Bank. It also enables risk pricing of credit facilities for risk return trade off. The Bank has developed and put in place credit risk rating models for retail loans also. The Bank has in-house developed software for undertaking credit risk rating put on the Wide Area Network (WAN) of the Bank facilitating instant access by the Branches/Field Offices for undertaking credit risk rating of borrowers.

As a measure of robust credit risk management practices, the Bank has in place a framework for approval of credit risk ratings. Rating for every में एकबार पुनरीक्षा की जाती है.ऋण संविभाग गुणवत्ता की निगरानी निम्न रेटिंग वाले उधारकर्ताओं और उच्च मूल्य वाले विगोपनों के लिए द्वि-वार्षिक ऋण जोखिम रेटिंग द्वारा की जाती है.

ऋण पुनरीक्षण तंत्रः बैंक में लागू ऋण पुनरीक्षण तंत्र के उद्देश्य हैं

- बैंक की उधारी नीति और प्रत्यायोजित उधारी अधिकारों के अनुसार विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा ऋण मंजूर करना सुनिश्चित करना.
- मंजूरी की शर्तों और निबंधनों का पालन और विभिन्न स्वीकृतियों उपरांत अनुवर्तन, निगरानी और बैंक द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षी उपायों का पालन सुनिष्टित करना.
- सभी ऋण सुविधाओं का पुनरीक्षण / नवीकरण समय पर सुनिश्चित करना ताकि जोखिम संभावनाओं को संशोधित कर यदि आवश्यक हो तो तत्काल सुधारात्मक कदम उठाना सुनिश्चित करना.
- आस्ति की मानक गुणवत्ता बनाए रखने और अनर्जक आस्तियों में सुधार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखना ताकि अनर्जक आस्तियों पर प्रतिबंध / कमी / कोटिउज्ञयन द्वारा बैंक की लाभप्रदता पर अनुकूल प्रभाव डाला जा सके.
- बैंक के ऋण संविभाग की गुणवत्ता की जांच करना और इसकी जानकारी समय समय पर उच्च प्रबंधन को देना.

ऋण देने के लिए जांच और संतुलन का तंत्र है जैसे कि ऋण स्वीकृतियों से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, ऋण जोखिम रेटिंग देने की प्रणाली, रेटिंग की जांच, ग्राहक की जोखिम रेटिंग के अनुसार ऋण सुविधा का मूल्यांकन करने का तंत्र, ऋण लेखा परीक्षा इत्यादि लागू हैं. प्रवेश स्तरीय न्यूनतम रेटिंग भी निर्धारित किए गए हैं. अन्य बैंकों पर किए गए समग्र विगोपन और देश के ऋण विगोपनों की निगरानी करने के लिए तंत्र उपलब्ध है. एक विकेन्द्रीकृत ऋण संविभाग बनाए रखा गया है और समय समय पर संविभाग का विश्लेषण किया जाता है ताकि जारी ऋण जमाव नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके.

विगत में देय एवं अनर्जक ऋणः

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने हेतु लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार बैंक ऋण और अग्रिमों की निम्नलिखित श्रेणियों को अनर्जक आस्ति मानता है जहां:

- सावधि ऋण के सम्बंध में ब्याज और/या मूलधन की किश्त 90 दिनों या अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रही हो.
- ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण के सम्बंध में खाता 'अनियमित' रहा हो.
- बिल खरीद और भांजित बिल के सम्बंध में बिल 90 दिन या अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रहा हो
- कृषि अग्रिमों के सम्बंध में ब्याज और/या मूलधन की किश्त दो फसल मौसमों हेतु (कम अवधि वाली फसलों के सम्बंध में) और एक फसल मौसम (लम्बी अवधि वाली फसलों के सम्बंध में) अतिदेय रही हो.
- अन्य खातों के सम्बंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि हेतु अतिदेय कोई भी प्राप्य रकम.

अनियमित स्थिति : एक खाता तब अनियमित माना जाता है जब मंजूरी सीमा / आहरण अधिकारों से खाते में बकाया शेष लगातार अधिक रहता है. ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालित खाते में बकाया शेष मंजूर सीमा / आहरण अधिकार से कम है किंतु खाते में तुलनपत्र की दिनांक से 90 दिनों तक लगातार कोई रकम जमा नहीं हुई है या खाते में जमा रकम अवधि के दौरान नामे की जाने वाली ब्याज की रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो इस प्रकार के खातों को अनियमित माना जाएगा.

अतिदेयः किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि बैंक द्वारा निर्धारित दिनांक पर भुगतान नहीं की जाती तो उसे अतिदेय माना जाता है.

मात्रात्मक प्रकटनः

 कुल सकल ऋण जोखिम विगोपन, निधि आधारित और गैर निधि आधारित अलग-अलग.

(₹	करो	ਤ	मे)	
----	-----	---	-----	--

निधिक	66179.53
गैर-निधिक	9302.29

borrower is reviewed at least once in a year. Credit portfolio quality is monitored by undertaking bi-annual credit risk rating for high value exposures and inferior rated borrowers. Credit risk rating, as a concept, has been well internalized in the Bank.

Loan review Mechanism: The objectives of the Loan Review Mechanism in place in the Bank are:

- i) To ensure that credit decisions by various authorities are in conformity with the Bank's Lending Policy and de-legated lending powers.
- To ensure that stipulated terms & conditions of sanction are complied with and various post sanction follow up, monitoring and supervision measures prescribed by the Bank are adhered to.
- iii) To ensure that all credit facilities are reviewed/renewed well in time so as to revise the risk perception and take necessary corrective action if necessary, immediately.
- iv) To aim at achieving maintenance of standard assets quality and improvement in non-performing assets (NPAs) so as to have a favourable impact on profitability of the Bank through prevention/ reduction/up gradation of NPAs.
- v) To assess the health of credit portfolio of the Bank and to apprise the Top Management about the same from time to time.

Checks and balances viz. separation of credit risk management from credit sanctions, system of assigning credit risk rating, vetting of ratings, mechanism to price credit facilities depending of risk rating of customer, credit audit etc. are in place. Minimum entry level rating benchmarks are stipulated. A suitable mechanism is in place to monitor aggregate exposure on other banks and country exposures. A diversified credit portfolio is maintained and a system to conduct regular analysis of portfolio so as to ensure ongoing control of credit concentration is in place.

Loans past due and Impaired:

The regulatory guidelines are adhered to in respect of income recognition, asset classification and provisioning, the Bank considers following categories of loans and advances as Non-performing Assets, wherein:

- Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC)
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case
 of Bills Purchased and Discounted
- In case of agricultural advances, interest and/or installment of principal remains overdue for 2 crop seasons (in respect of short duration crops) & 1 crop season (in respect of long duration crops).
- Any amount receivable that remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.

'Out of Order' status: An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/ drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as 'out of order'.

Overdue: Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Quantitative Disclosures:

 (a) Total gross credit risk exposures, Fund based and Non-fund based separately.

	(< III CIDIE)	
Funded	66179.53	
Non Funded	9302.29	

- ख) विगोपनों का भौगोलिक वितरण, निधि आधारित और गैर निधि आधारित अलग-अलग
- l. समुद्रपारीय

	(₹ करोड में)
निधिक	शून्य
गैर-निधिक	शून्य

II. घरेलू

	(₹ करोड मे)
निधिक	66179.53
गैर-निधिक	9302.29

 ग) विगोपनों का उद्योगवार वितरण (निधि आधारित और गैर-निधिक आधारित अलग अलग) (b) Geographic distribution of exposures, Fund based and Non-fund based separately

I. Overseas

	(< in Crore)
Funded	Nil
Non Funded	Nil

Domestic

	(₹ in Crore)
Funded	66179.53
Non Funded	9302.29

(c) Industry type distribution of exposures, fund based and non-fund based separately

31.03.2012 को उद्योग-वार निधिक एवं गैर-निधिक विगोपन

INDUSTRYWISE FUNDED & NONFUNDED EXPOSURE AS OF 31.03.2012

11.

क्रं. उद्योग निधिक विगोपन गैर-निधिक विगोपन INDUSTRY FUNDED EXPOSURE NON FUNDED EXPOSURE Sr.No. लोहा व इस्पात IRON & STEEL 1 2271.32 374.28 2 अन्य धातु व उत्पाद OTH METAL & PRODUCTS 1569.83 82.18 सभी अभियांत्रिकी ALL ENGINEERING 3 2072.96 2249.73 अभि. इलेक्ट्रॉनिक ENGG. ELECTRONICS 3.1 444.58 184.04 अभि. इलेक्ट्रिकल ENGG. ELECTRICAL 3.2 अभि. अन्य ENGG. OTHERS 3.3 1628.38 2065.69 ऑटोमोबाईल टक सहित AUTOMOBILE INCL. TRUCKS 526.05 47.26 4 5 सूती वस्त्र COTTON TEXTILE 29.16 584.05 6 पटसन वस्त्र JUTE TEXTILE 4.92 2.05 अन्य वस्त्र OTHER TEXTILES 7 1157.85 217.12 चीनी SUGAR 5.23 8 56.29 9 चाय TEA 0.00 0.10 खाद्य प्रसंस्करण FOOD PROCESSING 10 130.73 12.38 11 वनस्पति तेल VEGETABLE OILS 42.48 9.58 तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद TOBACCO & PRODUCTS 105.95 0.28 12 कागज व कागज उत्पाद PAPER & PRODUCTS 13 311.18 69.25 रबर व रबर उत्पाद RUBBER & PRODUCTS 14 382.08 15.72 15 रसायन, डाई, पेंट आदि OTH CHEM, DYES, PAINT ETC. 3667.16 197.08 15.1 जिनमें से पेट्रो रसायन OF WHICH PETRO CHEMICAL 565.04 46.10 15.2 जिनमें से उर्वरक OF WHICH FERTILIZERS 876.47 0.05 15.3 जिनमें से औषध व भेषज OF WHICH DRUGS & PHARMA 416.13 53.07 अन्य रसायन, डाई, पेंट OTH CHEM, DYES, PAINT 15.4 1809.52 97.86 सीमेंट CEMENT 16 420.00 6.57 चमड़ा व चर्म उत्पाद LEATHER & PRODUCTS 17 41.13 4.20 18 रत्न और जेवरात GEMS, JEWELLERY 321.58 605.96 निर्माण CONSTRUCTION 348.65 781.94 19 20 पेट्रोलियम PETROLEUM 782.02 0.00 21 अन्य OTHERS 443.29 0.00 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर COMP. S/W 37.05 22 41.16 व्यापार TRADING 4437.30 980.96 23 एनबीएफसी NBFC 24 9826.54 0.00 मूलभूत संरचना INFRASTRUCTURE 25 9580.64 3473.60 जिसमें से पॉवर OF WHICH POWER 25.1 7218.84 2043.74 जिसमें से दुरसंचार OF WHICH TELECOMMUNICATION 25.2 511.96 26.03 जिसमें से सड़क OF WHICH ROADS 25.3 961.24 935.65 जिसमें से अन्य मूलभूत संरचना OF WHICH OTHER INFRASTRUCTURE 25.4 888.60 468.18 अवशिष्ट अन्य अग्रिम RESIDUARY OTHER ADVANCES 27054.37 100.61 26 कुल जोड़ GRAND TOTAL 66179.53 9302.29

🌆 बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(₹ करोड़ में) (₹ in Crores)

उद्योग वार विगोपन सकल निधिक और गैर-निधिक विगोपन के 5% से अधिक है.

कोड	उद्योग	निधिक	गैर-निधिक
	व्यापार	4437.30	980.96
	एनबीएफसी	9826.54	0.00
	मूलभूत संरचना	9580.64	3473.60
	अन्य रसायन, डाई, पेंट इत्यादि	3667.16	197.08
	सभी अभियांत्रिकी	2072.96	2249.73

ध) आस्तियों का अवशिष्ट परिपक्वता विश्लेषण :

·,			(₹ करोड़ में
परिपक्वता स्वरूप	अग्रिम	निवेश	विदेशी मुद्रा आस्तियां
1 दिन	577.70	17.75	778.76
2 से 7 दिन	918.31	278.85	661.09
8 से 14 दिन	780.35	0.00	99.20
15 से 28 दिन	1060.91	218.34	715.11
29 दिन से 3 महीने	3479.28	1168.67	1747.79
3 महीने से अधिक किन्तु 6 महीने तक	3726.87	54.81	1265.42
6 महीने से अधिक किन्तु 1 वर्ष तक	4928.08	499.65	541.49
1 वर्ष से अधिक किन्तु 3 वर्ष तक	30261.91	4320.31	0.00
3 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष तक	5649.23	4201.27	0.00
5 वर्ष से अधिक	5596.23	15438.62	0.00
कुल	56978.87	26198.26	5808.86
ङ) अनर्जक आस्तियाँ / अनर्जक निवेश	ſ		(₹ करोड में

विवरण सकल अनर्जक आस्तियाँ अवमानक संदिग्ध 1 संदिग्ध 2 संदिग्ध 3	31.3.2012 681.50 190.01 188.61
अवमानक संदिग्ध १ संदिग्ध २	190.01
संदिग्ध 1 संदिग्ध 2	190.01
संदिग्ध २	
	188.61
संदिग्ध 3	
	88.76
हानि	148.15
कुल	1297.03
निवल अजर्नक आस्तियां	469.57
अनर्जक आस्ति अनुपात	
	2.28
	0.84
	1173.70
	875.88
	752.55
	1297.03
	511.28
·····	673.44
iii अवधि के दौरान किये गये बट्टे खाते	394.61
iv अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	-
अंतिम शेष (i+ii-iii-iv)	790.11
अनर्जक निवेश (एनपीआई)	0.00
अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान	0.00
प्रारंभिक शेष	123.42
ii अवधि के दौरान किये गये प्रावधान (निवल)	43.49
	0.00
	0.00
	166.91
	सकल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियां (%) निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां (%) अनर्जक आस्तियों की गतिशीलता (सकल) प्रारंभिक शेष i जोड़ें- अवधि के दौरान वृद्धि iii घटाएं- अवधि के दौरान कमी अर्ध वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष (i+ii+iii) अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधानों की गतिशीलता प्रारंभिक शेष ii अवधि के दौरान किये गये प्रावधान iii अवधि के दौरान किये गये बट्टे खाते v अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन अंतिम शेष (i+ii-iii-iv) अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान निवेशों पर मूल्यहास हेतु प्रावधानां की गतिशीलता प्रारंभिक शेष ii अवधि के दौरान किये गये प्रावधान (निवल) iii अवधि के दौरान किये गये प्रावधान (निवल) iii अवधि के दौरान किये गये बट्टे खाते

industry wise exposure is more than 5% of gross funded & non funded exposure

CODE	Industry	Funded	Non Funded
	TRADING	4437.30	980.96
	NBFC	9826.54	0.00
	INFRASTRUCTURE	9580.64	3473.60
	Other Chem, dyes, paint, etc.	3667.16	197.08
	All engineering	2072.96	2249.73

(d) Residual maturity breakdown of assets:

(₹ in Crore) Maturity Pattern Advances Invest-Foreign ments Currency Assets 1 day 577.70 17.75 778.76 278.85 661.09 2 to 7 days 918.31 8 to 14 days 780.35 0.00 99.20 15 to 28 days 1060.91 218.34 715.11 29 days to 3 months 3479.28 1168.67 1747.79 Over 3 months and upto 6 months 3726.87 54.81 1265.42 499.65 Over 6 months and upto 1 year 4928.08 541.49 Over 1 year and upto 3 years 30261.91 4320.31 0.00 4201.27 Over 3 years and upto 5 years 5649.23 0.00 5596.23 15438.62 0.00 Over 5 years 56978.87 26198.26 5808.86 Total NPA / NPI (₹ in Crore) (e) Particulars 31.03.2012 (a) Gross NPA Sub-standard 681.50 Doubtful 1 190.01 Doubtful 2 188.61 Doubtful 3 88.76 Loss 148.15 1297.03 Total (b) Net NPA 469.57 (c) NPA Ratios % of Gross NPAs to Gross Advances 2.28 % of Net NPAs to Net Advances 0.84 The movement of Gross NPA (d) **Opening Balance** 1173.70 Add - Addition during the period ii 875.88 Less - Reduction during the period 752.55 iii Closing balance as at the end of the year (i +ii-iii) 1297.03 (e) The movement of provision for NPAs **Opening Balance** 511.28 i. 673.44 ii Provisions made during the period 394.61 iii Write - off made during the period Write - back of excess provisions iv Closing balance (i+ii- iii-iv) 790.11 Non Performing Investments (NPI) 0.00 (f) Provisions for NPI 0.00 (g) (h) The movement of provision for depreciation on investments 123.42 Opening balance i 43.49 ii Provisions made during the period (net) Write-off made during the period 0.00 iii 0.00 Write-back of excess provision made during the period iv Closing balance (i+ii+-iii-iv) 166.91

सारणी-डीएफ-५ - ऋण जोखिम - मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर संविभाग

गुणात्मक प्रकटन

क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अन्तर्गत संविभागों के लिए

उपयोग में लाई गई क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों का नामः-

बैंक ने निम्नलिखित बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों का अनुमोदन किया है

- 1. भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड (क्रिसिल)
- 2. क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड
- 3. एफआईटीसीएच इंडिया
- 4. आईसीआरए लिमिटेड
- विगोपन के प्रकार जिनके लिए हर क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी का उपयोग किया गया है:
 ₹ 5 करोड़ से अधिक के सभी प्रकार के विगोपनों के लिए उपर्युक्त सभी एजेन्सियों का अनुमोदन किया गया है.
- सार्वजनिक निर्गम रेटिंग को बैंकिंग बहियों में तुलनीय आस्तियों में अंतरण हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण.
- बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ताओं से मांगी गई और उनके द्वारा स्वीकृत उक्त किन्ही भी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गई रेटिंग का उपयोग करेगा. बैंक द्वारा पूंजी के परिकलन हेतु केवल पिछले 15 महीनों के दौरान दी गई बाहरी रेटिंग, नई या पुनरीक्षित को ही ध्यान में लिया जाएगा.
- जहां भी उपलब्ध हो, बैंक ऋण सुविधा या बैंक ऋण की रेटिंग का उपयोग उधारकर्ताओं के ऋण जोखिमों को मापने के लिए करता है. जहां भी जारीकर्ता रेटिंग उपलब्ध है, जब तक कि ऋण को विशिष्ट रुप से रेट न किया गया हो बैंक ऐसी रेटिंग का उपयोग करता है.
- बैंक एक ही उधारकर्ता के एक निवेश हेतु एक क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी और दूसरे निवेश हेतु अन्य रेटिंग एजेन्सी का उपयोग साथ-साथ नहीं करता जब तक कि सम्बंधित निवेशों की रेटिंग चुनी गई क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों में से ही किसी एक द्वारा न की गई हो. इसके अलावा, एक ही निगमित समूह के अन्तर्गत किसी विशिष्ट प्रतिष्ठान को आबंटित रेटिंग का उपयोग बैंक उस समूह के अन्य प्रतिष्ठान की क्रेडिट रेटिंग के लिए नही करता.
- नकदी ऋण जैसी चल सीमाओं को दीर्घकालीन निवेश माना जाता है और तदनुसार ऐसे विगोपनों हेतु जोखिम भार के निर्धारण के लिए दीर्घकालीन रेटिंग का उपयोग किया जाता है.
- क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गई रेटिंग को कार्यान्वित/लागू करते समय बैंक विनियामक दिशानिर्देशों/बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति से मार्गदर्शन प्राप्त करता है.

मात्रात्मक प्रकटन

मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर जोखिम प्रशमन के उपरान्त विभिन्न जोखिम बकेट्स में विगोपनों की राशियाँ निम्नानुसार हैं-

	<u> </u>			((4) (13 (1)
क्रं.	वर्गीकरण	31.3.2012		
		विगोपन	योग्यताक्रम	योग्यताक्रम
			प्राप्त	अप्राप्त
i	बकाया विगोपन 100% जोखिम भार			
	से कम	82599.79	20678.80	61920.98
ii	बकाया विगोपन 100% जोखिम भार	22259.24	2817.90	19442.16
iii	बकाया विगोपन 100% जोखिम भार			
	से अधिक	8329.03	4434.82	3894.21
iv	काटा गया सीआरएम मूल्य जोड़ा गया	2871.72	318.21	2553.51
	कुल विगोपन	116059.78	28248.93	87810.86

(₹ करोड में)

सारणी-डीएफ-6 ऋण जोखिम प्रशमन

गुणात्मक प्रकटन

 ऑफ एंड ऑन बैलेन्स शीट नेटिंग का उपयोग किस सीमा तक बैंक करता है इसका संकेत देने हेतु नीतियां और प्रक्रियाएँ

ऋण जोखिम (एफआईआरबी/एआईआरबी) के लिए उन्नत दृष्टिकोण पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ऋण जोखिम प्रशमन तकनीकों और संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन नीति को संशोधित किया है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा

Table DF-5 CREDIT RISK: PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures:

For portfolios under the Standardized Approach:

- Name of the credit rating agencies used:
 - The Bank has approved the following external credit rating agencies, approved by RBI, for risk weighting claims on entities:
 - 1. Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL),
 - 2. Credit Analysis and Research limited (CARE),
 - 3. FITCH India and
 - 4. ICRA Limited.
- Types of exposure for which each credit rating agency is used: All the above agencies are approved for rating of all types of exposure in excess of ₹ 5 Crore.
- A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking book:
 - The Bank shall use the ratings assigned by any of these credit rating agencies as solicited and ac-cepted by the borrowers in line with RBI guidelines. External ratings assigned, fresh or reviewed, at least during the previous 15 months only are considered for capital computation by the Bank.
 - Wherever available, the Bank uses facility rating or bank loan rating for risk weighting the borrower's exposures. Where issuer rating is available the Bank uses such ratings unless the bank loan is specifically rated.
 - The Bank does not simultaneously use the rating of one credit rating agency for one exposure and that of another credit rating agency for another exposure of the same borrower, unless the respective exposures are rated by only one of the chosen credit rating agencies. Further, the Bank does not use rating assigned to a particular entity within a corporate group to risk weight other entities within the same group.
 - Running limits such as cash credit are treated as long term exposures and accordingly, long term ratings are used for assigning risk weights for such exposures.
 - While mapping/applying the ratings assigned by the credit rating agencies, the Bank is guided by Regulatory guidelines/Bank's Board approved Policy.

Quantitative Disclosures:

The exposure amounts after risk mitigation (subject to the Standardized Approach) in different risk buckets are as under:

				(₹ in Crore)	
S.No.	Particulars		31.03.2012		
		Exposure	Rated	Unrated	
i	Below 100% risk weight exposure outstanding	82599.79	20678.80	61920.98	
ii	100% risk weight exposure outstanding	22259.24	2817.90	19442.16	
iii	More than 100% risk weight exposure outstanding	8329.03	4434.82	3894.21	
iv	Deducted CRM Value is added	2871.72	318.21	2553.51	
	Total Exposure	116059.78	28248.93	87810.86	

Table DF-6 CREDIT RISK MITIGATION

Qualitative Disclosures:

 Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting

In line with RBI guidelines on Advance approach for Credit Risk (FIRB/ AIRB), the Bank has revised the Policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management, duly approved by the Board. अनुमोदित किया गया. जोखिम प्रशमन के लिए बैंक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली सहायक प्रतिभूतियों में वित्तीय सहायक प्रतिभूतियां (बैंक जमा, सरकारी / डाक प्रतिभूति और अभ्यर्पण मूल्य के साथ जीवन बीमा पालिसी, स्वर्ण आभूषण इत्यादि जिनमें बैंक के पास कानूनी रूप से नेटिंग का अधिकार होता है और जिनमें विशिष्ट ग्रहणाधिकार शामिल होता है) शामिल है. मार्जिन लागू करने और उचित मूल्यांकन के परिकलन हेतू सॉफ्टवेयर उपयोग में लाया जाता है.

📃 सहायक प्रतिभूतियों के मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियां और प्रक्रियाएँ

सहायक प्रतिभूतियां और गारंटियों का निर्धारण और प्रबंधन बुध्दिमानी से किया जाता है और इसका उपयोग निम्नलिखित के लिए होता है

- अनुमानित नकदी प्रवाह में कमी आने के कारण उधारकर्ता द्वारा ऋण सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक करने की दशा में सहायक संसाधन उपलब्ध कर जोखिम कम करना.
- चूक की दशा में पुनर्भुगतान के साधन पर नियंत्रण हासिल करना.
- जोखिम भारित आस्तियों को आदर्शतम करना और बची हुई जोखिमों को पर्याप्त रूप से संरक्षित करना.
- ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन पर संशोधित नीति के अतिरिक्त बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित उधारी नीति को भी लागू किया है. इन नीतियों में बैंक द्वारा ऋण देने हेतु आमतौर पर स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों के प्रकार तथा उनसे सम्बंधित जोखिमों को न्यूनतम करने हेतु बैंक के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन/अनुप्रवर्तन का निर्धारण किया गया है. बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों को रक्षित करने हेतु प्राप्त अचल और चालू दोनों आस्तियों का मूल्यांकन बैंक के पैनल पर विद्यमान बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा कराया जाता है.
- बेंक द्वारा ली जाने वाली संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मुख्य प्रकारों की व्याख्या

जोखिम प्रशमक के रूप में बैंक द्वारा सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली संपार्श्विक प्रतिभूतियों में वित्तीय सहायक प्रतिभूतियां (जैसे-बैंक जमाराशियां, सरकारी प्रतिभूतियां, केवीपी, एनएससी, अभ्यर्पण मूल्य के साथ जीवन बीमा पालिसी, स्वर्ण आभूषण आदि) तथा बैंक गैर वित्तीय सहायक प्रतिभूतियाँ जैसे स्टॉक, बही ऋण, आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों का गिरवी और संयंत्र व मशीनरी भी स्वीकार करता है.

• गांरटीदाता प्रतिपक्ष के मुख्य प्रकार व उनकी साख

जहां भी आवश्यक हो, ऋण जोखिम के प्रशमन हेतु अतिरिक्त प्रतिभूति संवर्धन के रूप में बैंक वैयक्तिक या संस्थागत गारंटी प्राप्त करता है जिसे गारंटीदाता पर प्रत्यक्ष दावे के रूप में परिवर्तित किया जा सके और जो बिना शर्त और अपरिवर्तनीय हो. सामान्यतः गारंटीदाता की साख को उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति द्वारा संबध्द या प्रभावित नहीं किया जाता. प्रतिभूति संवर्धन के रूप में बैंक राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटी भी स्वीकार करता है.

 प्रशमन के अन्तर्गत जोखिम संकेन्द्रीकरण (बाजार या ऋण) के बारे में जानकारी ऋण जोखिम प्रशमन हेतु पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियां सहज रुप से वसूली जा सकने वाली वित्तीय प्रतिभूतियां हैं. अतः फिलहाल ऋण जोखिम प्रशमकों में संकेन्द्रीकरण जोखिम से निपटने हेतु कोई सीमा /अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है.

मात्रात्मक प्रकटनः

 क) अलग -अलग प्रकट ऋण जोखिम प्रत्येक संविभाग के लिए मार्जिन के उपयोग के बाद पात्र वित्तीय सहायक प्रतिभूतियों से रक्षित कुल विगोपन(जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद)

	(र कराड़ म
	31.03.2012
मार्जिन के उपयोग के बाद पात्र वित्तीय सहायक प्रतिभूतियों से रा	
कुल विगोपन (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के	बाद) 2871.72

ख) अलग -अलग प्रकट प्रत्येक संविभाग (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद) के लिए गारंटियों/ऋण डेरिवेटिव्स (जहां विशेष रूप से भा.रि.बैं. ने अनुमति दी है) से रक्षित कुल विगोपन

	(रे करोड़ में)
	31.03.2012
कुल विगोपन (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो गारंटियों/ऋण डेरिवेटिव्स (जहां विशेष रूप से भा.रि.बैं. ने	
अनुमति दी है) से रक्षित है	शून्य

The collaterals used by the Bank as the risk mitigants comprise of the financial collaterals (i.e. bank deposits, Govt./Postal securities, Life policies with declared surrender value, gold jewellery etc.), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien. Software is in place for calculation of correct valuation and application of haircut.

Policies & processes for collateral valuation and management:

Collaterals and guarantees prudently stipulated and managed would serve to:

- Mitigate the risk by providing secondary source of repayment in the event of borrower's default on a credit facility due to inadequacy in expected cash flow
- Gain control on the source of repayment in the event of default;
- > Optimize risk weighted assets and to address residual risks adequately.
- In addition to the revised policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management, Bank has also put in place Lending Policy duly approved by the Board. These policies lay down the types of securities normally accepted by the Bank for lending, and administration/ monitoring of such securities in order to safeguard/protect the interest of the Bank so as to minimize the risk associated with it. Both the fixed and the current assets obtained to secure the loans granted by the Bank as per policy prescription are subjected to valuation by outside valuers empanelled by the Bank.

Description of the main types of collateral taken by the Bank

The main types of financial collaterals commonly used by the Bank as risk mitigants comprise of financial collaterals (i.e. Bank Deposits, Government Securities, KVP, NSC, Life Insurance Policies with declared surrender value, Gold jewellery etc.). Bank also accepts non-financial collateral i.e. stock, book debts, mortgage of residential & commercial property and plant & machinery.

· Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness

Wherever required the Bank obtains personal or corporate guarantee as an additional comfort for mitigation of credit risk which can be translated into a direct claim on the guarantor which is unconditional and irrevocable. The Bank also accepts guarantee given by State/Central Government as a security comfort.

Information about (Market or Credit) risk concentrations within the mitigation taken

All types of securities eligible for credit risk mitigation are easily realizable financial securities. As such, no limit/ceiling have been prescribed for the present to address the concentration risk in credit risk mitigants.

Quantitative Disclosures:

(a) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.

(₹ in Crore)
-------------	---

	31.03.2012
The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible	
financial collateral after the application of haircuts	2871.72

(b) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)

(₹	in	Crore)
----	----	--------

	31.03.2012
Total exposure (after, where applicable, on- or off- balance sheet netting) that is covered by guarantees /	
credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	NIL

∋ ਤਗੀਤ ਜੈਂ।

सारणी-डीएफ-7- प्रतिभूतिकरण

<u>गुणात्मक प्रकटन</u>

बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान किसी भी निवेश का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है.

मात्रात्मक प्रकटन

मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए मात्रात्मक प्रकटन लागू नहीं है.

सारणी-डीएफ-८ - व्यापार की बहियों में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटनः

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम को बैंक को बाजार के व्युत्पम्नों जैसे ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, इक्विटी मूल्यों और वस्तु मूल्यों में प्रतिकूल संचलनों के कारण होने वाली हानि की संभावना के रुप में परिभाषित किया जाता है. बाजार जोखिम में बैंक का ऋण जोखिम विदेशी मुद्रा विनिमय स्थितियों, व्यापार बहियों (एएफएस और एचएफटी दोनो श्रेणियां) में घरेलू निवेशों (ब्याज से सम्बंधित लिखत और इक्विटी) से पैदा होता है. बैंक वस्तुओं में व्यापार नही करता है. बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य बाजार जोखिम के कारण आय तथा इक्विटी पूंजी से सम्बंधित हानियों के प्रभाव को न्यूनतम बनाना है.

बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियां

बैंक में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन नीति, बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन नीति विद्यमान है. उक्त नीतियों में बाजार जोखिम प्रबंधन के कार्यो हेतु सुपरिभाषित संगठनात्मक ढांचे एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है जिनके द्वारा बैंक को होने वाले बाजार जोखिमों का अभिनिर्धारण, परिमापन, अनुप्रवर्तन और नियंत्रण किया जाता है जो बैंक की जोखिम सहन करने की क्षमता के अनुरुप नीतिगत संरचना के भीतर आता हो. नीतियों में बाजार जोखिम के प्रभावी अनुप्रवर्तन हेतु रिपोटिंग संरचना का भी समावेश है. नीतियों में बाजार जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु विभिन्न जोखिम सीमाओं जैसे ओवरनाईट लिमिट, इन्ट्राडे लिमिट, एग्रीगेट गैप लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, वीएआर लिमिट आदि का भी निर्धारण किया गया है. प्रतिपक्ष बैंकों के लिए भी ऋण जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिनका अनुप्रवर्तन दैनिक आधार पर किया जाता है.

आस्ति देयता प्रबंधन नीति (एएलएम) विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन व ब्याज दर जोखिम प्रबंधन संरचना से सम्बंधित है. जैसा कि नीति में परिकल्पित है, तरलता जोखिम का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार आस्ति व देयताओं की अवशिष्ट परिपक्वता/प्रवृत्ति के आधार पर पारंपरिक गैप एनालिसिस और ड्यूरेशन गैप एनालिसिस के जरिये किया जाता है. बैंक ने तरलता प्रबंधन हेतु अल्पकालिक गतिशील तरलता प्रबंधन तंत्र तथा आकस्मिक योजना तैयार की है. प्रभावी आस्ति देयता प्रबंधन हेतु अलग अलग अवशिष्ट परिपक्वता अवधि श्रेणियों के लिए विवेकपूर्ण (सह़ा-सीमा) सीमाएं निर्धारित की गई हैं. तरलता प्रबंधन हेतु बैंक की आकस्मिक योजना में तरलता स्थिति पर पड़ने वाले सभी प्रकार के दबाबों से निपटने हेतु किये जाने वाले विभिन्न आकस्मिक उपाय शामिल हैं. बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति बनाई है और वह तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के सम्बंध में आवधिक रुप से तनाव परीक्षण आयोजित करता है.

ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन अस्थिर भाव वाली आस्तियों व देयताओं के गैप एनालिसेस के जरिये किया जाता है जिसका अनुप्रवर्तन निर्धारित किये गये विवेकपूर्ण (सह्य-सीमा) सीमाओं के माध्यम से किया जाता है. बैंक ने ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु डयूरेशन गैप एनालिसिस फ्रेमवर्क भी तैयार किया है. बैंक निवल ब्याज आय तथा इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव के निर्धारण हेतु जोखिम भरे अर्जनों और ब्याज दर की प्रतिकूल गतिशीलता के विरुध्द संशोधित डयूरेशन गैप का प्राक्कलन करता है ताकि शेयरधारक के मूल्य को ईष्टतम बनाया जा सके.

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)/बोर्ड बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन का अनुप्रवर्तन करता है. डीलिंग रूम के कार्य केन्द्रीकृत हैं और डीलिंग रूम के कार्यो पर निगरानी रखने हेतु एक प्रणाली मौजूद है. खजाना एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग सतत आधार पर विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन पर निगरानी रखता है.

बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति- यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक के परिचालन बाज़ार जोखिम के समक्ष आय की प्रबंधन की अपेक्षाओं के अनुरूप ही हैं, यह अत्यावश्यक है कि बैंक क्रय-विक्रय और बैंक की बहियों में उसके सामने आ रहे बाज़ार जोखिमों का प्रबंध करने के लिए किस प्रकार योजना बनाता है, इसे व्यक्त करने के लिए बैंक के पास सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का एक परिभाषित सेट रहे.

बैंक की बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति का लक्ष्य प्रक्रियाओं की विस्तृत रूपरेखा बनाना है जिसके द्वारा बैंक द्वारा उठाए जा रहे जोखिमों को प्रबंध किया जा सके अर्थात इसका अभिनिर्धारण, मापन, नियंत्रण, निगरानी इस प्रकार की जा सके कि उठाया गया जोखिम अनुमोदित जोखिम सह्य सीमाओं के भीतर हो. इस नीति की व्यापकता बैंकिंग बही के निवेश भाग और बैंक की व्यापार बही के कारण उत्पन्न हो रहे बाज़ार जोखिम को कवर

Table DF-7 SECURITIZATION

Qualitative Disclosures:

The Bank has not securitized any exposure during the year 2011-12.

Quantitative Disclosures:

Quantitative Disclosure for Standardized Approaches is Not Applicable

Table DF-8 MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative Disclosures:

a) Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank caused by adverse movements in the market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories), the Foreign exchange positions. Bank is not trading in commodities. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity arising from market risk.

Policies, strategies and processes for management of Market Risk

The Bank has put in place Board approved Investment Management Policy & Investment Risk Management Policy, Risk Management Policy, Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) Policy for effective management of market risk in the Bank. The above policies lay down well-defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the Bank are identified, measured, moni-tored and controlled within the policy framework consistent with the Bank's risk tolerance. The policies deal with the re-porting framework for effective monitoring of market risk and also set various risk limits such as Overnight Limit, Intra-day limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit etc. Exposure limits are set for the counterparty banks and the exposures are monitored on daily basis.

The ALM Policy specifically deals with liquidity risk and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, liquidity risk is managed through the Traditional Gap Analysis & Duration Gap Analysis based on the residual maturity/behavioural pattern of assets and liabilities as prescribed by the RBI. The Bank has put in place mechanism of short term dynamic liquidity management and contingency plan for liquidity management. Prudential (Tolerance) limits are set for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. The Bank's contingency plan for liquidity management for liquidity management comprises various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity posi-tion. The Bank has put in place Board approved Stress Testing Policy and conducts periodic stress tests on liquidity risk, interest rate risk and foreign exchange risk.

Interest rate risk is managed through use of Gap Analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (Tolerance) limits prescribed. The Bank also has put in place Duration Gap Analysis framework for manage-ment of interest rate risk. The Bank estimates Earnings at Risk (EaR) and Modified Duration Gap (DGAP) periodically against adverse movement in interest rate for assessing the impact on Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE).

The Asset Liability Management Committee (ALCO)/Board monitors adherence of prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in light of the market conditions. Dealing room activities are centralized and system is in place to monitor the dealing room activities. The Mid- Office at the Treasury & International Banking Department (TIBD) also monitors adherence of prudential limits on a continuous basis.

Market Risk Management Policy - To ensure that the Bank's operations are in line with Management expectations of return vis-à-vis market risk, it is crucial that the Bank has a defined set of principles and processes in place for articulat-ing how it plans to manage the market risks it faces, in the Trading or Banking Book.

The Bank's Market Risk Management Policy aims to set out the broad outlines of the processes by which the market risks carried by the Bank shall be managed i.e. identified, measured, controlled and monitored in such a way that the risk taken is within the approved risk tolerance limits. The scope of करती है. बैंकिंग बही के कारण उत्पन्न होने वाली निधिक तरलता और ब्याज दर जोखिम को बैंक की एएलएम नीति और भा.रि.बैं. के निर्धारणों के अनुसरण में एएलएम कार्य द्वारा प्रबंधित किया गया है.

देश जोखिम के अनुप्रवर्तन हेतु देशवार आधार पर सकल ऋण जोखिम का आकलन किया जाता है. विभिन्न देशों के जोखिम वर्गीकरण हेतु बैंक द्वारा ईसीजीसी जोखिम वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है. अत्यधिक जोखिम वाले देशों के ऋण जोखिम का निर्धारण यथोचित जोखिम प्रशमन से किया जाता है.

मात्रात्मक प्रकटनः

घ) बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं-

(₹ करोड़ में)

		,
	जोखिम की श्रेणी	31.03.2012
i	ब्याज दर जोखिम	167.97
ii	इक्विटी स्थिति जोखिम	43.02
iii	विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	4.50
	मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण के अंतर्गत बाज़ार जोखिमों के लिए कुल पूँजी प्रभार (i+ii+iii)	215.49

सारणी-डीएफ-9 - परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटनः

परिचालन जोखिमः

परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल हो चुकी आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरुप होने वाली हानियों का जोखिम होता है. परिचालन जोखिम में विधिक जोखिम शामिल होता है किन्तु रणनीतिक व प्रतिष्ठात्मक जोखिम शामिल नहीं होता है.

परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियां -

बैंक ने बेसल ॥ संरचना के अंतर्गत परिचालन जोखिम के लिए उमन दृष्टिकोणों (टीसीए एंड एएमए) हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है. परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु बोर्ड द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियों में निम्नलिखित का समावेश है क)सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति ख) व्यवसाय निरंतरता आयोजन नीति ग) अनुपालन नीति और घ) बाह्यस्त्रोत-उपयोग नीति ड) घोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति. बैंक ने 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) तथा 'धन शोधन निवारण' (एएमएल) की कार्यविधियों के सम्बंध में दिशानिर्देश जारी किये हैं .

रणनीतियां और प्रक्रियाएंः बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, कार्पोरेट मूल्यों को शामिल कर ठोस परिचालन प्रक्रियाओं और मजबूत संगठनात्मक संस्कृति द्वारा संचालित है.

बैंक विधिक प्रलेखों की पर्याप्तता तथा प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने हेतु विधिक प्रलेखों की सतत रुप से पुनरीक्षा करता है. जोखिम अंतरण के उपाय के रुप में बैंक ने अपने स्वामित्व में आने वाली सभी आस्तियों के लिए बीमा सुरक्षा प्राप्त की है. यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जोखिम प्रशमन उपाय के रुप में बैंक द्वारा वित्तपोषित सभी आस्तियाँ भी पर्याप्त रुप से बीमांकित हैं. परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति में संगठनात्मक ढांचे तथा परिचालन जोखिम प्रबंधन विस्तृत प्रक्रियाओं की रुपरेखा दी गई है . नीति का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण परिचालनगत हानियों सहित परिचालनगत जोखिम विगोपनों की समय से रिपोर्टिंग द्वारा और परिचालन जोखिमों के नियंत्रण/प्रशमन ,निर्धारण, निगरानी और प्रभावी अभिनिर्धारण हेतु स्पष्ट रुप से भूमिकायें तय करने के द्वारा बैंक की दैनंदिन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणली को ध्यानपूर्वक एकीकृत करना है. बैंक में परिचालन जोखिम का प्रबंधन एक व्यापक एवं सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण संरचना के जरिये किया जाता है.

परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार परिकलन के लिए अपनाया गया दृष्टिकोणः

बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार का परिकलन करने के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया है. बैंक उच्चत बेसल II दृष्टिकोणों के अंतर्गत परिचालन जोखिम हेतु पूँजी जोखिम प्रभार की गणना के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) और तत्पश्चात उच्चत माप दृष्टिकोण (एएमए) हेतु प्रवर्जन के लिए तैयारी कर रहा है.

गुणात्मक प्रकटनः

मूल संकेतक दृष्टिकोण के अंतर्गत परिचालन जोखिम के लिए पूँजी प्रभार ₹ 356.03 करोड़ है । this policy covers market risks arising from the bank's "Trading book" and investment portion of "Banking book". Funding liquidity and interest rate risk arising on ac-count of "Banking book" investments are managed by ALM function in accordance with bank's ALM policy and RBI prescriptions.

The aggregate exposure on country-wise basis is taken for monitoring the country risk. For risk categorization of various countries, the ECGC risk classification is used by the Bank. Exposure on High Risk countries are taken with proper risk mitigation.

Quantitative Disclosure:

The Capital requirements for Market Risk are as under:

		(₹ in Crore)
	Risk Category	31.03.2012
i	Interest Rate Risk	167.97
ii	Equity Position Risk	43.02
iii	Foreign Exchange Risk (including gold)	4.50
	Total capital charge for market risks under standardized duration approach (i+ii+iii)	215.49

Table DF-9 OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures:

Operational risk:

Operational Risk is risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from ex-ternal events. Operational risk includes Legal risk but excludes Strategic and Reputation Risk.

Policies on management of Operational Risk:

The Bank has framed Operational Risk Management Policy in line with the RBI Guidelines for the Advanced Approaches for Operational Risk (TSA & AMA) under Basel II framework, duly approved by the Board. The other policies approved by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information System Security Policy, (b) Business Continuity Planning Policy, (c) Compliance Policy, (d) Outsourcing Policy and (e) Fraud Risk Management Policy. The Bank has issued guidelines on 'Know Your Customer' (KYC) and 'Anti-Money Laundering' (AML) procedures.

Strategies and processes: The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The Bank has been constantly reviewing the legal documents to ensure that the legal documents are comprehensive and enforceable. As a measure of risk transfer, the Bank has obtained insurance cover for all the assets owned by the Bank. It is also ensured that the assets financed by the Bank are also adequately insured as a risk mitigation measure. The operational risk management policy outlines the organization structure and detail processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management system into the day-to-day risk management processes of the Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling/mitigating operational risks and by timely reporting of operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

Approach adopted for capital charge computation for operational risk:

The Bank is following Basic Indicator Approach (BIA) for calculating capital charge for Operational Risk. The Bank is preparing for migrating to The Standardized Approach (TSA) and then for Advanced Measurement Approach (AMA) for calculation of capital risk charge for Operational Risk under Advanced Basel II approaches.

Quantitative Disclosure:

Capital charge for Operational Risk under Basic Indicator approach is $\overline{\texttt{3}}$ 356.03 Crore.

सारणी-डीएफ-10 - बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटनः

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिमः

ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों से बैंक की बहियों पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव का संदर्भ बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) है. ब्याज दर जोखिम का मापन और निगरानी दो विधियों से की जाती है.

- जोखिम पर आय आय पर पड़ने वाले प्रभाव (अर्जन परिप्रेक्ष्य) का मापन गैप एनालिसिस के जरिये 100 आधार अंकों तक कल्पित दर शॉक-अप (आस्तियों और देयताओं में ब्याज दर में समानांतर बदलाव) लागू करते हुए किया गया है.
- ii. इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ड्यूरेशन गैप एनालिसिस) बैंक ने भा.रि.बैंक द्वार सुझाई गई विधि के अनुसरण में इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) प्रभाव के निर्धारण हेतु (प्रतिशत के रुप में) डयूरेशन गैप एनालिसिस को अपनाया है. यह इक्विटी की संशोधित अवधि पर अंतिम रूप से पहुँचने के लिए आस्ति और देयताओं की संशोधित अवधि के परिकलन द्वारा किया जाता है.
 - डीजीए के अनुसार ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण बना लिया गया है.
 - प्रत्येक आस्ति और देयता की अवधि, प्रत्येक टाइम बकेट के मध्यबिंदु को परिपक्वता दिनांक की तरह और औसत उत्पन्न को कूपन की तरह तथा डिस्काउंटिंग के उद्देश्य के लिए बाजार दर लेने से आई है. निवेशों के लिए, वास्तविक अवधि ली गई है.
 - भा.रि.बैंक द्वारा निर्देश के अनुसार 200 आधार अंक का कल्पित ब्याज दर शॉक के लिए इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य में) प्रभाव को विश्लेषित किया गया है.

इक्विटी के आर्थिक मूल्य का मापन और निगरानी त्रैमासिक आधार पर की जाती है.

मात्रात्मक प्रकटनः

जोखिम पर अर्जनः

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर में परिवर्तन	१ वर्ष का पुनर्मूल्यन	
	31.03.2012	
0.25%	20.62	
0.50%	41.25	
0.75%	61.87	
1.00%	82.49	

इक्विटी का आर्थिक मूल्य

	31.03.2012	
200 आधार अंक शॉक हेतु इक्विटी मूल्य में कमी	8.03%	

Table DF-10 INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

Interest Rate Risk in the Banking Book:

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) refers to the potential adverse financial impact on the Bank's Banking Book from changes in interest rates. The interest rate risk is measured and monitored through two approaches.

- (i) Earnings at Risk: The impact on income (Earning Perspective) is measured through use of Traditional Gap Analysis by applying notional rate shock (parallel shift in the interest rates across assets and liabilities) upto 100 basis point (bps).
- (ii) Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis): The Bank has adopted Duration Gap Analysis for assessing the impact (as a percentage) on the economic value of equity (Economic Value Perspective) in line with method suggested by RBI. It is done by calculating modified duration of assets and liabilities to finally arrive at modified duration of equity.
- Interest Rate Sensitivity statement as per DGA is prepared.
- The duration of each asset and liability is arrived at taking the midpoint of each time bucket as the maturity date and the average yield as coupon and taking the market rate for discounting purpose. For investments, the actual duration is taken.
- The impact on the Economic Value of Equity is analysed for a 200 bps rate shock as indicated by RBI.

The Economic Value of Equity is measured and monitored on a quarterly basis.

Quantitative Disclosure:

Earning at Risk:

	(₹ in Crore)
Change in Interest rate	Reprising at 1 Year
	31.03.2012
0.25%	20.62
0.50%	41.25
0.75%	61.87
1.00%	82.49

Economic Value of Equity:

	31.03.2012
For a 200 bps notional rate shock the drop in equity value	8.03%

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012

ल्योरे Particulars		हो समाप्त वर्ष		को समाप्त वर्ष
	Year Ended	31-03-2012	Year Ende	d 31-03-2011
. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:				
에겐 Income				
वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज	7040 00 44			
Interest received during the year from advances, Investments etc.	7213,96,44	7054 00 05	5563,08,76	0000 04 5
अन्य आय Other Income	640,66,61	7854,63,05	530,85,78	6093,94,54
घटाएंः व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज				
Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings	4696,87,51		3594,68,89	
परिचालन व्यय Operating Expenses	1642,51,51		1644,22,39	
प्रावधान खं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies		7402 00 17		E760 EE 7
जीवधान एवं आकारनकताएँ Provisions & Contingencies कुल व्यय के उपर कुल आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि	1084,41,15	7423,80,17	524,64,44	5763,55,72
Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses		120 02 00		220.20.04
जोड़े : गैर नकदी मद एवं अलग विचारित मदें		430,82,88		330,38,8
Add : Non Cash Items & Items Considered Separately				
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	1084,41,15		524,64,44	
अन्यता रेप्रे विद्यार प्रकाश में Performance & Contingentation	65,66,08		67,85,59	
अचल संपत्तियों हेतु मूल्यहास Depreciation on Fixed Assets अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale of Fixed Assets	-9,50		-24,26	
आय कर मांग पर ब्याज Interest on Income Tax demand	5,87,57		,	
बाँडस्, पीसीपीएस व आईपीडीआईपर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	229,95,82	1385,81,12	232,86,94	825,12,7
		1816,64,00		1155,51,5
टाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर Less: Direct Taxes Paid (Net)		477,62,37		233,40,5
रेचालन से अर्जित नकद लाभ (I) Cash Profit Generated From Operations (I)		1339,01,63		922,10,9
रिवालनगत देयताओं की वृद्धि/कमी : Increase/(Decrease) of Operating Liabilities:		1559,01,05		522,10,5
माराशियां Deposits	9683,91,56		3540,66,58	
प्रारियां (टीयर I/II बॉड को छोड़कर) Borrowings (Excl Tier I/II Bonds)	748,18,62		447,71,09	
न्य देयताएं व प्रावधान Other Liabilities & Provision	-836,29,82		-117,69,72	
रेचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि. Total of Increase of Operating Liabilities	9595,80,36			
रपालनगरा दयराजा न कुल वृद्ध, Total of increase of Operating Liabilities टाएं ः परिचालन आस्तियों की वृद्धि/कमी	9595,60,50		3870,67,95	
ess : Increase/(Decrease) of Operating Assets				
निवेश Investments	404,40,38		1138,23,34	
अग्रिम Advances	9178,99,85		6566,06,91	
अन्य आस्तियां Other Assets	-130,49,07		57,65,62	
कुल परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Assets	9452,91,16		7761,95,87	
ुरा मार्थित विवास के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प् रिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि (II)				
et Increase of Operating Liabilities Over Operating Assets (II)		142,89,20		-3891,27,92
रेचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (A) = (I+II)		142,00,20		0001,21,0
ASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A) = (I+II)		1481,90,83		-2969,16,9
. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		1401,50,05		-2303,10,3
. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES				
अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets	69,46,25		4,93,88	
अचल संपत्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets	-68,89,19		-90,86,73	
सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश Investment made in Associates	-15,87,00		-29,00,00	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	- , - ,		-,,	
Net Cash Flow Form Investing Activities (B)		-15,29,94		-114,92,8
. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:				
i) गौण बांडो को जारी /(मोचन) करना				
Issue/(Redemption) of Subordinated Bonds	_		-167,50,00	
ii) ईक्विटी एवं पीएनसीपीएस पर लाभांश Dividend on Equity & PNCPS	-125,93,18		-86,10,40	
iii) लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax	-20,91,57		-14,62,91	
iv) बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-229,95,82		-232,86,94	
v) ईक्विटी शेअर्स को जारी करना Issue of Equity Shares	605,09,63		352,00,00	
vi) पीएनसीपीएस शेअर्स को जारी करना Issue of PNCPS Shares			588,00,00	
त्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग) Cash Flow From Financing Activities (C)		228,29,06		438,89,7
				-2645,20,0
र्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग) Total Cash Flow During The Year (A+B+C)		1694,89,95		-2045.20.0

Note: Previous year figures have been regrouped and reclassified whenever necessary.

वार्षिक रिपोर्ट 2011-12

🥼 बैंक ऑफ महाराष्ट्र

		(₹ ह जार में) (₹ in Thousands)			
ब्योरे Particulars	31-03-2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2012	31-03-2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2011			
द्वारा प्रतिनिधित्व - REPRESENTED BY -					
वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी समकक्ष					
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year					
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI	3846,00,33	5315,39,31			
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस प्राप्य धन					
Balances with Banks & Money at Call & Short notice	203,35,31	1379,16,39			
	4049,35,64	6694,55,70			
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समकक्ष					
Cash and Cash equivalents at the end of the year					
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balances with RBI	4535,47,72	3846,00,33			
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस प्राप्य धन					
Balance with banks & money at call & Short notice	1208,77,87	203,35,31			
	5744,25,59	4049,35,64			
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR	1694,89,95	-2645,20,06			

आर. पार्थसारथी	ए.एस.बनर्जी	सी. वीआर. राजेंद्रन	नरेन्द्र सिंह
R. PARTHASARATHY	A. S. BANERJEE	C VR RAJENDRAN	NARENDRA SINGH
महाप्रबंधक विप्र व लेखा	मुख्य महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
General Manager FM&A	Chief General Manager	EXECUTIVE DIRECTOR	CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

कृते रे एंड कं.	कृते जोध जोशी एंड कं.	कृते जेसीआर एंड कं.	कृते एन कुमार छाबरा एंड कं	कृते डी एस पी एंड असोशिएटस्	कृते कीर्तने एंड पंडित
For Ray & Co.	For Jodh Joshi And Co	For JCR & Co.	For N.Kumar Chhabra & Co.	For DSP & Associates	For Kirtane & Pandit
एफआरएन 313124ई	एफआरएन 104317डब्ल्यू	एफआरएन : 105270डब्ल्यू	एफआरएन 000837एन	एफआरएन 006791एन	एफआरएनः 105215डब्ल्यू
FRN : 313124E	FRN : 104317W	FRN : 105270W	FRN : 000837N	FRN : 006791N	FRN: 105215W
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
सुमित सिकदर	अपर्णा पी. एस. शंकरन	जशावंत रावल	नवतेज कुमार	अतुल जैन	शरद भागवत
Sumit Sikdar	Aparna P. S. Sankaran	Jashvant Raval	Navtej Kumar	Atul Jain	Sharad Bhagwat
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
Partner	Partner	Partner	Partner	Partner	Partner
सदस्यता क्र : 120622	सदस्यता क्र.: 113982	सदस्यता क्र: 012926	सदस्यता क्र.080496	सदस्यता क्र: 091431	सदस्यता क्र:008072
Membership No.: 120622	Membership No.: 113982	Membership No.: 012926	Membership No.: 080496	Membership No.: 091431	Membership No.:008072

स्थान ः पुणे दिनांक ः 05 मई 2012

Place : Pune Date : 5th May, 2012

99

रे एंड कं. सनदी लेखाकार रूम नं. 8सी, 8वीं मंजिल 21 ए शेक्सपीयर सरनी, कोलकाता - 700 017 ्	जोध जोशी एंड कं. सनदी लेखाकार जे.पी.हाउस,1ली मंजिल, रविनगर स्क्वेयर, अमरावती रोड, नागपुर - 400 010	जे सी आर एंड कं सनदी लेखाकार रावल हाउस, १८वीं रोड खार पश्चिम मुंबई - 400 052	एन कुमार छाबरा एंड कंपनी सनदी लेखाकार एससीओ 1094-95 सेक्टर 22 बी चंडीगढ़ - 160 022	डीएसपी एंड एसोसिएट सनदी लेखाकार 783 देशबंधु गुप्ता रोड करोल बाग नई दिल्ली - 110 005	कीर्तने एंड पंडित सनदी लेखाकार संगती, भक्ति मार्ग ऑफ लॉ कॉलेज रोड पुणे - 411 004
Ray & Co.,	Jodh Joshi And Co.,	J C R & Co.,	N. Kumar Chhabra & Co.,	DSP & Associates,	Kirtane & Pandit,
Chartered Accountants,	Chartered Accountants,	Chartered Accountants,	Chartered Accountants,	Chartered Accountants,	Chartered Accountants,
21A, Shakespeare Sarani,	J.P. House, 1st Floor,	Raval House,	SCO 1094-95,	783, Desh Bandhu Gupta	Sangati, Bhakti Marg,
Flat 8C, 8th Floor,	Ravinagar Square,	18th Road, Khar (W),	Sector 22-B,	Road, Karol Bagh,	Off Law College Road,
Kolkata - 700 017	Amravati Road,	Mumbai - 400 052.	Chandigarh - 160 022	New Delhi - 110 005.	Pune - 411 004.
	Nagpur - 400 010				

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

 बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दिनांक 31 मार्च, 2012 के संलग्न वित्तीय विवरण जिसमें 31.03.2012 का तुलन पत्र लाभ और हानि खाता तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी सूचनाएं शामिल हैं, की हमने लेखा परीक्षा की है. इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं और खजाना और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग शाखा की विवरणियां तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरिक्षित 1203 शाखाओं की विवरणीयां शामिल हैं.

जैसा हमें बताया गया है, हमारे द्वारा लेखा परीक्षित व अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का

चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया है. साथ ही तुलन पत्र और लाभ व हानि के विवरण में 22.97 प्रतिशत शाखाओं जो प्रबंधन द्वारा प्रमाणित लेकिन लेखा परीक्षा के अधीन नही हैं की विवरणियां भी शामिल हैं. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 1.67%, जमाराशियों में 5.95%, ब्याज आय में 1.12% और ब्याज खर्च में 5.21% हिस्सा है.

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

 इन समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है. वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित इस जिम्मेदारी में आंतरिक नियंत्रण को तैयार करना उसका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है ये वित्तीय विवरण जालसाजी या किसी अन्य गलती के कारण से किया भी गलत कथन से मुक्त है.

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

- 3. हमारी जिम्मेदारी समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के आधार पर अभिमत व्यक्त करना है. हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर लेखा परीक्षा करते हैं. इन लेखा मानकों के अनुसार हमें नैतिक आवश्यक्ताओं का पालन करना होता है और लेखा परीक्षा की योजना तैयार कर लेखा परीक्षा करना होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वित्तीय विवरण किसी भौतिक गलत कथन से मुक्त हैं.
- 4. वित्तीय विवरणों में प्रकटन और रकम से संबंधित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित कार्यविधि निष्पादित करना लेखा परीक्षा में शामिल होता है. जालसाजी या गलती के कारण वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत कथन का मूल्यांकन करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय के आधार पर चुनी गई कार्यविधि आधारित होती है. ये जोखिम मूल्यांकन करने के लिए बैंकिंग कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों और परिस्थिति विशेष में उचित लेखा

AUDITORS' REPORT

To, The President of India.

Report On Financial Statements -

1. We have audited the accompanying financial statements of BANK OF MAHARASHTRA as at 31st March, 2012 which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2012, and the Profit and Loss Account and the Cash Flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches & The Treasury & International Banking Branch (TIBB) audited by us and 1203 branches audited by Branch Auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors, as informed to us, have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit & Loss are the returns from 22.97% branches which have not been subjected to audit but certified by the management. These unaudited branches account for 1.67% of advances, 5.95% of deposits, and 1.12% of interest income and 5.21% of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements -

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulation Act, 1949. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditors Responsibility -

- 3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with standards on auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.
- 4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to Banking Company's preparation and fair presentation of the financial statements

परीक्षा कार्यविधि तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति हेतु लेखा परीक्षकों ने विचार किया है. उपयोग में लाई गई नीति की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों का औचित्य तथा उसी प्रकार वित्तीय विवरणों की समग्र तैयारी का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में शामिल होता है.

 हम विश्वास करते है कि हमें प्राप्त साक्ष्य हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं.

मामलों का महत्व

हमारे अभिमत की योग्यता के बिना हम ध्यान आकर्षित करते हैं कि -

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प दुबारा खोलने तथा उपदान सीमाओं में वृद्धि- विवेकी विनियामक उपचार पर दिनांक 09 फरवरी 2011 का भा.रि.बैंक का परिपत्र क्रं. डीबीओडी.बीपी. बीसी/80/21.04.018/2010-11 के अनुसार बैंकों को लेखा मानक 15 (संशोधित) - कर्मचारी लाभ से संबंधित प्रावधानों को करने से संबंधित छूट देने के परिणामस्वरूप मूल कंपनी के समेकित लेखों के साथ संलग्न अनुसूची 18 की टिप्पणी क्रं. 10.4 डी जिसमें बैंक की कुल आस्थगित पेंशन और उपदान देयताओं को कुल रु. 307.42 करोड़ बताया गया है.

यदि ये परिपत्र जारी नही हुआ होता तो बैंक का कर पूर्व लाभ लेखा मानक 15 (संशोधित) लागू करने के परिणामस्वरूप रु. 307.42 करोड़ से कम होता. इसका परिणामी प्रभाव वित्तीय विवरणों के अन्य संबंधित घटकों पर निश्चित नही किया गया है.

अभिमत

- 7. हमने यह पाया है कि
 - क) तुलन पत्र से संलग्न अनुबंध 18 के नोट क्रं.9.3 में किये गये उल्लेख के अनुसार कुछ आस्तियों/ देयताओं,समाशोधन के अंतरों, अंतर शाखा खातों/ स्थिर आस्तियों के अंतर शाखा अंतरणों और स्थिर आस्तियों पर मूल्यहूास के प्रभार की सतत समाधान की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न हो सकने वाले समायोजनों का खातों पर पडने वाला परिणामकारी प्रभाव निर्धारण योग्य नहीं है; और
 - खेंक ने महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों से संबंधित समेकित तुलन पत्र से संलग्न अनुसूची 17 के परि.क्र. 6.1 में किये गये उल्लेख के अनुसार उपचित आधार के बजाए नकदी आधार पर कमीशन, लॉकर किराया आदि से होने वाली आय के निर्धारण की नीति अपनायी है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक -9 राजस्व निर्धारण के अनुरूप नहीं है और खातों पर पडने वाला इसका प्रभाव निर्धारण योग्य नहीं है.

हमारे उपर्युक्त निरीक्षण के अधीन हमारी राय में समूह की बहियों में दर्शाए गये अनुसारः

- i. समेकित तुलन पत्र, उसमें दी गई टिप्पणियों सहित परिपूर्ण और समुचित तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक ब्यौरों का समावेश है और वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार इस ढंग से बनाया गया है कि उससे बैंक के 31 मार्च,2012 के व्यवहारों का सही चित्र सामने आ सके.
- ii. समेकित लाभ हानि लेखा और उस पर की गयी टिप्पणियां विवरण लाभ का सही शेष दर्शाती है जो खाते द्वारा कवर किए गए वर्ष के लिए भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप है और

in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that our audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Emphasis of Matters -

6. Without qualifying our opinion, we draw attention to -

Note No. 10.4D in Schedule 18 which describes deferment of pension and gratuity liability of the bank to the extent of ₹ 307.42 crores, pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard 15 (Revised) – Employees Benefit vide its Circular DBOD. BP.BC/80/21.04.018/2010-11 of 9th February, 2011 on Reopening of pension Option to Employees of Public Sector Bank and Enhancement in Gratuity limits – Prudential Regulatory Treatment.

Had the said Circular not been issued, the 'profit before tax' of the Bank would have been lower by ₹ 307.42 crores pursuant to application of the requirements of AS 15 (Revised), the consequential effect of which has not been ascertained on other related components of the financial statements.

Opinion –

- 7. We have observed that -
 - a) the effect of adjustments that may arise from the ongoing reconciliation of certain assets/liabilities, clearing differences, inter branch accounts/inter branch transfer of fixed assets and charge of depreciation on fixed assets, (as stated in Note No.
 9.3 of Schedule 18 annexed to the Balance Sheet), the consequential impact thereof on the accounts is not ascertainable; and
 - b) the Bank is following the policy of recognizing the income from commission, locker rent etc. on cash basis during the year, instead of accrual basis as stated in para no. 6.1 Schedule 17 Significant Accounting Policies which are not in conformity with the 'Accounting Standard 9 Revenue Recognition, issued by The Institute of Chartered Accountants of India'. The impact thereof on the accounts is not ascertainable.

Subject to our observations above, in our opinion as shown by the books of the bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- i. The balance sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2012 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- ii. The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with the accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

iii. समेकित नकदी प्रवाह विवरण उस दिनांक को समाप्त वर्ष में हुए नकदी प्रवाह का सही व उचित चित्र प्रस्तुत करता है ।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- समेकित तूलन पत्र और लाभ व हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 8. के तीसरे खंड के क्रमशः फॉर्म अ तथा ब के अनुसार तैयार किया गया है ।
- उपर्युक्त परिच्छेद 1 व 5 में इंगित लेखा परीक्षा की सीमाओं के आधार पर तथा 9. बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण व अर्जन) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन निम्नलिखित के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि
 - हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के क) लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह हमने प्राप्त कीं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया ।
 - ख) बैंक के संव्यवहार जो हमारे ध्यान में आए हैं, वह बैंक के अधिकारों के भीतर हैं ।
 - बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के ग) प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं ।
- 10. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि लेखा व नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

iii. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal & Regulatory Requirements

- The Balance Sheet and Profit & Loss Account have been 8. drawn up in Forms 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- 9. Subject to the limitations of audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
 - The returns received from the offices and branches of the C. Bank have been found adequate for the purpose of our audit.
- 10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

कृते रे एंड कं.	कृते जोध जोशी एंड कं.	कृते जेसीआर एंड कं.	कृते एन कुमार छाबरा एंड कं	कृते डी एस पी एंड असोशिएटस्	कृते कीर्तने एंड पंडित
For Ray & Co.	For Jodh Joshi And Co	For JCR & Co.	For N.Kumar Chhabra & Co.	For DSP & Associates	For Kirtane & Pandit
एफआरएन 313124ई	एफआरएन 104317डब्ल्यू	एफआरएन : 105270डब्ल्यू	एफआरएन 000837एन	एफआरएन 006791एन	एफआरएनः 105215डब्ल्यू
FRN : 313124E	FRN : 104317W	FRN : 105270W	FRN : 000837N	FRN : 006791N	FRN: 105215W
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
सुमित सिकदर	अपर्णा पी. एस. शंकरन	जशवंत रावल	नवतेज कुमार	अतुल जैन	शरद भागवत
Sumit Sikdar	Aparna P. S. Sankaran	Jashvant Raval	Navtej Kumar	Atul Jain	Sharad Bhagwat
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
Partner	Partner	Partner	Partner	Partner	Partner
सदस्यता क्र : 120622	सदस्यता क्र.: 113982	सदस्यता क्रः 012926	सदस्यता क्र.080496	सदस्यता क्रः 091431	सदस्यता क्र:008072
Membership No.: 120622	Membership No.: 113982	Membership No.: 012926	Membership No.: 080496	Membership No.: 091431	Membership No.:008072

स्थान : पुणे Place : Pune दिनांक : 05 मई 2012

Date : 5th May, 2012

समेकित वित्तीय विवरण Consolidated Financial Statements



(₹ हजार में) (₹ in thousands)

31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH 2012

		· · · · · ·
अनुसूची Schedule	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2012	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March, 2011
	(Current Year)	(Previous Year)
1	1177,59,21	1069,71,26
2	3564,40,64	2914,57,13
3	76521,96,30	66838,89,69
4	3824,75,04	3076,56,42
5	2947,10,85	2555,08,64
	88035,82,04	76454,83,14
6	4535,47,79	3846,00,41
7	4000 77 00	000.05.04
		203,35,31
8	22929,61,57	22503,41,62
9	56059,76,44	46880,76,59
10	600,67,17	666,80,99
11	2701,51,17	2354,48,22
	88035,82,04	76454,83,14
12	18788,85,69	14403,32,92
	2044,61,87	2113,23,00
17		
18		
	Schedule 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17	अनुसूची Scheduleके अनुसार (चाल् वर्ष) As on 31st March, 2012 (Current Year)11177,59,2123564,40,64376521,96,3043824,75,0452947,10,8522947,10,8564535,47,7971208,77,90822929,61,57956059,76,4410600,67,17112701,51,171218788,85,692044,61,87171

-उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलनपत्र का अभिज्ञ भाग हैं. The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

5 54 5		U 1			
सी. वीआर.			नरेन्द्र सिंह		
C VR RAJE	NDRAN	NARENDRA SINGH अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR			
कार्यपालक वि	नेदेशक				
EXECUTIVE D	DIRECTOR				
डॉ. डी.एस. पटेल	ए.के. पंडित	सुश्री कमला राजन	वी.पी. भारद्वाज		
Dr D S PATEL	A K PANDIT	Ms KAMALA RAJAN	V P BHARDWAJ		
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक		
DIRECTOR	DIRECTOR	DIRECTOR	DIRECTOR		
आर. सी. अग्रवाल	डॉ. नरेश कुमार दराल	एस डी धनक	डॉ. एस.यू. देशपांडे		
R C AGRAWAL	Dr NARESH KUMAR DRALL	S D DHANAK	Dr S U DESHPANDE		
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक		
DIRECTOR	DIRECTOR	DIRECTOR	DIRECTOR		
वी. सुब्रमणियन	आर. पार्थ	सारथी	ए. एस. बनर्जी		
V. SUBRAMANIAN	R. PARTHA	SARATHY	A. S. BANERJEE		
सहा. महाप्रबंधक वि.प्र. व व	नेखा महाप्रबंधक वि	.प्र. व लेखा	मुख्य महाप्रबंधक		
Asstt General Manager, I	FM&A General Man	ager FM&A	Chief General Manager		
स्थान : पुणे Place	: Pune		प्रष्ठ 105 पर जारी		
दिनांक : 05 मई 2012 Date	: 5th May, 2012		Contd. on page 105		

समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2012

(₹ हजार में) (₹ in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2012 (Current Year)	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2011 (Previous Year)
I.	आय INCOME अर्जित ब्याज Interest earned 13 सहयोगी संस्थाओं में आय/हानि का हिस्सा Share of earnings/ loss in Associates अन्य आय Other Income 14 जोइ TOTAL	7213,98,51 5,92,60 641,64,77 7861,55,88	5563,08,76 4,27,32 531,83,77 6099,19,85
II.	व्यय EXPENDITURE व्यय किया गया ब्याज Interest expended 15 परिचालन व्यय Operating Expenses 16 प्रावधान और आकस्मिकताए Provisions & contingencies	4696,46,05 1643,85,47 1084,43,27	3594,29,59 1645,39,19 524,71,14
	जोड़ TOTAL लाभ / हानि PROFIT/LOSS वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ Consolidated Net Profit for the year जोड़ें : आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward	7424,74,79 436,81,09 370,28,47	5764,39,92 334,79,93 286,20,11
	जोड़ें : राजस्व प्रारक्षितियों से आहरण Add: Drawing from Revenue Reserve जोड़ TOTAL	35 807,09,91	621,00,04
	विनियोग APPROPRIATIONS सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve प्रस्तावित लाभांश (पीएनसीपीएस) Proposed dividend (PNCPS) प्रस्तावित लाभांश (ईक्विटी) Proposed dividend (Equity) लाभांश पर कर Tax on Dividend शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to Balance Sheet	108,90,73 2,54,20 - 25,00,00 55,86,00 129,71,03 30,10,41 454,97,54	83,48,92 3,03,97 5,33,93 12,00,00 29,58,93 96,34,25 20,91,57 370,28,47
	जोड़ TOTAL प्रति शेयर अर्जन (मूल व कम की हुई) (₹) Earning per share (Basic & Diluted) (₹)	807,09,91 7.71	<u>621,00,04</u> 6.96

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ व हानि लेखे का अभिन्न अंग हैं. The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account. हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार. AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

कृते रे एंड कं. For Ray & Co. एफआरएन 313124ई FRN : 313124E सनदी लेखाकार	कृते जोध जोशी एंड कं. For Jodh Joshi And Co एफआरएन 104317डब्ल्यू FRN : 104317W सनदी लेखाकार	कृते जेसीआर एंड कं. For JCR & Co. एफआरएन : 105270डब्ल्यू FRN : 105270W सनदी लेखाकार	कृते एन कुमार छाबरा एंड कं For N. Kumar Chhabra & Co. एफआरएन 000837एन FRN : 000837N सनदी लेखाकार	कृते डी एस पी एंड असोसिएटस् For DSP & Associates एफआरएन 006791एन FRN : 006791N सनदी लेखाकार	कृते कीर्तने एंड पंडित For Kirtane & Pandit एफआरएनः 105215डब्ल्यू FRN: 105215W सनदी लेखाकार
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
सुमित सिकदर	अपर्णा पी. एस. शंकरन	जशवंत रावल	नवतेज कुमार	अतुल जैन	शरद भागवत
Sumit Sikdar भागीदार	Aparna P. S. Sankaran भागीदार	Jashvant Raval भागीदार	Navtej Kumar भागीदार	Atul Jain भागीदार	Sharad Bhagwat भागीदार
Partner	Partner	Partner	Partner	Partner	Partner
सदस्यता क्र.: १२०६२२	सदस्यता क्र.: 113982	सदस्यता क्र.: 012926	सदस्यता क्र.: 080496	सदस्यता क्र.: 091431	सदस्यता क्र.: 008072
Membership No.: 120622	Membership No.: 113982	Membership No.: 012926	Membership No.: 080496	Membership No.: 091431	Membership No.: 008072
स्थान : पुणे	Place : Pune				

दिनांक : 05 मई 2012

Date : 5th May, 2012

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

OUNEDOLL - T. OATTAL				
	31 मार्च 2012 की स्थिति As on 31st March, 2		31 मार्च 2011 की स्थि As on 31st March, 20	
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital		3000,00,00		3000,00,00
₹ 10 के ईक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each				
जारी, अभिदत्त Issued & Subscribed				
₹ 10/- के 58,95,92,082 (गत वर्ष 48,17,12,553) ईक्विटी शेयर				
58,95,92,082 Equity Shares (Previous year 48,17,12,553) of ₹ 10/- each				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	481,71,26		430,52,00	
वर्ष के दौरान वृध्दि Additions during the year	107,87,95	589,59,21	51,19,26	481,71,26
प्रदत्त पूंजी Paid Up Capital क. केंद्र सरकार द्वारा धारित				
क. केंद्र सरकार द्वारा धारित a. Held by Central Government	465,50,65		381,71,26	
र र 10 के 46,55,06,455 (गत वर्ष 38,17,12,553) ईक्विटी शेयर	403,30,03		301,71,20	
46,55,06,455 (Previous year 38,17,12,553) Equity shares of ₹ 10/- each				
ख. जनता व अन्य द्वारा धारित				
b. Held by the Public & Others	124,08,56		100,00,00	
₹ 10/- के 12,40,85,627 (गत वर्ष 10,00,00,000) ईक्विटी शेयर				
12,40,85,627 (Previous year 10,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10/- each				
घटाएं : देय आबंटन राशि Less: Allotment money due		589,59,21		481,71,26
बेमियादी गैरसंचयी अधिमान्य शेयर Demotivel New Communication Professioner Shares				
Perpetual Non Cumulative Preference Shares केंद्र सरकार द्वारा धारित ₹ 10,00,000/- के 5880 बेमियादी गैरसंचयी अधिमान्य शेयर				
5880 Perpetual Non Cumulative Preference Shares of ₹ 10,00,000/-				
each held by Central Government	588,00,00	588,00,00	588,00,00	588,00,00
जोड TOTAL		1177,59,21		1069,71,26
अनुसूची - 2 ः आरक्षितियां और अधिशेष				(₹ हजार में)
SCHEDULE – 2 : RESERVES AND SURPLUS				(₹ in thousands)
SONEBOLE - 2 . RECERVED AND SOM ECO				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	31 मार्च, 2012 की स्थिति			ति के अनुसार (गत वर्ष)
	As on 31st March, 2	current rear)	As on 31st March, 2	torr (Previous rear)
I. सांविधिक आरक्षिति STATUTORY RESERVE				
प्रारंभिक शेष Opening Balances	722,16,84		638,67,92	
वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	108,90,73	831,07,57	83,48,92	722,16,84
ll. पूंजीगत आरक्षिति CAPITAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	116,63,80		113,59,83	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	2,54,20		3,03,97	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year		119,18,00		116,63,80
III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	430,80,74		130,00,00	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	497,21,67	928,02,41	300,80,74	430,80,74
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियां				
REVENUE AND OTHER RESERVES				
क a) राजस्व आरक्षिति REVENUE RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	763,12,73		757,78,80	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	-		5,33,93	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	35	763,12,38		763,12,73
ख b)विशेष आरक्षिति SPECIAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	68,00,00		56,00,00	~~~~~~
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	25,00,00	93,00,00	12,00,00	68,00,00
ग c) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति REVALUATION RESERVE			151 57 11	
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	443,54,55		454,57,14	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	2,10,91 70 62 72	275 02 74	1,32,88 12 35 47	112 51 55
	70,62,72	375,02,74	12,35,47	443,54,55
V. लाभ व हानि खाते में शेष				
BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT	070.00.17		000.00.11	
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	370,28,47		286,20,11	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	84,69,07	454,97,54	84,08,36	370,28,47
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV व V)		3564,40,64		2914,57,13

अनुसूची - 3 ः जमाराशियां SCHEDULE - 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

			31 मार्च, 2012 की के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012 (Current Year)		31 मार्च, 2011 की 1 के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year)
क A. I.	मांग जमाराशियां DEMAND DEPOSITS i) बैंकों से From Banks ii) अन्यों से From others	58,69,12 8391,80,56	8450,49,68	52,66,31 6545,70,05	6598,36,36
	बचत बैंक जमाराशियां SAVINGS BANK DEPOSITS		23179,78,78		20432,65,89
111.	मीयादी जमाराशियां TERM DEPOSITS i) बैंकों से From Banks	45 22 27		110 46 00	
	i) अन्यों से From others	45,33,27 44846,34,57	44891,67,84	110,46,00 39697,41,44	39807,87,44
	जोड़ (I, II व III) TOTAL (I, II & III)	44040,34,37	76521,96,30		66838,89,69
ख B. i)	भारत में सहायक कंपनियों की जमाराशियां, विदेशी कार्यालयों सहित, यदि कोई हो				
	Deposits of subsidiaries in India including				
	foreign offices, if any		-		-
ii)	भारत के बाहर की सहायक कंपनियों की जमाराशियां, भारतीय कार्यालयों				
	सहित, यदि कोई हो Deposits of subsidiaries outside India including				
	Indian offices, if any		_		-
iii)			76521,96,30		66838,89,69
,	जोड़ (I, II व III) TOTAL (I, II & III)		76521,96,30		66838,89,69
ग C. i)	मूल कंपनी की भारत में जमाराशियां				
	Deposits of parent in India		76521,96,30		66838,89,69
ii)	भारत में सहायक कंपनियों की जमाराशियां				
	Deposits of subsidiaries in India		-		-
iii)	3				
• •	Total Deposits in India (i + ii)		76521,96,30		66838,89,69
IV)	मूल कंपनी की भारत से बाहर जमाराशियां Deposits of parent outside India				
V)	सहायक कंपनियों की भारत के बाहर जमाराशियां		-		-
•)	Deposits of subsidiaries outside India		_		_
vi)	भारत के बाहर कुल जमाराशियां (iv + v)				
,	Total Deposits outside India (iv + v)				
	जोड़ (III व VI) TOTAL (III & VI)		-		_
	जोइ TOTAL (C III + C VI)		76521,96,30		66838,89,69
अनुसूची	- 4 : उधारियां				(₹ हजार में)
SCHED	OULE - 4 : BORROWINGS				(₹ in thousands)
			31 मार्च, 2012 की		

		5 अनुसार (चालू वर्ष) 1st March, 2012 (Current Year)		के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year)
भारतीय रिज़र्व बैंक से Reserve Bank Of India	50,00,00		-	
	-		_	
अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से Other Institutions and Agencies	825,80,21		377,60,59	
डिबेंचर्स Debentures	-		-	
अन्य उधारियां Other Borrowings				
क a) नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखतें				
Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) ख b) बांड के रूप में जारी संमिश्र कर्ज पूंजी लिखतें	295,00,00		295,00,00	
Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	1250,00,00		1250,00,00	
ग c) गौण ऋण बांड Subordinated Debt Bonds	955,00,00	3375,80,21	955,00,00	2877,60,59
त के बाहर उधारियां BORROWINGS OUTSIDE INDIA		448,94,83		198,95,83
s (I व II) TOTAL (I & II)		3824,75,04		3076,56,42
र्युक्त I व II में जमानती उधारियों सहित				
		-		-
	अन्य उधारियां Other Borrowings क a) नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखतें Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) ख b) बांड के रूप में जारी संमिश्र कर्ज पूंजी लिखतें Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	रत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA50,00,00भारतीय रिज़र्व बैंक से Reserve Bank Of India50,00,00अन्य बैंकों से Other Banks–अन्य बैंकों से Other Banks–अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से Other Institutions and Agencies825,80,21डिबेंचर्स Debentures–अन्य उद्यारियां Other Borrowings–क a) नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखतें Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)295,00,00ख b) बांड के रूप में जारी संमिश्र कर्ज पूंजी लिखतें Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds1250,00,00ग c) गौण ऋण बांड Subordinated Debt Bonds955,00,00एत के बाहर उधारियां BORROWINGS OUTSIDE INDIA5(I a II) TOTAL (I & II)धूर्यता I a II में जमानती उधारियों सहित-	रत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA भारतीय रिज़र्व बैंक से Reserve Bank Of India50,00,00 - 80,00,00अन्य बैंकों से Other Banks-अन्य बैंकों से Other Banks-अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से Other Institutions and Agencies825,80,21डिबेंचर्स Debentures-अन्य उधारियां Other Borrowings क a) नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखतें Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)295,00,00ख b) बांड के रूप में जारी संमिश्र कर्ज पूंजी लिखतें Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds1250,00,00ग c) गौण ऋण बांड Subordinated Debt Bonds955,00,00उधारियां BORROWINGS OUTSIDE INDIA ई (I व II) TOTAL (I & II) युंक्त I व II में जमानती उधारियों सहित3824,75,04	cत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA भारतीय रिज़र्व बैंक से Reserve Bank Of India50,00,00-अन्य बैंकों से Other Banksअन्य संस्थाओं और एजेंसियों से Other Institutions and Agencies825,80,21377,60,59डिबेंचर्स Debenturesअन्य उधारियां Other Borrowings क a) नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखतें Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)295,00,00295,00,00ख b) बांड के रूप में जारी संमिश्र कर्ज पूंजी लिखतें Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds1250,00,001250,00,00ग c) गौण ऋण बांड Subordinated Debt Bonds955,00,003375,80,21955,00,00इ (I a II) TOTAL (I & II) युंक्त I a II में जमानती उधारियां सहित3824,75,04448,94,83-

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान

(₹ हजार में)

SC	HEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				(₹ in thousands)
		स्थिति के अनुसार As on 31st Marc	, 2012 की (चालू वर्ष) :h, 2012 nt Year)	स्थिति As on :	31 मार्च, 2011 की के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year)
I. II.	देय बिल Bills Payable अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	40)9,11,91		440,97,38
	क. a. मूल कंपनी Parent ख. b. सहायक कंपनी Subsidiary		-		-
			-		-
III.	अंतर समूह समायोजन (निवल) Inter group adjustment (net)		-		-
IV.	उपचित व्याज Interest Accrued	28	33,39,40		60,03,62
V.	अन्य (प्रावधानों सहित): Others (including provisions): क) मानक आस्तियों पर प्रावधान a) Provision against standard assets ख) अन्य देयताएं (प्रावधानों सहित)	261,34,66		191,42,06	
	b) Other liabilities (including provisions)	1993,24,88 225	54,59,54	1862,65,58	2054,07,64
	जोइ TOTAL	294	17,10,85		2555,08,64
SC	HEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE B	31 मार्च स्थिति के अनुसार As on 31st Marc			(₹ in thousands) 31 मार्च, 2011 की के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011 (Previous Year)
I. II.	हाथ में नकद (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित है) Cash in hand (including foreign currency notes) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेष Balances with Reserve Bank of India)3,55,13		424,91,45
	i) चालू खाते में In Current Accounts ii) अन्य खातों में In other Accounts जोड़ (I व II) TOTAL (I & II)		31,92,66 35,47,79	3421,08,96	3421,08,96 3846,00,41
	पुसूची - 7 : बैंकों में अधिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन HEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT				(₹ हजार में) (₹ in thousands)
		स्थिति के अनुसार As on 31st Marc	h, 2012		31 मार्च, 2011 की के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011
		(Curre	nt Year)		(Previous Year)

••						
	i) बैंकों में	अधिशेष Balances with Banks in				
	(क) (a) चालू खातों में Current Accounts	381,01,79		100,70,77	
	(ख) (b) अन्य जमा खातों में Other Deposit Accounts	15,18,55	396,20,34	65,18,56	165,89,33
	ii) मांग तश	था अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
	Mone	y at call and short notice				
	(क) (a) बैंकों के पास With Banks	-		-	
	(ख) (b) अन्य संस्थाओं के पास With Other Institutions	-	-	_	-
	जोड़ (i व ii)	TOTAL (i & ii)		396,20,34		165,89,33
अनूर	नूची - 7 : बैंकों में अधिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	(क्रमशः)			(₹ हजार में)	
------	--	------------------------	--	-----------------------	--	
	IEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT		RT NOTICE (Co	ontd.)	(₹ in thousands)	
			31 मार्च, 2012 की		31 मार्च, 2011 की	
		स्थिति व	के अनुसार (चालू वर्ष)	स्थिति	ने के अनुसार (गत वर्ष)	
			1st March, 2012		31st March, 2011	
			(Current Year)		(Previous Year)	
П.	भारत के बाहर Outside India					
	i) बैंकों के पास अधिशेष Balances with Banks in					
	(क) (a) चालू खातों में Current Accounts	-		-		
	(ख) (b) अन्य जमा खातों में Other Deposit Accounts	812,57,56		37,45,98		
	(ग) (c) मांग तथा अन्य जमा खातों में Money at Call & Short Notice		812,57,5 6		37,45,98	
	जोड़ (i व ii) TOTAL		812,57,56		37,45,98	
	कुल जोड़ (l व ll) GRAND TOTAL (l & ll)		1208,77,90		203,35,31	
अनर	नूची - 8 : निवेश				(₹ हजार में)	
	IEDULE - 8 : INVESTMENTS				(₹ in thousands)	
		6.6	31 मार्च, 2012 की	forf	31 मार्च, 2011 की रे के अन्यस्म (सन नर्ष)	
			के अनुसार (चालू वर्ष) 1st March, 2012		ने के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011	
			(Current Year)		(Previous Year)	
I.	निम्नलिखित में भारत में निवेश Investments in India in					
	क) सरकारी प्रतिभूतियां					
	(खजाना बिल व शून्य कूपन बांडों सहित) a) Government Securities (inclusive of treasury bills &					
	zero coupon bonds)		17524,08,12		18541,40,46	
	ख) b) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other approved securities		-		11,23,70	
	ग) c)		210,65,55 944,45,97		140,18,99 883,40,80	
	च) सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश		0 1 1, 10,01		000,10,00	
	(₹ 231822 की ख्याति सहित, गत वर्ष ₹ 223580) e) Investment in Associates		96 77 60		64.08.00	
	e) Investment in Associates (Including Goodwill of ₹ 231822, previous year ₹ 223580)		86,77,69		64,98,09	
	छ) f) अन्य Others					
	i) यूटीआई/म्युचुअल फंडों के यूनिट Units of U T I/ Mutual funds ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	30,59,42 1045,18,21		44,04,97 753,76,53		
	iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	53,26,25		24,36,62		
	iv) पीटीसी PTCs	15,01,96	4400 04 04	22,88,43	0000 40 50	
	v) आरआईडीएफ व अन्य R I D F & Others जोड़ TOTAL	3019,58,40	4163,64,24 22929,61,57	2017,13,03	2862,19,58 22503,41,62	
П.	भारत से बाहर निवेश Investments outside India					
	i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)					
	i) Government Securities (including local authorities) ii) सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश		-		-	
	ii) Investment in Associates		-		_	
	iii) अन्य निवेश (स्पष्ट करें)					
	iii) Other Investments (to be specified)					
	जोड़ TOTAL					
	कुल जोड़ (व) GRAND TOTAL (I & II)		22929,61,57		22503,41,62	
III.	भारत में निवेश Investments in India i) निवेशों का सकल मूल्य Gross Value of Investments	23096,52,30		22626,83,83		
	ii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का जोड़					
	ii) Äggregate of Provisions for Depreciation iii) নিবল নিবিয়া (i-ii) Net Investment (i-ii)	166,90,73	22929,61,57	123,42,21	22503,41,62	
	in) ानवलानवला (मा) Net investment (मा) ों के विवरण : Details of Investments:		22323,01,37		22000,41,02	
I.	सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश Investment in Associates		86,77,69		64,98,09	
	अन्य निवेश Other Investments		22842,83,88		22438,43,53	
	जोड़ (l व ll) TOTAL (l & ll)		22929,61,57		22503,41,62	

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

Real b segrer (reng eff) As on 31st March, 2013 Real b segrer (reng eff) As on 31st March, 2013 (Current Year) Real b segrer (reng eff) As on 31st March, 2013 (Previous Year) a: i) accepts a selds re fler (b) Bills purchased and discounted (ii) mark are, sharper of st mar or phate are) (Calls, Overlands & Loans repayable on demand (iii) mark are) fler (red) (red)(s. Overlands & Loans repayable on demand (iii) mark are) fler (red) (red)(s. Overlands & Loans repayable on demand (iii) mark are) fler (red) (red) (red)(s. Overlands & Loans repayable on demand (iii) mark are) fler (red) (red) (red)(s. Overlands) (red)	001	ILDOLL - J. ADVANOLO				
A. (i) Bills purchased and discounted 1489,69,90 953,34,63 (i) ज्वर any, sharquy string the querk state any 1489,69,90 953,34,63 (ii) ज्वर any, sharquy string the querk state any 14941,62,53 32916,08,01 46880,76,5 (iii) जिंवर any string the querk state any 14941,62,53 32916,08,01 46880,76,5 (iii) जिंवर any string the querk string the querk string string the querk string string the querk string string the querk string string the querk string st			स्थिति के अनुसार (As on 31st Marc	चालू वर्ष) h, 2012		
(बेले क्रण पर sight) बरिश) 34095,70,65 B. i) Secured by taphily leasets 7,19,91 661,58,76 (includes advances against Book Debts) 7,19,91 661,58,76 (in) strand) forkplaying strat ridka 7,19,91 661,58,76 (in) strand) forkplaying strat ridka 46880,75,5 1213,47,18 46880,76,5 (in) strand forkplaying strat ridka 56059,76,44 1213,47,18 46880,76,5 (in) strand forkplaying strat ridka 56059,76,44 16107,30.09 7891,92,88 (in) strandfork strand strand strate strand strate st	A.	 i) Bills purchased and discounted ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand iii) मीयादी ऋण Term Loans 	19481,62,53 35088,44,01 <u>5605</u>		13011,33,95	46880,76,59 46880,76,59
B. i) Secured by tanglible assets (includes advances against Book Debts) ii) 45450,23,07 34095,70,65 iii) के (सरक्षी) ग्रीकश्चियों द्वारा संरक्षित Covared by Bank/Government Guarantees iii) 7,19,91 651,58,76 iii) क्रांसरीक्ष Unsecured 1002,23,46 56059,76,44 1213,47,18 46880,76,5 viii) अप्रसंरिक्ष Unsecured 1002,23,46 56059,76,44 16107,30,09 7891,92,83 viii) अप्रसंरिक्ष Unsecured 13216,97,50 7891,92,83 - - viii) अप्र वीजी के 20 Holio Sector 13216,97,50 7891,92,83 - - viii) अप्र वीजी के 20 Holio Sector 13216,97,50 7891,92,83 - - viii) अप्र वीजी के 20 Holio Sector 13216,97,50 7891,92,83 - - viii) अप्र वीजी के 20 Holio Sector 13216,97,50 -	ख.					
iii) उसनेरविल Unsecured 10602,33,46 56059,76,44 12133,47,18 46880,76,5 r. I. wreat अग्रीम 56059,76,44 16107,30,09 46880,76,5 ii) प्राविजल के Public Sector 13216,97,50 7691,92,28 - iii) के data Public Sector 13216,97,50 7691,92,28 - iii) के data Public Sector 13216,97,50 7691,92,28 - iii) के data Public Sector 13216,97,50 7691,92,28 - iii) के data Due from others - - - - ii) अन्य Others -		 i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts) ii) बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित 				
C. 1. Advances in India 18850,37,64 16107,30,09 ii) ग्रावीनकि के Public Sector 13216,97,50 7891,92,88 iii) तेक Banks 10,98 - iv) उपय Others 2399,20,32 56059,76,44 22881,53.62 46880,76,50 iii) गे को bit purchased and discounted - - - - iii) अरोप से देय Due from others - - - iii) अरोप से देय Due from others - - - - - iii) अरोप से देय Due from others -		iii) अ-संरक्षित Unsecured जोड़ TOTAL	10602,33,46 5605			46880,76,59 46880,76,59
iv) अन्य Others 23992,30,32 56059,76,44 2281,53,62 46880,76,5 ii) मारत से बादर अग्रिम Advances outside India - - - ii) अन्यों से देय Due from banks - - - iii) अन्यों से देय Due from banks - - - iii) अन्यों से देय Due from banks - - - iii) अन्यों से देय Due from banks - - - - iii) अन्य Others - - - - - iii) अन्य Others -		 I. Advances in India i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector 	13216,97,50			
क) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल a) Bills purchased and discounted a) Bills qurchased and discounted a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) b) अन्य Others a) - a) 56059,76,44 46880,76,5 अनुसूली - 10 : रिश्वर आरितया SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS (१ त वार मे SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS (१ त वार मे (१ त वार मे As on 31st March, 2012 As on 31st March, 2012 As on 31st March, 2012 (Rurent Year) (Previous Year) (Previous Year) (In cludes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years) 2. 3aftb के दौरान युद्धि, Addition during the Period 4. वर्ष के दौरान युद्ध, Addition during the year 2. 3aftb के दौरान युद्ध, Addition during the year 2. 3aftb के दौरान युद्ध, Addition during the year 2. 3aftb के दौरान युद्ध, Addition during the year 3.		iv) अन्य Others II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India i) बैंकों से देय Due from banks	-	9,76,44	22881,53,62	46880,76,59
जोड़ (ग । एवं ग ॥) TOTAL (C.1 & C.1.) 56059,76,44 46880,76,5 अनुसूची - 10 : रिश्वर आरितयां (र हजार में SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS (र हजार में (र in thousands SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS (र in thousands रिश्वति के अनुसार (यालू वर्ष) As on 31st March, 2012 (Current Year) 31 मार्च, 2012 की रिश्वति के अनुसार (गत वर्ष As on 31st March, 2012 (Current Year) 31 मार्च, 2012 की रिश्वति के अनुसार (गत वर्ष As on 31st March, 2012 (Current Year) I. परिसर Premises * (त वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (गत वर्षो में कुछ परिसरें के पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्य में हुई वृद्धि सहित) At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years) 643,25,24 631,69,25 2. अवधि के दौरान वृद्धि Addition during the Period 4,29 10,39,02 3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year 2,10,91 1,32,88 4. वर्ष के दौरान कमी Deductions during the year 53,28,03 26,74 4. वर्ष के दौरान कमी Deductions during the year 53,28,03 26,74		क) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल a) Bills purchased and discounted ख b) संघीय ऋण Syndicated Loans	-			
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS(र in thousands)(र in thousands)अवधि के अनुसार (मात वर्ष की 31 मार्च, 2012 की रिश्वति के अनुसार (मात वर्ष स्थिति के अनुसार (मात वर्ष (Current Year)31 मार्च, 2011 की रिश्वति के अनुसार (मात वर्ष (Read a अनुसार (मात वर्ष (Current Year)1. परिसर Premises *1. गत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (गत वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्य में हुई वृद्धि सहित) At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)643,25,24631,69,252. अवधि के दौरान वृद्धि Addition during the Period Addition on account of revaluation during the year4,2910,39,023. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year2,10,911,32,884. वर्ष के दौरान कमी Deductions during the year53,28,0326,74592,12,41643,14,41592,12,41			5605	9,76,44		46880,76,59
स्थिति के अनुसार (याल वर्ष) As on 31st March, 2012 (Current Year)स्थिति के अनुसार (यात वर्ष) As on 31st March, 2011 (Previous Year)I. परिसर Premises *1. गत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (गत वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्य में हुई वृद्धि सहित) At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)643,25,24631,69,252. अवधि के दौरान वृद्धि Addition during the Period Addition on account of revaluation during the year4,2910,39,023. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year2,10,911,32,884. वर्ष के दौरान कमी Deductions during the year53,28,0326,74592,12,41643,14,41643,14,41						(₹ हजार में) (₹ in thousands)
1.गत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (गत वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्य में हुई वृद्धि सहित) At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)643,25,24631,69,252.अवधि के दौरान यृद्धि Addition during the Period4,2910,39,023.वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन के कारण यृद्धि Addition on account of revaluation during the year2,10,911,32,884.वर्ष के दौरान कमी Deductions during the year53,28,0326,744.वर्ष के दौरान कमी Deductions during the year643,14,41			स्थिति के अनुसार (As on 31st Marc	चालू वर्ष) h, 2012		
of certain premises in earlier years)4,2910,39,022. अवधि के दौरान वृद्धि Addition during the Period4,2910,39,023. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year2,10,911,32,884. वर्ष के दौरान कमी Deductions during the year53,28,0326,74592,12,41643,11,41		 गत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (गत वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्य में हुई वृद्धि सहित) 	643,25,24		631,69,25	
3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धि 1,32,88 Addition on account of revaluation during the year 2,10,91 1,32,88 4. वर्ष के दौरान कमी Deductions during the year 53,28,03 26,74 592,12,41 643,14,41		of certain premises in earlier years)				
4. वर्ष के दौरान कमी Deductions during the year 645,40,44 643,41,15 53,28,03 26,74 592,12,41 643,14,41		3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धि				
592,12,41 643,14,41			645,40,44		643,41,15	
5. अद्यतन मूल्यद्वास Depreciation to date 154,07,46 438,04,95 130,90,00 512,24,4		4. वर्ष के दौरान कमी Deductions during the year				
		5. अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	154,07,46 43	8,04,95	130,90,00	512,24,41

				4-11	~
	सूची - 10 ः स्थिर आस्तियां <i>(जारी)</i>				(₹ हजार में)
SC	HEDULE - 10 : FIXED ASSETS (Contd.)				(₹ in thousands)
		0.01	31 मार्च, 2012 की	0.0	् 31 मार्च, 2011 की
			के अनुसार (चालू वर्ष) 31st March, 2012		ते के अनुसार (गत वर्ष) 31st March, 2011
		As on 3	(Current Year)	AS ON	(Previous Year)
П.	अन्य स्थिर आस्तियां (इसमें फर्नीचर व फिक्सचर शामिल है)		(*******		(*************
	Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
	1. गत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार				
	At cost as on 31st March of the preceding year 2. अवधि के दौरान वृद्धि Addition during the Period	676,72,60 72,52,24		617,02,73 80,48,58	
		749,24,84		697,51,31	
	3. अवधि के दौरान कमी Deduction during the Period	18,39,53		20,78,71	
		730,85,31		676,72,60	
	4. अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date	568,23,09	162,62,22	522,16,02	154,56,58
	जोड़ (l व ll) TOTAL (l & ll)		600,67,17		666,80,99
*	"प्रगति पर कार्य" की पूंजी सहित ₹ शून्य (गत वर्ष ₹ शून्य).				
21-1	Includes Capital "Work in Progress" ₹ Nil (Previous Year ₹ Nil).				/ *
	सूची - 11 ः अन्य आस्तियां HEDULE - 11 : OTHER ASSETS				(₹ हजार में) (₹ := theusende)
50	1EDULE - 11 : OTHER ASSETS				(₹ in thousands)
			31 मार्च, 2012 की		31 मार्च, 2011 की
			के अनुसार (चालू वर्ष)		ते के अनुसार (गत वर्ष)
		As on	31st March, 2012 (Current Year)	As o	n 31st March, 2011 (Previous Year)
	otre traffer transfer (free) later office office to (not)		(00000000000)		(11011040 1041)
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net) क a. मूल Parent		371,79,64		314,52,88
	ख b. संहायक प्रतिष्ठान Subsidiaries		-		-
. .	उपचित ब्याज Interest accrued अग्रिम रूप से संदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर		585,48,92		443,56,91
	Tax paid in advance/tax deducted at source		856,03,10		467,04,07
IV. V.	लेखन सामग्री और स्टांप Stationery and Stamps दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां		5,31,22		4,67,83
	Non-banking assets acquired in satisfaction of claims		-		-
	आस्थगित कर आस्तियां Deferred Tax Assets अन्य Others*		261,93,99 620,94,30		404,44,54 720,21,99
v II.	जोड़ TOTAL (I,II,III,IV,V एवं VI) (I, II, III, IV, V & VI)		2701,51,17		2354,48,22
	सूची - १२ : आकस्मिक देयताएँ				(₹ हजार में)
SC	HEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES				(₹ in thousands)
			31 मार्च, 2012 की		31 मार्च, 2011 की
			के अनुसार (चालू वर्ष)		ते के अनुसार (गत वर्ष)
		As on	31st March, 2012 (Current Year)	As o	n 31st March, 2011 (Previous Year)
	बैंक के विरुध्द दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है.		(ourient leaf)		(Frevious real)
1.	Claims against the Bank not acknowledged as debts		1175,57,05		695,99,94
II.	आंशिक संदत्त निवेशों के लिए दायित्व Liability for party paid investments				
III.	Liability for partly paid investments बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता*		_		_
	Liability on account of outstanding forward exchange contracts*		9865,17,63		7062,96,07
IV.	संघटकों की ओर से दी गयी प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents				
	(क)(a) भारत में In India	4834,78,66		4369,13,87	
V.	(ख)(b) भारत के बाहर Outside India स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं	740,57,84	5575,36,50	450,40,57	4819,54,44
v.	Acceptances, endorsements and obligations		1772,74,51		1424,81,93
VI.	अन्य मंदें जिनके लिये बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है				
	Other items for which Bank is contingently liable जोइ TOTAL (I, II, III, IV, V ੲਰਂ VI) (I, II, III, IV, V & VI)		<u>400,00,00</u> 18788,85,69		400,00,54 14403,32,92
*		× * .	10100,00,00		
×	वायदा विनिमय संविदाओं के समाश्रित देयता में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शारि	मल ह ।			

Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts.

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

		31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2012 (Current Year)	31 मार्च, 2011 को समाप्त अवधि (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2011 (Previous Year)
I. अग्रिमों / बिलों	पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills	5490,62,67	4006,13,75
II. निवेशों पर ब्य	ाज (परिशोधन से निवल)		
Interest or	n Investments (Net of Amortisation)	1708,59,49	1520,29,62
	र्व बैंक के पास शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज 1 balances with Reserve Bank of India &		
other inter	bank funds	1,51,94	25,13,20
IV. अन्य Other	rs	13,24,41	11,52,19
जोड़ TOTA	.L (I, II, III एवं IV) (I, II, III & IV)	7213,98,51	5563,08,76

अनुसूची - 14 : अन्य आय

(₹ हजार में)

531,83,77

SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME				(₹ in thousands)
		31 मार्च, 2012 को ाप्त अवधि (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2012 (Current Year)		31 मार्च, 2011 को समाप्त अवधि (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2011 (Previous Year)
।. कमीशन, विनिमय और दलाली				
Commission, exchange, and brokerage		455,07,28		313,01,46
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	31,80,22		67,60,60	
घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि				
Less : Loss on sale of Investments	19,67,87	12,12,35	4,97,33	62,63,27
III. निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ				
Profit on revaluation of Investments	-		-	
घटाएंः निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि				
Less: Loss on revaluation of Investments	-	-	-	-
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ				
Profit on sale of land, buildings and other assets	68,98		85,95	
घटाएं : भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि				
Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	59,48	9,50	61,69	24,26
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ				
Profit on Exchange Transactions	43,81,48		31,42,81	
घटाएंः विनिमय संव्यवहारों पर हानि				
Less: Loss on Exchange Transactions	6,66	43,74,82	2	31,42,79
VI. भारत / विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों इत्यादि से				
लाभांशों के रूप में अर्जित आय				
Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/		-		-
companies and/or Joint Ventures abroad/in India				
VII. विविध आय Miscellaneous Income		130,60,82		124,51,99

जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI एवं VII) (I, II, III, IV, V, VI & VII)

641,64,77

अनुसूची - 15 ः व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

🏭 बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(₹ हजार में)

(₹ हजार में)

(₹ in thousands)

(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2012 (Current Year)	31 मार्च, 2011 को समाप्त अवधि (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2011 (Previous Year)
l. जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	4293,39,25	3282,35,58
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज		
Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	120,05,42	44,37,66
III. अन्य Others	283,01,38	267,56,35
जोड़ TOTAL (I, एवं) (I, II & III) (I, II & III)	4696,46,05	3594,29,59

अनुसूची - 16 ः परिचालन व्यय SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

	31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2012 (Current Year)	31 मार्च, 2011 को समाप्त अवधि (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2011 (Previous Year)
 कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिये प्रावधान 		
Payments to and provisions for employees	1114,27,22	1158,19,84
ll. भाड़ा, कर और रोशनी Rent, taxes and lighting	115,88,69	98,95,22
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	14,22,89	14,09,17
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	17,87,85	18,76,81
 V. बैंक की सम्पत्ति पर मूल्य-हाम्र (पुनर्मूल्यन आरक्षिति को अंतरित मूल्य-हास को छोडकर) Depreciation on Bank's property 	65,66,50	67,86,03
(Net of depreciation transferred to Revaluation Reserve) VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय		
Directors' fees, allowances and expenses VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं)	71,45	76,36
Auditors' fees and expenses (incl. branch auditors' fees and expenses)	11,90,69	14,18,72
VIII. विधि प्रभार Law Charges	8,72,47	5,34,36
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि		
Postage, Telegrams, Telephones, etc.	22,49,44	20,47,66
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	33,71,03	30,38,48
XI. बीमा Insurance	69,20,05	65,86,74
XII. अन्य व्यय Other expenditure जोड़ (I,II,III,IV,V,VI, VII,VIII,IX,X,XI एवं XII)	169,17,19	150,49,80
	1643,85,47	1645,39,19
TOTAL (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI & XII)	1043,83,47	1045,59,19

अनुसूची - 17

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (कोष्टक में दिए गए आंकडे पिछले वर्ष के हैं)

1. लेखा प्रथाएं

- 1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो संलग्न वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यतः अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/ दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है.
- 1.2 वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्ति और देयताएं (समाश्रित दायित्व सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए. प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है.
- 1.3 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण" और लेखा मानक 23- "समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन" के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं.
- 1.4 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख परिच्छेद 7.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबध्द किया गया है.
- 1.5 राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं.
- 1.6 समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक और सहयोगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च 2012 के अनुसार बनाये गये हैं.

2. समेकन के सिध्दान्त

क) मूल इकाई :

वित्तीय विवरण बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मूल इकाई और इसके सहायक प्रतिष्ठान सहित इसके अनुषंगियों को शामिल कर निम्नानुसार समेकित किए गए हैं.

ख) संबद्ध इकाई :

लेखा मानक २१ - ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान को समेकन में शामिल किया गया है.

कंपनी का नाम	देश / आवास	संबंध	स्वामित्व हित
दि महाराष्ट्र एक्ज़िक्यूटर्स एण्ड ट्रस्टी कं.प्रा.लि. (आगे ''मेटको''	भारत	संपूर्ण स्वामित्व	100%
के रूप में संदर्भित)		का सहायक	
		प्रतिष्ठान	

लेखा मानक 23 - "समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन" के अनुसार इक्विटी पध्दति से निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान का लेखांकन किया गया है.

SCHEDULE - 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(Figures in bracket relate to previous year)

1. Accounting Conventions:

- 1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- 1.2 The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities(including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable.
- 1.3 The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 – "Accounting for investments in Associate in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- 1.4 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 7.1 below.
- 1.5 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances are in conformity with the prudential norms issued by the Reserve Bank of India from time to time.
- 1.6 The financial statements of the Subsidiary and Associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn up to 31st March 2012.

2. Principles of Consolidation:

A) Parent Entity:

The Financial Statements are consolidated for Bank of Maharashtra, the parent entity and its subsidiary along with associated enterprise as follows.

B) Related Entity:

The following subsidiary has been consolidated as per Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statement".

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
The Maharashtra Executors &		Wholly	100%
Trustee Co. Pvt. Ltd.	India	Owned	
(hereafter referred as		Subsidiary	
"METCO")			

The following Associate Company has been accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard 23 – "Accounting for investments in Associates in consolidated financial statements".

कंपनी का नाम	देश / आवास	संबंध	स्वामित्व हित
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित)	भारत	सहयोगी प्रतिष्ठान	35%

ग) समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार और उसका प्रभाव

बैंक और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को अंतरा-समूह अतिशेषों / संव्यवहारों को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए, आस्तियों, दायित्वों, आय और खर्चें इत्यादि जैसी मदों के बही मूल्य को लाइन-दर-लाइन आधार पर जोड़ कर समेकित किया गया है. मूल में निवेश की लागत के आधिक्य को निवेश के दिनांक को सहायक प्रतिष्ठान की ईक्विटी में आनुपातिक हिस्से को ख्याति के रूप में माना गया है जबकि ईक्विटी में सहायक प्रतिष्ठान हिस्से के आधिक्य को आरक्षित पूंजी में जमा किया गया है.

बैंक और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को ईक्विटी पध्दति आधार पर एकत्र किया गया है. सहायक प्रतिष्ठान में रखाव लागत के आधिक्य को वित्तीय विवरणों में ख्याति माना गया है.

जहां कहीं आवश्यक है वहां, सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को मूल बैंक के साथ पुनःसमूहबध्द किया गया है.

सहायक प्रतिष्ठान ने कतिपय मामलों में समान परिस्थितियां और समान व्यवहारों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई पध्दति से अलग पध्दति को अपनाया है. समेकित वित्तीय विवरण बनाते समय जब इनका उपयोग किया गया तब सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है. तथापि समेकित वित्तीय विवरणों की मद के वे भाग, जहां सहायक प्रतिष्ठान द्वारा अलग लेखांकन नीतियों का उपयोग किया गया है, मामूली हैं.

3. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

- 3.1 विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा पिछले सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर निर्धारित किया गया है. तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों पर किया गया है, और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है.
- 3.2 बकाया वायदा एक्सचेंज संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और विशिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फेडाई द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर तुलन पत्र की दिनांक पर पुनमूल्यांकित किया गया है. परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिजर्व बैंक / फेडाई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है.
- 3.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटीयों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न समाश्रित दायित्वों को फेडाई द्वारा प्रकाशित समाप्त विनिमय दरों पर तुलनपत्र में दर्शाया गया है.
- 4. निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

- 4.1 निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं.
 - क. परिपक्वता तक धारित
 - ख. बिक्री के लिए उपलब्ध
 - ग. व्यापार के लिए धारित
- 4.2 सभी प्रतिभूतियां निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं :
 - क. सरकारी प्रतिभूतियां
 - ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
 - ग. शेयर्स

Name of the company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
Maharashtra Gramin Bank (sponsored by Bank of Maharashtra)	India	Associate Enterprise	35%

C) Basis of Preparation of Consolidated Financial Statement & its impact

The Consolidated financial statements of the Bank & its subsidiary have been combined on a line-by-line basis by adding together the like items of assets, liabilities, income & expenses, after fully eliminating intra-group balances / transactions. The excess of the cost of investment to the parent over and above its proportionate share in equity of the subsidiary as on date of investment is recognized as Goodwill. While excess of share in equity of the subsidiary over the cost of investment is credited to Capital Reserve.

The Consolidated financial statements of the Bank & its associate have been combined on Equity Method basis. The excess of carrying cost of Bank's investment in Associate is recognized in the financial statements as goodwill.

The financial statement of the Subsidiary has been regrouped with that of the parent Bank, wherever necessary.

The subsidiary has used accounting policies other than those adopted by the Bank in certain cases for like transactions & events in similar circumstances. No adjustments have been made to the financial statements of the subsidiary, when they are used in preparing the consolidated financial statements. However, the proportion of the items in the consolidated financial statements to which the different accounting policies are applied by the subsidiary is insignificant.

3. Foreign Exchange Transactions:

- 3.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/loss is accounted for in the Profit & Loss Account.
- 3.2 Outstanding Forward Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued as on Balance Sheet date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities. The resulting profit/loss is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI Guidelines.
- 3.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.

4. Investments:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

- 4.1 Investments are classified in following categories:
 - a. Held to maturity
 - b. Available for sale
 - c. Held for trading
- 4.2 All the securities are classified in the following six classifications:
 - a. Government Securities
 - b. Other approved securities
 - c. Shares

- घ. डिबेंचर तथा बांड
- ङ. सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
- च. अन्य (वाणिज्यिक प्रपत्र, पारस्परिक निधि यूनिट, आर ई डी एफ इत्यादि)
- 4.3 बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी का निर्धारण करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है. अंतरण की दिनांक पर अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य / बाजार मूल्य तीनों में से जो मूल्य कम हो उस पर निवेशों का अंतरण एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में किया जाता है. ऐसे अंतरण के कारण यदि कोई मूल्यद्वास पैदा होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है और प्रतिभूतियों का बही मूल्य बदल दिया जाता है.

4.4 रेपो/रिवर्स रेपो :

बैंक ने बाजार रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों के लेखांकन के लिए (एलएएफ को छोड़कर) एकरूप लेखांकन पद्धति अपनाई है. रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के करार सहित संपार्श्विक ऋण/ उधारी संव्यवहार माना जाता है. रेपो के अंतर्गत विक्रय की गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया गया है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीद की गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया गया है. लागत और राजस्व को मामले के अनुसार ब्याज खर्च/आय के रूप में लिया गया है. भारतीय रिज़र्व बैंक से एलएएफ के अंतर्गत खरीदी गई/विक्रय की गई प्रतिभूतियां निवेश खाते में नामे/जमा की गई हैं और संव्यवहारों की परिपक्वता पर प्रत्यावर्तित की गई है. इस पर ब्याज मामले के अनुसार खर्च/राजस्व के रूप में लिया गया है.

4.5 निवेशों का मूल्यन :

क. परिपक्वता तक धारित :

- i) परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन लागत पर किया गया है. जहां कहीं लागत, अंकित मूल्य से अधिक है वहां प्रिमियम अतिरिक्त अधिग्रहण लागत, यदि कोई हो, का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में किया गया है.
- ii) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत अन्य निवेशों के मामले में जहां लागत मूल्य, अंकित मूल्य से कम है, अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है. सहायक प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मामले में मूल्यों में आई स्थायी कमी को अभिनिर्धारित तथा प्रावधान किया गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया गया है.
- iii) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) लाभ पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबध्द किया गया और उसके बाद उसे कर और सांविधिक आरक्षिति से निवल करके आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया गया तथा (ख) निवल हानि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

ख. बिक्री हेतु उपलब्ध :

- i. इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मार्क-टू-मार्केट किया गया है. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पच्च संघ (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार मूल्यों पर किया गया है. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाए गए पध्दति से किया गया है. उद्धृत शेयरों का मूल्यन बाजार दर से किया गया है. अनुद्धृत शेयरों का मूल्यन नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र से प्राप्त बही मूल्य से किया गया है तथा यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो शेयर का मूल्यन ₹ 1 प्रति कंपनी किया गया है.
- खजाना बिलों और वाणिज्यिक प्रपत्रों का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है. पारस्परिक निधियों की लिखतों का मूल्यन क्रमशः बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है.

- d. Debentures and bonds
- e. Subsidiaries and Joint Ventures
- f. Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units, Rural Infrastructure Development Fund etc).
- 4.3 Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another is done once in a year with the approval of Board of Directors at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is changed accordingly.

4.4 REPO / Reverse REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions [other than the Liquidity Adjustment Facility (LAF)]. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in Investment. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be. Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to Investment Account and reversed on maturity of the transactions. Interest thereon is accounted for as expenditure / revenue as the case may be Valuation of investments:

4.5 Valuation of investments

a. Held to Maturity:

- Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity.
- ii. In case of other investments under "Held to Maturity" category, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored. In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for. Investment in RRBs is valued at carrying cost.
- iii. On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter net of applicable taxes and statutory reserve is appropriated to the 'Capital Reserve account' and (b) the net loss is charged to the profit and loss account.

b. Available for Sale:

- i. The individual securities under this category are marked to market. Central Government securities are valued at market rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]. State Government securities, other approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at book value ascertained from the latest available Balance Sheet and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at ₹ 1/- per company.
- ii. Treasury bills and commercial papers are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability.

- "बिक्री हेतु उपलब्ध" के अंतर्गत प्रत्येक उप-श्रेणी के उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :
 - यदि इसका परिणाम अधिमूल्यन है तो इसे उपेक्षित किया गया है ।
 - यदि इसका परिणाम मूल्यहास है तो उसे लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है.
 - जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है।
 - इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में लेखाबध्द किया गया है.

ग. व्यापार हेतु धारित ः

- (i) इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक स्क्रिप को मूल लागत पर धारित किया गया है. इनका मूल्यन मासिक अंतर से बाजार दरों पर अथवा फिमडा द्वारा घोषित कीमतों के अनुसार किया गया है. इस श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक वर्गीकरण के संबंध में निवल मूल्यहास, यदि कोई हो, को राजस्व पर प्रभारित किया गया है और निवल अधिमूल्यन, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया गया है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार जहां आवश्यक था उसे छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिभूति का बही मूल्य नहीं बदला गया है.
- (ii) इस श्रेणी में निवेश विक्रय पर लाभ या हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबध्द किया गया है.
- घ. अनर्जक निवेशों को अभिनिर्धारित किया गया और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यह़ास / प्रावधान किया गया है।
- s. प्रतिभूतियों के अर्जन के समय (इक्विटी / अधिमान शेयरों को छोड़कर, जहां इन्हें अधिग्रहण की लागत माना गया है) उपचित लागतों यथा दलाली, फीस इत्यादि को व्यय माना गया है.

च. ब्याज दर स्वैप ः

- (i) मूल्यनः
 - (क) हेजिंग स्वैपः हेजिंग आस्तियों और देयताओं के लिए ब्याज दर स्वैप मार्क टू मार्केट नहीं है.
 - (ख) ट्रेडिंग स्वैपः ट्रेडिंग उद्देश्य से ब्याज दर स्वैप मार्क टू मार्केट है.

(ii) डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकनः

- (क) **हेजिंग स्वैपः** वसूली के आधार पर आय का लेखांकन किया गया. व्यय यदि कोई है, को उपचय आधार पर, यदि निश्चेय है, लेखाबद्ध किया गया.
- ख) ट्रेडिंग स्वैपः आय या व्यय को निपटान के दिनांक पर वसूली के आधार पर लेखाबध्द किया गया है.

(iii) स्वैप निरसन पर आय या लाभ का लेखा

- क) हेजिंग स्वैपः निरस्त हुए स्वैप पर किसी भी लाभ या हानि को (क)स्वैप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख)आस्ति / देयता की शेष अवधि में से जो अवधि कम हो, के लिए अभिनिर्धारित किया गया है.
- ख) ट्रेडिंग स्वैपः स्वैप निरसन पर किसी भी लाभ या हानि को निरसन के वर्ष में ही हानि या लाभ के रूप में स्वीकार किया गया.

5. अग्रिमः

- 5.1 तुलनपत्र में दर्शाए गए अग्रिम बट्टे खाते लिखे, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधानों, ऋण गारंटी संस्थानों के साथ निपटाए गए दावों और पुनर्भाजन से निवल हैं.
- 5.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भा.रि.बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया गया है,
- 5.3 अर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान को "अन्य देयताएं व प्रावधान" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है.
- 5.4 पुनर्निर्धारित/पुनर्संरचित खातों के संबंध में पुनर्संरचित अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान मूल आधार पर किया गया है.

- iii. Based on the above valuation under each of six-sub classifications under `Available for Sale:-
 - If it results in appreciation, the same is ignored.
 - If it results in depreciation, the same is charged to Profit & Loss account.
 - The book value of securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.
 - Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

c. Held for Trading:

- (i) The individual scrip under this category are held at original cost. The same is valued at monthly intervals at market rates or as per the prices declared by FIMMDA and in respect of each classification under this category, net depreciation if any, is charged to profit and loss account and net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.
- (ii) Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and Loss account.
- **d.** The non-performing investments are identified and depreciation/ provision is made as per RBI guidelines.
- e. Costs such as brokerage, fees etc. incurred at the time of acquisition of securities (except equity / preference shares, where it is treated as cost of acquisition) are recognized as expenses.

f. Interest Rate Swaps:

(i) Valuation:

- (a) **Hedging Swaps:** Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.
- (b) **Trading Swaps:** Interest Rate Swap for trading purpose is marked to market.

(ii) Accounting of income on derivative deals:

- (a) Hedging Swaps: Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.
- (b) **Trading Swaps:** Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.
- (iii) Accounting of gain or loss on termination of swaps:
 - (a) Hedging Swaps: Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.
 - (b) **Trading Swaps:** Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenses in the year of termination.

5. Advances:

- 5.1 Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions and rediscounts.
- 5.2 Classification of advances and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI from time to time.
- 5.3 Provision for performing assets is shown under the head "Other liabilities and provisions".
- 5.4 In respect of Rescheduled/ Restructured accounts, provision for diminution in fair value of restructured advances is made in present value basis as per RBI guidelines.

5.5 वित्तीय परिसंपत्तियों की परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकर ण कंपनी (एससी) की बिक्री के मामले में, यदि बिक्री निवल बही मूल्य से कम मूल्य पर हुई है, तो इस कमी को लाभ और हानि खाते में नामे डाला गया है. यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है तो अधिशेष प्रावधान को प्रत्यावर्तित नहीं किया गया, बल्कि इसे अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटे/हानि की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाएगा.

स्थिर आस्तियां एवं मूल्यहासः

- 6.1 परिसरों एवं अन्य स्थिर आस्तियों को लागत पर लेखाबध्द किया गया है, कतिपय परिसरों को छोड़कर जिनका पुनर्मूल्यन किया गया है तथा पुनर्मूल्यांकित राशि पर उल्लेख किया गया है.
- 6.2 पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के मामलों को छोड़कर स्थिर आस्तियों (निम्न उप परिच्छेद क, ख, ग में संदर्भित के अलावा) पर मूल्यह्रास का प्रावधान, ह्रासमान शेष पध्दति से कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में अनुबध्द दरों पर लिया गया है, जिनके संबंध में इन पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों के आकलित स्थायित्व के आधार पर उच्च मूल्यह्रास किया गया है.
 - (क) कंप्यूटरों पर मूल्यह्रास सरल रेखा पध्वति से 33.33% की दर पर किया गया है ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति का मूल्यह्रासित मूल्य तीन वर्षों में 1 रुपया रह जाए. कम्प्यूटरों में साफ्टवेअर, यूपीएस और एटीएम भी शामिल हैं.
 - (ख) ₹ 5,000/- या कम की मूल लागत वाली स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास खरीदी वर्ष के दौरान 100 प्रतिशत करने के स्थान पर लागु दरों पर किया गया.
 - (ग) वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिए किया गया. वर्ष के दौरान नष्ट हुई / बेची गई संपत्तियों पर मूल्यह्रास नहीं किया गया है.
- 6.3 पुनर्मूल्यन से संबंधित मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया.
- 6.4 पट्टेवाली भूमि का परिशोधन सरल रेखा पध्दति से पट्टा अवधि में किया जाता है.

सहायक प्रतिष्ठान के मामले में :

6.5 मेटको के मामले में, स्थिर आस्तियों का मूल्यन लागत में से मूल्यह्रास कम कर के किया गया है. स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों के आधार पर ह्रासमान शेष पध्दति से लगाया गया है.

7. राजस्व अभिनिर्धारणः

- 7.1 निम्नांकित मदों को छोड़कर, जिन्हें नकदी आधार पर लेखाबध्द किया गया है, समस्त राजस्व तथा लागतों को उपचय आधार पर लेखाबध्द किया गया है :
- क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज.
- ख. कमीशन अर्थात गारंटियों, साख पत्रों, सरकारी व्यवसाय, बैंक एश्योरेंस, लॉकर किराया, म्युच्युअल फंड व्यवसाय से आय.
- ग. खरीदे गए तथा भांजित बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज.
- घ बीमा दावे.
- ङ. डिबेंचर न्यासी व्यवसाय पर पारिश्रमिक.
- च. प्रसंस्करण फीस.
- छ. व्यापारी बैंकिंग परिचालनों तथा हामीदारी कमीशन से आय.
- 7.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अतिदेय मीयादी जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान उपचित आधार पर बचत खाता ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 22.08.2008 के परिपत्र के दिनांक से और शेष का नवीकरण के समय किया गया है.

5.5 In case of financial assets sold to Assets Reconstruction Company (ARC)/ Securitization company(SC), if the sale is at price lower than the net book value, the short fall is debited to profit and loss account. If the sale value is higher than the net book value, the surplus provision is not reversed but will be utilized to meet the deficit/ loss on account of sale of other financial assets.

6. Fixed Assets and Depreciation:

- 6.1 Premises and other Fixed Assets are accounted for at cost except certain premises, which are revalued and stated at revalued amount.
- 6.2 Depreciation on fixed assets (other than those referred in sub para a, b, c below) is provided for on the diminishing balance method at the rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 on fixed assets except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets. :-
 - (a) On computers, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method so as to write down the asset value in three years to Rupee one as per Reserve Bank of India guidelines. Computers include software, ATM and UPS also.
 - (b) On Fixed Assets having original cost below ₹ 5,000/, depreciation is provided for at applicable rates instead of providing 100% depreciation in the year of purchase.
 - (c) Depreciation is provided for full year in respect of assets purchased during the year. No depreciation is provided on assets sold/discarded during the year.
- 6.3 Depreciation relating to revaluation is adjusted against the Revaluation Reserve.
- 6.4 Leasehold land is amortized over the period of lease on Straight Line Method (SLM).

In case of the subsidiary:

6.5 In the case of METCO, the fixed assets are valued at cost less depreciation. The depreciation on fixed assets has been charged on WDV basis at the rates prescribed under Schedule XIV of the Companies Act, 1956.

7. Revenue Recognition

- 7.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-
- a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms issued by Reserve Bank of India, from time to time.
- b. Income from commission viz on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Bancassuarance, Mutual Fund business and Locker Rent.
- c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.
- d. Insurance claims.
- e. Remuneration on Debenture Trustee Business.
- f. Processing Fees.
- g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.
- 7.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at Saving Bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, and the balance at the time of renewal.

8. कर्मचारी अनुलाभः

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए / अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है.

परिभाषित अनुलाभ योजना : परिभाषित अनुलाभ योजनाओं हेतु बैंक की देयताओं का निर्धारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपचित मूल्यांकन आधार पर किया गया है. अनुमानित इकाई जमा पद्धति के अंतर्गत बीमांकिक मूल्यन तुलनपत्र के दिनांक को किया गया है. बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है.

9. आस्तियों का अनर्जक होना

पुनर्मूल्यन आस्तियों सहित अचल संपत्तियों के अनर्जक होने के कारण हुई हानि को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28- आस्तियों का अनर्जक होना, के अनुसार अभिनिर्धारित कर लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

10. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक मानक 29-प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां के अनुसार बैंक केवल किसी पिछली घटना के कारण पैदा हुई वर्तमान प्रतिबध्दताओं के लिए प्रावधान करता है.यह संभव है कि जब प्रतिबधदता का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता हो तब प्रतिबध्दताओं का निपटारा करने हेतु आर्थिक लाभ सहित किसी संसाधन के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता पड़े आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया गया है चूंकि इससे ऐसी आय का अभिनिर्धारण हो सकता है जो कभी वसूली न जा सके.

11. शुध्द लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

घोषित शुध्द लाभ, आकस्मिकताओं व प्रावधानों के उपरांत है जिनमें निवेशों के मूल्य का समायोजन, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना, कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कराधान, अनुषंगी लाभ कर सहित), अग्रिमों के लिए प्रावधान तथा आकस्मिकताएं / अन्य शामिल हैं.

12. आयकरः

वर्ष के दौरान किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, संपत्ति कर और आस्थगित कर के प्रति देयताएं शामिल हैं. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार करयोग्य आय तथा लेखा योग्य आय के समय अन्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं ब्याज दर में परिवर्तन का प्रभार परिवर्तन की प्रयोज्यता की अवधि में लाभ और हानि खाते में अभिनिर्धारित किया गया है.

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय उस वर्ष में लिया गया है जब संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया.

दूसरी अपील अर्थात् (आईटीएटी द्वारा) में मांग को जारी रखे जाने पर आयकर प्राधिकारियों द्वारा मांग की गई राशि का प्रावधान किया गया.

समेकित वित्तीय विवरणो में दर्शाए कर व्यय मूल व सहायक कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरण में उल्लेखित कर व्ययों की राशी का जोड़ है.

13. प्रति शेयर अर्जन ः

प्रति ईक्विटी शेयर मूल और शिथिल अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस - 20) "प्रति शेयर अर्जन" के अनुरूप की गई है. प्रति शेयर मूल अर्जन संबंधित अवधि हेतु बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा निवल लाभ को भागकर निकाली गई है. संबंधित अवधि के दौरान बकाया शिथिल संभावित ईक्विटी शेयर और भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या का उपयोग कर प्रति ईक्विटी शेयर शिथिल अर्जन की गणना की गई है.

8. Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid / payable under defined contribution benefit schemes are charged to profit and loss account.

Defined Benefit Plan: Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined on the basis of an actuarial valuation made at the end of financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

9. Impairment of Assets

Impairment losses if any, on fixed assets including Revalued Assets, are recognized in accordance with Accounting Standard 28- "Impairment of Assets" issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and charged to profit and loss account.

10. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29-"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may never be realized.

11. Net Profit, Provisions and Contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred taxation), provision for advances and contingencies/others.

12. Income tax:

The provision for tax for the year comprises liability towards Current Income Tax, Wealth Tax and Deferred Tax. The deferred tax asset/ liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account in the period of applicability of the change.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Income Tax authorities including the interest thereon is provided for when the demand is upheld in the second appeal (i.e. by ITAT).

The tax expenses shown in the Consolidated Financial Statements is the aggregate of the amounts of tax expenses appearing in the separate financial statements of the parent & subsidiary.

13. Earnings Per Share

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with the Accounting Standard (AS-20) "Earnings Per Share" issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

अनुसूची - 18

खातों पर टिप्पणियां

 वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 45.34 करोड़ की पुनःपूंजीकरण निधि, जिसमें भारत सरकार द्वारा (50% अर्थात ₹ 22.67 करोड़), महाराष्ट्र सरकार द्वारा (15% अर्थात ₹ 6.80 करोड़) तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा (35% अर्थात ₹ 15.87 करोड़) उपलब्ध कराई जा रही है, में से ₹ 15.87 करोड़ की पूंजी लगाई है. जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी के अनुपात में सुधार की दृष्टि से सहायक प्रतिष्ठानों को सहायता हेतु निधि उपलब्ध कराई गई.

2. निवेश ः

बैंक ने निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों क्रमशः "परिपक्वता धारित", "बिक्री हेतु उपलब्ध" और "विपणन हेतु धारित" में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया है.

- बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों का लागू सीमा तक निम्नानुसार पालन किया है:
- 3.1 लेखा मानक 5 अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, गतावधि मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन

चूंकि आय/व्यय की गतावधि मदें वास्तविक नहीं हैं इसलिए उन्हें संबंधित लेखा शीर्ष में प्रभारित/लेखाबध्द किया गया है.

3.2 लेखा मानक 9 - राजस्व निर्धारण

उक्त दी गई महत्वपूर्ण लेखा नीति 7(i) के अनुसार सांविधिक आवश्यकताओं या वास्तविकता के कारण आय की कतिपय मदों का निर्धारण वसूली के आधार पर किया गया है.

3.3 समेकित खंड रिपोर्टिंग (लेखा मानक 17)

SCHEDULE - 18

NOTES ON ACCOUNTS

During the current financial year, the bank has infused ₹ 15.87 crore out of total recapitalization fund of ₹ 45.34 crore to be provided by Government of India (50% i.e. ₹ 22.67 crore), Government of Maharashtra (15% i.e. ₹ 6.80 crore) and Bank of Maharashtra (35% i.e ₹ 15.87 crore). The fund is provided to support the associate entity to improve its CRAR.

2. Investments:

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Held for Trading" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India guidelines.

3. The Bank has complied with the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

3.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts.

3.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

As per Accounting Policy No. 7(i), given herein above, certain items of income are recognized on realization basis on account of statutory requirements or materiality.

3.3 Consolidated Segment Reporting (AS-17):

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

व्यवसाय खंड Business Segments →		ताना sury	बैं Corp	त / संपूर्ण केंग orate/ e Banking	रिटेल बैंकिंग अन्य बैंकिंग परिचालन Retail Banking Other banking operations		परिचालन			
विवरण Particulars	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
राजस्व Revenue	1780.98	1644.33	3682.21	2640.82	2323.36	1737.74	75.01	76.31	7861.56	6099.20
परिणाम Result	(193.14)	182.03	482.82	137.45	340.61	40.71	50.57	37.86	680.86	398.05
अ-आबंटित खर्च Unallocated expenses									15.90	5.75
परिचालनगत लाभ Operating profit						664.96	392.30			
आस्थगित कर सहित कर Taxes including deferred taxes						228.15	57.50			
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit/ loss	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
निवल लाभ Net profit				•					436.81	334.80
						_				
खंड आस्तियां Segment assets	24231.50	23012.95	37906.74	32133.23	19206.61	15353.31	5202.35	4747.46	86547.20	75246.95
अ-आबंटित आस्तियां Unallocated assets									1488.62	1229.83
कुल आस्तियां Total assets									88035.82	76476.78
खंड देयताएं Segment liabilities	23378.57	22680.02	35755.93	30056.78	18119.89	14361.18	5823.76	5225.72	83078.15	72323.70
अ-आबंटित देयताएं Unallocated liabilities									215.67	168.80
पूंजी और अन्य आरक्षितियां Capital & Other Reserves									4742.00	3984.28
कुल देयताएं Total liabilities									88035.82	76476.78

- खजाना खंड में निवेश, भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष, भारत के बाहर स्थित बैंकों में अधिशेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे संबंधित आय इत्यादि को शामिल किया गया है.
- ख) निगमित और थोक बैंकिंग खंड में न्यासों, भागीदारी फर्मों, कंपनियों और सांविधिक निकायों को दिए गए सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें फुटकर बैंकिंग खंड में शामिल नहीं किया गया है. ।
- ग) फुटकर बैंकिंग में वैयक्तिक व्यक्ति / व्यक्तियों अथवा ऐसे लघु व्यवसायों को शामिल किया गया है, जहां
 - i. कुल वार्षिक औसत आवर्त ₹ 50.00 करोड़ से कम है, और
 - ii. किसी भी एक प्रतिरूप को दी गई सकल उधारियां बैंक के समग्र रिटेल संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है, और
 - iii. एक प्रतिरूप को प्रदान किया गया अधिकतम सकल फुटकर उधार ₹ 5.00 करोड़ तक है.
 - घ) ऊपर विनिर्दिष्ठ खंडों के अधीन शामिल नहीं किए गए अन्य सभी बैंकिंग संव्यवहारों को अन्य बैंकिंग प्रचालन खंड में शामिल किया गया है.

उपर्युक्त अभिगोपन प्रबंधन द्वारा संकलित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा अवलंबित अभिलेखों/सूचना के आधार पर किए गए हैं.

भौगोलिक खंड

चूंकि बैंक का प्रचालन केवल भारत की सीमा के अंदर है अतः कोई भौगोलिक खंड लागू नहीं है.

4.4 लेखा मानक १८ - संबध्द पक्ष प्रकटनः

इस संबधी ब्योरे निम्नानुसार हैं:

(क) सम्बंधित पक्षों का नाम और उनके सम्बंधः

- क. बैंक की अनुषंगी कंपनी दी महाराष्ट्र एक्सक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.
- ख. बैंक की सहायक संस्था महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
- ग. महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी -
- 1) श्री नरेन्द्र सिंह, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (01.02.2012 से)
- श्री अनूप शंकर भट्टाचार्य, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (01.10.2010 से 31.01.2012)
- 3) श्री सी.वीआर. राजेन्द्रन, कार्यपालक निदेशक (01.03.2012 से)
- अी मधुकांत जी. संघवी, कार्यपालक निदेशक (15.10.2008 से 29.02.2012)

(ख) सम्बंधित पक्षों से संव्यवहार

		(₹ लाख में)
विवरण	31.03.12	31.03.11
वेतन व भत्ते		
(अनुलाभ सहित)	48.23	45.75

एएस 18 संबंधित पक्षों के प्रकटन की दृष्टि से बैंक की अनुषंगी कंपनी और सहायक संस्थाओं के साथ संव्यवहार का प्रकटन नहीं किया गया है जो कि राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यमों को अन्य राज्य नियंत्रित संबंधित पक्षों के साथ उनके संव्यवहारों से संबंधित प्रकटन के संबंध में छूट देता है.

- a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on Investments and related income there from.
- b) Corporate/ Whole sale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies which are not included in Retail Banking Segments.
- c) Retail Banking Segments include exposure to the individual person/ persons or to a small business where
 - i. total average annual turnover is less than ₹ 50.00 crore and
 - ii. no aggregate exposure to one counter part exceeds 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and
 - iii. The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to ₹ 5.00 crore.
- d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.

The above disclosures made are based on the records/ information compiled by the management and relied upon by the auditors.

Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

4.4. Accounting Standard 18 – Related party disclosures:

The details in this regard are as under:

(A) Name of the Related Parties and their relationship:

- (a) Subsidiary of the Bank The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited
- (b) Associate of the Bank Maharashtra Gramin Bank
- (c) Key Management Personnel -
- (1) Shri Narendra Singh, Chairman & Managing Director (from 01.02.2012)
- (2) Shri Sankar Bhattacharya, Chairman & Managing Director (from 1.10. 2010 to 31.01.2012)
- (3) Shri C.VR. Rajendran, Executive Director (from 01.03.2012).
- (4) Shri Madhukant G. Sanghvi, Executive Director (from 15.10.2008 to 29.02.2012).

(B) Transactions with Related parties

		(< in lakns)
Particulars	31.03.12	31.03.11
Salary & Allowances		
(including perquisites)	48.23	45.75

The transactions with the subsidiary and associate of the bank have not been disclosed in view of para 9 of the AS-18 Related Parties Disclosures, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other state controlled related parties.

4.5 लेखा मानक 20 - प्रति शेयर आय

	31.03.2012	31.03.2011
2) कम की गई प्रति शेयर आय	₹ 7.71	₹ 6.96
मूल/डायलुटेड प्रति शेयर आय की गणना		
क) अधिमान शेयरों पर लाभांश तथा कर के बाद निवल लाभ (₹ लाख में)	₹ 37188.93	₹ 30029.55
 ख) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या लाख में) 	4823.02	4313.61
ग) प्रति शेयर मूल आय (ख) द्वारा विभाजित (क)	₹ 7.71	₹ 6.96
घ) प्रति शेयर नाममात्र मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

4.6 लेखा मानक 22 - आय पर करों का लेखा

लेखा मानक 22 के अनुसार मूल बैंक ने आयकर का लेखांकन किया है. तदनुसार आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर दायित्वों का अभिनिर्धारण किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर दायित्वों के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :

		(र कराड़ म)
ब्योरे	31.03.2012	31.03.2011
आस्थगित कर आस्तियां		
 अशोध्य व डूबंत ऋणों हेतु प्रावधान के लिए समय अंतर के कारण 	158.41	133.89
 कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधान की रकम के कारण 	67.57	173.35
3) अन्य प्रावधान जहां डीटीए बनाया गया है	142.68	119.15
कुल	368.66	426.39
आस्थगित कर देयता		
1) विशेष आरक्षितियों के कारण	29.28	21.95
2) निवेश में ह्रास के कारण	77.44	0.00
निवल आस्थगित कर आस्तियां- अनुसूची 11 (अन्य आस्तियां) में दर्शाई गईं	261.94	404.44

4.7. लेखा मानक २६ - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - आंतरिक रूप से निर्मित के अतिरिक्तः

उपयोगी अवधि	-	3 वर्ष
परिशोधन दर	-	33.33%
परिशोधन पद्धति	-	लागत पर सीधी रेखा पद्धति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2012	31.03.2011
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	4.01	11.24
वर्ष के दौरान लिये गये सॉफ्टवेयर	2.90	2.97
वर्ष के दौरान परिशोधन	3.99	10.20
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई		
निवल राशि	2.92	4.01

4.8. आस्तियों का अनर्जक होना (लेखा मानक-28):

बैंक ने अभिनिर्धारित किया है कि आस्तियों में कोई भौतिक क्षति नहीं हुई है इसलिए लेखा मानक 28 के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है.

4.5. Accounting Standard 20- Earning per Share

		31.03.2012	31.03.2011
Bas	sic / Diluted E.P.S.	₹ 7.71	₹ 6.96
Cal	culation of Basic /Diluted EPS.		
a)	Net Profit after Tax and dividend on preference shares (₹ in lakhs)	₹ 37188.93	₹ 30029.55
b)	Weighted Average number of Equity Shares (Nos. in Lakhs)	4823.02	4313.61
c)	Basic Earning per share (a) divided by (b)	₹ 7.71	₹ 6.96
d)	Nominal Value per Share	₹ 10.00	₹ 10.00

4.6. Accounting for Taxes on Income (AS-22):

The parent bank has accounted for Income Tax in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are recognized. Major Components of Deferred Tax Assets & Deferred Tax Liabilities are as under:

			(₹ in Crore)
Par	ticulars	31.03.2012	31.03.2011
Def	ferred Tax Assets		
1)	On account of timing difference towards provisions for Bad & Doubtful Debts	158.41	133.89
2)	On account of provisions for Employees benefits	67.57	173.35
3)	Other Provisions where DTA is created	142.68	119.15
Tot	al	368.66 426.3	
Def	ferred Tax Liability		
1)	On account of Special Reserve	29.28	21.95
2)	On account of Depreciation on Investment	77.44	0.00
	Deferred Tax Asset-shown in nedule 11 (Other Assets)	261.94	404.44

4.7 Accounting Standard 26 - Accounting for Intangible Assets.

Computer Software – other than internally generated:

Useful life	-	3 years.
Amortization Rate	-	33.33%
Amortization Method	-	Straight line at cost.

(₹ in Crore)

		((11 01010)
Particulars	31.03.2012	31.03.2011
Software at the beginning of the year	4.01	11.24
Software acquired during the year	2.90	2.97
Amortization during the year	3.99	10.20
Net carrying amount at the end of		
the year	2.92	4.01

4.8. Impairment of Assets (AS-28):

Bank has identified that there is no impairment of fixed assets and as such no provision is required as per AS-28.

4.9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां (लेखा मानक - 29)

प्रबंधन के मतानुसार अनुसूची 12 में संदर्भित आकस्मिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है.

अंतर शाखा व्यवहारों, अन्य बैंकों/संस्थाओं के साथ संव्यवहारों, नाममात्र खातों, अन्य आस्तियों और अन्य देयताओं के अंतर्गत पुरानी प्रविष्टियों, साधारण खाता बही से सहायक लेजरों में कतिपय जमा खातों, समाशोधन खातों, अन्य आस्तियों/देयताओं के समायोजन/समाशोधन/हटाने और विभिन्न स्थिर आस्तियों के अंतर्शाखा अंतरण तथा स्थिर आस्तियों पर द्वास के प्रभार का कार्य अब भी प्रगति पर है. इनका राजस्व पर प्रभाव, परवर्ती प्रभाव सहित, का पता नहीं लगाया जा सका है. प्रबंधन के विचार से इसके परिणामस्वरूप राजस्व पर प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है.

5. ख्याति व निवेशों पर रखाव-लागत

दि.31.3.2012 को ₹ 23.18 करोड़ (₹ 22.36 करोड़) की ख्याति सहायक प्रतिष्ठानों से संबंधित थी.

वर्ष के दौरान बैंक ने महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में पूंजी के रूप में ₹ 15.87 करोड़ की पूंजी लगाई. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के शेयर के यथार्थ मूल्य के आधार पर ₹ 15.05 करोड़ नए निवेश की रखाव-लागत दर्शाई गई है तथा नए निवेश से ₹ 0.82 करोड़ की ख्याति अभिनिर्धारित की गई है.

6. खातों पर अन्य विशिष्ट टिप्पणियां

इनका उल्लेख "खातों पर टिप्पणियां" के अधीन बैंक और इसके सहायक प्रतिष्ठानों तथा सहयोगियों के सोलो वित्तीय विवरणों में दी गई है.

 जहां कहीं आवश्यक हुआ हो वहां गत वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहबद्व/पुनः वर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाया जा सके.

4.9. Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets (AS-29):

In the opinion of the management, no provision is required against contingent liabilities referred in Schedule 12. .

Work is in progress for adjustment/ reconciliation/elimination of inter-branch transactions, transactions with other banks/ institutions, nominal accounts and old entries under other assets and liabilities. Further reconciliation between balances in subsidiary and general ledger in respect of certain deposit accounts, clearing accounts, other assets & liabilities and charge of depreciation on fixed assets and inter-branch transfer of fixed assets is still under progress. The effect of these including the consequential impact thereof on the revenue, is not ascertainable. In the opinion of the management consequential impact there off on revenue is not material

5. Goodwill and carrying amount of investment.

Goodwill of ₹ 23.18 crores (₹ 22.36 crores) pertains to associate as on 31.03.2012.

During the year, the bank has infused ₹ 15.87 crore in the form of capital in Maharashtra Gramin Bank. Based on the intrinsic value of share of Maharashtra Gramin Bank, ₹ 15.05 crore has been shown as carrying amount of fresh investment and ₹ 0.82 crore are identified as goodwill out of fresh infusion made.

6. Other significant Notes on Accounts.

These are set out under "Notes on Accounts" as given in the Stand alone Financial Statements of Bank, its subsidiary and the associate.

7. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figures.

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण STATEMENT OF CONSOLIDATED CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2012

ब्योरे Particulars		३१-०३-२०१२ को समाप्त वर्ष		31-03-2011 को समाप्त वर्ष	
	Year Ended	31-03-2012	Year Ende	d 31-03-2011	
 परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह : 					
. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:					
वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज	7040 00 54		FF00 00 70		
Interest received during the year from advances, Investments etc.	7213,98,51	7004 55 00	5563,08,76	0000 40 0	
अन्य आय Other Income घटाएं: व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions	647,57,37	7861,55,88	536,11,09	6099,19,8	
वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज					
Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings	4696,46,05		3594,29,59		
परिचालन व्यय Operating Expenses	1643,85,47		1645,39,19		
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	1084,43,27	7424,74,79	524,71,14	5764,39,9	
कुल व्यय के उपर कुल आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि					
Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses		436,81,09		334,79,9	
जोडे ः गैर नकदी मद एवं अलग विचारित मदें		100,01,00		001,10,0	
Add : Non Cash Items & Items Considered Separately					
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	1084,43,27		524,71,14		
अचल संपत्तियों हेतु मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets	65,66,50		67,86,03		
सहयोगी संस्थाओं में शेयर पर अर्जन/हानि Share of earnings / loss in Associates	-5,92,60		-4,27,32		
अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale of Fixed Assets	-9,50		-24,26		
आय कर मांग पर ब्याज Interest on Income Tax demand	5,87,57		-		
बाँडस्, पीसीपीएस व आईपीडीआईपर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	229,95,82	1379,91,06	232,86,94	820,92,5	
		1816,72,15		1155,72,4	
टाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर Less: Direct Taxes Paid (Net)		477,64,17		233,32,3	
रिचालन से अर्जित नकद लाभ (I) Cash Profit Generated From Operations (I)		1339,07,98		922,40,0	
रिचालनगत देयताओं की वृद्धि/कमी : Increase/(Decrease) of Operating Liabilities:					
माराशियां Deposits	9683,06,61		3543,93,43		
धारियां (टीयर I/II बॉड को छोड़कर) Borrowings (Excl Tier I/II Bonds)	748,18,62		447,11,09		
न्य देयताएं व प्रावधान Other Liabilities & Provision	-829,81,83		-107,58,13		
रिचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Liabilities टाएं : परिचालन आस्तियों की वृद्धि/कमी	9601,43,40		3883,46,39		
ess : Increase/(Decrease) of Operating Assets					
निवेश Investments	410,32,95		1151,36,32		
अग्रिम Advances	9178,99,85		6566,06,91		
अन्य आस्तियां Other Assets	-130,63,02		57,90,83		
कुल परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Assets	9458,69,78		7775,34,06		
रिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि (II)					
et Increase of Operating Liabilities Over Operating Assets (II)		142,73,62		-3891,87,6	
रिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (A) = (I+II)					
ASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A) = (I+II)		1481,81,60		-2969,47,5	
a. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES					
अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets	69,55,74		5,25,36		
अचल संपत्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets	-68,89,43		-90,87,60		
सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश Investment made in Associates	-15,87,00		-29,00,00		
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)					
Net Cash Flow Form Investing Activities (B)		-15,20,69		-114,62,2	
. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
i) गौण बांडो को जारी /(मोचन) करना Issue (Redeamation) of Octoordinated Reads			407 50 00		
Issue/(Redemption) of Subordinated Bonds	-		-167,50,00		
ii) ईक्विटी एवं पीएनसीपीएस पर लाभांश Dividend on Equity & PNCPS iii) लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax	-125,93,18		-86,10,40		
iii) लामारा वितरण कर Dividend Distribution Tax iv) बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-20,91,57 -229,95,82		-14,62,91 -232,86,94		
v) इक्विटी शेअर्स को जारी करना Issue of Equity Shares	-229,95,82 605,09,63		-232,86,94 352,00,00		
v)			588,00,00		
		228.20.00		420.00 7	
Entibut titeleferri al agent trate (II) Cook Flow From Financing Activities (O)		228,29,06		438,89,7	
		4004.00.07		0045.00	
स्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग) Cash Flow From Financing Activities (C) र्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग) Total Cash Flow During The Year (A+B+C) Iट: पिछले वर्ष के आंकडों को आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित व पुनःवर्गीकृत किया गया.		1694,89,97		-2645,20,0	

Note: Previous year figures have been regrouped and reclassified whenever necessary.

(₹ ह जार में) (₹ ir			
ब्योरे Particulars	31-03-2012 को समाप्त वर्ष	३१-०३-२०११ को समाप्त वर्ष	
	Year Ended 31-03-2012	Year Ended 31-03-2011	
द्रारा प्रतिनिधित्व - REPRESENTED BY -			
वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी समकक्ष			
Cash and Cash equivalents at the beginning of the year			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI	3846,00,41	5315,39,40	
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस प्राप्य धन			
Balances with Banks & Money at Call & Short notice	203,35,31	1379,16,39	
	4049,35,72	6694,55,79	
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समकक्ष			
Cash and Cash equivalents at the end of the year			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balances with RBI	4535,47,79	3846,00,41	
बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस प्राप्य धन			
Balance with banks & money at call & Short notice	1208,77,90	203,35,31	
	5744,25,69	4049,35,72	
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह 🛛 TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR	1694,89,97	-2645,20,07	

आर. पार्थसारथी	ए.एस.बनर्जी	सी. वीआर. राजेंद्रन	नरेन्द्र सिंह
R. PARTHASARATHY	A. S. BANERJEE	C VR RAJENDRAN	NARENDRA SINGH
महाप्रबंधक वि.प्र. व लेखा	मुख्य महाप्रबंधक	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
General Manager FM&A	Chief General Manager	EXECUTIVE DIRECTOR	CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

कृते रे एंड कं.	कृते जोध जोशी एंड कं.	कृते जेसीआर एंड कं.	कृते एन कुमार छाबरा एंड कं	कृते डी एस पी एंड असोशिएटस्	कृते कीर्तने एंड पंडित
For Ray & Co.	For Jodh Joshi And Co	For JCR & Co.	For N.Kumar Chhabra & Co.	For DSP & Associates	For Kirtane & Pandit
एफआरएन 313124ई	एफआरएन 104317डक्ल्यू	एफआरएन : 105270डब्ल्यू	एफआरएन 000837एन	एफआरएन 006791एन	एफआरएनः 105215डब्ल्यू
FRN : 313124E	FRN : 104317W	FRN : 105270W	FRN : 000837N	FRN : 006791N	FRN: 105215W
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
सुमित सिकवर	अपर्णा पी. एस. शंकरन	जशावंत रावल	नवतेज कुमार	अतुल जैन	शारद भागवत
Sumit Sikdar	Aparna P. S. Sankaran	Jashvant Raval	Navtej Kumar	Atul Jain	Sharad Bhagwat
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
Partner	Partner	Partner	Partner	Partner	Partner
सदस्यता क्र : 120622	सदस्यता क्र.: 113982	सदस्यता क्रः 012926	सदस्यता क्र.080496	सदस्यता क्रः 091431	सदस्यता क्र:008072
Membership No.: 120622	Membership No.: 113982	Membership No.: 012926	Membership No.: 080496	Membership No.: 091431	Membership No.:008072

स्थान ः पुणे दिनांक ः ०५ मई २०१२ Place : Pune Date : 5th May, 2012

रे एंड कं.. सनदी लेखाकार 21 ए शेक्सपीयर सरणी फ्लैट 8सी, 8वीं मंजिल कोलकाता - ७०० ०१७

Ray & Co., Chartered Accountants, 21A, Shakespeare Sarani, Flat 8C. 8th Floor. Kolkata - 700 017

जोध जोशी एंड कं.. सनदी लेखाकार जे.पी. हाउस, १ली मंजिल, रविनगर स्क्वेयर, अमरावती रोड नागपुर - 400 010

Jodh Joshi And Co., Chartered Accountants, J.P. House, 1st Floor, Ravinagar Square, Amravati Road, Nagpur - 400 010

जे सी आर एंड कं. सनदी लेखाकार रावल हाउस, 18वीं रोड, खार (पश्चिम) मुंबई - 400 052

J C R & Co., Chartered Accountants, Raval House, 18th Road, Khar (W), Mumbai – 400 052.

एन कुमार छाबरा एंड कंपनी सनदी लेखाकार एससीओ 1094-95 सेक्टर 22 बी चंडीगढ़ 160 022

N. Kumar Chhabra & Co., Chartered Accountants, SCO 1094-95. Sector 22-B. Chandigarh – 160 022

डीएसपी एंड एसोसिएट सनदी लेखाकार 783 देशबंधु गुप्ता रोड करोल बाग नई दिल्ली 110 005

DSP & Associates. Chartered Accountants, 783, Desh Bandhu Gupta, Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005.

किर्तने एंड पंडित, सनदी लेखाकार संगति, भक्ति मार्ग, लॉ कॉलेज रोड के पास, पूणे - 411 004

Kirtane & Pandit. Chartered Accountants. Sangati, Bhakti Marg, Off Law College Road, Pune - 411 004.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

- बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसकी सहायक कंपनी तथा एक सहयोगी संस्था (समूह) के 1. दिनांक 31 मार्च, 2012 के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण जिसमें 31.03.2012 का समेकित तुलन पत्र समेकित लाभ और हानि खाता तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य सपष्टीकरण संबंधी सूचनाएं शामिल हैं, की हमने लेखा परीक्षा की है.
- 2. हमारे द्वारा लेखा परीक्षित मूल बैंक (अर्थात बैंक ऑफ महाराष्ट्र) के वित्तीय विवरण में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं की विवरणियां अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरिक्षित १२०३ शाखाओं की विवरणियां और हमारे द्वारा लेखापरीक्षित खजाना और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग शाखा की विवरणियां शामिल हैं.

जैसा हमें बताया गया है, हमारे द्वारा लेखा परीक्षित व अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया है. साथ ही मूल बैंक के तुलन पत्र और लाभ व हानि के विवरण में 22.97 प्रतिशत शाखाओं जो प्रबंधन द्वारा प्रमाणित लेकिन लेखा परीक्षा के अधीन नही हैं की विवरणियां भी शामिल हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 1.67% जमाराशियों में 5.95%, ब्याज आय में 1.12% और ब्याज खर्च में 5.21% हिस्सा है.

- 3. हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणो की लेखापरीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरण में दिनांक 31.3.2012 को ₹ 754.41 लाख की कूल आस्तियां तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु ₹ 5.61 लाख का लाभ दर्शाया गया है. साथ ही सहायक प्रतिष्ठानो की भी लेखा परीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरण में उस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में दिया गया है, समूह के लाभ के हिस्से को 592.60 लाख बताया गया है. इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई. इस सहायक कंपनी से संबंधित राशियों के मामले में हमारा मत केवल अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर आधारित है.
- हम सूचित करते हैं कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा 4. मानक 21 की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक ने समेकित वित्तीय विवरण और सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश लेखा मानक 23 के अनुसार और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल बैंक इसकी सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षा किए गए वित्तीय विवरणों पर तैयार किए गए हैं. ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत किये गये हैं.

AUDITORS' REPORT

То

The President of India

Report On Financial Statements -

- We have audited the accompanying Consolidated financial 1. statements of BANK OF MAHARASHTRA, its one subsidiary and one associate (the Group) as at 31st March 2012 which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2012, the Consolidated Profit and Loss Accounts, and the Consolidated Cash Flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.
- The Financial Statements of Parent (i.e. Bank of Maharashtra) 2. audited by us and incorporated in these statements incorporate the returns of 20 branches & The Treasury & International Banking Branch (TIBB) audited by us and the returns of 1203 branches audited by other Branch Auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors, as informed to us, have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit & Loss of parent are the returns from 22.97% branches which have not been subjected to audit but certified by the management. These unaudited branches of Parent account for 1.67% of advances, 5.95% of deposits, and 1.12% of interest income and 5.21% of interest expenses of the Parent.

- 3. We did not audit the financial statements of subsidiary which reflect total assets of ₹ 754.41 lacs as on 31st March, 2012 and net profit of ₹ 5.61 lacs for the year ended on that date, and associate whose financial statements reflect the Group share of profit of ₹ 592.60 Lacs for the year ended on that date as considered in consolidated financial statements. These financial Statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us and our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of the subsidiary and the associate is based solely on the reports of the other auditors.
- 4. We report that the Consolidated Financial Statements have been prepared by the bank in accordance with the requirements of the 'Accounting Standard (AS) 21 -Consolidated Financial Statements' and 'AS 23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements', and on the basis of separate audited financial statements of the bank and its subsidiary and associate included in the Consolidated Financial Statements. These Consolidated Financial Statements have been drawn up in the form prescribed by the Reserve Bank of India.

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

5. इन समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण प्रबंधन की जिम्मेदारी है । वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित इस जिम्मेदारी में आंतरिक नियंत्रण को तैयार करना उसका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है ये वित्तीय विवरण जालसाजी या किसी अन्य गलती के कारण से किया भी गलत कथन से मुक्त है.

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

- 6. हमारी जिम्मेदारी समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के आधार पर अभिमत व्यक्त करना है. हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर लेखा परीक्षा करते हैं. इन लेखा मानकों के अनुसार हमें नैतिक आवश्यक्ताओं का पालन करना होता है और लेखा परीक्षा की योजना तैयार कर लेखा परीक्षा करना होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वित्तीय विवरण किसी भौतिक गलत कथन से मुक्त हैं.
- 7. वित्तीय विवरणों में प्रकटन और रकम से संबंधित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने से संबंधित कार्यविधि निष्पादित करना लेखा परीक्षा में शामिल होता है. जालसाजी या गलती के कारण वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत कथन का मूल्यांकन करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय के आधार पर चुनी गई कार्यविधि आधारित होती है. ये जोखिम मूल्यांकन करने के लिए कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों और परिस्थिति विशेष में उचित लेखा परीक्षा कार्यविधि तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुति हेतु लेखा परीक्षकों ने विचार किया है. उपयोग में लाई गई नीति की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों का औचित्य तथा उसी प्रकार वित्तीय विवरणों की समग्र तैयारी का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में शामिल होता है.
- हम विश्वास करते है कि हमें प्राप्त साक्ष्य हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं.

मामलों का महत्व(दबाव)

9. हमारे अभिमत की योग्यता के बिना हम ध्यान आकर्षित करते हैं कि -

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प दुबारा खोलने तथा उपदान सीमाओं में वृद्धि- विवेकी विनियामक उपचार पर दिनांक 09 फरवरी 2011 का भा.रि.बैंक का परिपत्र क्रं. डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 के अनुसार बैंकों को लेखा मानक 15 (संशोधित) - कर्मचारी लाभ से संबंधित प्रावधानों को करने से संबंधित छूट देने के परिणामस्वरूप मूल कंपनी के समेकित लेखों के साथ संलग्न अनुसूची 18 की टिप्पणी क्रं. 10.5 डी जिसमें बैंक की कुल आस्थगित पेंशन और उपदान देयताओं को कुल र 307.42 करोड़ बताया गया है.

यदि ये परिपत्र जारी नही हुआ होता तो मूल कंपनी का कर पूर्व लाभ लेखा मानक 15 (संशोधित) लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 307.42 करोड़ से कम होता. इसका परिणामी प्रभाव वित्तीय विवरणों के अन्य संबंधित घटकों पर निश्चित नही किया गया है.

अभिप्राय

10. हमने यह पाया है कि

- क) (मूल बैंक की अनुसूची 18 की नोट संख्या 9.3 में किये गये उल्लेख के अनुसार) कुछ आस्तियों/ देयताओं, समाशोधन के अंतरों, अंतर शाखा खातों/ स्थिर आस्तियों के अंतर शाखा अंतरणों की सतत समाधान की प्रक्रिया के कारण उत्पच्न हो सकने वाले समायोजनों का खातों पर पडने वाला परिणामकारी प्रभाव निर्धारण योग्य नहीं है;
- ख) बैंक ऑफ महाराष्ट्र मूल बैंक ने महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों से संबंधित अनुसूची 17 के परि.क्र. 6.1 में किये गये उल्लेख के अनुसार उपचित आधार के

Management's Responsibility for the Financial Statements -

5. Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility -

- 6. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with standards on auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.
- 7. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting the overall presentation of the financial statements.
- 8. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Emphasis of Matters —

9. Without qualifying our opinion, we draw attention to —

Note No. 10.4D in Schedule 18 of the parent which describes deferment of pension and gratuity liability of the bank to the extent of ₹ 307.42 crores, pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard 15 (Revised) – Employees Benefit vide its Circular DBOD.BP.BC / 80 / 21.04.018 / 2010-11 of 9th February, 2011 on Reopening of pension Option to Employees of Public Sector Bank and Enhancement in Gratuity limits – Prudential Regulatory Treatment.

Had the said Circular not been issued, the 'profit before tax' of the Bank would have been lower by ₹ 307.42 crores pursuant to application of the requirements of AS 15, (Revised) the consequential effect of which has not been ascertained on other related components of the financial statements.

Opinion

10. We have observed that -

- a) the effect of adjustments that may arise from the ongoing reconciliation of certain assets/liabilities, clearing differences, inter branch accounts/inter branch transfer of fixed assets and charge of depreciation on fixed assets, (as stated in Note No. 9.3 of Schedule 18 of the Parent), the consequential impact whereof on the accounts is not ascertainable.
- b) the Parent is following the policy of recognizing the income from commission, locker rent etc. on cash basis during the

बजाए नकदी आधार पर कमीशन, लॉकर किराया आदि से होने वाली आय के निर्धारण की नीति अपनायी है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-9 राजस्व निर्धारण के अनुरूप नहीं है . लेखों पर परिणामी प्रभाव निश्चेय नहीं है .

हमारे उपर्युक्त निरीक्षण के अधीन हमारी राय में हमारी अधिकतम जानकारी और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों व समूह की बहियों में दर्शाए गये अनुसारः

- i. समेकित तुलन पत्र, उसमें दी गई टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण सहित परिपूर्ण और समुचित तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक ब्यौरों का समावेश है और वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार इस ढंग से बनाया गया है कि उससे समूह के 31 मार्च, 2012 के व्यवहारों का सही चित्र सामने आ सके.
- ii. समेकित लाभ हानि लेखा और उस पर की गयी टिप्पणियां तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लाभ का सही शेष दर्शाता है जो 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप है और
- iii. नकदी प्रवाह विवरण उस दिनांक को समाप्त वर्ष में हुए नकदी प्रवाह का सही व उचित चित्र प्रस्तुत करता है.

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ व हानि खाता बैंकिंग रेग्यूलेटिंग अधिनियम 1949 के तीसरे खंड के क्रमशः फॉर्म अ तथा ब के अनुसार तैयार किया गया है.
- 12. उपर्युक्त परिच्छेद 1 व 8 में इंगित लेखा परीक्षा की सीमाओं के आधार पर तथा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण व अर्जन) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन निम्नलिखित के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि
 - हमारी जानकारी और विशवास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह हमने प्राप्त कीं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया.
 - ख. समूह के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं .
 - हमारी राय में समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ हानि लेखा व समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

year, instead of accrual basis as stated in para no. 6.1 of 'Schedule 17 Significant Accounting Policies' which are not in conformity with the 'AS 9 - Revenue Recognition', issued by ICAI. The consequential impact thereof on the accounts is not ascertainable.

Subject to our observations above, in our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Group:-

- The Consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon and Statement of Significant Accounting Policies is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit the true and fair state of affairs of the Group as at 31st March, 2012 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
- The Consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon and Statement of Significant Accounting Policies shows a true Balance of Profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the accounts; and
- iii) the Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows of the Group for the year ended on that date.

Report on Other Legal & Regulatory Requirements

- The Consolidated Balance Sheet and Consolidated Profit & Loss Account have been drawn up in accordance with Forms 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- 12. Subject to the limitations of audit indicated in paragraph 1 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
 - b) The returns received from the offices and branches of the Group have been found adequate for the purpose of our audit.
- In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

कृते रे एंड कं.	कृते जोध जोशी एंड कं.	कृते जे सी आर एंड कं.	एन कुमार छाबरा एंड कंपनी	डीएसपी एंड एसोसिएट	किर्तने एंड पंडित,
For Ray & Co.,	For Jodh Joshi And Co.,	For J C R & Co.,	For N. Kumar Chhabra & Co.	For DSP & Associates,	For Kirtane & Pandit,
एफआरएन313124ई	एफआरएन104317डब्ल्यू	एफआरएन105270डब्ल्यू	एफआरएन 0008373ल	एफआरएम 006791एन	एफआरएन 105215डब्ल्यू
FRN: 313124E	FRN: 104317W	FRN: 105270W	FRN: 000837N	FRN: 006791N	FRN: 105215W
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
Chartered Accountants,	Chartered Accountants,	Chartered Accountants,	Chartered Accountants,	Chartered Accountants,	Chartered Accountants,
सुमित सिकदर	अपर्णा पी. एस. शंकरन	जसवंत रावल	नवतेज कुमार	अतुल जैन	शरद बी भागवत
Sumit Sikdar	Aparna P.S. Sankaran	Jashvant Raval	Navtej Kumar	Atul Jain	Sharad B Bhagwat
(भागीदार)	(भागीदार)	(भागीदार)	(भागीदार)	(भागीदार)	(भागीदार)
(Partner)	(Partner)	(Partner)	(Partner)	(Partner)	(Partner)
सदस्यता क्र. 120622	सदस्यता क्र. 113982	सदस्यता क्रं. 012926	सदस्यता क्र. 080496	सदस्यता क्र 091431	सदस्यता क्र 008072
Membership No. 120622	Membership No. 113982	Membership No. 012926	Membership No. 080496	Membership No. 091431	Membership No. 008072
स्थान ः पुणे दिनांक ः ०५ मई, २०१२	Place : Pune Date : 5th May, 2012				

(भौतिक रूप से शेयरधारण करने वाले शेयर धारकों के लिए) एमसीएस लिमिटेड

यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

आफिस क्रमांक २१/२२ ग्राउण्ड फ्लोर काशीराम जमनादास बिल्डिंग ५, पी.डिमेलो रोड़ (घडियाल गोदी) मस्जिद (पूर्व) मुंबई - ४०० ००९

फोनः (022) 2372 6253 56 फैक्स : (022) 2372 6252

प्रिय महोदय,

विषयः बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ईक्विटी शेयर्स - इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा जिन केंद्रों पर उपलब्ध है वहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने का विकल्प

मेरे / हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ईक्विटी शेयर्स हैं.

मैं / हम इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा के माध्यम से मेरे / हमारे लाभांश का भुगतान करने का अनुरोध करता हूं / करते हैं और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लाभांश को मेरे / हमारे खाते में जमा किया जाए.

(For Shareholders holding shares in physical form only)

MCS Limited

Unit: Bank of Maharashtra

Office No.21/22, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg.,5, P.D. Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E) Mumbai-400 009. Phone (022)23726253 Fax (022)23726252

Dear Sir,

Re: Equity Shares of Bank of Maharashtra - option to receive dividend through Electronic Clearing Service (ECS) facility at centres wherever it is available.

I / We hold equity shares of Bank of Maharashtra in physical form.

I / We request you to arrange for payment of my / our dividend through ECS facility and credit the same to my / our account as per details given below:

1		प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम	First / Sole Shareholder's name
2.		रजिस्टर्ड फोलिओ क्रमांक	Registered Folio No.
3.		बैंक खाते का विवरण	Particulars of Bank Account
	क. a.	बैंक का नाम	Bank Name
	ख. b.	शाखा नाम	Branch Name
	ग. c.	शाखा का पता	Address of the Branch
	ਬ. d.	टेलीफोन क्रमांक और फैक्स क्रमांक	Telephone number and Fax number
	ਤਾ e.	बैंक द्वारा जारी माईकर चेक पर अंकित बैंक और शाखा का 9 अंकों वाला माईकर कूट क्रमांक	9 - digit MICR code number of the Bank and Branch as appearing on the MICR Cheques issued by the Bank
	ਚ. f.	खाते का प्रकार (बचत/चालू/नकद साख, कूट क्रमांक 10/11/13 सहित)	Account type (Savings / Current / Cash Credit with code 10/11/13)
	छ. g.	खाता क्रमांक जैसा चेक बुक पर अंकित है*	Account Number as appearing on the Cheque Book*

(उक्त विवरणों के सत्यापन के लिए कृपया अपना कोरा चेक या अपने कोरे चेक की या आपके खाता पासबुक के अगले पेज की फोटो कॉपी संलग्न करें)

मैं / हम एतद्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है. यदि कोई व्यवहार असत्य या अपूर्ण जानकारी के कारण विलंबित या प्रभावित होता है तो मैं /हम बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा/ठहाएंगे. मैं/हमने समझ लिया है कि बैंक के नियंत्रण के बाहर अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण यदि बैंक इसीएस के माध्यम से लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो बैंक के पास मुझे / हमें देय लाभांश भौतिक रूप से लाभांश वारंट के रूप भेजने का अधिकार सुरक्षित है.

दिनांक ः

भवदीय, (प्रथम / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर)

नोट ः

- यदि आपके पास इलेक्ट्रानिक (डीमेट) प्रारूप में शेयर उपलब्ध हैं तो कृपया अपने बैंक का विवरण सीधे डिपाजिटरी सहभागी को उपलब्ध कराएं.
- 2. ईसीएस सुविधा वर्तमान में निम्नलिखित केंद्रों पर उपलब्ध है :

आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, बडौदा, बेंगलूर, भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नै, कोयम्बतुर, देहरादून, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, जालंधर, जामनगर, जम्मू, कानपुर, कोल्हापुर, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, मदुरै, मेंगलोर, मुंबई, नागपुर, नासिक, नई दिल्ली, पणजी, पटना, पुणे, रायपुर, राजकोट, सोलापुर, सूरत, तिरुवनन्तपुरम, त्रिपुर, उडपी, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम.

3. राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) लाभांश को भुगतान की केन्द्रीय प्रक्रिया को सरल बनाता है. एनईसीएस के माध्यम से बैंक ईसीएस सुविधा को गैर-ईसीएस केन्द्रों पर उपलब्ध कराती है. अतः हम सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि नए ईसीएस दावों को, यदि कोई हों तो, सीबीएस बैंक खाता संख्या के साथ भेजें ताकि पुराने बैंक खाता क्रमांक को इससे अद्यतन किया जा सके. जो शेयरधारकों के पास शेयर भौतिक रूप में रखे हैं वे विधिवत्त भरे हुए प्रारूप को रजिस्ट्रार व शेयर अन्तरण एजेंट (आरटीए-एमसीएस लि.) को भेज दें.जिन शेयरधारकों के पास डीमेट रूप में शेयर हैं उन्हें अपना अधिदेश संबंधित डिपॉजिटरी (डीपी) को भेजना चाहिए.

(*Please attach a blank cheque or photocopy of a cheque or front page of your savings bank passbook issued by the Bank for verification of the above details).

I / We hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If any transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I / We would not hold the Bank responsible. I / We understand that the Bank also reserves the right to send the dividend payable to me by a physical dividend warrant on account of unforeseen circumstances beyond the control of the Bank that may effect the payment of dividend through ECS.

Yours faithfully,

Date:

(Name and signature of First / Sole Shareholder)

Notes:

- 1. In case you hold shares in electronic (Demat) form, kindly give the Bank details directly to your Depository participant.
- 2. The ECS facility is available at present at the following centres:

Agra, Ahmedabad, Amristar, Aurangabad, Baroda, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Dehradun, Guwahati, Gwalior, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jallandhar, Jammu, Jamnagar, Kanpur, Kolhapur, Kolkata, Lucknow, Ludhaina, Madurai, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Nasik, New Delhi, Panaji, Patna, Pune, Raipur, Rajkot, Solapur, Surat, Thiruvanthapuram Tripur, Udpi, Vijayawada, Vishakapatnam.

National Electronic Clearing Services (NECS) facilitates centralized processing of dividend payment. The Bank would extend ECS facility at Non-ECS centres also through NECS. We, therefore, request all the shareholders to send new ECS mandate with CBS Bank account number, if any, for updating the same in place of old Bank account number. The Shareholders holding shares in physical form are required to send the duly filled in form to Registrar and Share Transfer Agent (RTA)-MCS LTD and Shareholders holding shares in DEMAT FORM are required to send the Mandate to their respective Depository Participant (DP).



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

प्रधान कार्यालयः "लोकमंगल", 1501,शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 **Head Office:** "Lokmangal", 1501, Shivajinagr, Pune - 411 005

उपस्थिति पर्ची / ATTENDANCE SLIP

(सभागृह में प्रवेश से पूर्व प्रस्तुत की जाए) / (To be handed over at the time of entry to the Venue)

दिनांकः 25.06.2012 Date : 25.06.2012		स्थान ः अप्पासाहेब जोग हॉल, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005
समय : सुबह 10.30 बजे Time : 10.30 a.m.		Venue : Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra Lokmanagal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present		
रजिस्टर फोलिओ / Regd Folio	डीपी आईडी / DP ID	
	क्लायंट आईडी / Client ID	
अगर डीमेट नहीं है तो / If not dematerialised		यदि डीमेट है तो / If dematerialised
शेयरधारक का नाम / Name of the Shareholder		
श्रेयरों की संख्या / Number of Shares		



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

प्रधान कार्यालयः "लोकमंगल", 1501,शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 **Head Office:** "Lokmangal", 1501, Shivajinagr, Pune - 411 005

प्रवेश पत्र / ENTRY PASS

(सम्पूर्ण सभा के दौरान संभाल कर रखा जाए / To be retained throughout the meeting)

दिनांकः 25.06.2012 Date : 25.06.2012 समय : सुबह 10.30 बजे Time : 10.30 a.m.			स्थान : अप्पासाहेब जोग हॉल, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 Venue : Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra Lokmanagal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक	सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present			
रजिस्टर फोलिओ / Regd	Folio	डीपी आईडी / DP ID	
		क्लायंट आईडी / Client ID	
अगर डीमेट नहीं	है तो / If not dematerialised	rialised यदि डीमेट है तो / If dematerialised	
शेयरधारक का नाम / Nar	ne of the Shareholder		
शेयरों की संख्या / Numbe	er of Shares		

शेयरधारक/प्राक्सीधारक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र पर बैंक के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के अनुसार विधिवत हस्ताक्षर कर इसे सभागृह में प्रवेश से पूर्व प्रस्तुत करें. यदि आवश्यक हो तो, सभागृह में प्रवेश अन्य सत्यापन/जांच पर भी आधारित हो सकता है. किसी भी परिस्थिति में उपिस्थिति-सह-प्रवेशपत्र की अनुलिपि सभागृह में प्रवेश से पूर्व नहीं की जाएगी.

Shareholders / proxy holders / representatives are requested to produce the above Attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signature registered with the Bank alongwith the entry pass for admission to the venue. The admission may, however, be subject to further verification / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass be issued at the entrance to the meeting hall.



बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रधान कार्यालयः "लोकमंगल", 1501,शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारकों द्वारा भरा जाएं)

रजिस्टर फोलियो सं.			डीपी आईडी		
			क्लायंट आईडी		
अगर डीमेट नहीं हो तो			अगर डीमेट है त	तो	
मैं/हम, राज्य		के जिले		के निवासी और बैंव	5 ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारक एतदद्वार
राज्य			_, जिले		के निवासी
श्री/श्रीमती		को या उनकी अनुपस्थिति की दशा मं	ों राज्य	के जिले	के निवासी
श्री/श्रीमती		को दिनांक २५ जून	2012 को संपन्न होने वाली बैंक ऑफ र	महाराष्ट्र के शेयरधारकों व	bो नौवीं वार्षिक आम बैठक में और बैठ व
आस्थगन की दशा में मेरी/	हमारी प्रॉक्सी के रूप	में मेरी/हमारी ओर से वोट देने के हेतु नियु	क्त करते हैं.		
. .		`			
दिनांक					
नाम					कृपया
पता					30 पैसे का
					राजस्व टिकट लगाएं
प्रॉक्सी के हस्ता					शेयरधारक के हस्ताक्षर)
				(
प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर	-	-			
	तब तक वैध नहीं होग			<u> </u>	
		उसके ऍटर्नी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्ष	-		
-		में उल्लेखित प्रथम शेयरधारक द्वारा या उ			कर दिया गया हा.
		5 अधिकारी या कोई एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरि `	-		~ ` ` `
	ार के राजपत्रित अधिव	में असमर्थ शेयरधारकों द्वारा यदि अपना कारी और/या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधि			
3. किसी भी प्रॉक्सी को	तब तक वैध नहीं मान	ना जाएगा, जब तक कि इसे विधिवत रूप र	ने मोहर लगाकर व हस्ताक्षरित कर मुख	तारनामे के साथ या अन्य प्र	प्राधिकार, जिसके अंतर्गत इसे हस्ताक्षरित
किया गया है, या मु	ख्तारनामे की प्रति और	र/या नोटरी पब्लिक, मॅजिस्ट्रेट द्वारा अधिप्र	माणित प्राधिकारपत्र की प्रति को वार्षिव	⁵ साधारण आम सभा के लि	देनांक, अर्थात 20 जून 2012, से चार दिन
		। जाता है और तब तक , जब तक कि ऐसे		बैक में पहले जमा और पउ	ीकृत नहीं कर दिया जाता है.
	X	वेभाग, प्रधान कार्यालय, ''लोकमंगल'', ११	0		
		महाराष्ट्र), आफिस क्रमांक २१/२२ ग्राउण्ड प			
 यदि संबंधित मुख्ता का उल्लेख किया ज 		ॉफ महाराष्ट्र या शेयर अंतरण एजेंट और	रोजस्ट्रार के पास पहले से पर्जीकृत है	तो मुख्तारनामें के पंजीकर	ण क्रमाक तथा ऐसे पंजीकरण के दिनाक
 बैंक में जमा किए गा 	र प्रॉक्सी लिखत अटल	और अंतिम रहेंगे.			
		दो व्यक्तियों के पक्ष में जारी किया जाता हे			
		रधारक को व्यक्तिगत रूप से साधारण आ		होगी.	
	बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी या प्रतिनिधि के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है.				
 नियुक्त प्राँक्सी को बै 	ठक में बोलने का कोई	अधिकार नहां हागा.			



BANK OF MAHARASHTRA

Head Office: "Lokmangal", 1501, Shivaji Nagar, Pune - 411 005.

PROXY FORM

(To be filled by the shareholders)

Regd.Folio No.		DP ID No.	
		Client ID No.	
	If not dematerialised		If dematerialised
I/We,	resident of	in the distric	t of in the State of
	being a shareholder /s of Bank	of Maharashtra, hereby appoi	nt Shri / Smt
resident of	in the district of	in the State	of or failing him/her,
Shri/Smt	resident of	ent of in the district of	
	as my / our proxy to vote for me / us and on	my/our behalf at the Ninth An	nual General Meeting of the Shareholders of Bank of
Maharashtra to be held on	25th June 2012 and at any adjournment thereof.		
Oine ad this			
Signed this day	2012.		Please affix
Name			Thirty paise
Address			Revenue Stamp
Signature of Proxy	—		(Signature of the first holder/ sole holder)

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM:

- 1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a. In the case of an individual shareholder, it is signed by the shareholder or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - b. In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - c. In the case of a body corporate signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
- 2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Maharashtra.
- 3. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before 20th June 2012, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
 - a. Bank of Maharashtra, Investor Services Department, Central Office, 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune 411 005 OR
 - b. MCS Limited, Unit: Bank of Maharashtra, Office No.21 /22, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Blg, 5, P.D' Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E), Mumbai - 400 009.
- 4. In case the relevant power of attorney is already registered with Bank of Maharashtra or Registrar and Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned
- 5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- 6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- 7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting.
- 8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.
- 9. The Proxy appointed will not have any right to speak at the Meeting.